नाज़रीन कलीसिया

विवरणिका

2017–2021

इतिहास
संविधान
प्रशासन
संस्कार और रीति–रिवाज

कलीसिया का संविधान और मसीह आचरण की वाचा

(1–99 श्रृंखला)

स्थानीय प्रशासन

(100 श्रृंखला)

प्रांतीय प्रशासन

(200 श्रृंखला)

प्रमुख प्रशासन

(300 श्रृंखला)

उच्च शिक्षा

(400 श्रृंखला)

सेवकाई और मसीही कार्य

(500 श्रृंखला)

न्यायिक प्रशासन

(600 श्रृंखला)

संस्कार और रीतिरिवाज

(700 श्रृंखला)

अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई

अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई

अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्रशिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई

(800 श्रृंखला)

प्रारूप

(800 श्रृंखला)

अनुबंध

(900 श्रृंखला)

CHURCH OF THE NAZARENE MANUAL - HINDI
Copyrights 2018
Church of the Nazarene
Published by the authority of the Twentyninth General Assembly held in Indianapolis, Indiana, USA, 25-29 June 2017

Edition 2017-2021

Copies 200

Editing Committee
DEAN G. BLEVINS
STANLEY J. RODES
TERRY S. SOWDEN
JAMES W. SPEAR
DAVID P. WILSON

Published by
Nazarene Holiness Literature
#3,4th Cross, 2nd Main
Horamavu Main Road
Dodda Banswadi
BANGALORE -560043
Email: holinessliterature@nazareneindia.org

Literature Coordinator
Vinod Jaykumar Tode
16, Natraj Housing Society
Behind Rainbow Market
Gorewada, Nagpur- 440 013
Email: vtode@nazareneindia.org
Mobile: 7620486514, 9326211064

Printed and bound in India by
GS Media, Secunderabad 500 067
E-mail: printing@ombooks.org

विषय-वस्तु

प्रस्तावना	7
भाग 1	
ऐतिहासिक कथन	1 1
भाग 2	
कलीसिया का संविधान	23
भाग 3	
मसीही आचरण की वाचा	45
भाग 4	
कलीसिया प्रशासन	65
भाग 5	
उच्च शिक्षा	197
भाग 6	
सेवकाई और मसीही सेवकाई	203
भाग 7	
न्यायिक प्रशासन	259
भाग 8	
संस्कार और रीति–रिवाज	275
भाग 9	
अधिकारपत्र और सेवकाई योजनाएँ / संविधान / कानून	299
भाग 1 0	
प्रपत्र	301
भाग 1 1	
परिशिष्ट	307

प्रस्तावना

“नाज़रीन कलीसिया का लक्ष्य विभिन्न‘‘राष्ट्रों में मसीह के समान चेले बनाना’’ है।

नाज़रीन कलीसिया का मूल मंत्र यह है कि हम मसीही, पवित्रता और सेवक हैं।

नाज़रीन कलीसिया की सात सार्थक विशेषताएँ इस प्रकार हैंः अर्थपूर्ण आराधना, तर्कसंगत धर्मविज्ञान, भावपूर्ण सुसमाचार प्रचार, उद्देश्यपूर्ण शिष्यता, कलीसियाई विकास, परिवर्तनकारी नेतृत्व और दयार्थ सेवा हैं।

“नाज़रीन कलीसिया का प्राथमिक लक्ष्य पवित्रशास्त्र में निर्धारित मसीही पवित्रता का संरक्षण एवं विस्तार करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है।”

“नाज़रीन कलीसिया का विशेष लक्ष्य ‘पवित्र मसीही सहभागिता, पापियों का हृदय परिवर्तन, विश्वासियों का संपूर्ण पवित्रीकरण, पवित्रता में उन्हें स्थिर करना एवं नये नियम की कलीसिया में सादगी और आत्मिक सामर्थ को प्रकट करने के साथ सभी प्राणियों में सुसमाचार–प्रचार करना है।” (19)

नाज़रीन कलीसिया का अस्तित्व समस्त संसार में सुसमाचार के प्रचार और शिक्षण के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के विस्तार में एक साधन के रूप में सेवा करने के लिए है। हमारा स्पष्ट परिभाषित कार्य, पापियों के हृदय–परिवर्तन और विश्वास में पीछे हट चुके व्यक्तियों को वापिस लाना और विश्वासियों के संपूर्ण पवित्रीकरण के द्वारा पवित्रशास्त्र में निर्धारित पवित्रता का संरक्षण एवं विस्तार करना है।

हमारा लक्ष्य आत्मिक है, हमारे प्रभु के महान आदेश – ‘जाओ और सभी राष्ट्रों में मसीह समान चेले बनाओं’ के प्रत्युत्तर में सुसमाचार प्रचार करना। (मत्ती 20:19, यूहन्ना 20:21, मरकुस 16:15)। हम विश्वास करते हैं कि इन

लक्ष्यों को धर्मशिक्षा के विश्वास वचनों एवं समय द्वारा प्रमाणित नैतिकता एवं जीवनशैली के मानदंडों को शामिल करने वाली नीतियों एवं प्रक्रियाओं के साथ सहमत होकर प्राप्त किया जा सकता है।

यह विवरणिका 2017–2021 का संस्करण है जिसमें कलीसिया का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक कथन; कलीसिया का संविधान जिसमें हमारे विश्वास के कथन को परिभाषित किया गया है, कलीसिया के प्रति हमारी समझ, और पवित्र जीवन के लिए मसीही चरित्र की वाचा, संगठन और प्रशासन के सिद्धांत, मसीही आचरण की वाचा, जिसमें समकालीन समाज के प्रमुख मसलों पर चर्चा की गई, और कलीसियाई प्रशासन की नीतियाँ जिनमें स्थानीय, प्रांतीय स्तर और प्रमुख कलीसियाई संगठन के विषय शामिल है।

प्रमुख सभा, नाज़रीन कलीसिया के धर्म सिद्धांत बनाने और अन्य नियमों को बनाने वाली सर्वोच्च निकाय है। इस विवरणिका में उन्तीसवीं प्रमुख सभा के सेवकाई से जुड़े याजकीय एवं अयाजकीय प्रतिनिधियों द्वारा पारित निर्णय एवं नियम दिए गए हैं। यह प्रमुख सभा इंडियाना पोलिस–इंडियाना, यू. एस. ए. में 25–29 जून 2017 को आयोजित की गई थी, इस कारण यह कार्य करने के मार्गदर्शन का अधिकार रखती है। अब क्योंकि यह कलीसिया के विश्वास और रीतियों का आधिकारिक कथन है और पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के अनुसार है – हम आशा करते हैं कि सब स्थानों में हमारे लोग धर्मशिक्षा की बातों को स्वीकार करेंगे और उस मार्गदर्शन एवं सहायता को भी स्वीकार करेंगे जो पवित्र जीवन जीने के लिए इसमें दी गई है। नाज़रीन कलीसिया की सदस्यता ग्रहण करने का संकल्प करने के बाद, ऐसा न कर पाना कलीसिया की साक्षी को धूमिल करता है, उस विवेक का उल्लंघन करता है और नाज़रीन कहलानेवालों की सहभागिता को निर्बल बनाता है।

नाज़रीन कलीसिया का प्रशासन अति–विशिष्ट है। कलीसियाई प्रबंध –प्रशासन में यह प्रतिनिधियों के द्वारा है – न पूरी तरह यह बिशप (धर्माध्यक्ष) का है और न पूरी तरह सभा पर निर्भर है क्योंकि कलीसिया की नियम बनाने वाली इकाईयों में याजकीय सेवकों और आयोजकों का एक बराबर अधिकार है इस कारण अधिकार का एक चाहने योग्य और प्रभाव–संतुलन है। हम इसे कलीसिया में भाग लेने और सेवा करने का एक अवसर ही नहीं मानते परंतु अयाजकों एवं याजकीय सेवकों दोनों का दायित्व भी मानते हैं।

प्रतिबद्धता और स्पष्ट उद्देश्य महत्वपूर्ण है किन्तु बुद्धिमान और जानकार लोग, जो रीतियों और प्रक्रियाओं पर परस्पर सहमति रखते हैं, वे अधिक तेजी से परमेश्वर के राज्य का विस्तार करते और मसीह की साक्षी को फैलाते हैं। इस कारण हमारे सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस विवरणिका से परिचित हो – अर्थात् कलीसिया का इतिहास उसके धर्म शिक्षाएँ सिद्धांत और आदर्श रूप में नाज़रीन की नैतिक जीवन शैली इन पन्नों में दी गई बातों से जुड़कर रहने पर परमेश्वर एवं कलीसिया दोनों के प्रति स्वामिभक्ति और विश्वासयोग्यता का संवर्धन होगा और हमारे आत्मिक प्रयासों की प्रभावशीलता एवं दक्षता में वृद्धि होगी।

बाइबिल को हमारी श्रेष्ट मार्गदर्शक मानकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित और विवरणिका को हमारे विश्वासों, रीतियों और कलीसियाई प्रशासन का आधिकारिक कथन मानकर जिस पर हम सब सहमत है, हम इस नए चार वर्षों के काल को यीशु मसीह में आनंद और अविचलित विश्वास के साथ देखते हैं।

प्रमुख अधीक्षकों का मंडल
यूजिनों आर. ड्यूआर्टे
डेविड डब्ल्यू ग्रेव्स
डेविड ए. ब्यूसिक
गुस्ताव ए. क्राकर
फिलमाओ एम. चैम्बो
कारला डी. सनबर्ग

भाग 1

ऐतिहासिक कथन

नाज़रीन कलीसिया उसके आरंभ से ही स्वयं को “एकमात्र, पवित्र, विश्वव्यापी और प्रेरितों की शिक्षा” पर आधारित कलीसिया की एक शाखा मानती है। वे पुराने और नए नियम में लिखित परमेश्वर के लोगों के इतिहास को अपना इतिहास मानते हैं, और यह कि वही मसीही कलीसिया के दिनों से अब तक जारी है। हमारा समुदाय प्रथम पाँच मसीही शताब्दियों के विश्वास के एकीकृत स्वरूप को अपने निज विश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। हमने ऐतिहासिक कलीसिया के साथ अपनी पहचान बनाकर रखने, वचन का प्रचार, प्रभु–भोज का संस्कार और वास्तविक प्रेरिताई के विश्वास एवं रीति पर सेवकाई करने एवं उसे बनाकर रखने और मसीह के समान आचरण एवं सेवा करने पर भी अमल किया है। हमारा संप्रदाय पवित्र जीवन के बाइबिल की बुलाहट और परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण को नमन करता है, जिसे हम संपूर्ण पवित्रीकरण के धर्मशास्त्र के माध्यम से घोषित करते हैं।

हमारी मसीही विरासत 16 वी शताब्दी के अंग्रेजी सुधार और 18 वी शताब्दी के वेसेलियन आत्मिक–जागृति के माध्यम से मध्यस्थ थी। जॉन और चार्ल्स वेस्ले के प्रचार के माध्यम से पूरे इंग्लैंड़, स्कॉटलैंड़, आयरलैंड़ और वेल्स में लोगों ने पाप से मन फिराया और उन्हें मसीह सेवा के लिए सशक्त बनाया। यह आंदोलन मुख्य रूप से अयाजकीय सदस्यों के प्रचार, गवाही,

अनुशासन और “समाज”, “वर्ग” और “बैंन्ड” के नाम से जाने गए ईमानदार शिष्यों के समूहों द्वारा लाई गई। वेसली आत्मिक–जागृति के तीन धार्मिक स्तंभ थे – अनुग्रह के द्वारा विश्वास से पुर्नजीवन, मसीही सिद्धता या पवित्रीकरण, यह भी अनुग्रह के द्वारा विश्वास से और अनुग्रह के निश्चय की पवित्र आत्मा द्वारा साक्षी। जॉन वेसली के योगदानों में इस जीवन में संपूर्ण पवित्रीकरण पर जोर दिया गया था कि यह मसीहियों के इस जीवन में परमेश्वर की अनुग्रहमय कृपा है। यह कथन दुनियाभर में प्रसारित किए गए। उत्तरी अमेरिका में मेथोडिस्ट इपिस्कोपल कलीसिया वर्ष 1784 में स्थापित हुआ। उनका निश्चित उद्देश्य था– “महाद्वीप में सुधारवाद, और उसके देशों में पवित्रशास्त्र सम्मत, पवित्रता का प्रसार करना।”

19 वी शताब्दी में पूर्वी अमेरिका में मसीही पवित्रता पर जोर देने वाला एक नया आंदोलन विकसित हुआ। बोस्टन, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के तिमोथी मेरिट, मसीही पूर्णता के लिए मार्गदर्शक के संपादक के रूप में रूचि रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयार्क के फाएबे पामर ने पवित्रता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार की सभा का नेतृत्व किया और लोकप्रिय वक्ता लेखक और संपादक बन गए। 1867 में मेथोडिस्ट प्रचारक जे.ए. वुड, जॉन इंडिकप और बिनलैंड, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य लोगों ने पवित्रता शिविर की बैठकों की एक लंबी श्रृंखला में पहल की, जिसने विश्व भर में पवित्रता के लिए वेसेलियन खोज को नवीनीकृत किया। वेसेलियन मेथोडिस्ट, फ्री मेथोडिस्ट, मोक्ष सेना और कुछ मेनोनाइट, ब्रेथ्रेन और क्वेकर सभीने मसीही पवित्रता पर जोर दिया। सुसमाचार प्रचारकों ने इस आंदोलन को जर्मनी, संयुक्त राज्य, स्कैंडेनेक्यिा, भारत और आस्ट्रेलिया तक पहुँचाया। नई पवित्रता की कलीसिया उत्पन्न हुई जिसमें परमेश्वर की कलीसिया (एँडरसन, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका) भी शामिल हैं। इस प्रयास से पवित्र कलीसिया, शहरी मिशन और मिशनरी संघ बढ़े। नाज़रीन कलीसिया एक पवित्र कलीसिया में इनमें से कई को एकजुट करने के लिए आवेग से उत्पन्न हुआ था।

पवित्रता में एकता

फ्रेड हिलेरी ने 1887 में पीपल्स इवेन्जेलिकल कलीसिया (प्रोविडेन्स, रोड आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका) का गठन किया। 1888 में मिशन कलीसिया (लिन, मेसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका) अनुगमन किया गया। सन 1890 में वे और आठ नए इंग्लैंड सभाओं ने केन्द्रीय सुसमाचार प्रचारकीय पवित्रता संस्था का गठन किया। सन 1892 में हन्ना एस. हैन्सकोम्ब को दीक्षित किया गया, जो नाज़रीन वंशावली की प्रथम दीक्षित महिला सेवक थी। सन 1894–1895 में विलियम हॉवर्ड हूपल ने ब्रूकलिन, न्यूयार्क, यू. एस. ए. में तीन पवित्रीकरण सभाओं का आयोजन किया जिसने पेन्टिकॉस्टल अमेरिकी कलीसिया एसोशियन बनाया। "पेन्टिकॉस्टल" इन और अन्य नाज़रीन संस्थापकों का "पवित्रीकरण" के लिए पर्याय था। हिलेरी और हूपले के समूहों का विलय 1896 में हुआ और भारत (1899) और केप वर्डे (1901) में कार्यों को स्थापित किया और मिशन कार्यकारी हिरम रेनॉल्ड्स ने कनाडा (1902) में सभाओं का आयोजन किया। समूह, नोवा स्कॉटिया, कनाडा से टोवा यू. एस. ए. तक 1907 तक पहुँचा।

सन 1894 में राबर्ट ली. हैरिस ने मिलान, टेनसी यू. एस. ए. में 'न्यू टेस्टामेंट चर्च ऑफ क्राइस्ट' का संगठन किया। उनकी विधवा मेरी ली कागले ने 1895 में इसे वेस्ट टेक्सस यू. एस. ए. तक फैलाया। सी.बी. जेरनिगन ने सन 1901 में वैन एलस्टीन टेक्सस यू एस ए में पहला स्वतंत्र पवित्रता कलीसिया का संगठन किया। ये कलीसियाएँ राइजिंग स्टार, टेक्सस यू एस ए (1904) में विलय हुए और मसीह के पवित्र कलीसिया का गठन हुआ। सन 1908 तक, यह जॉर्जिया, यू एस ए से नए मैक्सिको, यू एस ए तक निर्वासित और जरूतमंदों की सेवकाई के लिए, अविवाहित माताओं और अनाथों को सहारा देने के लिए और भारत और जापान के कार्यकर्ताओं तक फैल गया।

अक्टूबर 1907 में, अमेरिका के पेन्टिकॉस्टल कलीसियाओं की समिति और नाज़रीन कलीसिया शिकागो, इलिनाईस, यू एस ए में कलीसिया प्रशासन को रीति में लाने के लिए संयुक्त रूप से एकीकृत हुई जो सभाओं के अधिकारों के साथ संतुलित निरीक्षण कर सके। अधीक्षक स्थापित कलीसियाओं को बढ़ावा और देखभाल करने के लिए थे, नइ कलीसियाओं को व्यवस्थित और प्रोत्साहित करते थे, लेकिन पूरी तरह से संगठित कलीसिया के स्वतंत्र कार्यों

में हस्तक्षेप नहीं करते थे। होलीनेस चर्च ऑफ क्राइस्ट के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। प्रथम प्रमुख सभा ने दोनों संगठनों से लिए गए नाम को अपनायाः पेन्टिकॉस्टल चर्च ऑफ दि नाज़रीन। ब्रीस और रेनॉल्ड प्रमुख अधीक्षक चुने गए थे।

सितम्बर 1908 में एच. जी. ट्रमबॉर के अधीक्षता में, होलीनेस क्रिश्चियन कलीसिया के पेनिन्सेलविया सम्मेलन में पेन्टिकॉस्टल नाज़रीन के साथ एकजुट हो गए।

अक्टूबर में होलीनेस चर्च ऑफ क्राइस्ट की प्रमुख परिषद के साथ पायलट पाईंट, टेक्सास, यू एस ए में दूसरी प्रमुख सभा बुलाई गई। 13 अक्टूबर, मंगलवार की सुबह, आर. बी. मीटचुम चले गए और सी. डब्ल्यू. रूत ने दूसरा प्रस्ताव रखाः "दो कलीसियाओं के मिलन को अब समाप्त कर दिया जाए।" ब्रीस ने लगातार इस प्रयास को अंजाम दिया और सुबह 10:40 बजे काफी उत्साह के बीच, सर्वसम्मति से बढ़ते मत से एकजुट होने की गति को अपनाया गया।

जे. ओ. मैकक्लरकन के नेतृत्व में, 1898 में मैशविले, टेनेसी, यू एस ए में गठित पेन्टिकॉस्टल मिशन, संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी और आस–पास के राज्यों से पवित्रता वाले लोगों को एकजुट किया गया। उन्होंने क्यूबा, ग्युटमाला, मैक्सिको और भारत में पादरियों और अध्यापकों को भेजा। 1906 में, जॉर्ज शार्प को लासगो स्कॉटलैंड में पार्क हेड सभा की कलीसिया में मसीही पवित्रता के वेसेली सिद्धांत का प्रचार करने के लिए निकाल दिया गया था। पार्क हेड, पेन्टिकॉस्टल कलीसिया का गठन किया गया था, अन्य सभाओं का आयोजन किया गया था और स्कॉटलैंड के पेन्टिकॉस्टल कलीसिया की स्थापना 1909 में हुई थी। पेन्टिकॉस्टल मिशन और स्कॉटलैंड के पेन्टिकॉस्टल कलीसिया, 1915 में पेन्टिकॉस्टल नाज़रीन के साथ एकजुट हुए।

पांचवी प्रमुख सभा (1919) ने समुदाय के आधिकारिक नाम को नाज़रीन कलीसिया में बदल दिया क्योंकि "पेन्टिकॉस्टल" शब्द से नए अर्थ जुड़ गए थे।

एक वैश्विक कलीसिया

नाज़रीन कलीसिया के आवश्यक चरित्र को मूल कलीसियाओं द्वारा आकार दिया गया था जो 1915 तक एकजुट हो गए थे। इस चरित्र के लिए एक

अंतर्राष्ट्रीय आयाम था। संप्रदाय ने संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, केप वर्डे, क्युबा, कनाडा, मैक्सिको, ग्युटेमाला, जापान, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैंड, चीन और पेरू में पूरी तरह से संगठित कलीसियाओं का समर्थन किया। 1930 तक यह दक्षिणी अफ्रीका, सीरिया, पलिश्तीन, मोजाम्बिक, बारबादोस और त्रिनीदाद तक पहुँच गया। इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय नेता आवश्यक थे जैसे प्रांतीय अधीक्षक वी. जी. सेनटीन (मैक्सिको), हिरोशी कितगावा (जापान) और शमुएल भुजबल (भारत)। इस अंतर्राष्ट्रीय चरित्र को नए अभिगमन द्वारा और सुदृढ़ किया गया।

1992 में, जे. जी. मोरिसन ने कई अयाजकीय व्यक्ति की पवित्रता के संघ के कार्यकर्ताओं और डेकोटा, यू एस ए, मिनेसोटा, यू एस ए और मोंटाना, यूएसए के 1000 से अधिक सदस्यों का नेतृत्व किया। 1930 में रॉबर्ट चुंग ने नाज़रीन कलीसिया में कोरियन पादरियों और सभाओं के नेटवर्क का नेतृत्व किया। 1930 में रॉबर्ट चुंग ने नाज़रीन कलीसिया में कोरियन पादरियों और सभाओं के नेटवर्क का नेतृत्व किया। आस्ट्रेलिया में ए.ए.ई. बर्ज़ के अधीन कलीसिया 1945 में संयुक्त हो गई। अलफ्रेडो डेल रोसो ने 1948 में संप्रदाय में इटली की कलीसियाओं का नेतृत्व किया। दक्षिणी अफ्रीकी कार्य की हेपशीबा फेथ मिशनरी एसोशिएसन और टाबूर, लोवा, यू एस ए में इसका केंद्र, 1950 के करीब में नाज़रीनों के साथ संयुक्त हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय होलीनेस (पवित्रता) मिशन की स्थापना 1907 में डेविड थॉमस द्वारा लंदन में की गई थी, जिसने डेविड के तहत दक्षिणी अफ्रीका में व्यापक काम किया। 1952 में जे. बी. मैकेगन के तहत इंग्लैंड में इसकी कलीसियाएँ और अफ्रीका में नाज़रीन के साथ एकजुट होकर कार्य करते थे। मेन्नार्ड जेम्स और जैक फोर्ड ने 1934 में ब्रिटेन में कलवरी होलीनेस कलीसिया का गठन किया और 1955 में नाज़रीन के साथ एकजुट हुए। 1918 में आन्टेरियों, कनाडा में फ्रैंक गॉफ द्वारा आयोजित गॉस्पल वर्कर्स चर्च (सुसमाचार कार्यकर्ता चर्च) 1958 में नाज़रीन कलीसिया में शामिल हुए। नाइजीरियाई लोगों ने 1940 के दशक में नाज़रीन का एक स्वदेशी कलीसिया बनाया और 1988 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ एकजुट होकर जेरेमिया यू. कैडेम के तहत काम किया।

नाज़रीनों ने सचेत रूप से कलीसिया का एक मॉडल विकसित किया है जो विरोधात्मक मापदंड से भिन्न है। 1976 में संप्रदाय के भविष्य के आकार की जाँच के लिए एक अध्ययन आयोग बनाया गया था। 1980 के रिपोर्ट के द्वारा, इसने दो सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीयकरण की शिफारिश की। पहला, यह माना जाता है कि नाज़रीन कलीसियाओं और प्रांतों ने विश्वस्तर पर "विश्वासियों की विश्वव्यापी सहभागिता का गठन किया है, जिसमें उसके सांस्कृतिक, संदर्भो के भीतर पूर्ण स्वीकृति मौजूद है।" दूसरा, यह "नाज़रीन कलीसिया का विशेष मिशन" अर्थात् "शास्त्रीय पवित्रता के प्रसार" के लिए एक सामान्य प्रतिबद्धता की पहचान कराती है। जो अविचार विमर्शनीय प्रमुख तत्व है, जो नाज़रीन की पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1980 की प्रमुख सभा ने विश्वास के कथन के आधार पर "अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक एकरूपता" को अपनाया और सभी सेवकों के लिए धार्मिक प्रशिक्षण के महत्व की पुष्टि की और प्रत्येक विश्वक्षेत्र में धार्मिक शिक्षा के संस्थानों की पर्याप्त सहायता का आहवान किया। इसने एक एकल संयोगी ढांचे के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय पवित्रता सहभागिता के रूप में परिपक्वता की ओर नाज़रीन को बुलाया जिसमें औपनिवेशिक मानसिकता ने "मजबूत और कमजोर, दाता और प्राप्तकर्ता" के संदर्भ में लोगों और राष्ट्रों का मूल्यांकन किया और "एक ऐसा तरीका दिया गया है जो दुनिया को देखने का एक बिलकुल नया तरीका मानता है; जो सभी भागीदारों की ताकत और समानता को पहचानता है।"

ध्यान दें: बीसवीं प्रमुख सभा की पत्रिका, नाज़रीन कलीसिया, (1980): 232 फ्रैंकलिन कुक अंतर्राष्ट्रीय आयाम (1984): 491

नाज़रीन कलीसिया में प्रदर्शनकारियों के बीच एक अद्वितीय विकास ढाँचा है। 1998 तक, आधे नाज़रीन अब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नहीं रहते थे और 2001 की प्रमुख सभा में 41 प्रतिशत प्रतिनिधियों ने अंग्रेजी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बताया था या इसे बिल्कुल भी नहीं कहा था। केप वर्डे के एक अफ्रीकी, यूजेनियो डुवार्ट को 2009 में कलीसिया के प्रमुख अधीक्षकों में चुना गया था। 2013 में एक अन्य अफ्रीकी फिलिमाओ चंबो, जो मोजाम्बिक का मूल निवासी था, को भी प्रमुख अधीक्षक चुना गया था और पहली बार प्रमुख अधीक्षक मंडल के आधे से अधिक सदस्य उत्तरी अमेरिका के बाहर पैदा हुए और बढ़े हुए व्यक्ति थे।

2017 तक 471 प्रांतों और 160 से अधिक विश्व क्षेत्रों में कलीसिया के 2.5 लाख सदस्य थे। लगभग 28 प्रतिशत नाज़रीन, अफ्रीकी थे, 29 प्रतिशत लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में रहते थे, जबकि एक चौथाई संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रहते थे। कलीसिया के स्थापित यूरोपीय प्रांतो ने पूर्वी यूरोप में नए आयाम की सहायता की और एशिया में कलीसिया, कोरिया, जापान और भारत में पारंपरिक ठिकानों के बाहर और अन्य स्थानों में, दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए। 2017 तक तीन सबसे बड़े नाज़रीन प्रांत एशिया और अफ्रीका में थे और आराधना में तीन सबसे बड़ी सभाओं की उपस्थिति दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन में थीं।

अंतर्राष्ट्रीय सेवकाई की विशिष्टताएं

नाज़रीन कार्यनीति सेवकाई, ऐतिहासिक रूप से सुसमाचारवाद, सामाजिक सेवकाई और शिक्षा के इर्द–गिर्द केंद्रित हैं। वे अन्तः सांस्कृतिक मिशनरियों और हजारों स्थानीय सेवकों और अयाजकीय सदस्यों के आपसी सहयोग के माध्यम से फलते–फूलते हैं, जिन्होंने अपनी–अपनी संस्कृतियों के भीतर वेसेलियन सिद्धांतों को स्वदेशी किया है।

प्रचार – हीराम एफ. रेनॉल्ड अन्तः सांस्कृतिक सेवकाईयों को स्थापित करने वाले एक कार्यनीति व्यक्तित्व थे। प्रमुख अधीक्षक के रूप में एक–चौथाई शताब्दी के दौरान उनकी निरंतर अगुवाई ने मिशनों को एक प्रमुख प्राथमिकता देने में मदद की। 1915 से, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन मिशनों (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के मिशनरी समाज) ने धन जुटाया है और दुनियाभर की सभाओं में मिशन शिक्षा को बढ़ावा दिया है। स्वदेशी मिशन उत्तर अमेरिकी प्रचार का एक केंद्रीय हिस्सा थे जबकि राष्ट्रीय मिशनरियों जॉन डीलाज (कैप वर्डे), संटोस एलिजोंडो (मैक्सिको), सैमुअल क्रिकोरियन (पलिस्तीन), जे. आई. नगमात्सु (जापान) और राबर्ट चुग (कोरिया) अग्रणी नेता थे। आत्माओं के लिए मध्य सदी के धर्मगुरू (क्रुसेड) ने विश्वयुद्ध–2 के बाद विश्व एकीकरण की दिशा में नई शक्तियों को निर्देशित किया। शहरी सुसमाचारवाद ने 1970 के दशक में कलीसिया को सेवकाई के प्राथमिक ठिकाने के रूप में फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर किया। नई तरह की शहरी सेवकाई विकसित हुई और और कलीसिया ने 1980 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव “शहरों पर जोर”

पर बल दिया। कलीसिया ने 1990 के दशक में पूर्वी यूरोप में प्रवेश किया। नाज़रीन पूर्वी अफ्रीकी पुनरूद्धार जागृति में भाग लेते हैं और बांगलादेश जैसे विविध देशों में सेवा करते हैं। जहाँ 24 मार्च 2010 को 193 प्राचीन को एकल सभा में सेवकाई के लिए दीक्षित किया गया था – जो मसीही इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना है।

अनुकंपा – पूर्वकालीन नाज़रीन भारत में अकाल पीड़ितों के राहत में सहायता प्रदान करके और अविवाहित युवतियों और महिलाओं के लिए मातृत्व घर व अनाथों के लिए अनाथ आश्रम स्थापित करके तथा शहरी मिशन, जो बेघर व नशे की लत के शिकार लोगों के बीच सेवकाई करती थी, उसे स्थापित करके परमेश्वर के अनुग्रह के गवाह बनें। सन 1920 में कलीसिया के सामाजिक सेवकाइयों की प्राथमिकताओं को चिकित्सा में स्थानांतरित कर दिया गया था। सर्वप्रथम अस्पताल चीन और स्वाजीलैंड में बनाए गए बाद में भारत और पपुआ न्यू गुवाना में बनाए गए थे। पेशेवर नाज़रीन चिकित्सक रोगियों की देखभाल करते थे, सर्जरी संपादित करते थे, नर्सों को प्रशिक्षण देते थे और विश्व के सबसे निर्धन लोगों के मध्य मोबाइल अस्पताल (चलने–फिरने वाला अस्पताल) को प्रायोजित करते थे। कई विशेष चिकित्सालयों को भी स्थापित किया गया था, उदाहरण के लिए अफ्रीका में कुष्ठ रोग के लिए चिकित्सालय। 1980 के दशक में नाज़रीन अनुकंपा सेवकाई के निर्माण ने सामाजिक सेवकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति दी, जो आज के समय में बच्चों के प्रायोजन, आपदा राहत, एड्स रोग की शिक्षा, अनाथों की सहायता, जल परियोजनाओं और खाद्य वितरण सहित कई प्रकार के हैं।

शिक्षा – नाज़रीन रविवारीय विद्यालय और बाइबिल अध्ययन सदैव मंडली के जीवन का हिस्सा रहे हैं और मसीह समान शिष्यों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कलीसिया ने 1908 में कलकत्ता में स्थापित आशा विद्यालय (क्रोप स्कूल) के प्रारंभिक वर्षों से बुनियादी शिक्षा और साक्षरता में निवेश किया है। नाज़रीन विद्यालय सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में पूर्ण, भागीदारी के लिए विश्वभर के लोगों को तैयार करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश प्रारंभिक नाज़रीन कॉलेजों में 20 वी शताब्दी के मध्य तक ग्रेड स्कूल और हाईस्कूल जुड़े हुए थे। नाज़रीन संस्थापकों ने उच्चशिक्षा में महत्वपूर्ण रूप से निवेश किया, यह विश्वास करते हुए कि यह प्रशिक्षण

प्राप्त करने वाले पादरी और अन्य मसीही कार्यकर्ताओं के लिए और यह समाज को आकार देने के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल दुनियाभर में उच्च शिक्षा के 53 नाज़रीन संस्थानों की सूची देता है, जिसमें अफ्रीका, कनाडा, कोरिया, स्वाजीलैंड, त्रिनिदाद और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिबरल आर्ट्स महाविद्यालय और विश्व विद्यालय सम्मिलित हैं। भारत और पपुआ न्यू गुवाना के 30 बाइबिल महाविद्यालय और संस्थान और नर्सिंग विद्यालय तथा आस्ट्रेलिया, कोस्टा रिका, इंग्लैंड, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्मशास्त्र के स्नातक विद्यालय भी सम्मिलित है।

नाज़रीन कलीसिया समय के साथ एक कलीसिया से एक वैश्विक उपस्थिति के साथ विश्वासियों के एक वैशिवक समुदाय की ओर स्थानांतरित हो गया है। वेसेलियन परंपरा के आधार पर नाज़रीन स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझते हैं जो मसीही, पवित्र और मिशनरी हैं और अपने मिशन के कथन "राष्ट्रों में मसीही समान शिष्य बनाओ" को गले लगाते हैं।

कलीसिया प्रशासन संगठनात्मक लेखा (विवरण के साथ)

वैश्विक नाज़रीन कलीसिया

प्रशासन का संविधान और कथन – विवरणिका अनुच्छेद 22–27
चर्तुवर्षीय प्रमुख सभा

विश्वव्यापी प्रांतों से सिद्धांतिक और आधिकारिक प्रतिनिधि

अनुच्छेद 25–25.8

प्रमुख प्रशासन

अनुच्छेद 300

प्रांतीय प्रशासन

अनुच्छेद 2005

स्थानीय प्रशासन

अनुच्छेद 22.3, 23, 100

प्रमुख मंडल

अनुच्छेद 335
(प्रमुख सभा के अंतरिम रूप से अंतर्राष्ट्रीय कलीसिया सेवकाइयों के नीति और वित्तीय मामलों के लिए प्रमुख सभा प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए निगमित मंडल)

प्रमुख अधीक्षक

अनुच्छेद 306–307.16
(अंतर्राष्ट्रीय कलीसिया सेवकाइयों का संचालन करने के लिए प्रमुख सभा द्वारा निर्वाचित प्रमुख मंडल और प्रांतीय सभाओं की अध्यक्षता मिशन के उद्देश्यों को नेतृत्व दें)

प्रांतीय सभा

अनुच्छेद 24, 200
(स्थानीय कलीसियाओं के प्रतिनिधि प्रति वर्ष सेवकों को दीक्षित करने, प्रांतीय अधीक्षक, अधिकारियों और मंडलों को निर्वाचित करने के लिए मिलते हैं)

स्थानीय कलीसिया

अनुच्छेद 23, 100
(पादरी और स्थानीय कलीसिया मंडल का निर्वाचन करना)

प्रांतीय अधीक्षक

अनुच्छेद 22.2, 208, 211–213.1
(आत्मिक, वित्तीय और पुरोहिताई संबंधी मामलों में नेतृत्व देने के लिए प्रमुख सभा द्वारा निर्वाचित)

प्रांतीय मंडल

अनुच्छेद 224
(परामर्शी, सेवकाई–संबंधी प्रमाण–पत्र, सेवकाई संबंधी अध्ययन; अन्य प्रांतीय मंडल और अधिकारी–गण)

स्थानीय कलीसिया मंडल

अनुच्छेद 127–127.1, 129–130
(स्थानीय कलीसिया के वित्त का प्रबंधन करने के लिए स्थानीय कलीसिया द्वारा चुने गए और स्थानीय कलीसिया के जीवन और कार्य से संबंधित अन्य सभी मामलों के प्रभारी हैं।)

पादरी

अनुच्छेद 115, 514–522
(स्थानीय कलीसिया द्वारा चुने गए, कलीसिया मंडल द्वारा नामित, प्रांतीय अधीक्षक द्वारा अनुमोदित एक स्थानीय कलीसिया की निगरानी के लिए)

भाग 2

कलीसिया का संविधान

कलीसिया के विश्वास के प्रस्तावित कथन संगठन और प्रशासन के संशोधित कथन कलीसिया के संविधान की प्रस्तावना

क्रमानुसार हम परमेश्वर द्वारा प्रदत्त धरोहर, विश्वास जो पवित्र जनों को एक ही बार सौंपा गया, विशेषकर अनुग्रह के दूसरे कार्य के रूप में संपूर्ण पवित्रीकरण के सिद्धान्त एवं अनुभव को संरक्षित कर सके और यह कि यीशु मसीह की अन्य कलीसियाओं के साथ प्रभावपूर्ण रूप में सहयोग कर सके ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार करे, हम नाज़रीन कलीसिया के सेवक एवं सामान्य सदस्य, हमारे बीच स्वीकृत संविधान के सिद्धांतों और नियमों के अनुरूप, नीचे दिये विश्वास के कथनों, मसीही चरित्र की वाचा, संगठन और प्रशासन के नियमों को नियुक्त करते, स्वीकार करते और नाज़रीन कलीसिया के मूलभूत नियमों या संविधान के रूप मे मान्यता प्रदान करते हैं।

विश्वास के कथन

निर्देशः दिए गए पवित्रशास्त्र के पद विश्वास के कथन का समर्थन करते हैं, उन्हें 1976 के प्रमुख अधिवेशन के निर्णय द्वारा लिया गया है। लेकिन यह संवैधानिक लेख में शामिल नहीं हैं।

1. त्रयात्मक परमेश्वर

1. हम एक अद्वैत, अनंतकालीन अस्तित्व वाले असीमित परमेश्वर, संप्रभु सृजनकर्ता एवं ब्रह्माण्ड को संभालने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि केवल वही परमेश्वर है जो प्रकृति, लक्षणों और उद्देश्यों में पवित्र है। परमेश्वर जो पवित्र प्रेम और प्रकाश है, त्रयात्मक के अस्तित्व में है और वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट होता है।

(उत्पत्ति 1; लैव्यव्यवस्था 19:2; व्यवस्था विवरण 6:4–5; यशायाह 5:16; 6:1–7; 40:18–31; मत्ती 3:16–17; 28:19–20; यूहन्ना 14:6–27; 1 कुरिन्थियों 8:6; 2 कुरिन्थियों 13:14; गलतियों 4:4–6; इफिसियों 2:13–18; 1 यूहन्ना 1:5; 4:8)

2. यीशु मसीह

2. हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो त्रयात्मक ईश–शीर्ष का दूसरा व्यक्ति है, वह अनंतकाल से परमेश्वर के साथ था, वह पवित्र आत्मा द्वारा देहधारी हुआ और कुंवारी मरियम से जन्मा ताकि दो संपूर्ण एवं सिद्ध स्वभाव अर्थात् ईश्वरत्व और मनुष्यत्व एक ही व्यक्ति में एकीकृत हो, वह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य के रूप में ईश–मानव है।

हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के बदले में मरा और वास्तव में मृतकों में से जी उठा और पुनः अपनी देह को धारण किया जिसमें मनुष्य के स्वभाव की विशेषता की सभी बातें थी, उसके साथ स्वर्ग पर उठाया गया और वहाँ हमारे लिए मध्यस्थता करने के कार्य में लगा है।

(मत्ती 1:20–25; 16:15; लूका 1:26–35; यूहन्ना 1:1–18; प्रेरितों के काम 2:22–36; रोमियों 8:3; 32–34; गलतियों 4:4–5; फिलिप्पियों

2:5—11; कुलुस्सियों 1:12—22; 1 तीमुथियुस 6:14—16; इब्रानियों 1:1—5; 7:22—28; 9:24—28; 1 यूहन्ना 1:1—3; 4:2—3,15)

3 पवित्र आत्मा

3. हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं जो त्रियेक ईश—शीर्ष का तीसरा व्यक्ति है, वह सर्वव्यापी और प्रभावशाली रूप में मसीह की कलीसिया में उसके साथ क्रियाशील है ताकि संसार को पाप के विषय में निरूतर करे, पश्चात्ताप करने और विश्वास करने वालों को पुर्नजीवित करे, विश्वासियों को पवित्र करे और यीशु में संपूर्ण सत्य के मार्ग में मार्गदर्शन करे।

(यूहन्ना 7:39, 14:15—18, 26:16:7—15; प्रेरितों के काम 2:22—36; रोमियों 8:3; 32:34; गलतियों 3:1—14; 4:6 इफिसियों 3:14—21; 1 थिस्सलुनीकियों 4:7—8; 2 थिस्सलुनीकियों 2:13; 1 पतरस 1:2; 1 यूहन्ना 3:24; 4:13)

4 पवित्र शास्त्र

4. हम विश्वास करते हैं कि समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा रचा गया है जिसमें पुराने और नये नियम की 66 पुस्तकें शामिल हैं। उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा दिया गया है जो त्रुटिरहित है और उसमें हमारे विषय में परमेश्वर की इच्छा प्रगट की गयी है जिसका संबंध हमारे उद्धार की सभी आवश्यक बातों से है, ताकि जो कुछ उसमें निहित नही है उसे विश्वास के कथन में शामिल न किया जाये।

(लूका 24:44—47; यूहन्ना 10:35; 1 कुरिन्थयों 15:3—4; 2 तीमुथियुस 3:15—17; 1 पतरस 1:10—12; 2 पतरस 1:20—21)

5. पाप, मूल और व्यक्तिगत

5. हम विश्वास करते हैं कि पाप हमारे माता—पिता की अनाज्ञाकारिता के कारण संसार में आया और पाप से मृत्यु आई। हम मानते हैं कि पाप के दो प्रकार हैं मूल पाप या भ्रष्टता, और वास्तविक या व्यक्तिगत पाप।

5.1. हम विश्वास करते हैं कि मूल पाप या भ्रष्टता स्वभाव की वह विकृति है, जो आदम की सभी संतानों में है, जिसके कारण प्रत्येक मानव मूल धार्मिकता या सृजन के समय हमारे आदि माता–पिता को प्राप्त शुद्ध दशा से बहुत दूर जा चुका है और परमेश्वर के विरोध में है, उसमें आत्मिक जीवन नहीं है, वह बुराई की ओर प्रवृत्त है और लगातार बुराई की ओर जाता है हम यह भी विश्वास करते हैं कि पुर्नजीवन के बाद भी नये जीवन में मूल पाप लगातार बना रहता है, जब तक कि हृदय पवित्र आत्मा के बपतिस्में के द्वारा पूरी तरह धोया न जाये।

5.2. हम विश्वास करते हैं कि मूल पाप हमारे वास्तविक पाप से इस अर्थ में भिन्न होता है कि वह वास्तविक पाप के लिए वंशानुगत प्रवृत्ति प्रदान करता है जिसके लिए व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह ईश्वर प्रदत्त उपायों या समाधानों की उपेक्षा या उन्हें अस्वीकार न करे।

5.3. हम विश्वास करते हैं कि वास्तविक या व्यक्तिगत पाप स्वेच्छापूर्वक परमेश्वर की ज्ञात व्यवस्था की अवमानना करना है उस व्यक्ति के द्वारा जो नैतिक रूप में जिम्मेवार है। इस कारण पाप में मानव के पतन के फलस्वरूप सिद्धमानवीय आचरण से विचलन की वे कमी घटियाँ, निर्बलताएँ, दोष, त्रुटियाँ और असफलताएं जो स्वैच्छिक नहीं है और अपरिहार्य हैं उन्हें व्यक्तिगत पाप नहीं माना जा सकता। किन्तु ऐसे निर्दोष प्रभावों में वे अभिवृत्तियों और प्रत्युत्तर शामिल नहीं है, जो मसीह की आत्मा के प्रतिकूल है और उचित रूप में आत्मा के पाप कहा जा सकता है। हम विश्वास करते हैं कि व्यक्तिगत पाप, प्राथमिक एवं आवश्यक रूप में प्रेम की व्यवस्था का उल्लंघन है, और मसीह के संदर्भ में पाप को अविश्वास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

> (मूल पापः उत्पत्ति 3; 6:5; अय्यूब 15:4; भजनसंहिता 51:5; यिर्मयाह 17:9–10; मरकूस 7:21–23; रोमियों 1:18–25; 5:12–14; 7:1–8:9; 1; 1 कुरिन्थियों 3:1–4; गलतियों 5:16–25; यूहन्ना 1:7–8)
>
> व्यक्तिगत पापः मत्ती 22:36–40 (साथ में, यूहन्ना 3:4); यूहन्ना 8:34–36; 16:8–9; रोमियों 3:23; 6:15–23; 8:18–24; 14:23; 1 यूहन्ना 1:9–2:4; 3:7–10)

6. प्रायश्चित

6. हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने दुःख उठाने, अपना लहू बहाने, और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा सभी मानवीय पापों का पूर्ण प्रायश्चित किया है और उसका यह कार्य उद्धार का एकमात्र आधार है, और यह आदम की प्रत्येक संतान के लिए पर्याप्त है। यह प्रायश्चित अनुग्रह सहित उनके लिए हैं जो नैतिक रूप से जिम्मेदारी उठाने मे अक्षम है या फिर बच्चे जो निर्दोषता की अवस्था में है किन्तु उन व्यक्तियों के उद्धार के लिए जो जिम्मेदारी उठाने की आयु और दशा में है तब ही प्रभावकारी है जब वे पश्चात्ताप करे और विश्वास करे।

(यशायाह 53:5–6,11; मरकुस 10:45; लूका 24:46–48; यूहन्ना 1:29; 3:14–17; प्रेरितो के काम 4:10–12; रोमियों 3:21–26; 4:17–25; 5:6–21; 1 कुरिन्थियों 6:20; 2 कुरिन्थियों 5:14–21; गलतियों 1:3–4; 3:13–14; कुलस्सियों 1:19–23; 1 तीमुथियुस 2:3–6; तीतुस 2:11–14; इब्रानियों 2:9; 9:11–14; 13:12; 1 पतरस 1:18–21; 2:19–25; यूहन्ना 2:1–2)

7. अग्रगामी अनुग्रह

7. हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा सभी मनुष्यों को निःशुल्क दिया गया है जो पाप से धार्मिकता की ओर फिरना चाहते हैं कि अपने पापों की क्षमा और शुद्ध होने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करे और तब जो उसकी दृष्टि में ग्रहणयोग्य और भाने वाले हैं, उन भले कामों का अनुसरण करे। हम यह भी विश्वास करते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप की समानता में सृजे जाने के समय सही और गलत निर्णय करने की क्षमता भी थी और इस प्रकार मनुष्य को नैतिक रूप में जिम्मेवार बनाया गया था। और आदम के पाप में पतन के द्वारा वे नैतिक रूप में विकृत हो गए और अब वे अपनी स्वयं की स्वाभाविक शक्ति और विश्वास के कामों और परमेश्वर को पुकारने के द्वारा बदल नहीं सकते, न स्वयं को मूल दशा में वापस आने के लिए तैयार कर सकते हैं।

(परमेश्वर की समानता और नैतिक जिम्मेवारीः उत्पत्ति 1:26–27; 2:16–17; व्यवस्थाविवरण 28:1–2; 30; 30:19; यहोशू 24:15; भजन संहिता 18:3–5; यशायाह 1:8–10; यिर्मयाह 31:29–30; यहेजकेल 18:1–4; मीका 6:8; रोमियों 1:19–20; 2:1–16; 14:7–12; गलतियों 6:7–8)

स्वाभाविक अयोग्यताएँः अय्यूब 14:4; 15:14 भजन संहिता 14:1–4; 51:5; यूहन्ना 3:6 अ, रोमियों 3:10–12; 5:12–14, 20 अ; 7:14–25

निःशुल्क अनुग्रह और विश्वास के कामः यहेजकेल 18:25–26; यूहन्ना 1:12–13; 3:6 ब; प्रेरितों के काम 5:31; रोमियो 5:6–8, 18; 6:15–16, 23; 10:6–8; 11:22; 1 कुरिन्थियों 2:9–14; 10:1–12; 2 कुरिन्थियों 5:18–19; गलतियों 5:6; इफिसियों 2:8–10; फिलिप्पियों 2:12–13; कुलुस्सियों 1:21–23; 2 तीमुथियुस 4:10 अ; तीतुस 2:11–14; इब्रानियों 2:1–3; 3:12–15; 6:4–6; 10:26–31; याकूब 2:18–22; 2 पतरस 1:10–11; 2:20–22)

८. पश्चाताप

८. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा पश्चाताप करने वाले सभी लोगों को पश्चातापी मन और दया की आशा देता है ताकि वे क्षमा पाने और आत्मिक जीवन पाने के लिए विश्वास कर सके। पश्चाताप पाप के प्रति, ईमानदारी और संपूर्ण मन से किया गया परिवर्तन है जिसमें व्यक्तिगत रूप में दोष की भावना और स्वेच्छा से पाप से विमुख होना शामिल है और उन लोगों से यह माँग की जाती है जो कार्य या उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर के विरूद्ध पापी बन चुके हैं।

हम विश्वास करते हैं कि सभी व्यक्ति, वे भी जिन्हें पुर्नजीवन पाने और सम्पूर्ण पवित्रीकरण का अनुभव प्राप्त हैं, अनुग्रह से गिर सकते हैं, धर्म का परित्याग कर सकते हैं और यदि वे उनके पापों से पश्चात्ताप न करे, उनके लिए आशा नहीं है और वे अनंतकाल के लिए खोए हुए हैं। हम विश्वास करते हैं कि पुर्नजीवन प्राप्त मनुष्य को पाप की ओर पुनः न फिरना चाहिए लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता रखना चाहिए जो प्रभु के संतान होने की गवाही देता है।

(2 इतिहास 7:14; भजन संहिता 32:5–6; 51:1–17; यशायाह 55:6–7; यिर्मयाह 3:12–14; यहेजकेल 18:30–32; 33:14–16; मरकूस 1:14–15; लूका 3:1–14; 13:1–14; 18:9–14; प्रेरितों के कार्य 2:38; 3:19; 5:31; 26:16–18; रोमियों 2:4; 2 कुरिन्थियों 7:8–11; 1 थिस्सुलुनीकियों 1:9–2 पतरस 3:9)

9. धर्मी ठहराया जाना, पुर्नजीवन और लेपालकपन

9. हम विश्वास करते हैं कि 'धर्मी ठहराया जाना', परमेश्वर का अनुग्रह एवं न्यायिक कार्य हैं जिसके द्वारा वह सभी पापों के दण्ड से मुक्ति प्रदान करता है, और उन सबको धर्मी के रूप में स्वीकार करता है जो यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर विश्वास करते और स्वीकार करते हैं।

9.1. हम विश्वास करते हैं कि पुर्नजीवन या नया जन्म परमेश्वर के अनुग्रह का वह कार्य है जिसमें पश्चाताप करने वाले विश्वासी का नैतिक स्वभाव, आत्मिक रूप में जीवित किया जाता है और उसे एक विशेष आत्मिक जीवन दिया जाता है जो विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता पर अमल कर सकता है।

9.2. हम विश्वास करते हैं कि लेपाकपन परमेश्वर के अनुग्रह का वह कार्य है जिसमें 'धर्मी ठहराया' और 'पुर्नजीवन' प्राप्त करने वाला परमेश्वर का पुत्र (या पुत्री) बन जाता है।

9.3 हम विश्वास करते हैं कि धर्मी ठहराया जाना पुर्नजीवन और लेपालकपन परमेश्वर के खोजियों के जीवन में साथ–साथ अनुभव किए जाते हैं, और पश्चाताप करने के बाद विश्वास से प्राप्त किए जाते हैं और पवित्र आत्मा इस कार्य और अनुग्रह की दशा की साक्षी देता है।

(लूका 18:149 यूहन्ना 1:12–13; 3:3–8; 5:24; प्रेरितों के कार्य 13:39; रोमियों 1:17; 3:21–26 28; 4:5–9, 17–25; 5:1, 16–19; 6:4; 7:6; 8:1, 15–17; 1 कुरिन्थियों 1:30; 6:11; 2 कुरिन्थियों 5:17–21; गलतियों 2:16–21; 3:1–14; 26; 4:4–7; इफिसियो 1:6–7; 2:1, 4–5; फिलिप्पियों 3:3–9; कुलुस्सियों 2:13; तीतुस 3:4–7; 1 पतरस 1:23; 1 यूहन्ना 1:9; 3:1–2, 9:4:7; 5:1, 9–13,18)

10. मसीही पवित्रता और संपूर्ण पवित्रीकरण

10. हम विश्वास करते हैं कि पवित्रीकरण परमेश्वर का कार्य है जिसमें वे विश्वासियों को मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। यह पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में व्यक्ति के आरंभिक पवित्रीकरण या पुर्नजीवन (साथ ही धर्मी ठहराया जाना) और संपूर्ण पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा द्वारा सिद्ध बनाने की प्रक्रिया हैजो महिमाकरण में सर्वोच्च शिखर पर पहुँचता है। महिमाकरण में हम पूर्णरूप में पुत्र की समानता को प्राप्त करते हैं।

हम विश्वास करते हैं कि संपूर्ण पवित्रीकरण परमेश्वर का कार्य है, जो पुर्नजीवन के बाद होता है जिसमें विश्वासी मूल पाप या भ्रष्टता से स्वतंत्र किए जाते हैं तथा उनमें परमेश्वर के प्रति पूर्ण विकास की दशा और प्रेम की पवित्र आज्ञाकारिता सिद्ध की जाती है।

यह कार्य पवित्र आत्मा के बपतिस्में या उसके द्वारा भरे जाने से होता है और एक बार के इस अनुभव में हृदय पापों से शुद्ध हो जाता है और पवित्र आत्मा की भीतर बसने वाली उपस्थिति विश्वासी को जीवन और सेवा के लिए सामर्थ देती है। संपूर्ण पवित्रीकरण यीशु के लहू से मिलता है और अनुग्रह में विश्वास के द्वारा मिलता है और संपूर्ण रूप से अलग किए जाने से पहले की दशा है, इस कार्य और अनुग्रह की दशा के लिए पवित्र आत्मा स्वयं गवाही देता है।

इस अनुभव को विभिन्न नामों से भी अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे "मसीही हृदय की शुद्धता", पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा से भरे जाना, 'आशीषों की भरपूरी', और 'मसीही पवित्रता' आदि।

10.1. हम विश्वास करते हैं कि एक शुद्ध हृदय और परिपक्व चरित्र में देखने–समझने योग्य भिन्नता होती है। प्रथम स्थिति तुरन्त प्राप्त होती है, यह संपूर्ण पवित्रीकरण का परिणाम होता है किन्तु पवित्र चरित्र अनुग्रह में उन्नति करने का परिणाम है।

हम विश्वास करते हैं कि संपूर्ण पवित्रीकरण की महिमा के अंतर्गत मसीह स्वरूप में शिष्य के रूप में अनुग्रह में बढ़ने की भावना भी होती है किन्तु इस भावना को सावधानी पूर्वक बुद्धिमत्ता से संवर्धन और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि आत्मिक उन्नति की प्रक्रियाओं और पूर्व आवश्यकताओं को मसीह के समान आचरण और व्यक्तित्व में पूरा किया जाए। इस प्रकार उद्देश्य

रखे बिना किये गए प्रयासों से व्यक्ति की साक्षी धूमिल हो सकती है और अनुग्रह की अवमानना और अन्ततः हानि संभव है।

अनुग्रह के साधनों में भाग लेना विशेषकर सहभागिता, अनुशासन और कलीसिया के संस्कार, विश्वासियों को अनुग्रह में और परमेश्वर एवं पड़ोसियों के प्रति सम्पूर्ण हृदय से प्रेम करने में बढ़ाते हैं।

(यिर्मयाह 31:31—34; यहेजकेल 36:25—27; मलाकी 3:2—3; मत्ती 3:11—12; लूका 3:16—17; यूहन्ना 7:37—39; 14:15—23; 17:6—20; प्रेरितों के कार्य 1:5; 2:1—4, 15:8—9; रोमियों 6:11—13; 19:8—1, 8—14; 12:1—2; 2 कुरिन्थियों 6:14—7:1; गलतियों 2:20; 5:16—25; इफिसियों 3:14—21; 5:17—18; 25—27; फिलिप्पियों 3:10—15; कुलुस्सियों 3:1—17; 1 थिस्सुलुनीकियों 5:23—24; इब्रानियों 4:9—11; 10:10—17; 12:1—2; 13:12; 1 यूहन्ना 1:7,9)

("मसीही सिद्धता", "सिद्ध प्रेम"; व्यवस्थाविवरण 30:6; मत्ती 5:43—48; 22:37—40; रोमियों 12:9—21; 13:8—10; 1 कुरिन्थियों 13; फिलिप्पियों 3:10—15; इब्रानियो 6:1; 1 यूहन्ना 4:17—18)

"हृदय की शुद्धता": मत्ती 5:8; प्रेरितों के काम 15:8—9; पतरस 1:22; 1 यूहन्ना 3:3

"पवित्र आत्मा का बपतिस्मा"; यिर्मयाह 31:31—34; यहेजकेल 36:25—27; मलाकी 3:2—3; मत्ती 3:11—12; लूका 3:16—17; प्रेरितों के काम 1:5; 2:1—4; 15:8—9

"आशीषों की भरपूरी": रोमियों 15:29

"मसीही पवित्रता"; मत्ती 5:1—7:29; यूहन्ना 15:1—11; रोमियों 12:1—15:3; 2 कुरिन्थियों 7:1; इफिसियों 4:17—5:20; फिलिप्पियो 1:9—11; 3:12—15; कुलुस्सियों 2:20—3:17; 1 थिस्सुलुनीकियों 3:13; 4:7—8; 5:23; 2 तीमुथियुस 2:19—22; इब्रानियों 10:19—25; 12:14; 13:20—21; 1 पतरस 1:15—16; 2 पतरस 1:1—11; 3:18; यहूदा 20—21)

11. कलीसिया

11. हम विश्वास करते हैं, कलीसिया पर जो यीशु मसीह का प्रभु के रूप में अंगीकार करती है, परमेश्वर की वाचा से बँधे लोग मसीह में नए बनाए गए, वे मसीह की देह हैं जिन्हें पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा बुलाहट देकर एकत्रित किया है।

परमेश्वर की कलीसिया को बुलाहट कि आत्मा की एकता और सहभागिता के द्वारा अपने जीवन को अभिव्यक्त करें; आराधना में परमेश्वर के वचन के द्वारा, संस्कारों को मानते हुए, प्रभु के नाम से सेवकाई करें और मसीह की आज्ञाकारिता मे पवित्र एवं परस्पर जवाबदेही का जीवन प्रदर्शित करें।

विश्व में कलीसिया की सेवकाई, आत्मा की सामर्थ में होकर मसीह के द्वारा छुटकारे और मेल–मिलाप की सेवकाई का प्रचार–प्रसार करना है। कलीसिया सुसमाचार प्रचार, शिक्षा, दया दर्शाकर, न्याय के लिए कार्य करके और परमेश्वर के राज्य की गवाही देने के द्वारा चेले बनाकर इस सेवकाई के कार्य को पूरा कर सकती है।

कलीसिया एक ऐतिहासिक सत्य है, वह स्वयं को सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार संगठित करती है और स्थानीय सभाओं एवं वैश्विक सभाओं दोनों रूपों में मौजूद है। और इसके अतिरिक्त परमेश्वर द्वारा बुलाए गए लोगों को विशिष्ट सेवकाई के लिए अलग करती है।

परमेश्वर, कलीसिया को उसके अधीन रहने और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक आशा के साथ जीवन बिताने की बुलाहट देती है।

(निर्गमन 19:3; यिर्मयाह 31:33; मत्ती 8:11; 10:7; 16:13–19, 24; 18:15–20; 28:19–20; यूहन्ना 17:14–26; 20:2–23; प्रेरितों के काम 1:7–8; 2:32–47; 6:1–2; 13:1; 14:23; रोमियों 2:28–29; 4:16; 10:9–15; 11:13–32; 12:1–8; 15:1–3; 1 कुरिन्थियों 3:5–9:7:17; 11:1, 17–33; 12:3, 12–31; 14:26–40; 2 कुरिन्थियों 5:11–6:1; गलतियों 5:6, 13–14; 6:1–5, 15; इफिसियों 4:1–17; 5:25–27; फिलिप्पियों 2:1–16; 1 थिस्सुलुनीकियो 4:1–12; 1 तीमुथियुस 4:13; इब्रानियों 10:19–25; 1 पतरस 1:1–2, 13; 2:4–12; 4:1–2, 10–11; 1 यूहन्ना 4:17; यहूदा 24; प्रकाशित वाक्य 5:9–10)

12. बपतिस्मा

12. हम विश्वास करते हैं कि मसीही बपतिस्मा जिसकी आज्ञा हमारे प्रभु ने दी थी, एक संस्कार है जो यीशु मसीह के देह के द्वारा सम्पन्न, प्रायश्चित के कामों के लाभों को स्वीकार करना दर्शाता है। यह उन विश्वास करनेवालों के लिए है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर विश्वास का अंगीकार करते हैं जिनका पूर्ण उद्देश्य पवित्रता और धार्मिकता की आज्ञाकारिता है। नई वाचा में भागीदारी प्राप्त करने के लिए जवान बच्चे और नैतिक रूप से मासूम अपने परिजनों व अभिभावकों के अनुरोध पर बपतिस्मा पा सकते हैं। यदि कलीसिया उन्हें मसीही शिक्षा देने का आश्वासन दें। बपतिस्मा जल का छिड़काव, जल उण्डेलना या जल में डूब कर दिया जा सकता है।

(मत्ती 3:1–7; 28:16–20; प्रेरितों के काम 2:37–41; 8:35–39; 10:44–48; 16:29–34; 19:1–6; रोमियों 6:3–4; गलतियों 3:26–28; कुलुस्सियों 2:12; 1 पतरस 3:18–22)

13. प्रभु–भोज

13. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु–भोज हमारे परमेश्वर व उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा स्थापति एक संस्कार है, जो उसके जीवन, सताव, बलिदान, उद्धार एवं मसीह के पुनः आगमन का प्रतीक है। प्रभु–भोज, अनुग्रह का प्रतीक है जहाँ मसीह आत्मा के रूप में उपस्थित रहता है। मसीह में सभी लोग विश्वास के द्वारा नए सिरे से जीवन शुरू करने उद्धार तथा कलीसिया में एकता के लिए आमंत्रित किए गए हैं। अतः सभी लोगों को प्रभु की सार्थकता, श्रद्धा और प्रशंसा के साथ आना चाहिए, जब तक प्रभु का पुनः आगमन न हो। यह प्रभु की मृत्यु को दर्शाता है। जिनका मसीह पर विश्वास है और जो संतों से प्रेम करते हैं वे मसीह द्वारा इसमें सहभागिता के लिए आमंत्रित किए गए हैं।

(निर्गमन 12:1–14; मत्ती 26:26–29; मरकुस 14:22–25; लूका 22:17–20; यूहन्ना 6:20–58; 1 कुरिन्थियों 10:14–21; 11:23–32)

14. ईश्वरीय चंगाई

14. हम बाइबिल की ईश्वरीय चंगाई के सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं और आग्रह करते हैं कि हमारे लोग बीमारों की चंगाई के लिए विश्वास की प्रार्थना करें। हम यह भी विश्वास करते है कि परमेश्वर औषधि और चिकित्सा–विज्ञान के साधनों से भी चंगा करते हैं।

(2 राजाओं 5:1–19; भजन संहिता 103:1–5; मत्ती 4:23–24; 9:18–35; यूहन्ना 4:46–54; प्रेरितों के काम 5:12–16; 9:32–42; 14:8–15; 1कुरिन्थियों 12:4–11; 2 कुरिन्थियों 12:7–10; याकूब 5:13–16)

15. मसीह का द्वितीय आगमन

15. हम विश्वास करते हैं क यीशु मसीह फिर से आएंगे और हम जो उसके आने पर जीवित होंगे उनसे जो मसीह में सो चुके हैं आगे नहीं बढ़ेगे। यदि हम मसीह में बने रहें तो मृतकों में से जी उठे प्रभु के संतों के साथ हवा में प्रभु से मिलने ऊपर उठाए जाएंगे ताकि हम सदा–सर्वदा प्रभु के साथ रहे।

(मत्ती 25:31–46; यूहन्ना 14:1–3; प्रेरितों के काम 1:9–11; फिलिप्पियों 3:20–21; 1 थिस्सुलुनीकियों 4:13–18; तीतुस 2:11–14; इब्रानियों 9:26–28; 2 पतरस 3:3–15; प्रकाशित वाक्य 1:7–8; 22:7–20)

16. पुनरूत्थान, न्याय और नियति

16. हम विश्वास करते हैं कि मृतकों के पुनरूत्थान में धर्मी और अधर्मी दोनों देह सहित जिलाए जाएंगे और उनकी आत्माएँ उनकी देहों में वापस आएगी – "जिन्होंने भला किया है वे जीवन के पुनरूत्थान के भागी होंगे और जिन्होंने बुरा किया है वे दंड के पुनरूत्थान के भागी होंगे।

16.1. हम विश्वास करते हैं कि भविष्य में न्याय होगा अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा ताकि इस जीवन में उसके द्वारा दिए गए कामों का प्रतिफल प्राप्त करे।

16.2. हम विश्वास करते हैं कि महिमामय और अनंतकालीन जीवन का निश्चय उन सबके लिए है जिन्होंने उद्धार के लिए विश्वास किया है और

आज्ञाकारिता के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं; और यह कि पश्चाताप न करने वाले अंत में नरक में अनंतकाल के लिए दुख उठाएंगे।

(उत्पत्ति 18:26; 1 शमुएल 2:10; भजन संहिता 50:6; यशायाह 26:19; दानियेल 12:2–3; मत्ती 25:31–46; मरकुस 9:43–48; लूका 16:19–31:20:27–30; यूहन्ना 3:16–18; 5:25–25; 11:21–27; प्रेरितों के काम 17:30–31; रोमियों 2:1–6; 14:7–12; 1 कुरिन्थियों 15:12–58; 2 कुरिन्थियों 5:10; 2 थिलिस्सियों 1:5–10; प्रकाशितवाक्य 20:11–15; 22:1–15)

कलीसिया

1. सार्वत्रिक कलीसिया

17. परमेश्वर की कलीसिया उन सभी आत्मिक रूप में पुर्नजीवित किए गए व्यक्तियों से बनी है जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं।

2. विभिन्न कलीसियाएँ

18. विभिन्न कलीसियाएँ आत्मिक रूप से पुर्नजीवित उन व्यक्तियों से बनी है जिन्हें परमेश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त है ताकि वे पवित्र सहभागिता और सेवकाई के लिए एकसाथ जुड़े रहें।

3. नाज़रीन कलीसिया

19. नाज़रीन कलीसिया उन व्यक्तियों से बनी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस कलीसिया के सिद्धांतों और प्रशासन पद्धति को स्वीकार किया है और जो पवित्र मसीही सहभागिता, पापियों के रूपांतरण, विश्वासियों के संपूर्ण पवित्रीकरण उनको पवित्रता में आगे बढ़ने और पवित्रता सादगी और उस आत्मिक सामर्थ में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयासरत् है जो कि नए नियम की कलीसिया में प्रगट थी, साथ ही समस्त प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं।

4. विश्वास के मान्य कथन

20. यह मानकर कि कलीसिया की सदस्यता का अधिकार और सौभाग्य उनके लिए है जिनको पुर्नजीवन मिला है, हम केवल उन विश्वास के अंगीकार को चाहते हैं जो मसीह जीवन के अनुभव में अति आवश्यक है। इस कारण, हम नीचे दिए विश्वास के कथनों को पर्याप्त मानते हैं। हम विश्वास करते हैं कि –

20.1. एक परमेश्वर पर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है।

20.2. पुराने और नये नियम के पवित्रशास्त्र की समर्ग प्रेरणा से रचा गया है और उसमें मसीही विश्वास एवं जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व (सत्य) है।

20.3. मानव जाति पाप में पतन के स्वभाव से जन्म लेती है और इस कारण मनुष्य बुराई की ओर अति प्रवृत्त है और लगातार उसमें रूझान बनाए रखते हैं।

20.4. पश्चाताप न करनेवालों के लिए अंत में कोई आशा नहीं है, वे अनंतकाल के लिए खो चुके हैं।

20.5. यीशु मसीह के द्वारा पापों का प्रायश्चित समस्त मानव जाति के लिए है, और जो भी पश्चाताप करता और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह धर्मी ठहराया जाता है, पुर्नजीवन पाता है और पाप के प्रभुत्व से बचाया जाता है।

20.6. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पुर्नजीवन प्राप्त करने के बाद विश्वासियों को संपूर्ण पवित्रीकरण की आवश्यकता है।

20.7. पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले के नये जन्म और विश्वासियों के संपूर्ण पवित्रीकरण की साक्षी देता है।

20.8. हमारे प्रभु लौटकर आएंगे, मृतक जिलाएं जाएंगे और अंतिम न्याय किया जाएगा।

5. मसीह चरित्र की वाचा

दृश्य कलीसिया के साथ पहिचान रखने का अर्थ वह धन्य सौभाग्य और पवित्र कर्तव्य है, जो पापों के उद्धार पाने वाले और मसीह यीशु में परिपूर्णता प्राप्त

करने की आशा रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है। यह उन सभी के लिए आवश्यक है जो नाज़रीन कलीसिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, और हमारे साथ सहभागिता में चलना चाहते हैं कि वे उनके पापों से उद्धार का प्रमाण परमेश्वर के साथ भक्ति के जीवन और धर्म–परायणता के द्वारा दर्शाए और वे उनके सभी भीतरी पापों से शुद्ध होने की पूर्ण ईमानदारी के साथ अभिलाषा रखे। वे परमेश्वर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को इन बातों के द्वारा प्रमाणित करे –

21.1. प्रथमः वह सब करके जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसमें हमारे विश्वास एवं आचरण दोनों की भूमिकाएँ शामिल है, उनमें –

(1) परमेश्वर से संपूर्ण हृदय, आत्मा, मन और बल के साथ प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना (निर्गमन 20:3–6; लैव्यवस्था 19:17–18; व्यवस्थाविवरण 5:7–10; 6:4–5; मरकुस 12:20–31; रोमियों 13:8–10)

(2) उद्धार न पाए हुओं का ध्यान सुसमाचार के दावों की ओर आकर्षित करना उन्हें प्रभु के घर में आमंत्रित करना और उनको उद्धार मिले इसका प्रयास करना (मत्ती 28:19–20; प्रेरितों के काम 1:8; रोमियों 1:14–16; कुरिन्थियों 5:18–20)

(3) सभी मनुष्यों के साथ शालीनता का व्यवहार करना। (इफिसियों 4:32; तीतुस 3:2; 1 पतरस 2:17; 1 यूहन्ना 3:18)

(4) अन्य जो विश्वास में है उनकी सहायता करना, प्रेम में होकर एक दूसरे की सह लेना। (रोमियों 12:13; गलतियों 6:2,10; कुलु 3:12–14)।

(5) मनुष्यों की देह एवं आत्मा के लिए भले काम करना। भूखे को भोजन खिलाना, निर्वस्त्र को वस्त्र पहिनाना, बीमारों एवं बंदियों से मिलने जाना, जरूरतमन्दों की सेवा करना जब जैसा अवसर एवं योग्यता हो (मत्ती 25:35–36; 2 कुरि. 9:8–10; गलतियों 2:10; याकूब 2:15–16; 1 यूहन्ना 3:17–18)

(6) कलीसिया एवं सेवकाईयों के कामों की सहायता में योगदान करना – दशवांश और दान देना (मलाकी 3:10; लूका 6:38; 1 कुरिन्थियों 9:14; 16:2; 2 कुरिन्थियों 9:6–10; फिलिप्पियों 4:15–19)

(7) परमेश्वर द्वारा निर्धारित नियमों और अनुग्रह के साधनों का विश्वासयोग्यता से अनुसरण करना जिसमें परमेश्वर की सार्वजनिक आराधना करना (इब्रानियों 10:25), वचन की सेवकाई (प्रेरितों के काम 2:42), प्रभु भोज का संस्कार (1 कुरि. 11:23–30), पवित्रशास्त्र में खोजना और मनन–चितंन करना (प्रेरितों के काम 17:11; 2 तीमुथियुस 2:15; 3:14–16) पारिवारिक एवं व्यक्तिगत प्रार्थना का समय (व्यवस्थाविवरण 6:6–7; मत्ती 6:6)

21.2. द्वितीय, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना जिनमें निम्न शामिल है –

1. परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना। (निर्गमन 20:7; लैव्यव्यस्था 19:12; याकूब 5:12)
2. प्रभु के पवित्र दिन (रविवार) को अनावश्यक गैर–धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर अशुद्ध करना और ऐसे–ऐसे काम करना जो उसकी पवित्रता का इन्कार करते हैं। (निर्गमन 20:8–11; यशायाह 58:13–14; मरकुस 2:27–28; प्रेरितों के काम 20:7; प्रकाशितवाक्य 1:10)
3. यौन संबंधित अनैतिकता जैसे कि विवाह के पूर्व (या) विवाहोत्तर यौन संबंध या समलैंगिकता के संबंध, किसी भी प्रकार की विकृति, कामुकता और अनुचित आचरण (उत्पत्ति 19:4–11; निर्गमन 20:14; लैव्यव्यवस्था 18:22; 20:13; मत्ती 5:27–32; रोमियों 1:26–27; 1 कुरिन्थियों 6:9–11; गलनियों 5:19; 1 थिस्सलुनीकियों 4:3–7; 1 तिमुथियुस 1:10)
4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए घा तक समझी जाने वाली आदतों या रीतियों पर चलना – मसीहियो को स्वयं को पवित्र आत्मा का मंदिर मानना चाहिए। (नीतिवचन 20:1; 23:1–3; 1 कुरिन्थियों 6:17–20; 2 कुरिन्थियों 7:1; इफिसियों 5:18)

5. लड़ाई—झगड़े करना, बुराई का बदला बुराई से लेना, कानाफूसी करना, निन्दा करना, दूसरों के भले कामों को क्षति पहुँचाले वाली अफवाहे फैलाना (2 कुरिन्थियों 12:20; गलतियों 5:15; इफिसियों 4:30—32; याकूब 3:5—18; 1 पतरस 3:9—10)
6. बेईमानी करना; खरीदने बेचने में लाभ उठाना, झूठी साक्षी देना और अंधकार के ऐसे अन्य काम करना (लैव्यव्यवस्था 19:10—11; रोमियों 12:17; 1 कुरिन्थियों 6:7—10)
7. वस्त्र एवं व्यवहार में अहंकार का लिप्त होना: हमारे लोगों को मसीही सादगी और शालीनता के साथ वस्त्र पहनने चाहिए जो पवित्रता को दर्शाए। (नीतिवचन 29:23; 1 तीमुथियुस 2:8—10; याकूब 4:6; 1 पतरस 3:3—4; 1 यूहन्ना 4:4)
8. संगीत, साहित्य और मनोरंजन जो परमेश्वर का निरादर करें (1 कुरिन्थियों 10:31; 2 कुरिन्थियों 6:14—17; याकूब 4:4)

21.3. तीसरा – स्थायी रूप से कलीसिया के साथ हार्दिक सहभागिता करना, उसके विरोध में घोर निन्दा नहीं करना बल्कि उसके सिद्धान्त और प्रयोग के प्रति प्रतिबद्ध रहना और इसके साक्ष्य और बाह्यसंपर्क के कामों में लगातार सक्रिय रहना। (1 इफिसियों 2:18—22; 4:1—3, 11—16; फिलिप्पियों 2:1—8; 1 पतरस 2:9—10)

संगठन और प्रशासन के कथन

कथन 1. प्रशासन का स्वरूप

22. नाज़रीन कलीसिया में प्रशासन का स्वरूप प्रतिनिधियों का स्वरूप है।

22.1. हम इस बात पर सहमत हैं कि नाज़रीन कलीसिया की संरचना के तीन विधायी संस्थाएँ हैं: स्थानीय, प्रांतीय और प्रमुख स्तर—1 सेवकाई की राजनीतियों और कार्यान्वयन के लिए विभाग एक प्रशासकीय संस्था के रूप में कार्य करता है।

22.2. हम सहमत है कि स्थानीय कलीसियाओं पर अधीक्षक की आवश्यकता है जो स्थानीय कलीसिया के मिशन एवं कार्यो को पूरा करने में पूरक और

सहायक हैं। अधीक्षक मनोबल का निर्माण करेगा, प्रेरणा प्रदान करेगा और काम के तरीकों को व्यवस्थित करेगा तथा नयी कलीसियाएँ बनाने के लिए और हर जगह सेवकाई के लिए संगठन के प्रोत्साहन तथा प्रबंध प्रदान करेगा।

22.3. हम इस बात पर सहमत हैं कि अधीक्षक को मिले अधिकार किसी भी पूर्ण संगठित कलीसिया के स्वतंत्र कार्यो में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रत्येक कलीसिया का अपने पादरी के चुनाव का स्वतंत्र अधिकार होगा यदि उन्हें अधिवेशन के द्वारा ऐसा करने के लिए अनुमोदन मिलता है। प्रत्येक कलीसिया विभिन्न सभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव भी करेगी। अपना आर्थिक–प्रबंधन करेगी और स्थानीय कलीसिया के जीवन एवं कार्यों से जुड़े सभी मसलों की जिम्मेवारी लेगी।

कथन 2. स्थानीय कलीसियाएँ

23. स्थानीय कलीसिया की सदस्यता में वे सब लोग शामिल है जिन्हें एक कलीसिया के रूप में उनकी अनुमति प्राप्त हैं जो ऐसी अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं और जिन्हें समुचित अधिकार है, उनके द्वारा सार्वजनिक रूप में स्वीकार किए गए हैं जबकि उन्होंने उद्धार के अनुभव, हमारे सिद्धांत में विश्वास और हमारे प्रशासन के प्रति अधीनता में रहने का स्वेच्छा से अंगीकार किया है। (100–107)

कथन 3. प्रांतीय सभा

24. कलीसिया की प्रमुख सभा, कलीसिया की सदस्यता को प्रांतीय सभा के स्तर पर संगठित करती है, और उनके याजकीय एवं अयाजकीय प्रतिनिधित्व को प्रमुख सभा में उचित एवं सही रूप में मानती है। वह सभी प्रतिनिधियों की योग्यताओं को निर्धारित करती है किन्तु सभी अभिषिक्त सेवक उसके सदस्य होते हैं। प्रमुख सभा प्रांतीय सभा के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण भी करती है। (200–207.6)

कथन 4. प्रमुख सभा

25. निर्माण प्रक्रिया – प्रमुख सभा में सामान्यजन और सेवक–प्रतिनिधि बराबर संख्या में होते हैं जिन्हें नाज़रीन कलीसिया की प्रांतीय सभा से चुनकर भेजती हैं। प्रमुख सभा के इन प्रत्येक सदस्यों को अधिकार है कि वे समय–समय पर दिशा–निर्देश दें और प्रांत के ऐसे प्रतिनिधियों (नाज़रीन कलीसिया की वैश्विक धर्म प्रचारक समिति के प्रशासन के अधीन कार्य करते हैं) को प्रमुख सभा द्वारा चुना जाता है।

25.1. प्रतिनिधियों का चुनाव – प्रमुख सभा के आयोजन के 16 महीनें पहले अथवा 24 महीने पहले जहाँ पर यात्रा के लिए असमान्य रूप में तैयारी और वीसा इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, प्रांतीय सभा द्वारा बराबर संख्या में सेवक गण और सामान्य प्रतिनिधियों को प्रमुख सभा में जाने के लिए बहुमत द्वारा चुनाव किया जाता है। सेवकों के प्रतिनिधियों में दीक्षित सेवकों को चुना जाता है जो नाज़रीन कलीसिया के हों। प्रत्येक चरण 3 की प्रांतीय सभा कम से कम एक सेवक और एक सामान्य प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है और कुछ अतिरिक्त प्रतिनिधियों को जिन्हें प्रमुख सभा द्वारा उनकी सदस्य संख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। प्रत्येक प्रांतीय सभा अतिरिक्त प्रतिनिधियों को चुन सकती है परंतु उनकी संख्या चुने गए प्रतिनिधियों के दो गुने से अधिक नहीं हो सकती। ऐसी स्थितियों में जब यात्रा के लिए वीसा मिलने में कठिनाई हो, प्रांतीय सभा, प्रांतीय सलाहकार मंडल को अधिकृत कर सकती है कि वे अतिरिक्त वैकल्पिक प्रतिनिधियों का चुनाव करें। (205.23, 301–301.1)

25.2. प्रमाण पत्र – प्रत्येक प्रांतीय सभा का सचिव प्रतिनिधियों एवं अतिरिक्त प्रतिनिधियों को प्रमुख सभा के लिए चुने जाने का प्रमाण–पत्र जारी करेगा और प्रमाण–पत्रों को जैसे ही प्रांतीय सभा समाप्त होती है नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख सचिव के पास भी भेजेगा।

25.3. निर्दिष्ट (कार्यवाह) प्रतिनिधि संख्या – किसी भी प्रमुख सभा के निर्दिष्ट प्रतिनिधि संख्या का निर्धारण प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा होगा जिनका पंजीकरण प्रमुख सभा प्रमाण–पत्र समिति द्वारा किया जाएगा। यदि निर्दिष्ट प्रतिनिधि संख्या का निर्धारण हो जाता है तब प्रतिनिधियों की थोड़ी

संख्या भी अस्वीकृत कार्यवृत्त प्रतिनिधियों को अनुमोदित व स्थगित कर सकती है।

25.4. प्रमुख अधीक्षक – प्रमुख सभा, नाज़रीन कलीसिया के प्राचीनों के मध्य मतदान कर के छह प्रमुख अधीक्षकों को चुन सकती है, जो प्रमुख अध्यक्ष मंडल को गठित करेगी। यदि प्रमुख सभा के अंतरिम अवधि में प्रमुख अधीक्षक के कार्यालय में कोई भी रिक्तियाँ हों तो उन्हें नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख मंडल के दो–तिहाई मतों द्वारा भरा जा सकता है। (305.2,316)

25.5. सभापतित्व अधिकारी – एक प्रमुख अधीक्षक की नियुक्ति के सिवा प्रमुख अध्यक्ष मंडल, प्रमुख सभा के दैनिक सम्मेलन का सभापतित्व (अध्यक्षता) करता है। परंतु यदि किस प्रमुख अधीक्षक की नियुक्ति न की गई हो या वह उपस्थित न हो तो प्रमुख सभा अपने किसी सदस्य को अस्थायी सभापतित्व अधिकारी चुन सकती है। (300.1)

25.6. क्रम या व्यवस्था के नियम – प्रमुख सभा उसके संगठन, प्रक्रियाओं, समितियों और अन्य सभी मामलों पर कार्य करने के तौर–तरीके और संचालन या प्रशासन के नियम निश्चित कर सकती है। वह अपने सदस्यों के चुनाव और उनकी योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार रखती है। (300.2–300.3)

25.7. प्रमुख अपीलीय न्यायालय – प्रमुख सभा नाज़रीन कलीसिया के सदस्यों में से एक प्रमुख अपीलीय न्यायालय का गठन करेगी और उसके अधिकार–क्षेत्र और अधिकारों को परिभाषित करेगी। (305.7)

25.8. अधिकार एवं प्रतिबंध

1. प्रमुख सभा को यह अधिकार है कि वह नाज़रीन कलीसिया के लिए कानून बनाए, और सभी विभागों के लिए नियम एवं प्रणाली निर्देश बनाए या उनके लिए जो उनसे किसी प्रकार संबंधित है परंतु वे नियम–कानून इस संविधान के विरूद्ध नही होने चाहिए। (300, 300–305.8)
2. कोई भी स्थानीय कलीसिया अपने पादरी को चुनने के अधिकार से वंचित नहीं होगी यदि उसके निर्णय को प्रमुख सभा में उचित ठहराया गया हो। (115)

3. स्थानीय कलीसिया के सभी अधिकारी–गण, सेवक गण और सामान्य ज़न को सदैव निष्पक्ष एवं व्यवस्थित सुनवाई का अधिकार और अपील करने का अधिकार होगा।

संशोधन

26. इस संविधान के प्रावधानों को निरस्त या संशोधित किया जा सकता है, यदि प्रमुख सभा के उपस्थित सदस्य में से दो–तिहाई मत उसके पक्ष में सहमति जताए और इसकी पुष्टि नाज़रीन कलीसिया के चरण 3 और चरण 2 की प्रांतीय सभाओं के दो–तिहाई मतों से कम मतों द्वारा न की जाए। प्रत्येक संवैधानिक संशोधन पद (प्रस्ताव) के लिए चरण 3 या चरण 2 किसी भी प्रांतीय सभा के दो–तिहाई मतों की आवश्यकता होती है। प्रमुख सभा या चरण 3 या चरण 2 की कोई भी प्रांतीय सभा ऐसे संशोधन के मामलों के लिए प्रस्ताव लाने में पहल कर सकती है। जैसे ही ऐसे संशोधनों को स्वीकार किया जाता है वैसे ही इसके साथ–साथ प्रमुख अध्यक्ष मंडल द्वारा मतों के परिणाम की भी घोषणा की जाती है कि उस संशोधन पर पूर्ण बल व प्रभाव द्वारा अमल किया जाए।

27. विश्वास के कथन में संशोधनकारी प्रस्ताव (अनुच्छेद 1–16.2) प्रमुख सभा द्वारा प्रमुख अध्यक्ष मंडल को सौंपा जाएगा कि, वे अध्ययन समिति द्वारा इसकी समीक्षा करे इसके अतिरिक्त प्रमुख अध्यक्ष मंडल धर्मशास्त्रियों और दीक्षित सेवकों को नियुक्त करेगा जो हमारे कलीसिया के वैश्विक प्रकृति को दर्शाते हैं। समिति कोई भी अनुरोध या प्रस्ताव के विवरण को प्रमुख अध्यक्ष मंडल को सौंपेगी जो कि आगामी प्रमुख सभा को विवरण देगी।

भाग 3

मसीही आचरण की वाचा

मानव जीवन की मसीही पवित्रता
मानव लैंगिकता और विवाह
मसीही परिचारक
कलीसिया के अधिकारी
क्रम या व्यवस्था के नियम
मसीही आचरण की वाचा में संशोधन

क. मसीही जीवन

28. कलीसिया आनंदपूर्वक इस शुभ समाचार की उद्घोषणा करती है कि हमें मसीह में नये जीवन में सब पापों से छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम मसीही 'पुराने मनुष्यत्व को उतारकर' – आचरण के पुराने तौर तरीके और साथ ही साथ प्राचीन शारीरिकता को बदलकर एक 'नया मनुष्यत्व' – एक नई और पवित्र जीवनशैली और साथ ही मसीह के चरित्र को भी धारण करेंगे। (इफिसियों 4:17–24)

28.1. नाज़रीन कलीसिया का उद्देश्य बाइबिल के सार्वकालिक सिद्धांतों को समकालीन समाज में इस प्रकार बतलाना है कि कलीसिया की शिक्षा और वाचा बहुत से देशों में और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में जानी और समझी जाए। हम मानते हैं कि दस आज्ञाएँ, नए नियम में यीशु मसीह की शिक्षाओं की पुनः पुष्टि करता है और यह प्रदर्शित करता है कि अधिकांश रूप में पूरी तरह से और संक्षेप में महा आज्ञा और पहाड़ी उपदेश, मसीह आधारभूत नीति का गठन करता है।

28.2. इससे आगे हम यह भी मानते हैं कि सामूहिक रूप से मसीही विवेकशीलता की संकल्पना वैध है, जिसे पवित्र आत्मा प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। नाज़रीन कलीसिया एक अंतर्राष्ट्रीय (निकाय) के रूप में यह जिम्मेदारी स्वीकार करती है कि मसीही जीवन को पवित्रता के नैतिक मूल्यों की ओर ले जाने के लिए उचित प्रयास करेगी। कलीसिया के ऐतिहासिक नैतिक मानकों को निम्न बिन्दुओं में आंशिक रूप में व्यक्त किया गया है। पवित्र जीवन के लिए मार्गदर्शन और सहायता के रूप में उनका सावधानीपूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से आज्ञापालन किया जाना चाहिए। वे जो कलीसिया के विवेक का उल्लंघन करते हैं, वे अपने ऊपर आपदा लाते हैं और कलीसिया के साक्षी को चोट पहुँचाते हैं। प्रमुख अध्यक्ष मंडल सांस्कृतिक स्थितियों के आधार पर समायोजन या सामंजस्य से जुड़े मसलों पर विचार करता और अनुमति प्रदान करता है।

28.3. नाज़रीन कलीसिया विश्वास करती है कि जीवन जीने की इस नयी और पवित्र शैली में कुछ रीतियाँ हैं जिनका निषेध आवश्यक है। और हमारे पड़ोसियों की आत्मा, मन और देह के छुटकारे संबंधी कार्यो को प्रेम में होकर किया जाना चाहिए। छुटकारे के क्षेत्र में प्रेम का एक पहलू है जिस प्रकार यीशु मसीह ने एक विशेष संबंध रखा और चेलों को भी आज्ञा दी कि संसार के कंगालो के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखें ताकि उनकी अपनी कलीसिया सबसे पहले स्वयं को धन सम्पत्ति, विलासिता और खर्चीलेपन के प्रभाव से दूर रखकर सादगी रखे और स्वतंत्र रहे, और दूसरी बात स्वयं को निर्धनों और दलितों की देखभाल करने, भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करने में संलग्न कर सके। संपूर्ण बाइबिल में और यीशु मसीह के जीवन एवं उदाहरण में परमेश्वर ने कंगालों और सताए हुए और उनका जो अपने लिए लड़ नहीं

सकते है, उनका ध्यान रखा और उनकी सहायता की है। उसी प्रकार हमारी भी बुलाहट है कि हम उनके साथ अपनी पहिचान बनाए और उनके साथ सहयोग करें। हम मानते हैं कि कंगालों के प्रति तरस की सेवकाईयों में जनकल्याण के कार्य और उन्हें अवसर, समानता और न्याय दिलवाने के संघर्ष भी शामिल है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि कंगालों की जिम्मेवारी लेना प्रत्येक विश्वासी के जीवन का अति महत्वपूर्ण पहलू है, उन मसीहियों के लिए जो विश्वास को प्रेम में क्रियान्वित करना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि 'मसीही पवित्रता', कंगालों की सेवकाई से इस अर्थ में अपृथकनीय है कि यह मसीही व्यक्ति को स्वयं अपनी सिद्धता से परे एक अधिक न्यायपूर्ण और समानतापरक समाज और संसार के सृजन की ओर परिचालित करती है। पवित्रता, विश्वासियों को आर्थिक आवश्यकता से भरे इस बदहाल संसार से दूर नहीं ले जाती किन्तु प्रोत्साहित करती है कि अपने साधनों का उपयोग ऐसी आवश्यकताओं को दूर करने या उनके प्रभाव को कम करने में करे और अपनी आवश्यकताओं का दूसरों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करे।

(निर्गमन 23:11; व्यवस्थाविवरण 15:7; भजनसंहिता 41:1; 82:3; नीतिवचन 19:17; 21:13; 22:9; यिर्मयाह 22:16; मत्ती 19:21; लूका 12:33; प्रेरिमों के काम 20:35; 2 कुरिन्थियों 9:6; गलतियों 2:10)

28.4. निषेध करने योग्य बातों और रीतियों की सूची बनाते समय हम मानते हैं कि कोई भी सूची कितनी भी व्यापक हो, संसार भर की सभी बुराइयों को और उनके सब स्वरूपों को एक साथ सूचीबद्ध नहीं कर सकती इस कारण यह अनिवार्य है कि हमारे लोग पूरी ईमानदारी के साथ आत्मा की सहायता से बुराई के खिलाफ संवेदना को विकसित करे जो बुराइयाँ व्यवस्था के अक्षरों से बाहर है उस चेतावनी को स्मरण रखें – ''सब बातों को परखो; जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचो।''

(1 थिस्सुलुनीकियों 5:21–22)

28.5. हमारे अगुवों और पादरियों से आशा की जाती है कि वे पत्रिकाओं में और मंच से बाइबिल सम्मत आधारभूत सत्यों पर जोर दें जो बुरे और भले के बीच भेद को विकसित करें।

28.6. समाज के सामाजिक एवं आत्मिक कल्याण के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। नाज़रीन शैक्षिक संगठन और संस्थानों जैसे रविवारीय शिक्षण पाठशाला (सण्डे स्कूल), विद्यालय (जन्म से माध्यमिक शिक्षा तक), शिशु कल्याण केन्द्र, व्यस्क कल्याण केन्द्र, महाविद्यालय और पादरी शिक्षा संस्थान (सेमिनरीज़) आदि से आशा की जाती है कि वे बच्चों, युवाओं और वयस्कों को बाईबिल के सिद्धांत और नैतिक मानकों की शिक्षा इस प्रकार दे जिससे हमारे सिद्धांतों (बाइबिल संबंधी) की पहचान हो। इसका अभ्यास सार्वजनिक विद्यालय (पब्लिक स्कूल) या इसके अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह किया जाए। सार्वजनिक स्त्रोतों से दी जाने वाली शिक्षा, घरों में पवित्रता की शिक्षा देने के द्वारा पूर्ण की जाए। मसीहियों को यह भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वे सार्वजनिक संस्थाओं में या उनके साथ कार्य करते हुए गवाह बने और इन संस्थाओं को परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभावित करें। (मत्ती 5:13–14)

29. हम मानते हैं कि नीचे दी गई बातों का निषेध होना चाहिए –

29.1. मनोरंजन जो मसीह नैतिकता के विनाशक हैं: हमारे लोग, व्यक्तिगत मसीही और मसीही पारिवारिक इकाई दोनों स्वयं को इन तीन सिद्धांतों पर अमल करें। पहला खाली समय में मसीही परिचारक बनें। दूसरा सिद्धांत मसीही जीवन में सर्वोच्च मसीही नैतिक स्तर पर मसीही कर्तव्य को मान्यता देकर। क्योंकि हम आत्मिक भ्रम या असमंजस के ऐसे दिनों में रह रहे हैं जब हमारे घरों के पवित्र परिसरों में इन दिनों बुराईके सामर्थ्य का विभिन्न साधनों के द्वारा जैसे साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, व्यक्तिगत कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा अतिक्रमण हो रहा है। हमारे घरों को धर्म निरपेक्ष और सांसारिक बनने से रोकने के लिए यह अति आवश्यक है कि अत्यंत कठोर सुरक्षा उपाय किए जाएं। हालांकि हम ऐसे मनोरंजन को स्वीकार करते हैं जो पवित्रता के जीवन का पक्षधर हो और उसे प्रोत्साहन प्रदान करता हो, पवित्र शास्त्र के मूल्यों को मानें और जो विवाह की वाचा की पवित्रता को बनाकर रखे और और उन्हें प्रोत्साहित करे। हम विशेष रूप से हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने दान–वरदानों को संचार माध्यम (मीडिया) और कला के क्षेत्र में उपयोग करें और संस्कृति के इस बिगडे स्वरूप को सकारात्मक रूप में प्रभावित करे। तीसरा सिद्धांत यह है कि परमेश्वर को कमतर बताने और उसकी निंदा करने वाली प्रत्येक बात के विरूद्ध हम साक्षी देने का दायित्व

स्वीकार करें, साथ ही सामाजिक बुराइयों जैसे हिंसा, कामुकता, अश्लील–यौन, अशुद्धता और तंत्र–मंत्र विरूद्ध साक्षी दें जैसा कि व्यावसायिक मनोरंजन उद्योग के द्वारा या उनके माध्यम से विभिन्न रूपों में दर्शाया जाता है। और ऐसी संस्थाओं को समाप्त करने की दिशा में प्रयत्न करनी चाहिए जो इस प्रकार के मनोरंजन को उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती हैं। इसमें मनोरंजन के उन सभी प्रकारों का निषेध शामिल है, जिनमें वे मनोरंजन संस्थान और संचार प्रस्तुति केन्द्र (मीडिया प्रोडक्शन) हैं जो हिंसा, कामुकता, अश्लील यौन–चित्रण ओर तंत्र–मंत्र की अशुद्धताएँ बनाते और दिखाते हैं या जो संसार के धर्मनिरपेक्ष विचारवाद, कामुकता, भौतिकतावाद की दार्शनिकता चमक दमक के साथ प्रस्तुत करते हैं और हृदय एव जीवन में पवित्रता के लिए परमेश्वर द्वारा नियत मानकों को कमतर बनाते हैं।

ये बातें मसीही आचरण के इन नैतिक मानकों के शिक्षण और प्रचार की आवश्यकता पर बल देती है और यह कि हमारे लोगों को प्रार्थनापूर्वक परखने की शिक्षा दी जाये कि वे पवित्रता के जीवन के 'राजमार्ग' को लगातार चुनें। इस कारण हम हमारे अगुवों और पास्टरों से आग्रह करते हैं कि वे हमारी पत्रिकाओं में और हमारे मंचों से ऐसे आधारभूत सत्यों पर बलपूर्वक जोर दें जो भले और बुरे के बीच अंतर करने के सिद्धांत को विकसित करे और उन्हें संचार माध्यम (मीडिया) के संदर्भ में उपयोग करें।

हमारा सुझाव है कि जॉन वेसली को उनकी माँ ने जो मानक स्तर दिया था – "जो भी तुम्हारे विचारों को निर्बल करे, तुम्हारे विवेक की कोमलता को खंडित करे, परमेश्वर के प्रति तुम्हारी चेतना को धुंधला करे या आत्मिक बातों की मनोहरता को दूर करे, जो भी देह के अधिकार को मन पर बनाए, वे सब बातें तुम्हारे लिए पाप हैं" यही शिक्षा भले–बुरे के विभेद के लिए आधार बनें। (28:2–28,4,926–931)

(रोमियों 14:7–13; 1 कुरिन्थियों 10:31,33; इफिसियों 5:1–18; फिलिप्पियों 4:8–9; 1 पतरस 1:13–17; 2 पतरस 1:3–11)

29.2. लॉटरी एवं जुए के अन्य स्वरूप – वैध या अवैध

कलीसिया का मानना है कि ऐसे सभी कामों का अंतिम परिणाम व्यक्ति विशेष एवं समाज के लिए नुकसानदायक है।

(मत्ती 6:24–34; 2 थिस्सुलुनीकियों 3:6–13; 1 तीमुथियुस 6:6–11; इब्रानियों 13:5–6; 1 यूहन्ना 2:15–17)

29.3. शपथ ग्रहण कर गुप्त आदेशों की सदस्यता प्राप्त करना या वह समाज जो गुप्त संसद तक सीमित नहीं है – ऐसे संगठनों का अर्द्ध धार्मिक स्वरूप मसीही प्रतिबद्धता को कमजोर बनाती है और उनकी गुप्तता मसीही साक्ष्य के खुलेपन में रूकावट पैदा करती है। इस मुद्दे को संयोजन के रूप में अनुच्छेद 112.1 में विचार किया जाएगा जो कि कलीसिया की सदस्यता के विषय में हैं।

29.4. सभी प्रकार के नृत्य जो आत्मिक उन्नति को कम करते हैं और उचित नैतिक संकोच एवं आत्मसंयम को ध्वस्त करते हैं।

(मत्ती 22:36–39; रोमियों 12:1–2; 1 कुरिन्थियों 10:31–33; फिलिप्पियों 1:9–11; कुलुस्सियों 3:1–17)

29.5. मादक (नशीले) द्रव्यों का पेय पदार्थ के रूप में सेवन करना या व्यापार करना; उसके पक्ष में काम करना या मत देना, उसे बेचने के लिए अधिकार पत्र (लाइसेंस) देना; अन्य नशीले पदार्थो (ड्रग्स) का उपयोग करना या व्यापार करना, तम्बाकू का किसी भी रूप में सेवन या व्यापार इत्यादि।

पवित्र शास्त्र और मानव अनुभव के प्रकाश में मदिरा या नशीले पेय पदार्थो के सेवन के विनाशकारी प्रभावों को देखते हुए एवं चिकित्सा विज्ञान द्वारा शराब एवं तम्बाकू के शरीर एवं मन पर होने वाले नुकसान देह प्रभावों की खोज के प्रकाश में, हम विश्वास के एक समाज के रूप में जो पवित्र जीवन जीने के प्रति प्रतिबद्ध हैं तथा हमारी स्थिति और अभ्यास इनके कम उपयोग के बजाय परहेज के पक्ष में हैं। पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देता कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम स्वयं एवं दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण सम्मान के साथ इन नशीले पदार्थों से पूर्णतः पृथक रहने का आग्रह करते हैं।

साथ ही हमारा मसीही सामाजिक दायित्व हमें पेय पदार्थ के रूप में मदिरा एवं तम्बाकू की उपलब्धता और दूसरों द्वारा उपयोग को कम से कम करने की दिशा में किसी भी वैध या न्यायपूर्ण तरीके के उपयोग की बुलाहट देता है। हमारे संसार में मदिरा के व्यापक उपयोग और दुरूपयोग के कारण

हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक निकाय के रूप में दूसरों को इनके विरूद्ध साक्षी दें। (929—931)

(नीतिवचन 20:1; 23:29—24:2; होशे 4:10—11; हबक्कूक 2:5; रोमियों 13:8—14:15—21; 15:1—2; 1 कुरिन्थियों 3:16—17; 6:9—12,19—20; 10:31—33; गलतियों 5:13—14,21; इफिसियों 5:18)

(प्रभुभोज के नियत संस्कार में केवल अखमीरी मदिरा के उपयोग की अनुमति है।)

(515.4, 532.7, 533.2, 534.1, 700)

29.6. बिना चिकित्सक परामर्श के उत्तेजक, अवसादक एवं भ्रांतिजनक और अन्य मादक पदार्थो का दुरूपयोग करना।

चिकित्सकीय प्रमाण की सहायता के साथ—साथ शास्त्रीय चेतावनी भी देह व मस्तिष्क के नियंत्रण में उत्तरदायी बने रहने को कहती है, हम यह चुनाव करते हैं कि मादक, उत्तेजक अवसादक और भ्रांतिजनक पदार्थों का परहेज हम उचित चिकित्सकीय परामर्श द्वारा करेंगे और ऐसे पदार्थो की वैधता और उपलब्धता पर ध्यान नहीं देंगे।

(मत्ती 22:37—39:27:34; रोमियों 12:1—2; 1 कुरिन्थियों 6:19—20; 9:24—27)

ब. मानवीय जीवन की पवित्रता

30. नाज़रीन कलीसिया मानवीय जीवन की पवित्रता पर विश्वास करती है और गर्भपात, भ्रूण—मूल कोशिका (अनुसंधान) एवं इच्छामृत्यु को रोकने का प्रयास करती है, तथा विकलांग एवं अतिवृद्ध लोगों के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को रोकना या बंद करना जैसी बातों का विरोध करती है।

30.1. गर्भपातः नाज़रीन कलीसिया विश्वास करती है कि मानव—जीवन की पवित्रता को स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सृजा है और यह अजन्मे शिशु के लिए भी है। जीवन परमेश्वर की ओर से उपहार है। सभी मानव जीवन जिसमें गर्भस्थ भ्रूण भी है, परमेश्वर द्वारा अपनी समानता में सृजा गया है इसलिए उसे पालन—पोषण, सहयोग और सुरक्षा दी जाए। गर्भधारण के समय से ही शिशु एक मानव है और उसमें मानव जीवन के विकास के सभी लक्षण होते हैं, और लगातार विकास के लिए उसका जीवन माँ पर निर्भर रहता है। इस

कारण, हम विश्वास करते हैं कि मानव–जीवन का सम्मान होना चाहिए और गर्भधारण के समय से ही उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। हम किसी भी रूप में किसी भी कारणवश गर्भपात का विरोध करते है चाहे वह व्यक्तिगत सुविधा के नाम पर हो या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के नाम पर हो। हम उन कानूनों का विरोध करते हैं जो गर्भपात की अनुमति देते हैं। कभी–कभी दुर्लभ चिकित्सकीय स्थितियों के कारण जब माँ या गर्भस्थ शिशु या दोनों का प्रसवकाल में जीवित बचना संभव न हो तब ऐसी दशा में समुचित चिकित्सकीय और मसीही परामर्श के बाद ही गर्भपात किया जाएं।

गर्भपात का जिम्मेवारी के साथ विरोध करने के लिए आवश्यक है कि हम उन कार्यक्रमों में पहल करें और सहयोग करें जिनके द्वारा माँ और बच्चों की देखभाल और सहायता की जाती है। अनचाहे गर्भधारण के संकट में आवश्यक है कि विश्वासी जन समुदाय (उन्हीं के आगे प्रकट करें जिन्हें संकट के बारे में बताना उचित है।) इस संदर्भ में प्रेम प्रार्थना और परामर्श प्रदान करे। ऐसे अवसरों पर सहयोग के लिए परामर्श केन्द्रो, गर्भवती माताओं के लिए बने आश्रम और गोद लेने वाली मसीही केन्द्र या सेवाओं का सहारा भी लिया जा सकता है।

नाज़रीन कलीसिया मानती है कि गर्भपात का विचार और अनचाहे गर्भ को खत्म करने वाले साधन का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि यौन जिम्मेदारी के मसीही मानकों की अनदेखी की जाती है। इसलिए कलीसिया आग्रह करती है कि व्यक्ति मानवीय यौन संबंधों के संदर्भ में नये नियम में दिए नैतिक नियमों पर अमल करे और गर्भपात की समस्या को बाइबिल के सिद्धांतों के विस्तृत संरचना के अनुसार हल करें जिसमें समुचित नैतिकता संबंधी निर्णयों का मार्ग–दर्शन दिया गया है।

(उत्पत्ति 2:7, 9:6; निर्गमन 20:13:21:12–16, 22–25; लैव्यव्यवस्था 18:21; अय्यूब 31:15; भजनसंहिता 22:9; 139–16; यशायाह 44:2, 24; 49:5; यिर्मयाह 1:5; लूका 1:15, 23–25; 36–45; प्रेरितों के काम 17:25; रोमियों 12:1–2; 1 कुरिन्थियों 6:16; 7:1; 1 थिस्सुलुनीकियों 4:3–6)

नाज़रीन कलीसिया यह भी मानती है कि गर्भपात की त्रासदी से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया और व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक निवासी से आग्रह किया जाता है कि वे परमेश्वर द्वारा क्षमा के संदेश

को उस व्यक्ति तक पहुँचाए जिसने गर्भपात का अनुभव किया है। हमारी स्थानीय कलीसियाएँ उन व्यक्तियों के लिए छुटकारे और आशा के समुदाय बनें जो जान–बूझकर गर्भपात कराने के बाद शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में पीड़ा सहते हैं।

(रोमियों 3:22–24; गलतियों 6:1)

30.2. जनन विज्ञान अभियांत्रिकी और वंशाणु चिकित्साः नाज़रीन कलीसिया वंशाणु चिकित्सा के लिए जनन विज्ञान अभियांत्रिकी के साधनों के उपयोग का समर्थन करती है। हम मानते हैं कि वंशाणु चिकित्सा के द्वारा बीमारियों से बचाव और उपचार करना संभव है और शरीर संरचना और मानसिक रोगों के बचाव में सहायक है। हम ऐसे जनन विज्ञान अभियांत्रिकी का विरोध करते हैं जो सामाजिक अन्याय, व्यक्ति के सम्मान की अवहेलना के पक्ष में और जो दूसरों के विरूद्ध नस्लीय, बौद्धिक या सामाजिक श्रेष्ठता पाने की दिशा में कार्य करती है। हम डी. एन. ए. के अध्ययन से जुड़ी बातों का विरोध करते हैं जिनके परिणामों के कारण गर्भपात और विकल्प के रूप में अजन्मे गर्भ को खत्म करने को सहयोग या प्रोत्साहन मिल सकता है। इन सभी मामलों में विनम्रता, मानवीय जीवन की पवित्र गरिमा बनाए रखना और परमेश्वर के समक्ष मानवीय एकता तथा दया और न्याय की प्रतिबद्धता को जनन विज्ञान अभियांत्रिकी और जनन विज्ञान से सर्वोपरि रखना चाहिए।

30.3. मानव भ्रूण मूल कोशिका अनुसंधान और गर्भधारण के पश्चात मानव–जीवन को नष्ट करने वाले अन्य चिकित्सकीय/वैज्ञानिक अभियानः

नाज़रीन कलीसिया दृढ़ता के साथ वैज्ञानिक समुदाय को मूल कोशिका तकनीकी में जोर–शोर से आगे के अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसमें व्यस्क मानवीय ऊ तक गर्भनाल (प्लेसेन्टा) गर्भनाल रक्त (अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड), पशुओं के स्त्रोत और अन्य स्त्रोत (जिसमें मानव भ्रूण शामिल नहीं है) शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य सही है जो मानव की पवित्रता का उल्लंघन किए बिना बहुतों की चंगाई के लिए है। मानव भ्रूण मूल कोशिका पर अनुसंधान का हमारा समर्थन इस विचार पर आधारित है कि मानवीय भ्रूण परमेश्वर के स्वरूप की समानता में बनाया गया एक व्यक्ति हैं। इस कारण हम उन सभी मूल कोशिका प्रक्रियाओं का विरोध करते हैं जिनमें अनुसंधान के लिए मानव–भ्रूण से मूलकोशिका विकसित किया

जाता है या प्रयोग किया या चिकित्सकीय कार्य के लिए किया जाता हो या अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया जाता हो।

भविष्य में वैज्ञानिक अनुसंधान नयी तकनीकी उपलब्ध कराएँगे अतः हम इन अनुसंधानों के दृढ़ समर्थक हैं यदि उनसे मानव जीवन की पवित्रता और अन्य बाइबिल के नियमों और नैतिकता का उल्लंघन न हो। किन्तु हम ऐसे किसी उद्देश्य एवं अनुसंधान के लिए मानव भ्रूण की हत्या का विरोध करते हैं जिसमें गर्भधारण के बाद जीवन को नाश किया जाता है। इसी विचारधारा के चलते हम किसी भी उद्देश्य से गर्भपात के पश्चात मानव भ्रूणों से निकाले गए ऊतकों के उपयोग का विरोध करते हैं।

30.4. मानव प्रतिरूपणः हम किसी भी मनुष्य का प्रतिरूपण करने का विरोध करते हैं। मानव को परमेश्वर ने महत्व दिया है। जिसने हमें उसके स्वरूप की समानता में सृजा है और किसी भी मनुष्य का प्रतिरूपण करना उस व्यक्ति को एक 'वस्तु' मानकर व्यवहार करना है जो उसके व्यक्तिगत गरिमा और सृष्टिकर्ता द्वारा दिए गए मूल्य का अनादर करना है।

30.5. इच्छा – मृत्यु (चिकित्सक की देख रेख में आत्महत्या के प्रकरण भी): हम मानते हैं कि इच्छामृत्यु (सोच–समझकर मरणासन्न व्यक्ति के जीवन का अंत करना जिसे असाध्य रोग हो और जो तत्काल जीवन की हानि नहीं करती, उसकी पीड़ा को समाप्त करने के उद्देश्य से मृत्यु देना) मसीही विश्वास के विरूद्ध है। यह स्थिति तब आती है जब असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति इसके लिए सहमत है और निवेदन करता है (स्वैच्छिक इच्छा–मृत्यु) और जब ऐसा बीमार व्यक्ति मानसिक रूप में ऐसी सहमति देने के योग्य नहीं है (अस्वैच्छिक इच्छा–मृत्यु) हम मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप में इच्छा–मृत्यु न देने का निर्णय उन मसीही अवधारणाओं पर आधारित है जो बाइबिल से है और यीशु मसीह को प्रभु मानने वाली कलीसिया के विश्वास के अंगीकार में केन्द्रीय है। इच्छा मृत्यु परमेश्वर पर मसीही भरोसे को भंग करती है जो जीवन का संप्रभुता युक्त परमेश्वर है और इस संप्रभुता को स्वयं के लिए माँगती है। यह परमेश्वर के समक्ष हमारे प्रबंधक होने की भूमिका को भंग करती है। यह मानव जीवन और समाज पर परमेश्वर द्वारा दिये सम्मान और मूल्य का क्षरण करती है। यह पीड़ा की समाप्ति को अत्याधिक महत्व देती है और अनुग्रहमय संप्रभु परमेश्वर के सामने मानवीय हठीलेपन की परिचायक है। हम अपने

लोगों से आग्रह करते हैं कि वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के सभी प्रयत्नों का विरोध करें।

30.6. मृत्यु की अनुमतिः जब मानव की मृत्यु अवश्यंभावी है, हम विश्वास करते हैं कि कृत्रिम जीवन रक्षक समर्थन प्रणाली को अलग करना या उपयोग में लाना मसीह विश्वास एवं रीतियों की सीमाओं में अनुमति देने योग्य है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो लगातार निष्क्रिय दशा में है और उनके संदर्भ में भी जब कृत्रिम जीवन रक्षक समर्थन प्रणाली को लंबे समय तक लगातार जारी रखने पर भी उनके स्वास्थ्य के लाभ की कोई तर्कसंगत आशा न हो। हमारा विश्वास है कि जब मृत्यु निश्चित है तब मसीही विश्वास में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि मृत्यु को कृत्रिम जीवन रक्षक तंत्रों के द्वारा अवास्तविक रूप में रोका जाए। मसीही होने के नाते हम परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर भरोसा करते हैं और अनंतजीवन की आशा रखते हैं। इस कारण एक मसीही व्यक्ति मसीह पर विश्वास की एक अभिव्यक्ति के रूप में मृत्यु को स्वीकार कर सकता है, जिस ने हमारे बदले मृत्यु सहकर मृत्यु पर जय पाई है और उसकी (शैतान) विजय को छीन लिया है।

स. मानवीय यौन–व्यवहार और विचार

31. नाज़रीन कलीसिया यौन–व्यवहार को उस पवित्रता एवं सुन्दरता की एक अभिव्यक्ति के रूप में मानता है जिसे सृष्टिकर्त्ता परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के लिये अभिप्राय सहित ठहराया है क्योंकि सभी मानव परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, वे मूल्यवान और योग्य हैं। परिणामस्वरूप हम यह विश्वास करते हैं कि मानवीय यौन–व्यवहार का अर्थ कामुक अनुभव से कहीं ज्यादा है और यह परमेश्वर द्वारा रूपांतरित किया गया एक तोहफा है जो हमारे संपूर्ण भौतिक और संबंधात्मक रचना को प्रतिबिंबित करता है। धार्मिक जन होने के कारण नाज़रीन कलीसिया यह पुष्टि करती है कि मानव जीवन प्रभु के लिए मूल्यवान है। मसीही बुलाए गए हैं और योग्य बनाए गएं हैं पवित्र आत्मा के रूपांतरण और पवित्रीकरण के कार्य द्वारा जिससे वे आत्मा व शरीर द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हमारी चेतना, हमारी यौन रूचि, हमारी आनंद अनुभव करने की योग्यता और दूसरों से संबंध बनाने की इच्छा, ये सभी चीजे

परमेश्वर के उच्च चरित्र द्वारा आकार दिए गए हैं। हमारा शरीर उत्तम, और अति उत्तम है।

हमारा दृढ विश्वास उस एक परमेश्वर पर हैं जिसकी रचना प्रेम का कार्य है। परमेश्वर के पवित्र प्रेम को अनुभव करने के पश्चात हम त्रियेक परमेश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच प्रेम की एकता के रूप में समझते हैं। इसलिए हम प्रेम की उसी इच्छा के साथ रचे गए हैं कि हम दूसरों के साथ अपने अस्तित्व के सार के साथ संबंध बनाए। और यह इच्छा मूलभूत रूप से तभी पूरी हो सकती है जब हम परमेश्वर और उसकी सृष्टि के साथ वाचा रूपी संबंध बनाए और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करे। सामाजिक प्राणी के रूप में हमारी रचना अच्छी और सुंदर दोनों हैं। हमारे संबंध (रिश्ता) बनाने की क्षमता और हमारे ऐसा करने की इच्छा द्वारा हम परमेश्वर के रूप को दर्शाते हैं। परमेश्वर के जन मसीह में एक होने के लिए निर्मित किए हैं जो प्रेम और कृपा से समृद्ध समुदाय है।

इस समुदाय के अंदर विश्वासियों का मसीह के देह के ईमानदार सदस्य के रूप में रहने के लिए बुलाया गया है। कलीसिया की समृद्ध सभा और संतों के मतानुसार परमेश्वर के लोगों के बीच में एकल जन (अविवाहित जन) की मान्यता को बनाए रखना चाहिए। यीशु के समान एकल जन (अविवाहित) को समुदाय की घनिष्ठता में, मित्रों के बीच में रहकर, भोज में निमंत्रित करके व उसमें सहभागी होकर और अपनी निष्ठा को व्यक्त करके, व्यस्त रहना चाहिए।

मसीही समुदाय में हम विश्वास करते हैं कि कुछ विश्वासियों को विवाह के लिए बुलाया गया है जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में परिभाषित किया गया है, "इस कारण पुरूष अपने माता–पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे।" (उत्पत्ति 2:24) विवाह की वाचा, परमेश्वर व परमेश्वर के जन के बीच वाचा को प्रतिबंधित करता है जो एक विशिष्ट यौन निष्ठा, निस्वार्थ सेवा व सामाजिक साक्ष्य है। एक नर व नारी सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के प्रेम के साक्ष्य के रूप में स्वयं को एक–दूसरे को समर्पित करते हैं। वैवाहिक घनिष्ठता का अभिप्राय मसीह व कलीसिया की एकता को दर्शाना है, जो कि एक रहस्यमयी कृपा है। परमेश्वर का यह भी अभिप्राय है कि इस सांस्कारिक एकता द्वारा नर व नारी यौन घनिष्ठता के आनंद और खुशी को अनुभव कर सके और इस घनिष्ठ प्रेम के कार्य द्वारा एक नये जीव

का संसार में व एक वाचामयी समुदाय के संरक्षण में प्रवेश हो सके। मसीह–केंद्रित घरों को आत्मिक गठन के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। कलीसिया को विवाह के गठन के लिए अत्याधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए विवाह से पूर्व सलाह और शिक्षा देनी चाहिए जो कि विवाह की पवित्रता को निर्दिष्ट करें।

पवित्र शास्त्र में एक दुखद अध्याय है जिसमें मनुष्य का अपनी लालसा में फँसकर पतन होता है। जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य के स्वभाव में स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को औचित्यपूर्ण और हानि पहुँचाना शामिल हो गया है। मानव अपनी लालसा में फँसकर अंधकार के मार्ग में चला जाता है। पाप में गिरने के कारण हम हर चरण में चाहे वह निजी हो या सामाजिक, बुराई का अनुभव करते हैं। पापमयी संसार के सिद्धांत और शक्तियों के द्वारा हमारे मन में यौन संबंधी कई गलत विचारधारा भरी जाते हैं। हमारी इच्छाएँ पाप द्वारा दूषित हो गई हैं और हम आंतरिक रूप से सिर्फ स्वयं के विषय में ही सोचते हैं। परमेश्वर के प्रेम को अपने दुराग्रही चुनाव के द्वारा भंग करने में और परमेश्वर से अलग होकर अपनी शर्तो के अनुसार जीवन जीने में हम भी सम्मिलित हो जाते हैं।

यौन–संबंधी (लैंगिकता) क्षेत्रों में हमारा खंडित होना कई रूपों में होता है, कुछ तो हमारे स्वयं के चुनाव द्वारा होता है और कुछ हमारे जीवन में इस खंडित संसार द्वारा लाया जाता है। तथापि प्रभु का अनुग्रह हमारी निर्बलता के लिए पर्याप्त है, और हमारे जीवन में दृढ़ विश्वास, रूपांतरण और पवित्रता लाने के लिए भी काफी है। अतः पाप के खंडित होने के क्रम में और हमारे देह के लिए परमेश्वर की पवित्र योजनाओं और परमेश्वर की सुंदरता और विशिष्टता के गवाह के योग्य बनने के लिए हम मसीह की देह के विश्वासीजनों को आत्मा की परख द्वारा निम्न बातों से बचना चाहिए:

अविवाहित यौन संसर्ग और अनुचित यौन संबंध के अन्य रूप क्योंकि हम यह विश्वास करते हैं कि यह प्रभु की ही मंशा थी कि एक नर व नारी अपने यौन संबंध एक वाचामयी मिलन को स्मरण रखे। हम विश्वास करते हैं की इस प्रकार के अनुचित यौन संबंधित प्रथाएँ अक्सर अन्य लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाती है। इस प्रकार अनुचित यौन संबंध के सभी रूप हमारे

स्वयं द्वारा मसीही विवाह की पवित्रता और सुंदरता में प्रवेश करने की योग्यता को क्षति भी पहुँचाते हैं।

दो समान लिंगों के मध्य यौन संबंध (समलैंगिकता) क्योंकि हम यह विश्वास करते हैं कि यह प्रभु की ही मंशा थी कि एक नर व नारी अपने यौन संबंध में एक वाचामयी मिलन को स्मरण रखे। हम यह विश्वास करते हैं कि समान लिंगों के मध्य यौन संबंधी प्रथाओं को मानना प्रभु द्वारा मनुष्य के लिए बनाए गए यौन संबंधी इच्छा का अपमान करते हैं। जबकि किसी व्यक्ति के समलैंगिक या उभयलैंगिक आकर्षण भिन्न–भिन्न और जटिल हो सकते हैं और इस यौन विशुद्धता की बुलाहट का आशय भयंकर हो सकता है।

हम विश्वास करते हैं कि ऐसी बुलाहट के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। हम मसीह की देह के साझे उत्तरदायित्व के समुदाय के रूप में जाने जाते हैं जो कि एक स्वागत करनेवाला, क्षमा करने वाला और प्रेम करने वाला समुदाय है जहाँ पर सभी लोगों के लिए सत्कार, प्रोत्साहन, रूपांतरण और दायित्व है।

विवाहोत्तर यौन संबंध – क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना है जिसे हम मसीह की देह में होकर परमेश्वर के समक्ष करते हैं। व्यभिचार एक स्वार्थी कार्य है, परिवार को नष्ट करने वाला और उस परमेश्वर के प्रति एक अभद्रता है जिसने हमें शुद्धता और निष्ठापूर्वक प्रेम किया है।

तलाक – क्योंकि विवाह जीवन भर साथ निभाने वाला प्रतिबद्धता है अतः विवाह की वाचा का टूटना चाहे वह व्यक्तिगत रूप से शुरू किया गया हो या पति/पत्नी के चुनाव के द्वारा हो, परमेश्वर के उत्तम अभिप्राय का पतन है। अतः कलीसिया को यह ध्यान देना जरूरी है कि वह, जहाँ तक संभव हो बुद्धिमानी से विवाह रूपी बंधन को सुरक्षित रखें और जो तलाक रूपी घाव से पीड़ित हैं उन्हें सलाह और कृपा प्रदान करें।

बहुविवाह और बहुपत्नी जैसी प्रथाएँ – क्योंकि हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु की वाचामयी निष्ठा पति–पत्नी द्वारा एक ही बार विवाह करने की प्रथा (एक संगमन) में झलकती है। अन्य इस प्रकार की प्रथाएँ विवाह में उपस्थित विशिष्ट और अखंडित निष्ठा को अलग कर देते हैं।

यौन रूपी पाप और टूटी हुई अवस्था केवल व्यक्तिगत रूप में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में व्याप्त है। इसलिए हमें एक कलीसिया के रूप में प्रभु के पवित्र उद्देश्यों की सुंदरता और विशिष्टता की सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि कलीसिया को निम्नलिखित चीज़ो के विरूद्ध होना चाहिए और इनसे बचना चाहिएः

अश्लील साहित्य के समस्त स्वरूप, जोकि एक विकृत इच्छा है – यह लोगों की स्वार्थी यौन संबंधो की संतुष्टि का जीता–जागता कारण है। इस प्रकार की आदत हमारे निस्वार्थ प्रेम की क्षमता का नाश करती है।

किसी भी रूप में यौन हिंसा, जिसके अंतर्गत बलात्कार, यौन उत्पीड़न, यौन सताव, अभद्र शब्द, वैवाहिक दुरूपयोग, कौटुम्बिक व्यभिचार, यौन तस्करी, जबरन विवाह, स्त्री जनन विकृति, पाशविकता (वहशीपन), यौन कष्ट, और नाबालिगों और अन्य लोग जो अभद्रता की चपेट में आते हैं –

समस्तजन और व्यवस्था जो यौन हिंसा को बढ़ावा देते हैं, वह अपने पड़ोसी से प्रेम करने और उसकी रक्षा करने के आदेश का उल्लंघन करते है। परमेश्वर की देह (विश्वासी जन) को उन लोगों के न्याय, सुरक्षा और चंगाई का वह स्थान बनना चाहिए जो यौन हिंसा द्वारा गुजरे हैं, गुज़र चुके है और लगातार गुज़र रहे हैं।

18 वर्ष से कम आयु वाले मनुष्य को नाबालिग परिभाषित किया गया है जब तक कोई राज्य या देश का अपना घरेलू कानून उम्र की बहुमतता को निर्धारित न करें।

अतः हम यह स्वीकार करते हैं कि – जहाँ पाप की अधिकता है वहाँ पर और भी अधिक कृपा है – हालांकि पाप का प्रभाव सार्वभौमिक और समग्र है, परंतु कृपा का प्रभाव भी सार्वभौमिक और समग्र है। मसीह में पवित्र आत्मा द्वारा हमारा परमेश्वर के स्वरूप में नवीकरण किया गया है। पुरानी सृष्टि बीत गई है और नया सृर्जन हुआ है। हालांकि हमारे जीवन का नई सृष्टि के रूप में बनना एक क्रमिक प्रक्रिया है। परमेश्वर मानवता की यौन संबंधी क्षेत्रों में टूटेपन की अवस्था की चंगाई करने में प्रभावशाली है।

मानव शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है – हम स्वीकार करते हैं कि हमारी यौन आवश्यकता प्रभु की इच्छा की पुष्टि के द्वारा है। हमारा देह हमारा स्वयं का नहीं बल्कि दाम़ चुका कर खरीदा गया है। इसलिए हम आज्ञाकारिता की

ओर झुककर जीवन बिताते हुए अपनी देह द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं।

परमेश्वर के जन, पवित्र प्रेम द्वारा चिन्हित किए गए हैं – हम यह स्वीकार करते हैं कि सभी गुणों से अधिक परमेश्वर के जन स्वयं को प्रेम रूपी वस्त्र द्वारा सजाए। परमेश्वर के जनों ने सदैव निराश लोगों को अपनी सभा में स्वागत किया है। इस प्रकार का मसीही सत्कार न तो व्यक्तिगत अवज्ञा का एक बहाना है और न ही निराशा की जड़ों को समझदारी से मुक्ति प्रदान करने में भागीदार होने से इंकार है। यीशु मसीह की समानता में मनुष्य का पुनः निर्माण करने के लिए पाप अंगीकार करना, क्षमा, प्रांरभिक प्रथाओं, पवित्रीकरण और धार्मिक परामर्श की आवश्यकता होती है परंतु इन सबसे अधिक प्रेम है जो निराश जनों को अनुग्रह के दायरे में आमंत्रित करता है, जो कलीसिया कहलाती है। यदि हम ईमानदारी से पाप और निराशा से सामना करने में असफल रहे तो हमारे पास प्रेम नहीं है। यदि हम प्रेम में असफल रहे तो हम परमेश्वर द्वारा निराशा की चंगाई में भागीदार नहीं बन सकते हैं।

जैसा कि वैश्विक कलीसिया समस्त संसार के जनों की अगुवाई और सेवकाई करती है अतः जटिल सभाओं में इन कथनों को ईमानदारी से पूरा करने के लिए देखभाल, विनम्रता, साहस और विवेक का मार्गदर्शन होना चाहिए।

मसीही प्रबंधक पद

32. प्रबंधक पद का अर्थः पवित्रशास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर सब मनुष्यों और वस्तुओं का स्वामी है। इस कारण हम उसके द्वारा दिए गए जीवन और संपत्ति दोनों के प्रबंधक हैं। परमेश्वर के स्वामित्व एवं हमारे प्रबंधक पद को मान्यता देना आवश्यक है क्योंकि हम अपने प्रबंधक पद के कामों के लिए परमेश्वर के प्रति व्यक्तिगत रूप में जवाबदेह ठहराए जाएंगे। परमेश्वर, व्यवस्था का परमेश्वर और उसके सभी मार्गो का एक क्रम है, उसने अपनी सभी कामो में देने की व्यवस्था को कायम किया जो उसके सभी मानव संसाधन और संबंधों के ऊपर उसके स्वामित्व को दर्शाता है। इसके लिए उसकी सभी संतानों को विश्वासयोग्यता से दशवांश और सुसमाचार के प्रचार–प्रसार के लिए दान देने चाहिए। (140)

(मलाकी 3:8–12; मत्ती 6:24–34, 25:31–46; मरकुस 7:17–31)

भंडारगृह दशवांश – भंडारगृह दशवांश कलीसिया में विश्वासयोग्यता और नियमित रूप में देने का पवित्रशास्त्रीय और व्यवहारिक कार्य है, यह उस कलीसिया में देना है जिसके वे सदस्य हैं। इस प्रकार भंडारगृह दशवांश की योजना पर कलीसिया की आर्थिक योजनाएँ आधारित होगी और नाज़रीन कलीसिया स्थानीय रूप में उसके सभी सदस्यों के लिए भंडारगृह मानी जायेगी। वे सब जो नाज़रीन कलीसिया के अंग है, उनसे आग्रह है कि वे अपनी समस्त बढ़ती से दसवाँ भाग पूरी ईमानदारी के साथ दे, यह प्रभु के लिए कम से कम है, साथ ही वे स्वतंत्र रूप में स्वैच्छिक दान दें क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्थानीय, जिले के स्तर पर, शैक्षणिक और सर्वोच्च स्तर पर, अर्थात पूरी कलीसिया की सहायता करने के लिए समृद्ध बनाया है। दशवांश जो स्थानीय नाज़रीन कलीसिया में दिया जाएगा, वह अन्य सभी दानों में सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है, व्यक्ति के मन पर परमेश्वर जैसा बोझ दे वह परमेश्वर के विश्वासयोग्य प्रबंधक के रूप में संपूर्ण कलीसिया को सहयोग दें, उसे देना चाहिए।

32.2. सहयोग राशि एकत्रित और वितरित करना, सुसमाचार के सहयोग के लिए दशवांश और अन्य भेटों को देने की पवित्रशास्त्र की शिक्षा के प्रकाश में साथ ही कलीसिया का भवन बनाने के लिए कोई भी नाज़रीन कलीसिया किसी भी रूप में सहयोग राशि नहीं माँगेगी, जिससे इन सिद्धांतो की अवहेलना हो, सुसमाचार संदेश में बाधा हो और कलीसिया का नाम बदनाम हो, निर्धनों के साथ भेदभाव हो या फिर सुसमाचार के प्रचार की दिशा से लोगों का ध्यान एवं उत्साह हट जाए।

स्थानीय कलीसिया, प्रांतीय स्तर की सभा, शिक्षा एंव कलीसिया के सर्वोच्च प्रशासन की आवश्यकताओं के लिए धन राशि के वितरण के निमित स्थानीय कलीसियाओं से आग्रह है कि वे आर्थिक बँटवारे के लिए प्रतिशत के अनुसार योजना बनाये और सर्वोच्च प्रशासन, शिक्षा एवं प्रांतीय स्तर की सभा के लिए प्रतिमाह राशि भेजे। (130,153,154–154.2,516.13)

32.3. सेवकाई को सहयोगः "इसी रीति से प्रभु ने ठहराया है कि वे जो सुसमाचार को सुनाते और सिखाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो।" (1 कुरिन्थियों 9:14) 1 कलीसिया का दायित्व है कि वह उसके सेवकों को आर्थिक सहायता दे, जिन्हें परमेश्वर की बुलाहट है और जो कलीसिया के

दिशा–निर्देश में अपना संपूर्ण समय सेवकाई के कामों में देते हैं। हम कलीसिया के सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे सेवकाई के सहयोग के लिए स्वेच्छा से प्रतिबद्ध होकर और प्रति सप्ताह धन एकत्रित करे ताकि इस पवित्र कार्य और पास्टर की सेवकाई का प्रति सप्ताह नियमित रूप में भुगतान हो सके। (115.4,115.6,129.8)

32.4. जीवनभर की आय, दान, योजनाबद्ध रूप में देना या अन्य प्रकार से देनाः मसीही प्रबंधक पद पर अमल करते हुए आवश्यक है कि एक व्यक्ति सावधानीपूर्वक विचार करे कि उसके जीवनभर की आय और संपत्ति, जिस पर प्रभु ने उसे प्रबंधक ठहराया है, उसका क्या किया जाएं नाज़रीन कलीसिया मानती है कि इस जीवन में जिन बातों पर प्रबंधक ठहराया गया है, उसका विश्वासयोग्यता से उपयोग किया जाए और जैसा परमेश्वर का दर्शन है, भविष्य के लिए मीरास छोड़ी जाए। इस कारण नाज़रीन कलीसिया संस्थान की स्थापना की गई है कि मसीही प्रबंधक पद पर योजनाबद्ध और अलग–अलग प्राप्त दानों के रूप में अमल किया जाए। नागरिक कानून (सिविल लॉ) अक्सर संपत्ति के ऐसे वितरण की अनुमति नहीं देते जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रत्येक मसीही को चाहिए कि वह सावधानीपूर्वक और विधिसम्मत रूप में अपनी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा तैयार करवाए और नाज़रीन कलीसिया भी उसके सेवकाई के विभिन्न सेवकों द्वारा सुसमाचार प्रसार द्वारा, शिक्षा और परोपकार द्वारा स्थानीय, जिले स्तर शैक्षणिक और सर्वोच्च संगठन के माध्यम से इस पर विचार करे।

32.5. सांप्रदायिक सेवकाई के लिए साझा जिम्मेदारीः नाज़रीन कलीसिया का प्रशासन प्रतिनिधित्व के अनुसार है। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया विश्व सुसमाचारवाद शिक्षा, सेवकाई संबंधी समर्थन और प्रांतीय सेवकाई के सभी क्षेत्रों का समर्थन करती है जिसे महासभा के प्रमुख अध्यक्ष मंडल की अगुवाई में परिभाषित और कार्यान्वित किया गया है।

प्रमुख अध्यक्ष मंडल और प्रमुख मंडल को विकास, संशोधन और विश्व–सुसमाचार प्रचार कोष के लिए अनुदान संचय करने की व्यवस्था को बनाने और अनुदान के लक्ष्य को निर्धारित करने तथा प्रांतीय सभा द्वारा स्थानीय कलीसिया को दायित्व देने का अधिकार और सामर्थ्य है।

अनुच्छेद 337.1 के आधार पर प्रमुख राष्ट्रीय मंडल और विभागीय सलाहकार परिषद को यह अधिकार और सामर्थ्य है कि वह अपने क्षेत्र के सेवकों के लिए सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं को स्थापित करें। ऐसी योजनाओं की सूचना अनुच्छेद 337.2 में दिया गया है। अनुच्छेद 32.5 के प्रावधानों को अमेरिकी पेंशन और लाभ मंडल में लागू नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय मंडल और प्रांतीय सलाहकार परिषद को भी यह अधिकार और सामर्थ्य है कि वह अपने क्षेत्र के उच्च शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने में समर्थन प्रदान करें।

प्रत्येक प्रांत को यह अधिकार और सामर्थ्य है कि प्रांतीय वित्तीय सभा समिति द्वारा अपने स्थानीय कलीसिया और प्रांतीय सेवकाई के समर्थन के लिए अनुदान संचय करने के लक्ष्य और दायित्वों को स्थापित करें। (238.1,317.10,345,346.3)

इ. कलीसिया के अधिकारी

33. हम हमारी स्थानीय कलीसियाओं को निर्देश देते हैं कि वे स्थानीय कलीसिया के सक्रिय सदस्यों में से 'कलीसिया के अधिकारी नियुक्त करें जिन्हें संपूर्ण पवित्रीकरण का अनुभव हो और जिनके जीवन सार्वजनिक रूप में परमेश्वर के अनुग्रह की साक्षी देते हो जिसने हमें पवित्र जीवन जीने की बुलाहट दी, जो धर्म शिक्षा के अनुकूल और नाज़रीन कलीसिया की नीतियों और रीतियों के अनुरूप हैं। उन व्यक्तियों को चुने जो उपस्थिति, सक्रिय सेवकाई, दशवांश और दानों में विश्वासयोग्यता से स्थानीय कलीसिया को सहयोग देते हों। कलीसिया के अधिकारी पूर्णरूप से "देशों में मसीह के समान चेले बनाने" के कार्य में संलग्न हो। (113.11,127,145–147)

फ. क्रम के नियम

34. विवरणिका में दिए गए निगमीकरण (मंडली) के कथन प्रशासन के उपनियम और प्रभावी नियमों के आधार पर नाज़रीन कलीसिया में स्थानीय, प्रांतीय के स्तर और सर्वोच्च स्तर पर और संस्था की समितियों की सभाओं एवं प्रक्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण संसदीय प्रक्रियाओं के लिए 'राबर्ट्स

रूल्स ऑफ ऑर्डर' के नवीनतम संस्करण के अनुसार किया जाएगा। (113,205,300.3)

ग. मसीह आचरण की वाचा में संशोधन

35. मसीह आचरण की वाचा में दिए गए प्रावधानों को समाप्त करने या उनमें संशोधन करने के लिए प्रमुख सभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई मतों के बहुमत की आवश्यकता होती है।

भाग 4

कलीसिया प्रशासन

प्रस्तावना
स्थानीय प्रशासन
प्रांतीय प्रशासन
प्रमुख प्रशासन
कलीसिया प्रशासन की प्रस्तावना

नाज़रीन कलीसिया का कार्य है, यीशु मसीह में पापों की क्षमा एवं हृदय की शुद्धि के द्वारा मिलने वाले परमेश्वर के परिवर्तन करने वाले अनुग्रह से सभी को परिचित करना। हमारा सर्वप्रथम और सर्वोपरि लक्ष्य – "सभी राष्ट्रों में मसीह के समान चेले बनाना है।'' कलीसियाओं की सहभागिता और सदस्यता में विश्वासियों को जोड़ना (सभा) और वे सब जो विश्वास में प्रत्युत्तर दें उन्हें सेवकाई के लिए शिक्षा देना। 'विश्वास के समुदाय' का अंतिम लक्ष्य अंतिम दिनों में सभी को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना। (कुलुस्सियों 1:28)

स्थानीय कलीसिया वह स्थान है जहाँ उद्धार, सिद्धता, शिक्षण और सेवकाई के लिए अधिकृत करने का कार्य संपन्न किया जाता है। स्थानीय

कलीसिया अर्थात् मसीह की देह, हमारे विश्वास एवं सेवकाई की प्रतिनिधि है। इन कलीसियाओं को प्रशासन के लिए प्रांतों और क्षेत्रों में बाँटा गया है।

नाज़रीन कलीसिया में एकता के आधार वे विश्वास, प्रबंधन और प्रशासन के नियम, व्याख्याएँ, परिभाषाएँ और प्रक्रियाएँ हैं जो 'नाज़रीन कलीसिया की विवरणिका' में दिये गए हैं।

एकता का सार विवरणिका में दिये गए 'विश्वास के कथन में बताया गया है। हम सभी क्षेत्रों और भाषाओं के कलीसियाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इनका अनुवाद कर व्यापक रूप से वितरित करें, और हमारे अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों को इसकी (विश्वास के कथन) शिक्षा दें। यह वह सुनहरा आधार है जिसके ताने—बानों में हम बुने हुए हैं और नाज़रीन कहलाते हैं और इन कामों को करते हैं।

इस एकता का दिखाई देने वाला स्वरूप प्रमुख सभा में दृष्टव्य है जो कि नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख सिद्धांत निर्धारण करने और नियम बनाने एवं कलीसिया के अधिकारी सुनने का अधिकार रखती है। दूसरा दृष्टव्य स्वरूप है – अंर्तराष्ट्रीय प्रमुख मंडल, जो संपूर्ण कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है।

तीसरा दृष्टव्य स्वरूप है – प्रमुख अध्यक्ष मंडल, जो विवरणिका की व्याख्या करता है, सांस्कृतिक समायोजन की स्वीकृति देता है और सेवकाई के लिए दीक्षित करता है।

नाज़रीन कलीसिया का प्रशासन प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इस प्रकार एक ओर यह अत्याधिक बिशपवाद को रोकता है तो दूसरी ओर असीमित सभाओं को रोकता है।

कलीसिया द्वारा सेवकाई किए जाने वाले वैश्विक क्षेत्र जहाँ सांस्कृतिक और राजनीतिक भिन्नताएं पायी जाती है, वहाँ स्थानीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय कलीसिया प्रशासन की कार्यवाही में रूपांतरण आवश्यक हो जाती है, जिसका विवरण भाग 4 में किया गया है। इसके अनुभाग 100, 200, 300 भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे सभी रूपांतरणों के लिए निवेदन हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं और प्रमुख अध्यक्ष मंडल द्वारा स्वीकार की जाती है। (300)

1. स्थानीय प्रशासन

अ. स्थानीय कलीसिया का संगठन, नाम, निगमीकरण, संपत्ति, प्रतिबंध, विलय, विघटन

100. संगठनः स्थानीय कलीसियाओं का संगठन प्रांतीय अधीक्षक द्वारा किया जाता है या प्रमुख अधीक्षक जिसका अधिकार क्षेत्र है या किसी प्राचीन के द्वारा जिसे उन्होंने इस काम के लिए अधिकृत किया हो। नयी कलीसियाओं के विषय में आधिकारिक विवरण उनके अधिकार क्षेत्र के कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव को भेजी जाए (23,107,211.1,538.15)

100.1. कलीसिया–समान–सेवकाईः नयी मंडलियाँ जो अब तक अनुच्छेद 100 के अनुसार संगठित नहीं हैं, उन्हें प्रमुख सचिव के पास 'कलीसिया–समान–सेवकाई (मिशन) के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है इसके लिए जिस क्षेत्र में नया काम है उस क्षेत्र के प्रांतीय अधीक्षक की स्वीकृति होनी चाहिए। धर्मसेवक के रूप में कार्य करने वाला सदस्य, जो कि कलीसिया–समान–सेवकाई' में पादरी के रूप में या एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा है उसे प्रांतीय अधीक्षक की स्वीकृति से एक नियुक्त सेवक माना जाएगा। कलीसिया के समान सेवकाई (मिशन) अनुच्छेद 102 के अनुसार निगमित किया जा सकता है और उसके सदस्यों से विवरण ली और दी जा सकती है। (100.2,107.2,138.1,159,211.6)

100.2. एक से अधिक मंडलियों की कलीसियाः अपनी सेवकाई संगठित कलीसियाएँ अपनी सेवकाई को विस्तृत करने के लिए इन कलीसियाओं की सुविधाओं को उपयोग में लाते हुए विभिन्न भाषाओं में बाइबिल की कक्षाएँ स्थापित कर सकती हैं। ये बाइबिल की कक्षाएँ 'कलीसिया–समान–सेवकाई (मिशन)' या संगठित कलीसिया के अंतर्गत विकसित की जा सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कलीसिया के नाम के अंतर्गत एक से अधिक मंडलियाँ हो सकती हैं। इसके लिए प्रांतीय अधीक्षको की स्वीकृति अनिवार्य है। ऐसी बहुमंडलीय कलीसियाओं में जहाँ सभी मंडलियाँ संगठित कलीसिया नहीं हैं, उन्हें प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रांतीय अधीक्षक की अनुमति से उस प्रांत के प्रांतीय अधीक्षक की अनुमति से उन मंडलियों को एक संगठित स्थानीय

कलीसिया के रूप में नीचे दिये आधार पर अधिकार और मान्यता प्रदान कर सकता है:

1. ऐसी मंडलियाँ, स्थानीय संगठित कलीसिया से अलग होकर निगमित नहीं की जाएगी।
2. ऐसी मंडलियों को स्थानीय संगठित कलीसिया से अलग होकर संपत्ति का अधिकार नहीं होगा।
3. ऐसी मंडलियाँ, प्रांतीय अधीक्षक, स्थानीय संगठित कलीसिया के कलीसिया मंडल एव प्रांतीय सलाहकार मंडल की अनुमति के बिना अपने ऊपर ऋण नहीं लेंगी।
4. ऐसी कोई भी मंडली, स्थानीय संगठित कलीसिया से एक निकाय के रूप में अलग नहीं होगी या किसी भी रूप में अपने संबंध समाप्त नहीं करेगी, जब तक प्रांतीय अधीक्षक, स्थानीय कलीसिया के पादरी के साथ विचार–विमर्श करके स्पष्ट एवं प्रगट रूप में अनुमति न दें।

101. नामः नयी संगठित कलीसिया का नाम स्थानीय कलीसिया, प्रांतीय अधीक्षक के परामर्श पर करती है जिसे प्रांतीय सलाहकार मंडल की स्वीकृति प्रदान होनी चाहिए। (102.4)

101.1. नाम परिवर्तनः एक स्थानीय नाज़रीन कलीसिया नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार नाम परिवर्तित कर सकती है –

1. स्थानीय कलीसिया मंडल, प्रस्तावित परिवर्तन को प्रांतीय अधीक्षक को सौंपेगा जो प्रांतीय सलाहकार मंडल का लिखित अनुमोदन (स्वीकृति) प्राप्त करेगा।
2. किसी वार्षिक सभा या कलीसिया की सदस्यों की विशिष्ट सभा में बहुमत प्राप्त होने पर।
3. प्रांतीय सलाहकार मंडल परिवर्तन की सूचना प्रांतीय सभा को देगा और प्रांतीय सभा अनुमोदन के लिए मतदान करेगी। (102.4)

102. निगमीकरण – सभी स्थानों में जहाँ कानूनी तौर पर अनुमति है, न्यासी स्थानीय कलीसिया का निगमीकरण करांएगे और वे न्यासी और उनके

उत्तराधिकारी उन निगमों के न्यासी कहलाएंगे। यदि दीवानी कानून अनुमति न दे, निगमीकरण के कथन, निगम की अधिशक्तियों का निर्धारण करेगा और यह निगम नाज़रीन कलीसिया के प्रशासन के अधीन होगा, जैसा कि समय–समय पर कलीसिया की प्रमुख सभा उसे 'विवरणिका' में अधिकृत करेगी और उसकी उद्घोषणा करेगी। इस निगम की समस्त संपत्ति का प्रबंधन और नियंत्रण स्थानीय कलीसिया की अनुमति से न्यासियों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

102.1. जब भी प्रांतीय मंडल संपत्ति खरीदेगा या बढ़ायेगा या एक नई कलीसिया के लिए भवन बनाएगा ता`यह अनुरोध किया जाता है कि प्रांतीय सलाहकार मंडल के द्वारा धन का निवेश करने के बाद उस संपत्ति के दस्तावेज स्थानीय कलीसिया द्वारा धनराशि वापस करने पर स्थानीय कलीसिया के नाम पर दिए जाएं।

102.2. जब भी किसी स्थानीय कलीसिया को सम्मिलित किया जाएगा, उसकी समस्त संपत्ति कलीसिया के निगम के नाम पर दस्तावेज़ो के साथ हस्तांतरित कर दी जाएगी, जब भी ऐसा करना संभव होगा। (102.6)

102.3. कलीसिया के पादरी और कलीसिया मंडल के सचिव, कलीसिया के 'अध्यक्ष' और 'सचिव' के पद पर रहेंगे, निगमित हो या न हो वे, समस्त अचल संपत्ति गिरवी रखना और गिरवी से छुड़ाना, अनुबंध और कलीसिया के अन्य सभी कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे और, उन्हे निष्पादित करेंगे, यदि सभी विवरणिका के अनुदेशों और 104–104.3 में दिए गए निर्धारित प्रतिबंधों के विरूद्ध न हो।

102.4. सभी स्थानीय कलीसियाओं के निगमीकरण के कथन में नीचे दी गई बातें सफल होंगी –

1. निगम के नाम में 'चर्च ऑफ दि नाज़रीन' (नाज़रीन की कलीसिया) शब्दों को शामिल किया जाएगा।
2. निगम के कानून 'नाज़रीन कलीसिया के विवरणिका' के अनुसार होंगे।
3. 'निगमीकरण के कथन' में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा जो स्थानीय कलीसिया को कर (टैक्स) में छूट से वंचित करेगा, जैसा

कि उस क्षेत्र की कलीसियाओं को कर (टैक्स) में छूट का प्रावधान है।

4. विलय होने पर निगम की परिसंपत्तियाँ प्रांतीय सलाहकार मंडल में बाँट दी जाएगी।

'निगमीकरण के कथन' में स्थानीय कानूनों के अनुसार यदि उचित है तो अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं किन्तु ऐसा कोई प्रावधान नहीं शामिल किया जाएगा जिसके अनुसार स्थानीय कलीसिया की संपत्ति का अधिकार नाज़रीन कलीसिया से अलग कर सकें। (101—101.1, 104.3, 106.1—106.3)

102.5. जहाँ एक से अधिक मंडलियों की कलीसियाएं और एक से अधिक संगठित कलीसियाएं एक समान स्थान और सुविधा का उपयोग करती हैं तब यदि स्थानीय कानून अनुमति दें, उन्हें भागीदार के रूप में समाविष्ट किया जा सकता है।

102.6. ऐसे क्षेत्रों में जहाँ निगमीकरण संभव नहीं हैं, कलीसिया के नाम में 'चर्च ऑफ दि नाज़रीन' (नाज़रीन की कलीसिया) शब्द सभी कानूनी दस्तावेजों में शामिल किए जाएँगे और यह केवल संपत्ति के दस्तावेजों और न्यास के दस्तावेजों तक ही सीमित नहीं होगा। (102.2)

103. —संपत्तिः यदि स्थानीय कलीसिया अचल संपत्ति की खरीद या विक्रय का विचार करती है, नये कलीसिया भवन को बनाने या कलीसिया संबंधित इमारत बनाने, बड़े रूप में पुर्नगठन या किसी कारणवश अचल संपत्ति किराये पर देने जैसे कार्य करती है, तब वह प्रांतीय अधीक्षक को एक प्रस्ताव भेजेगी और वह उसे प्रांतीय कलीसिया संपत्ति समिति के पास विचार—विमर्श, सलाह और अनुमोदन के लिए भेजेंगे। चाहे संपत्ति गिरवी रखी जाये या नहीं, संपत्ति को खरीदने, नया भवन बनाते या बड़े रूप में पुर्नगठन करते कर्ज नहीं लिया जायेगा, जब तक कि ऐसा करने के लिए प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय कलीसिया संपत्ति समिति की लिखित अनुमति नहीं प्राप्त की जाती है। स्थानीय कलीसिया त्रैमासिक वित्तीय स्थिति का विवरण (रिपोर्ट), पूरे निर्माणकाल के दौरान इस समिति को भेजेगी। (236—237.5)

103.1. यदि कलीसिया पंच और प्रांतीय कलीसिया संपत्ति समिति के बीच कोई सहमति न बन सके तो यह समस्या उनके अधिकार क्षेत्र को प्रमुख अधीक्षक को निर्णय के लिए भेजा जाएं कलीसिया अथवा प्रांतीय अधीक्षक ऐसे निर्णय पर अपनी अपील को प्रमुख अध्यक्ष मंडल को अंतिम निर्णय के लिए भेज सकते हैं। ऐसे सभी अपीलें, प्रतिवाद या उनसे संबंधित तर्क वितर्क चाहे वे प्रमुख अधीक्षक को भेजी गई हो या प्रमुख अध्यक्ष मंडल को, उन्हें लिखित में होना आवश्यक है। अपील की एक प्रति उसका प्रतिवाद या संबंधित तर्क–वितर्क जिन्हें कलीसिया पंच या प्रांतीय अधीक्षक को भेजा जाता है, वह दूसरे पक्ष को भी भेजी जाएगी। कलीसिया पंच (चर्च बोर्ड) में अपील की सुनवाई के अभिलेख में अपील, उसका अभिमत, तर्क–वितर्क और मतदान का विवरण (रिकार्ड) भी लिखा जाएगा।

104. प्रतिबंध – स्थानीय कलीसिया उसकी वार्षिक सभा या एक विशिष्ट सभा मे उपस्थित और मत देनें वालों के दो तिहाई बहुमत से पारित कलीसिया पंच (चर्च बोर्ड) के प्रस्ताव के बिना कोई संपत्ति खरीद नहीं सकती, न किराये पर दे सकती है, न बेच सकती है, न गिरवी रख सकती है, न उसकी अदला–बदली कर सकती है, न उस पर ऋण ले सकती है और न किसी रूप में संपत्ति को बेच सकती है या अपनी मर्जी के अनुसार उपयोग कर सकती है। यदि कलीसिया मौजूदा ऋण की पुनः आपूर्ति कर रही है, और पुनः आपूर्ति व्यवस्था कलीसिया के ऋण को और नहीं बढ़ा रही हो तथा आगे कलीसिया की अचल संपत्ति में बाधा नहीं डाल रही है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः वित्त आपूर्ति की योजना को कलीसिया मंडल द्वारा दो–तिहाई मतों द्वारा स्वीकृति मिल सकती है। इस विषय में किसी सामूहिक मतों की आवश्यकता नहीं होगी। कलीसिया मंडल अपने दो–तिहाई उपस्थित सदस्यों व उनके मतों के आधार पर यह स्वीकृत कर सकती है कि किसी विशेष अभिप्राय और स्थानीय कलीसिया के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु संपत्ति का निबटारा हो सकता है।

ऊपर लिखित सभी विषयों के लिए प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय कलीसिया संपत्ति मंडल का लिखित अनुमोदन होना आवश्यक है। (113.7–113.8, 237.3–237.4)

104.1. स्थानीय कलीसिया की अचल संपत्तियों को तात्कालिक खर्चों के लिए गिरवी नहीं रखा जाएगा।

104.2. वह स्थानीय कलीसिया जो अचल संपत्ति को गिरवी रखती या बेचती है या बीमें की दावा–राशि प्राप्त करती है, उस धनराशि का उपयोग संपत्ति खरीदने या संपत्ति की कीमत बढ़ाने, नई कलीसिया को स्थापित करने दूसरी संपत्तियों पर ऋण का भार कम करने के लिए करेगी। प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल से अनुमति प्राप्त करके ही उस लाभ की राशि को अन्य किसी उद्देश्य के लिए खर्च किया जाता है।

104.3. न्यासी गण या स्थानीय कलीसिया नाज़रीन कलीसिया को संपत्ति के उपयोग से वंचित नहीं कर सकते। (113–113.1)

104.4. कलीसियाओं का अलग होना – कोई भी स्थानीय कलीसिया प्रमुख सभा के प्रावधान के बिना और उसमें नियत की गई शर्तों एवं योजनाओं से बाहर जाकर, नाज़रीन कलीसिया का भाग होने से अलग नहीं हो सकती है और न ही उससे किसी भी प्रकार का संबंध, विच्छेद कर सकती है। (106.2, 106.3)

विलयः दो या अधिक कलीसियाओं का विलय दो–तिहाई अनुकूल मतों द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक विशिष्ट सभा बुलाई जाती हैं जिसमें सभी कलीसियाएँ सम्मिलित होती हैं और उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान कराया जाता है। विलय, संबंधित कलीसियाओं के कलीसिया पंचों के बहुमत द्वारा हो और विलय, प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल और उस अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में मान्य किया जाए।

विलय का अंतिम निर्णय एक विशेष सभा में पारित होगा जिसे नयी कलीसिया में कलीसिया के अधिकारी चुनने और सेवकगणों के प्रबंधन के उद्देश्य से बुलाया जाएगा।

प्रांतीय अधीक्षक या एक प्राचीन की नियुक्ति अधीक्षक द्वारा की जाएगी जो कि सभापति होगा।

विलय के बाद इस नए संगठन में पिछली कलीसियाओं के सभी सदस्य उन कलीसियाओं के सभी विभागों के सभी सदस्य और साथ ही दोनों कलीसियाओं की सभी परिसंपत्त्याँ एवं उत्तरदायित्व शामिल किए जाएंगे यदि उनके अधिकार क्षेत्र के प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रमुख

अधीक्षक द्वारा अनुमति दी जाती है। विलय के कारण सर्वोच्च शैक्षणिक एवं प्रांत का आनुपातिक बँटवारा भी एकीकृत होगा।

प्रांतीय अधीक्षक की अधिसूचना पर नाज़रीन कलीसिया का महासचिव यह अधिकार रखता है कि निष्क्रिय कलीसियाओं के नामों को कलीसियाओं की सूची से हटा दें।

106. कलीसियाओं को निष्क्रिय घोषित करना या विघटित कर देना – प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा आधिकारिक रूप में कलीसियाओं को विघटित करने या पुर्नगठन से पूर्व कुछ समय के लिए कलीसियाओं को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है।

106.1. एक स्थानीय कलीसिया को विघटित निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

1. प्रांतीय अधीक्षक के सिफारिश द्वारा।
2. प्रमुख अधीक्षक द्वारा अधिकार क्षेत्र में सकारात्मक प्रत्युत्तर द्वारा।
3. प्रांतीय सलाहकार मंडल के दो–तिहाई मतों द्वारा।

106.2. यदि एक स्थानीय कलीसिया निष्क्रिय या विघटन योग्य बन जाती है, या फिर नाज़रीन कलीसिया से अलग होती है या अलग होने का प्रस्ताव रखती है (जिसे प्रांतीय सलाहकार मंडल प्रमाणित करेगा) तब कलीसिया की संपत्ति किसी भी रूप में अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं दी जा सकती, परंतु अधिकार प्रांतीय सलाहकार मंडल के पास होगा जो उस प्रांत के लिय अधिकृत अभिकर्ता के रूप में नियुक्त है अथवा किसी अन्य अधिकृत अभिकर्ता के पास कि नाज़रीन कलीसिया की संपत्ति का किस प्रकार उपयोग होगा और प्रांतीय सभा दिशा–निर्देश देगी। स्थानीय कलीसिया के वे न्यासी जिनके पास निष्क्रिय या विघटित कलीसिया की संपत्ति है उसे केवल प्रांतीय सलाहकार मंडल या प्रांतीय सभा द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता के आदेश और निर्देश के बाद ही उस संपत्ति का विक्रय या निष्पादन कर सकेंगे जब उस क्षेत्र की अधिकार सीमा के प्रमुख अधीक्षक इस बात की लिखित अनुमति दे और वे प्रांतीय सभा या प्रांतीय सलाहकार मंडल के बताए अनुसार उस संपत्ति का विक्रय और विक्रय से प्राप्त धनराशि का समायोजन करेंगे। (104.4, 106, 222.20)

106.3. कोई भी एक न्यासी या सब न्यासी मिलकर किसी भी निष्क्रिय या विघटित कलीसिया से संबंधित संपत्ति, जब वे नाज़रीन कलीसिया से अलग होती है या अलग होने की प्रक्रिया में है, नाज़रीन कलीसिया के द्वारा उपयोग किए जाने से रोक नहीं सकता या अन्य किसी उपयोग के लिए नहीं दे सकता। (104.4, 141—144, 222.20)

106.4. केवल आधिकारिक असंगठित कलीसियाएँ प्रमुख सचिव के अभिलेख से हटाई जा सकती हैं।

106.5. जब किसी स्थानीय कलीसिया को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है तब कलीसिया के अधिकारियों को उस कलीसिया का समस्त वित्तीय प्रतिभूतियाँ और स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रांतीय सलाहकार मंडल के पास जमा कराना जरूरी हैं। प्रांतीय सलाहकार मंडल के अधिकार को न मानने पर वह प्रस्ताव पारित कर सभी खाते बन्द कर सकता है जहाँ कानून इसकी अनुमति देता है।

ब. स्थानीय कलीसिया की सदस्यता

107. पूर्ण सदस्यता — स्थानीय कलीसिया की पूर्ण सदस्यता उन सभी व्यक्तियों को दी जायेगी जो स्थानीय कलीसिया के रूप में संगठित है उनके द्वारा जो यह करने के लिये अधिकृत किए गए है और उन सबके पादरी ने सार्वजनिक रूप में कलीसिया में ग्रहण किया है या प्रांतीय अधीक्षक और प्रमुख अधीक्षक ने अनुमति प्रदान की है, नाज़रीन कलीसिया की धर्मशिक्षाओं पर उनका विश्वास है और वे नाज़रीन कलीसिया के प्रशासन के अधीन रहने के लिए सहमत है। स्थानीय कलीसिया का नेतृत्व प्रत्येक सदस्य को किसी सेवकाई में और देखभाल एवं सहयोग करने वाले एक समूह में रखेगा। (23, 107.2, 111, 113.1, 516.1, 520, 532.8, 538.8—538.9)

107.1. जब कोई व्यक्ति कलीसिया से जुड़ना चाहता है, तब पादरी उन्हें कलीसिया की सदस्यता के विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व को समझाएंगे। इसके अतिरिक्त विश्वास के कथन, मसीही चरित्र की वाचा की आवश्यकताएँ, मसीही आचरण की वाचा और नाज़रीन कलीसिया के उद्देश्य और लक्ष्य को भी बताएंगे।

सुसमाचार प्रचार एवं कलीसिया की सदस्यता समिति से परामर्श करने के पश्चात, पादरी योग्य आवेदकों को एक सार्वजनिक सभा में कलीसिया की सदस्यता में ग्रहण करेंगे और नए सदस्यों से एक अनुमोदित प्रारूप में स्वीकृति प्रदान करेंगे। (21, 28—33, 110—110.4, 228, 704)

107.2. कलीसिया समान सेवकाई के सदस्य — जिन स्थानों में 'स्थानीय कलीसिया' का संगठन नहीं हुआ है वहाँ पर कलीसिया समान सेवकाई कार्य करेगा और वे अनुच्छेद 107 और 107.1 के अनुसार वार्षिक सांख्यकीय में उनके सदस्यों का विवरण भेजेंगे।

107.3. मतदान और कार्यालय पदभार — स्थानीय कलीसिया के केवल वे सदस्य जो पूर्ण और सक्रिय सदस्य हैं, और अपना 15 वाँ जन्मदिन मना चुके हैं वे कलीसिया में कोई पद ले सकते हैं। यदि स्थानीय कलीसिया सभा में मतदान कर सकते हैं या प्रांतीय सभा में कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले सकते हैं।

108. सहभागिता की सदस्यता — जहाँ भी प्रांतीय प्रशासन अनुमति देता है, स्थानीय कलीसिया व्यक्तियों को सहभागिता की सदस्यता दे सकता है उनके पास कलीसिया के सदस्य समान विशेषाधिकार रहेगें सिवा मतदान और कलीसिया में कोई पद लेने के अधिकार के। (205.24)

108.1. पादरी, सुसमाचार और कलीसिया की सदस्यता समिति को यह अधिकार होगा कि 'सहभागिता की सदस्यता' रखने वालों को पूर्ण सदस्य के रूप में ग्रहण करे अथवा न करें।

109. निष्क्रिय सदस्य — किसी भी स्थानीय कलीसिया द्वारा सदस्यों को 'निष्क्रिय सदस्य' माना जा सकता है, जिसके कारण अनुच्छेद 109.2 में स्पष्ट किए गए हैं। (112.3, 133)

109.1. एक सदस्य जो स्थानीय कलीसिया से अलग दूसरे स्थान पर चला गया है और अपनी सदस्यता वाली कलीसिया में सक्रिय नहीं है उससे आग्रह किया जाए कि वह उस स्थान में नाज़रीन कलीसिया में उपस्थिति दर्शाए एवं उस कलीसिया में अपनी सदस्यता का स्थानांतरण करने के लिए आवेदन करें।

109.2. जब कोई सदस्य कलीसिया मंडल के न्याय संगत बिना, किसी उचित कारण के लगातार 6 माह तक अपनी स्थानीय कलीसिया से अनुपस्थित

रहे, तब जहाँ तक संभव है प्रयास किए जाए कि वह पुनः सक्रिय बने, तब सुसमाचार और कलीसिया की सदस्यता समिति की अनुशंसा पर कलीसिया मंडल उस सदस्य को निष्क्रिय सदस्य' घोषित कर सकता है। पादरी एक पत्र लिखकर कलीसिया मंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सात दिनों के भीतर उस व्यक्ति को सूचित करे। कलीसिया मंडल द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेने के बाद, पादरी उसके नाम के आगे – "कलीसिया मंडल द्वारा निष्क्रिय सदस्यों की सूची में डाला गया (दिनांक)" लिखेगा।

109.3. निष्क्रिय सदस्य भी स्थानीय कलीसिया के सक्रिय सदस्यों के साथ कलीसिया की पूर्ण सदस्यता में शामिल रहेंगे। प्रांतीय सभा उनकी सदस्यता का विवरण एक अलग श्रेणी में रखकर करें (1) सक्रिय सदस्य (2) निष्क्रिय सदस्य

109.4. निष्क्रिय सदस्य वार्षिक एवं विशेष कलीसिया सभाओं में मतदान नहीं कर सकते और न ही कलीसिया में कोई पद ग्रहण कर सकते है।

109.5. निष्क्रिय सदस्य लिखित में आवेदन कर सकते हैं कि कलीसिया मंडल उनका नाम निष्क्रिय सदस्यों की सूची में डालें, ऐसे निवेदन के साथ सदस्यता की शपथ की पुनः उद्घोषणा और स्थानीय कलीसिया की आराधना सभाओं में उनका नवीनीकृत रूप में भाग लेना शामिल होना चाहिए। कलीसिया मंडल 60 दिनों के भीतर ऐसे आवेदनों का उत्तर देगा। सुसमाचार प्रचार और सदस्यता समिति एवं कलीसिया मंडल की अनुशंसा के द्वारा पूर्ण–सदस्यता बहाल की जा सकती है।

स. स्थानीय कलीसिया सुसमाचार–प्रचार और कलीसिया की सदस्यता समिति –

110. – कलीसिया मंडल, सुसमाचार–प्रचार और कलीसिया की सदस्यता समिति बनाएगा जिसमें तीन से कम लोग नहीं हो सकते हैं जो पादरी के सलाहकार का पद रखेंगे। पादरी, सभा अध्यक्ष होगा। इस समिति के दायित्व निम्न अनुसार हैं –

110.1. स्थानीय कलीसिया में सुसमाचार–प्रचार के कार्य को बढ़ावा देना और सुसमाचार–प्रचार के फलों को संरक्षित करना। (107–107.1, 129.24)

110.2. कलीसिया मंडल और विभागों द्वारा कलीसिया के संपूर्ण जीवन में सुसमाचार–प्रचार के कार्य को बढ़ाने और अधिक जोर देने के तरीकों का अध्ययन करना और उनकी अनुशंसा करना।

110.3. प्रमुख एवं प्रांतीय स्तर पर सुसमाचार प्रचार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्थानीय समिति के रूप में कार्य करना।

110.4. नए विश्वासियों को आराधना एवं भक्ति के जीवन में लगातार शामिल करना बाइबिल के अध्ययन, विवरणिका को पढ़ना समझना और पादरी द्वारा पूर्ण सदस्यता के लिए चलाई गई कक्षाओं मे भाग लेने के द्वारा कलीसिया की पूर्ण सदस्यता के योग्य बनाना। यह स्मरण रखना कि विश्वास के अंगीकार के बाद ग्रहण किये गए सदस्य, सुसमाचार–प्रचार के फलों को संरक्षित करने के लिए सहायक हैं। (20–21)

110.5. नये सदस्यों को कलीसिया की पूर्ण सहभागिता एवं सेवा में शामिल करने का प्रयास करना।

110.6. पादरी के साथ मिलकर नये सदस्यों के आत्मिक मार्ग–दर्शन लगातार देते रहने के लिए कार्यक्रमों को विकसित करना।

110.7. पादरी द्वारा नामांकित किये गए व्यक्तियों को सुसमाचार–प्रचार के स्थानीय अभियानों के लिए कलीसिया मंडल में बढ़ावा देना। आग्रह किया जाता है कि एक निश्चित और अधिकृत या पंजीकृत सुसमाचार–प्रचारक के द्वारा वर्ष में कम से कम एक अभियान अवश्य किया जाए।

110.8. कोई भी व्यक्ति स्थानीय कलीसिया की पूर्ण सदस्यता को तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि पादरी सुसमाचार–प्रचार और सदस्यता समिति से उस व्यक्ति के विषय में विचार–विमर्श न कर लें। (107.1)

द. स्थानीय कलीसिया की सदस्यता में परिवर्तन

111. स्थानांतरण – किसी सदस्य द्वारा सदस्यता के स्थानांतरण के लिए आवेदन करने पर, पादरी उसे दूसरी नाज़रीन कलीसिया के लिए स्थानांतरण दे सकते हैं (देखें प्रारूप के 817 अनुच्छेद में) परंतु यह केवल तीन महीने के लिए वैध होगा। जब अगली स्थानीय कलीसिया उसके स्थानांतरण को ग्रहण

कर लेगी, तब उस व्यक्ति की पहली स्थानीय कलीसिया उसकी सदस्यता को समाप्त कर देगी। (818)

111.1. प्रशंसा – यदि किसी सदस्य द्वारा किसी दूसरी सुसमाचारिय कलीसिया में शामिल होने के लिए पादरी से 'अनुशंसा प्रमाण–पत्र' की माँग की जाती है (देखें प्रारूप के 813.3 अनुच्छेद में) तब यह प्रमाण पत्र देने के तुरंत बाद स्थानीय कलीसिया से उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी। (112.2, 539.5, 815)

इ. स्थानीय कलीसिया से सदस्यता की समाप्ति

112. सेवकगण – यदि कोई आधिकारिक या दीक्षित सेवक नाज़रीन कलीसिया को छोड़कर अन्य किसी कलीसिया की सदस्यता ग्रहण करता है तो जिसमें वह सदस्य है उस स्थानीय नाज़रीन कलीसिया के पादरी तुरंत इस तथ्य की जानकारी प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र या प्रांतीय सेवकाई को देगें। प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति उस धर्म सेवक समूह के सदस्य की जाँच करेगा और उसकी स्थिति को सुनिश्चित करेगा। यदि प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति यह तय करता है कि उस सेवक को धर्म सेवक समूह की सूची से हटा दिय जाये, तब स्थानीय कलीसिया का पादरी उस सेवक के नाम को कलीसिया के सदस्यों की सूची से अलग कर देगा और उसके नाम के आगे यह लिखा जाएगा – "किसी दूसरी कलीसिया, मंडली या सेवकाई से संबंध होने के कारण अलग किया गया है।" (532.9, 538.10, 538.13–538.14)

112.1. जन साधारण – यदि किसी स्थानीय कलीसिया के सामान्यजन ने किसी अन्य धार्मिक संस्था की सदस्यता, प्रचार करने आधिकारिक पत्र या दीक्षा ग्रहण कर लिया है या वह किसी स्वतंत्र कलीसिया या सेवकाई के कार्य से जुड गया है तो इस तथ्य के कारण स्थानीय कलीसिया में उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी, यदि उसने स्थानीय कलीसिया मंडल से जिसमें उसकी सदस्यता है, लिखित में वार्षिक अनुमोदन प्राप्त न किया हो, तो यह अनुमोदन उस आधिकारिक क्षेत्र के प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा वर्ष भर के लिए दिया जाएगा, जिस अधिकार क्षेत्र में वह स्थानीय कलीसिया स्थित है।

112.2. सदस्यता से मुक्ति – जब किसी सदस्य द्वारा पादरी से सदस्यता से मुक्ति के लिए आवेदन किया जाता है (देखें प्रारूप के 816 अनुच्छेद में) तब ऐसे व्यक्ति की सदस्यता मुक्ति, तत्काल रूप से मानी जाएगी। (111.1, 112)

112.3. किसी सदस्य की सदस्यता 'निष्क्रिय घोषित होने की तिथि से 2 वर्ष के बाद उसका नाम कलीसिया मंडल के आदेश पर कलीसिया की सदस्यता सूची से हटाया जा सकता है। इस प्रकार का निर्णय लेने के बाद कलीसिया मंडल के आदेश पर पादरी उस व्यक्ति के नाम के सामने लिखेगा – "कलीसिया मंडल द्वारा सदस्यता समाप्त (दिनांक)।" (109, 133)

फ. स्थानीय कलीसिया की सभाएँ

113. स्थानीय कलीसिया के सदस्यों की सभा जिसमें सम्मेलन हो या लेन–देन या विचार–विमर्श किया जाए, ऐसी सभाओं को कलीसिया की सभा कहते हैं। नाज़रीन कलीसियाओं की सभा चाहे वह स्थानीय, प्रांतीय, या प्रमुख स्तर की हो या निगमों की समितियों की हो वे सभी लागू होने वाले नियमों, निगमीकरण के कथन और विवरणिका में दिये गए उपनियम के अनुसार नियमन एवं नियंत्रित की जाएगी। जिनके लिए संसदीय प्रक्रिया का 'रॉबर्ट्स रूल्स ऑफ आर्डर न्यूली रिवाइस्ड' (नवीनतम संस्करण) को आधार माना जाएगा। (34, 104, 113.7–113.8, 115, 518)

113.1. केवल वे ही व्यक्ति जो पूर्ण एवं सक्रिय सदस्य हैं और 15 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, वे ही कलीसियाई सभाओं में मतदान करने की पात्रता रखते हैं। (107.3, 109–109.4)

113.2. कलीसियाओं की सभा में अनुपस्थित लोगों द्वारा मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

113.3. कार्यसंबंधी विचार–विमर्श – सभी प्रकार के कार्य जिनमें चुनाव भी शामिल है, एकता की भावना और क्रमानुसार किये जायें जैसा प्रावधान किया गया है और किसी और तरह से कलीसिया की सभाएँ न चलाई जाए।

113.4. 1 नागरिक कानून का अनुपालन करना – ऐसे सभी मामलों में जहाँ कलीसिया की सभा बुलवाने और संचालन करने के लिए नागरिक कानूनों में

विशेष प्रक्रिया किए जाने का प्रावधान है, वहाँ नियमपूर्वक कठोरता से प्रक्रिया का पालन किया जाए। (142)

113.5. अध्यक्षता करने वाला अधिकारी – कलीसिया का पादरी, स्थानीय कलीसिया का पदेन होगा या फिर प्रांतीय अधीक्षक या अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक या वह व्यक्ति जिसे प्रांतीय अधीक्षक या प्रमुख अध्यक्ष नियुक्त करे वही कलीसिया की वार्षिक या विशिष्ट रूप में बुलाई गई सभाओं में अध्यक्ष होगा। (213.1, 307.10, 516.15)

113.6. सचिव – कलीसिया मंडल का सचिव, कलीसिया की सभी सभाओं में सचिव होगा, उसकी अनुपस्थिति होने पर अस्थायी तौर पर कोई सचिव चुना जाए। (135.4)

113.7. वार्षिक सभा – प्रांतीय सभा की तिथि से 90 दिन पहले स्थानीय कलीसिया की वार्षिक सभा संपन्न की जायेगी। सभा से कम से कम दो रविवार पहले इस सभा की सार्वजनिक सूचना मंच से दी जायेगी। यह वार्षिक सभा एक से अधिक समय तक और एक से अधिक सभाओं में की जा सकती है, जिसके लिए कलीसिया मंडल अनुमति देगा।

113.8. विशेष सभाएँ – विशेष सभाएँ पादरी द्वारा या कलीसिया मंडल द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है जिसके लिए पादरी को प्रांतीय अधीक्षक या अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुमति लेना आवश्यक है। विशेष सभाओं के लिए सार्वजनिक सूचना दो नियमित रविवारीय सभा से पूर्व या फिर नागरिक कानून के प्रावधान के अनुसार मंच से दी जाएगी। (104, 113.1, 115–115.1, 123–123.7, 137, 139, 142.1, 144)

113.9. विवरण – पादरी द्वारा, कलीसिया की वार्षिक सभा में विवरण प्रस्तुत किए जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई, एस.डी.एम.आय. के अधीक्षक, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाय.आय.) के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) के अध्यक्ष, सह–सेविका, स्थानीय सेवकगण, सचिव, कलीसिया मंडल के कोषाध्यक्ष अपने–अपने विवरण (रिर्पोट) प्रस्तुत करेंगे। (135.2, 136.5, 146.6, 152.2, 508, 516.7, 531.1)

113.10. नामांकन समिति –

अधिकारियों, मंडलों और प्रांतीय सभा के प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए एक नामांकन समिति द्वारा चुनाव किया जाएगा और ये नामांकन कही और के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे।

नामांकन समिति में तीन से कम और सात से अधिक कलीसिया के अध्यक्ष नहीं हो सकते है जिसमें पादरी भी शामिल होता है। नामांकन समिति की नियुक्ति पादरी द्वारा की जाएगी और उसे वर्ष भर के लिए कलीसिया मंडल अनुमोदित करेगा। पादरी समिति का सभा अध्यक्ष होगा। सभी व्यक्ति जिनका नामांकन इस समिति द्वारा किया जाएगा वे शपथपूर्वक कथन करेंगे कि वे कलीसिया के लिए निर्धारित योग्यताएँ रखते हैं जिनका विवरण अनुच्छेद 33 में दिया गया है।

113.11. चुनाव – वार्षिक कलीसियाई सभा में मतदान द्वारा प्रबंधक, न्यासी, अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई एस.डी.एम.आई. के अधीक्षक और अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई, एस.डी.एम.आई. के सदस्य पदों के लिए व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। यह चुनाव एक वर्ष के लिए होगा जब तक कि उनके उत्तराधिकारी अगले चुनाव में चुनें नहीं जाते और योग्य नहीं हो जाते। जहाँ कानून की अनुमति है वहाँ चुनाव में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा चुने गए कलीसिया के अधिकारी दो वर्ष के लिए भी पद पर बने रह सकते हैं। वे सभी जो इन पदों पर चुने जाएंगे एक ही नाज़रीन कलीसिया के सक्रिय सदस्य हो।

हम स्थानीय कलीसियाओं से आग्रह करते हैं कि कलीसिया के अधिकार के पदों पर उन सक्रिय सदस्यों को चुने जो संपूर्ण पवित्रीकरण का अनुभव पा चुके हैं और सार्वजनिक रूप में परमेश्वर के अनुग्रह की साक्षी देते हैं जो पवित्र जीवन की बुलाहट देता है, वे धर्म–सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करते हैं और नाज़रीन कलीसिया के कलीसियाई प्रंबध और प्रशासन एवं रीतियों से सहमति रखते हैं और जो उपस्थित, सक्रिय सेवा, दशवांश एवं अन्य भेंटों के द्वारा स्थानीय कलीसिया के साथ विश्वास योग्य है। कलीसिया के चुने गए अधिकारी अवश्य है कि 'देश–देश में मसीह के समान चेले बनाने' के काम में पूरी तरह संलग्न हो। (33, 127, 137, 141, 142.1, 145–147)

113.12. जहाँ कानूनी व्यवस्था है और उन कलीसियाओं में जहाँ यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर अधिकारी चुने जाते हैं वहाँ कलीसिया मंडल भी चुनाव द्वारा गठित किया जा सकता है और उचित अनुपात में प्रबंधक और न्यासी 137 और 141 के अनुच्छेद के अनुसार चुने जा सकते हैं।

जब कलीसिया मंडल इस तरीके से चुना जाता है, तब मंडल स्वयं समितियों को गठित करता है कि वे दी गई जिम्मेदारीयों को पूरा करें। यदि कलीसिया ने कलीसिया मंडल के एक भाग के रूप में शिक्षा समिति को एक अनुच्छेद 145 के अनुसार चुनी है तब वह समिति उस कलीसिया मंडल की शिक्षा समिति के रूप में संगठित की जाएगी। वैकल्पिक मंडल एवं समितियों की संरचना भी उपयोग में लाई जा सकती है यदि स्थानीय कलीसिया स्वयं को सेवकाई और सेवकाई के कार्यो के लिए संगठित करती है। किन्तु वैकल्पिक मंडल या समितियाँ प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा लिखित में अनुमोदित होनी चाहिए और ऐसी संरचनाएँ नागरिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें (145–145.10)

113.13. जहाँ कानून अनुमति देता है और कलीसिया जहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया को कलीसिया के उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर अनुमति देती है, वार्षिक सभा कहलाती है। प्रांतीय अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद कलीसिया अपने चुने गए में से आधों को दो वर्ष के लिए और एक तिहाई को तीन वर्षो के लिए कलीसिया मंडल सदस्य चुन सकती है, परंतु दोनों ही स्थितियों में एक बराबर संख्या में सदस्य प्रति वर्ष चुने जाएगे। जब इस प्रकार से कलीसिया मंडल चुनी जाती है तब चुने गए प्रबंधक और न्यासी अनिवार्य रूप में अनुच्छेद 137 और 141 का परिपालन करें।

113.14. कलीसिया की वार्षिक सभा में प्रांतीय सभा के लिए आयोजक प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के द्वारा होगां यदि प्रतिनिधि सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर चुने गए हैं तो पादरी की अनुशंसा और कलीसिया मंडल के अनुमोदन पर प्रमुख सभा द्वारा नियम संख्या के आधार पर प्रतिनिधियों की संख्या होगी, अनुच्छेद 201–201.2 के अनुसार चुने गए सभी प्रतिनिधि अवश्यक हैं कि एक ही स्थानीय नाज़रीन कलीसिया के सक्रिय सदस्य हों। (107.3, 113.11)

113.15. कलीसिया समान सेवकाई (सी.टी.एम.) से प्रांतीय सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों का चुनाव उनके पादरी द्वारा अनुच्छेद 34, 201.1 और 201.2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। प्रतिनिधियों के नाम कलीसिया समन–सेवकाई के पादरी, प्रांत के सम्मेलनों के लिए भी दे सकते हैं यदि वे अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाय.आई.), अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई संस्था (एन.एम.आई.) और अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के कानून अनुरूप हों (100.1, 810, 811, 812)।

क. स्थानीय कलीसिया सत्र

114. स्थानीय कलीसिया में प्रशासकीय वर्ष सांख्यकीय वर्ष के अनुरूप होगा और उसे कलीसिया का सत्र कहा जाएगा।

114.1. सांख्यकीय वर्ष प्रांतीय सभा के आरंभ होने के पहले 90 दिनों के भीतर समाप्त होगा और उसके अगले दिन से नया सांख्यकीय वर्ष आरंभ होगा। सांख्यकीय वर्ष के आरंभ एवं समापन की सही तिथि प्रांतीय सलाहकार मंडल निश्चित करेगा। (225.1)

ख. पादरी की नियुक्ति

115. एक दीक्षित प्राचीन या आधिकारिक सेवक (प्राचीन) कलीसिया का पादरी बनाया जा सकता है। कलीसिया के सभी सदस्य जो मतदान करने के योग्य आयु में हैं मतदान द्वारा मत देंगे और दो–तिहाई बहुमत से पादरी चुना जाएगा। यह प्रक्रिया वार्षिक सभा या इस कार्य के लिए बुलाई गई विशिष्ट सभा में होगी।

इस प्रक्रिया के लिए अवश्य है कि –

1. नामांकन प्रांतीय अधीक्षक के पूर्व अनुमोदन से होगा।
2. नामांकन, प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा तब अनुमोदित किया जाएगा जब नामांकित व्यक्ति उसी स्थानीय कलीसिया में वेतनभोगी या अवेतनभोगी सहयोगी के रूप में सेवकाई कर रहा होगा और

3. व्यक्ति का नामांकन, कलीसिया के लिए, कलीसिया मंडल द्वारा और उसके सदस्यों के दो–तिहाई मतों द्वारा नामांकित किया जाएगां यह नियुक्ति जाँची परखी जाएगी और बाद में पद पर जारी रखने के आदेश दिए जाएंगे। (119, 122–125.5, 129.2, 159.8, 211.10, 225.16, 514, 532, 533.4, 534.3)

115.1. कलीसिया की सभा में चुनाव होने की तारीख के 15 दिनों के भीतर पादरी द्वारा वेतनभोगी सदस्यों के चुनाव को स्वीकारा जाएगा।

115.2. कलीसिया मंडल और पादरी स्पष्ट बातचीत द्वारा लिखित रूप में अपने–अपने (कलीसिया के) लक्ष्य और अपेक्षाओं को बताएंगे। (122, 129.3–129.4)

115.3. पादरी द्वारा व्यवहारिक रूप में सेवा आरंभ करने के शीघ्र बाद पादरी एवं सभा, पादरी पद पर नियुक्ति एवं सद्‌भावना के लिए एक समारोह कर सकते हैं। इसका उद्देश्य आपस में एकता को बढ़ाना और परमेश्वर की इच्छा और दिशा–निर्देश प्राप्त करना है। जब व्यवाहारिक रूप में कार्य होगा, तब प्रांतीय अधीक्षक अध्यक्षता करेंगे।

115.4. पादरी को नियुक्त करने के समय स्थानीय कलीसिया उसके वेतन का निर्धारण करेगी। यह धनराशि कितनी होगी इसका निर्धारण कलीसिया मंडल करेगी। एक बार जब कलीसिया या कलीसिया मंडल और पादरी मिलकर धनराशि निर्धारित कर देते हैं तब वह पूरी राशि भुगतान करना कलीसिया का नैतिक दायित्व होगा। यदि किसी कारणवश कलीसिया निर्धारित धनराशि, का नियमित भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है तब यह अपर्याप्तता और असफलता पादरी द्वारा वैधानिक कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं है। पादरी के कार्यकाल के दौरान अतिरिक्त धनराशि एकत्रित करने पर कलीसिया या प्रांतीय सलाहकार मंडल किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और नाही अन्य पदवी वाला व्यक्ति जिम्मेदार माना जाएगा। यदि कलीसिया अथवा प्रांतीय सलाहकार मंडल के विरूद्ध किसी वर्तमान या पूर्व पादरी के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो प्रांत उस सेवक के प्रमाण–पत्र को रद्द कर सकता है और बाद में उस सेवक के नाम को सेवकों की सूची से अलग कर सकता है।

स्थानीय कलीसिया पादरी के यात्रा करने और घर बदलने इत्यादि के खर्च को वहन करेगी। (32–32.3, 129.8–129.9)

115.5. पादरी को भुगतान करने के लिए स्थानीय कलीसिया की प्रथम आधिकारिक रविवार को आराधना से पहले का सोमवार दिन नियत है।

115.6. स्थानीय कलीसिया अपने–अपने प्रांतों के वेतनभोगी सेवकों की सहायता के लिए वैकल्पिक योजनाओं के विषय में विचार कर सकती है। (32.3, 129.8)

116. परिवार की उपयोगिता को स्वीकारते हुए और पादरी के आदर्श, शांतिपूर्ण और अविभाज्य जीवन की महत्वता को मानते हुए स्थानीय कलीसिया को पादरी व उनके सहयोगियों को मातृत्व या पितृत्व अवकाश देने के विषय में विचार करना चाहिए। प्रांतीय अधीक्षक को स्थानीय कलीसिया को मातृत्व या पितृत्व अवकाश नीतियो को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार की नीतियों में निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं –

1. प्रत्याक्षित शिशु–प्रसव या गोद लेने की नियुक्ति से पूर्व पादरी और कलीसिया मंडल को आपसी समझौते द्वारा मातृत्व या पितृत्व अवकाश के समय और अवधि को निर्धारित करना चाहिए।
2. मातृत्व या पितृत्व अवकाश को छुट्टियों के अवकाश में जोड़ना है या उससे अलग रखना है, इस पर विचार होना चाहिए।
3. स्थानीय कलीसिया को मातृत्व व पितृत्व अवकाश की अवधि में पादरी की आपूर्ति के लिए पादरी और प्रांतीय अधीक्षक से सलाह–मशवरा करना चाहिए।
4. पादरी के मातृत्व या पितृत्व अवकाश के दौरान पादरी का संपूर्ण वेतन और अन्य सुविधाएँ जारी रहती हैं। इसके अतिरिक्त व्यवस्थाओं के लिए पादरी के पास कलीसिया मंडल के सचिव और प्रांतीय अधीक्षक के लिखित और हस्ताक्षरित अनुमति होनी चाहिए।

117. पाँच से कम वर्षों से संगठित कलीसिया का पादरी या कलीसिया की पिछली वार्षिक सभा में जिस कलीसिया के वोट देने वाले सदस्य 35 से कम

थे या जो प्रांत से नियमित आर्थिक अनुदान प्राप्त कर रहा है उसे प्रांतीय अधीक्षक प्रांतीय सलाहकार मंडल की सहमति लेकर नियुक्ति या पुनः नियुक्ति दे सकते हैं। (211.17)

117.1. जब कलीसिया में 35 से अधिक मतदान करने वाले सदस्य हैं या वह पाँच वर्षों से संगठित है और यदि उनके पादरी एक नियुक्त पादरी की हैसियत से पिछले दो वर्षो से पद पर हैं तब 'नियुक्ति के पद' से छुटने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में कलीसिया/पादरी के संबंधो की समीक्षा, कलीसिया मंडल के उपस्थित सदस्यों के बहुमत, प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगले चार वर्षो के लिए नियमित पादरी/कलीसिया के संबंधों की समीक्षा की वार्षिक तिथि, अनुमोदन की अंतिम तिथि मानी जाएगी।

118. यदि कलीसिया मंडल और प्रांतीय अधीक्षक के बीच पादरी की नियुक्ति को लेकर असहमति बनती है तो वे अपने अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अध्यक्ष को यह समस्या निर्णय करने के लिए भेज सकते है। इस प्रकार के निर्णय बाद भी यदि कलीसिया मंडल या प्रांतीय अधीक्षक चाहे तो प्रमुख अधीक्षकों को अपील कर सकते हैं। ऐसी सभी अपीलें उनके खंडन या पक्ष–विपक्ष की दलीलें या तर्क–विर्तक चाहे वे उस अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक से की जाए या प्रमुख अधीक्षकों के मंडल को, उन्हें लिखित में भेजा जाए। भेजी गयी अपील, उस अपील के खंडन, पक्ष–विपक्ष में दलीलें या तर्क–वितर्क की एक प्रति दूसरे पक्ष को भी भेजी जाएगी। अपील भेजने के संदर्भ में अवश्य है कि कलीसिया मंडल की सभा की कार्यवाही का लिखित विवरण, तर्कों का आधार और सभा के निर्णय के साथ उसके पक्ष में हुए मतदान के आँकडें इत्यादि भी संलग्न करके भेजे जाएं। यदि नियुक्ति के लिए चयनित पादरी अपना नाम वापिस ले लेता है या फिर उसके स्थान पर कोई अन्य योग्य आवेदक उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में अपील भेजने की प्रक्रिया तुरंन्त बंद कर दी जाए। प्रांतीय अधीक्षक और कलीसिया मंडल नए पादरी की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

119. यदि कोई पादरी लाइसेंसधारी सेवक (प्राचीन) के पद पर है तो लाइसेंस (अनुज्ञा पत्र) का नवीनीकरण न होने की स्थिति में प्रांतीय सभा के कार्यकाल के अंत के साथ ही पादरी की नियुक्ति भी समाप्त हो जाएगी।

120. यदि पादरी अपने पद से इस्तीफा देने का विचार कर रहा है तब –

1. सर्वप्रथम प्रांतीय अधीक्षक से विचार–विमर्श करें।
2. पादरी के पद से इस्तीफे के कम से कम 30 दिन पूर्व वह कलीसिया मंडल को अपना लिखित इस्तीफा सौप दें।
3. और उसकी एक प्रति प्रांतीय अधीक्षक को भेजें।

कलीसिया मंडल में लिखित इस्तीफा मिलने और प्रांतीय अधीक्षक की लिखित अनुमति मिलने के 30 दिनों के भीतर इस्तीफे पर अंतिम निर्णय लिया जाये।

120.1. इस्तीफा देने वाले पादरी कलीसिया मंडल के सचिव की सहायता लेकर कलीसिया के सदस्यों की उनके वर्तमान पते के साथ एक सही सूची बनाएंगे। अवश्य है कि यह सूची पिछली प्रांतीय कार्यवृत्त में पारित एवं प्रकाशित सदस्यों की सूची में उस वर्ष के सदस्यों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने और जाने वालों के नाम घटाने के बाद जो सदस्य संख्या बचे, उससे यह सूची संख्या की दृष्टि से मेल खाये।

121. कलीसिया मंडल की अनुशंसा के आधार पर और प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करके कलीसिया सह–पादरी नियुक्त कर सकती है, ऐसा करने नीचे दी गई शर्तों पर अमल किया जाएगा –

1. सह–पादरी प्रांतीय अधीक्षक के निर्देशन में कलीसिया मंडल के साथ काम करेगा। वे मिलकर उसकी सहभागी जिम्मेदारियाँ और अधिकार तय करेंगे।
2. पादरी के कार्यालय में सभी सह–पादरी समकक्ष हैं, यदि कानूनी रूप में आवश्यक है तो कलीसिया मंडल उनमें से किसी एक को अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के रूप में पदभार देगी। वह निगमों का अध्यक्ष और कलीसिया मंडल का सभा अध्यक्ष होगा।
3. कलीसिया/पादरी संबंधो की समीक्षा की प्रक्रिया अनुच्छेद 123–123.7 के अनुसार क्रियान्वित की जायेगी।
4. एक स्थानीय कलीसिया जिसका पादरी नियुक्त नहीं किया गया हो और जिसने कम से कम दो वर्ष सेवकाई की हो वह एक या अधिक सेवकों को अनुच्छेद 115 के अनुसार सह–पादरी के रूप

में जोड़ सकता है। प्रांतीय अधीक्षक और कलीसिया मंडल के सदस्यों की दो–तिहाई मतों के अनुमोदन से कलीसिया मतदान करेगी कि किसी अन्य सह–पादरी को नियुक्त करना है कि नहीं। सह–पादरी के रूप में नामांकित उम्मीदार को स्थानीय कलीसिया में सह–पादरी के रूप में सेवा करने के लिए क्रमशः सभा के दो–तिहाई मतों की आवश्यकता होगी।

5. यदि आवश्यक दो–तिहाई मतों को उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है तो प्रत्येक सेवक का समान तिथि से दो–वर्ष का कार्यकाल आरंभ हो जाएगा। नियमित कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों की समीक्षा सह–पादरियों के सेवकाई के कार्य के दूसरी वर्षगाँठ के 60 दिनों के भीतर निर्धारित की जाएगी। (115, 123–123.7)

121.1. सह–पादरी के इस्तीफे देने या निष्कासन के साठ दिनों के भीतर प्रांतीय अधीक्षक या नियुक्त प्रतिनिधि को नियमित कलीसिया/पुरोहिताई संबंध समीक्षा को अनुच्छेद 123–123.7 के अनुसार संचालन करना होगा। यदि कलीसिया मंडल यह निर्णय लेती है कि सह पादरी का कार्यकाल समाप्त करना है तो इस प्रकार के निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रांतीय अध्यक्ष और स्थानीय कलीसिया के सदस्यों के दो–तिहाई मतों की आावश्यकता होगी।

ग. स्थानीय कलीसिया/पुरोहिताई संबंध

122. प्रतिवर्ष पादरी एवं कलीसिया मंडल मिलकर कलीसिया और पादरी के लक्ष्य और उनकी अपेक्षाओं के नवीनीकरण के लिए एक योजना–सत्र बुलाएंगे। कलीसिया और पादरी के बीच लक्ष्यों, योजनाओं और कामों को लेकर बनी सहमति लिखित रूप में सामयिक किए जाएंगे। ऐसी लिखित सहमति को प्रांतीय अधीक्षक के पास दायर की जाएगी। (115.2, 129.4)

122.1. पादरी और मंडली पूरी ईमानदारी से प्रयास करेगी कि वे एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझने और आपस के मतभेद मिटाने, आपसी सहयोग एवं मेल–मिलाप की भावना के साथ कार्य करे और ईमानदारी पूर्वक बाईबिल के सिद्धांतों पर जो मत्ती 18:15–20 और गलतियों 6:1–5 में हैं, अमल करें। कलीसिया के अंदर सुलह और सहयोग की आत्मा कार्य करें –

1. मंडली के व्यक्तिगत या सामूहिक सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आपस के मतभेद मिटाने के लिए आमने–सामने पादरी या कलीसिया मंडल के सदस्य से सावधानीपूर्वक बातचीत करें। कलीसिया मंडल के व्यक्तिगत एवं सामूहिक सदस्य मिलकर आमने–सामने बैठकर मतभेदों के निराकरण के लिए पादरी के साथ बातचीत करेंगे।
2. यदि ऊपर बताए गए आमने–सामने की बातचीत असफल सिद्ध हो और कोई समाधान न निकले तब शिकायतकर्ता उन मतभेदों के समाधान के लिये कलीसिया के एक या दो आत्मिक रूप में परिपक्व व्यक्तियों या फिर कलीसिया मंडल के सदस्यों की सहायता माँग सकते हैं।
3. यदि आमने–सामने बैठकर या कलीसिया मंडल के लोगों के साथ एक छोटे समूह में बैठकर बातचीत के बाद भी प्रयास विफल रहते हैं तब कलीसिया मंडल प्रेम, स्वीकृति और क्षमाशीलता की भावना और कलीसियाई अनुशासनात्मक कार्यवाही के नियमों के अनुसार मतभेदों के निराकरण के लिए कार्य करें। (123–126.2, 129.1)

घ. स्थानीय कलीसिया और पुरोहिताई के संबंधों का नवीनीकरण

123. नियमित कलीसिया/पुरोहिताई के संबंधों की समीक्षा – कलीसिया मंडल के द्वारा कलीसिया और पुरोहिताई के संबंधों की समीक्षा की जाएगी। इस सभा में प्रांतीय अधीक्षक या दीक्षित सेवक या जन साधारण जिसे भी प्रांतीय अधीक्षक नियुक्त करें, वे उपस्थित रहेंगे। यह समीक्षा सभा पादरी के कार्य के दूसरे वर्ष के समाप्त होने से 60 दिन पहले रखी जायेगी। और उसके बाद प्रति चार वर्ष बाद होगी। इस समीक्षा सभा में कलीसिया और पुरोहिताई संबंधों को आगे जारी रखना है या नहीं इस प्रश्न पर विचार–विमर्श किया जाएगा। इस सभा का लक्ष्य औपचारिक रूप में कलीसिया मंडली के मतदान के बिना आपसी सहमति बनाकर रखना।

123.1. प्रांतीय अधीक्षक या एक दीक्षित सेवक या जन–साधारण जिसे भी प्रांतीय अधीक्षक नियुक्त करे, कलीसिया मंडल के साथ समीक्षा सभा चलाने और उसके कार्यक्रम बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रांतीय अधीक्षक, समीक्षा सभा की कार्य–प्रणाली को निर्धारित करेगा। समीक्षा सभा पादरी के साथ विचार–विमर्श लेने के बाद रखी जाएगी। समीक्षा सभा/ सभाएँ कार्यकारी सत्र में (कलीसिया मंडल, जिसमें पादरी भी शामिल है) होगी। प्रांतीय अधीक्षक यदि चाहे तो समीक्षा सभा का कुछ भाग पादरी की उपस्थिति के बिना भी चला सकता है। यदि पादरी की पत्नी या पति कलीसिया मंडल की चुनी हुई सदस्या/सदस्य है तब वे समीक्षा की इस सभा में भाग नहीं लेंगे। प्रांतीय अधीक्षक या नियुक्त किये गए प्रतिनिधि के निवेदन पर यदि कलीसिया मंडल में पादरी के अन्य नजदीकी रिश्तेदार हैं तो वे भी उस समीक्षा सभा में भाग नहीं लेंगे।

123.2. सार्वजनिक एवं लिखित में सूचना दी जाएगी कि कलीसिया मंडल की सभा का उद्देश्य क्या है। मंडली को यह सूचना, कलीसिया मंडल और प्रांतीय सभा द्वारा मिलकर नियमित कलीसिया/पुरोहिताई संबंध समीक्षा करने के पहले रविवार को दी जायेगी।

123.3. यदि कलीसिया मंडल कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों को कलीसिया के सदस्यों के साथ चर्चा करने के प्रश्न पर मत नहीं देता है तो कलीसिया/पुरोहिताई संबंध जारी रहेंगे।

123.4. कलीसिया मंडल कलीसिया के सदस्यों के सम्मुख पादरी को आगे पद पर रखने के प्रश्न पर विचार करने के लिए मत दे सकता है। मंडल का यह चुनाव मतदान द्वारा होगा और इसके लिए उपस्थित कलीसिया मंडल के सदस्यों के दो–तिहाई मतों की आवश्यकता होगी।

123.5. यदि कलीसिया मंडल, कलीसिया पुरोहिताई संबंधों को कलीसिया के सदस्यों के साथ चर्चा के लिए प्रस्तुत करने हेतु मत देता है, तो सदस्यों की सभा इस निर्णय के 30 दिनों के भीतर बुलाई जाये। प्रश्न को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा "क्या वर्तमान में कलीसिया–पुरोहिताई संबंध जारी रखें जाएं?" चुनाव मतदान द्वारा होगा और जीतने के लिए दो–तिहाई मतों की आवश्यकता होगी जहाँ देश का कानून अलग व्यवस्था नहीं देता।

123.6. यदि कलीसिया के सदस्यगण कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों के जारी रखने के पक्ष में मत देते हैं तब कलीसिया/पुरोहिताई संबंध इसीप्रकार जारी रहेंगे मानों इस विषय पर मतदान हुआ ही नहीं था। अन्यथा कलीसिया/पुरोहिताई संबंध प्रांतीय अधीक्षक द्वारा नियत किए गए तिथि से न तो 30 दिन कम और न ही 180 दिन अधिक तिथि पर समाप्त हो जाएंगे। यदि पादरी सभा द्वारा मतदान की प्रक्रिया को नहीं चाहता या मतदान को अस्वीकार करता है, तो वह अपना त्याग–पत्र देगा/देगी। ऐसी स्थिति में कलीसिया/पुरोहिताई संबंध प्रांतीय अधीक्षक द्वारा मतदान की नियत तिथि से न तो 30 दिन कम और न ही 180 दिनों से अधिक तिथि पर पादरी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप कि वह सभा के मतदान के साथ न चले, समाप्त हो जाएंगे। (120)

123.7. नियमित समीक्षा के एक भाग के रूप में पादरी और कलीसिया मंडल द्वारा प्रांतीय अधीक्षक के समक्ष एक विवरण (रिपोर्ट) कलीसिया के सेवकाई के लक्ष्य, दर्शन और प्रमुख मूल्यों को पूरा करने और की दिशा में उन्नति के संबंध में तैयार किया जाएगा।

124. वक्ता मंडल के सभा अध्यक्ष मतदान के परिणामों की जानकारी सार्वजनिक उद्घोषणा से पूर्व पादरी को व्यक्तिगत रूप से देंगे।

125. कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों की विशेष समीक्षा – नियमित समीक्षा के बीच की अवधि में स्थानीय कलीसिया मंडल की सभा एक आधिकारिक विशेष समीक्षा कहलाएगी यदि प्रांतीय अधीक्षक या एक प्राचीन, जिसकी नियुक्ति वर्तमान प्रांतीय अधीक्षक ने की हो वे अध्यक्षता करेंगे और समस्त कलीसिया मंडल का बहुमत उसके पक्ष में हो।

125.1. यह कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों की विशेष समीक्षा सभा, कार्यकारी–सत्र (कलीसिया मंडल, जिसमें पादरी भी सम्मिलित है) में संचालित की जाएगी। प्रांतीय अधीक्षक को यह अधिकार होगा कि समीक्षा का एक भाग पादरी की अनुपस्थिति में करें। यदि पादरी की पत्नी/पति कलीसिया मंडल का एक निर्वाचित सदस्य है, तो वह समीक्षा में भाग नहीं लेगा/लेगी। इसके अलावा प्रांतीय अधीक्षक या नियुक्त प्रतिनिधि पादरी के अन्य रिश्तेदारों को समीक्षा सभा से हटा सकते हैं।

125.2. यदि प्रांतीय अधीक्षक और स्थानीय कलीसिया मंडल यह निर्णय ले कि कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों को जारी रखने के प्रश्न को कलीसिया को सौंपा जाए, तो प्रांतीय अधीक्षक और स्थानीय कलीसिया मंडल इस प्रश्न को एक विशेष सभा में चुनाव की प्रक्रिया में रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई मतों की आवश्यकता होगी जहाँ देश का कानून कोई व्यवस्था नहीं देता हो। प्रश्न की प्रारूप सभा में इस प्रकार से होगा– "क्या वर्तमान कलीसिया पुरोहिताई संबंध को आगे जारी रखा जाये?"

125.3. यदि दो–तिहाई बहुमत से, कलीसिया मताधिकार योग्य आयु के सदस्यों के मतदान के आधार पर जो उपस्थित हैं और मत देते हैं यह निर्णय करती है कि वर्तमान कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों को जारी रखा जाए और जहाँ देश का कानून कोई अन्य व्यवस्था नहीं देता हो तो पादरी का कार्यकाल इस प्रकार जारी रहेगा कि मानों ऐसा कोई मतदान ही नहीं किया गया है।

125.4. किन्तु यदि कलीसिया इस मतदान द्वारा वर्तमान कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों को बनाए रखने के निर्णय में असफल रहती है तो पादरी का कार्यकाल उस तिथि तक होगा जिसे प्रांतीय अधीक्षक तय करेंगे। यह तिथि मतदान के दिन से किसी भी दशा में 180 दिनों के बाद की नहीं होगी।

125.5. यदि पादरी, सभा के मत के साथ नहीं जाना चाहता या वह मतदान को स्वीकार नहीं करता है तो वह अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी। ऐसी दशा में कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों की समाप्ति उस तिथि पर होगी जिसे प्रांतीय अधीक्षक तय करेंगे और जो 30 दिनों से पहले और 180 दिनों के बाद की तिथि नहीं होगी तथा जो पादरी के निर्णय के बाद की सभा के मतों के साथ नहीं जाएगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा। (113.8, 123–124)

129. स्थानीय कलीसिया में संकट – यह ज्ञात होने पर कि स्थानीय कलीसिया पर संकट आने वाला है, प्रांतीय अधीक्षक को अधिकार प्रांतीय सलाहकार मंडल को स्वीकृति लेकर एक समिति गठित करे जो स्थिति की समीक्षा और संकट को टालने के उपाय करेगी। समिति में दो नियुक्त दीक्षित सेवक और प्रांतीय सलाहकार मंडल से दो जन–साधारण सदस्य, अध्यक्ष के रूप में प्रांतीय अधीक्षक होंगे। (211.3)

126.1. यदि प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल के अभिमत से एक स्थानीय कलीसिया को संकटग्रस्त घोषित किया जाता है – चाहे आर्थिक, मनोबल या अन्य, और यह संकट कलीसिया के स्थायित्व और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है तब (अ) कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रश्न, स्थानीय सभा को प्रांतीय अधीक्षक या प्रांतीय सलाहकार मंडल के एक सदस्य द्वारा सौंपा जाए जिसे प्रांतीय अधीक्षक नियुक्त करेंगे। यदि कलीसिया मंडल द्वारा अनुच्छेद 123–123.7 के अंतर्गत मतदान की माँग की गई हो या (ब) एक पादरी या कलीसिया मंडल का कार्यकाल अधिकार क्षेत्र प्रमुख अधीक्षक की अनुमति और प्रांतीय सलाहकार मंडल के बहुमत द्वारा समाप्त किया जा सकता है। प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल से अनुमोदन प्राप्त कर, किसी भी ऐसी कलीसिया के लिए कलीसिया मंडल के सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है जिसे संकटग्रस्त घोषित किया गया है। प्रांतीय सलाहकार मंडल की कार्यवाही की अधिसूचना 30 दिनों के भीतर अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक को अवश्य भेजी जाए (211.3)।

126.2. जब प्रांतीय अधीक्षक के अभिमत में अनुच्छेद 126.1 के अनुसार संकटग्रस्त घोषित स्थानीय कलीसिया ने रूकावटों को सही कर लिया है और सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत अपनी सेवकाई करने हेतु तत पर हो गए हों तो स्थानीय कलीसिया को प्रांतीय सलाहकार मंडल के द्वारा संकट मुक्त घोषित किया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक को प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 30 दिनों के भीतर अधिसूचना भेजी जाए। (211.4)

च. स्थानीय कलीसिया मंडल

127. सदस्यता – प्रत्येक स्थानीय कलीसिया का एक अपना कलीसिया मंडल होगा, जिसमें पादरी, अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के अधीक्षक, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाय.आई.) के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम. आई.) के अध्यक्ष, प्रबंधक और कलीसिया के न्यासीगण और अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता, मंड के सदस्य, का चुनाव कलीसिया की वार्षिक सभा में कलीसिया के कलीसिया मंडल शिक्षा समिति

के रूप में होता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) की अध्यक्ष पादरी की पत्नी/पति है और वह कलीसिया मंडल की सेवा न करना चाहे तब उपाध्यक्ष उस पद पर सेवकाई करेगा तथापि यदि अध्यक्ष पादरी की पत्नी/पति है वह कलीसिया मंडल में अपनी सेवाएँ देना चाहती या चाहता हो तो वह पादरी की समीक्षा प्रक्रिया का भाग नही होगी/होगा।

कलीसिया मंडल में नियमित सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। पादरी और प्रांतीय अधीक्षक द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को छोड़कर दीक्षित और प्रांतीय लाइसेंसधारक सेवक जिन्हें के वेतनभागी कर्मचारी, स्थानीय कलीसिया मंडल में सेवा नहीं कर सकते। पादरी और कलीसिया मंडल के अनुरोध पर प्रांतीय अधीक्षक जिन्हें प्रांतीय आधिकारिक सेवकों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया हो और जो नाज़रीन उच्च शिक्षण संस्थान में छात्र के रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, छूट प्रदान कर सकते हैं। जब तक प्रांतीय सभा में ऐसे सेवकों के आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) का नवीनीकरण न हो उन्हें कलीसिया मंडल के कार्य से दूर रखा जाए।

हम अपनी स्थानीय कलीसियाओं को निर्देशित करते हैं कि स्थानीय कलीसिया के उन सक्रिय सदस्यों को कलीसिया के अधिकारी के रूप में चुनें जो संपूर्ण पवित्रीकरण का अनुभव रखते हों और जिनका जीवन पवित्र जीने की बुलाहट देता हो और जो नाज़रीन कलीसिया की धर्म सिद्धांत प्रशासन और रीतियों से सहमत हो; और जो स्थानीय कलीसिया में विश्वसनीयता के साथ अपनी उपस्थिति, सक्रिय सेवाओं और दशमांश और भेंटे देकर सहायता करते हैं। कलीसिया के अधिकारियों को यह चाहिए कि वे स्वयं को "देशों में मसीह के समान चेले बनाने में पूरी तरह संलग्न हों।" (33, 113.1, 137, 141, 145–147, 152.2, 159.4)

127.1. जब पादरी के परिवर्तन के अन्तराल में स्थानीय कलीसिया की वार्षिक सभा होती है तो मनोनीत करने वाली स्थानीय समिति, प्रांतीय अधीक्षक की अध्यक्षता में, प्रांतीय अधीक्षक की अनुमति से सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, जिसे वार्षिक सभा के 30 दिन पहले दें कि आने वाले वर्ष में वर्तमान कलीसिया मंडल को बनाए रखा जाए या नहीं। यह प्रस्ताव कलीसिया की नियमानुसार बुलाई गई विशेष सभा में उपस्थित मताधिकार आयु प्राप्त कलीसिया के सदस्यों द्वारा मतदान डालने पर बहुमत से ग्रहण

किया जाए। यदि प्रस्ताव पारित होने में असफल हो, तो कलीसिया मंडल का निर्वाचन वार्षिक सभा द्वारा सामान्य रूप में होगा।

128. सभाएँ – कलीसिया मंडल के कार्यकाल का प्रारंभ कलीसिया के वर्ष के आरंभ से होगा और दो माह में कम से कम एक सभा होगी और पादरी या प्रांतीय अधीक्षक द्वारा बुलाये जाने पर विशेष सभा आयोजित की जाएगी। कलीसिया मंडल सचिव केवल पादरी से अथवा प्रांतीय अधीक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर कलीसिया मंडल की विशेष सभा बुला सकती हैं, जब कोई पादरी न हो। कलीसिया मंडल की सभाएँ जिसमें चुनाव भी शामिल है। इलैक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जाएंगी। ऐसे सभाओं को प्रभाव व अधिकार वैसा ही होगा जैसा कि एक कमरे या एक क्षेत्र में एकत्रित सदस्यों की सभा का होता है। कलीसिया की वार्षिक सभा और कलीसिया के वर्ष का प्रारंभ होने के मध्य, नवनिर्वाचित कलीसिया मंडल संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मिल सकते हैं, उस समय वे कलीसिया मंडल के सचिव और कोषाध्यक्ष और अन्य अधिकारी का चुनाव कर सकते हैं और चुनाव करना उनका कर्तव्य होगा। (129.19–130)

129. कलीसिया मंडल के कार्य निम्न अनुसार हैं –

129.1. पादरी के साथ मिलकर कलीसिया के हितों व कार्यो की देखभाल करना, यदि कोई अन्य प्रावधान न हों (155, 518)

129.2. प्रांतीय अधीक्षक से सलाह करके किसी प्राचीन या आधिकारिक पत्र (लाइसेंसधारक) प्राप्त सेवक (प्राचीन समान) को कलीसिया में नामांकित करना जो भविष्य में पादरी का पद ग्रहण करने योग्य हो बशर्ते नामांकन का अनुमोदन अनुच्छेद 115 के अनुसार किया गया हो। (159.8, 211.16, 225.16)

129.3. संभावित पादरी के साथ लक्ष्यों और अपेक्षाओं के विकास को लिखित रूप प्रदान करने में सहयोग देना (115.2)

129.4. वर्ष में कम से कम एक बार पादरी के साथ मिलकर, लक्ष्यों, योजनाओं, अपेक्षाओं और अन्य कार्य के लिखित कथन को नवीनीकरण करने के लिए एक योजना–सत्र का संचालन करना। (122)

129.5. प्रांतीय अधीक्षक के अनुमोदन के साथ, कलीसिया द्वारा पादरी की नियमित नियुक्ति होने तक पादरी की व्यवस्था करना। (212, 524)

129.6. कलीसिया, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.), अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.), अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता (एस.डी.एम.आई.), और अन्य शिशु–देखभाल केन्द्र / विद्यालय (जन्म के माध्यम से) को विकसित करने और ग्रहण करने हेतु वार्षिक बजट का प्रावधान करना और आय–व्यय दर्शाना।

129.7. कलीसिया मंडल की समिति नियुक्त करना, जिसकी जिम्मेदारियों में सम्मिलित है – (अ) कलीसिया के बजट की सतत निगरानी, (ब) कलीसिया की आर्थिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के विषय में कलीसिया मंडल को सूचित करना।

129.8. पादरी के नियमित वेतन और अन्य सुविधाओं का निर्धारण करना जिसमें सेवानिवृत्त सुविधाएँ भी शामिल हैं और वर्ष में कम से कम एकबार उसकी समीक्षा करना। (32.3, 115.4, 115.6, 123–123.7)

129.9. पादरी की सहायता के लिए, पादरी की आपूर्ति के लिए और अन्य वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए संसाधनों को मुहैया करानां पादरी और कर्मचारियों को योजनाओ और बजट के द्वारा आजीवन अध्ययन प्रतिबद्धता के लिए प्रोत्साहित व सहायता करना। (115.4)

129.10. पादरी के सुदृढ़ स्वस्थ सेवकाई और सुदृढ़ आत्मिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए कलीसिया मंडल, प्रांतीय अधीक्षक के साथ परामर्श करके एक ही सभा में लगातार सात वर्ष तक सेवा करने के कारण प्रत्येक सात वर्ष बाद सात वर्षीय अवकाश के समय और अवधि का निर्धारण करें। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दे कि पादरी का पूरा वेतन यथावत जारी रहे और इस सप्तमवर्षीय अवकाश के दौरान कलीसिया मंडल को चाहिए कि वह कलीसिया के लिए पादरी का प्रबंध करे। इस विषय पर प्रांतीय अधीक्षक / कलीसिया / पुरोहिताई संबंध संमीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में ध्यान दें, जो दूसरे व छठे वर्ष में की जाएगी। एकबार संबंधों को जारी रखने की व्यवहारिकता हो जाने पर पादरी पद पर बने रहने के विषय पर सहमति हो चुकी है। सात वर्ष में अवकाश की नीति और विधि के स्थापन और उसके कार्यान्वयन के लिए स्थानीय सभाओं के मार्गदर्शन हेतु वैश्विक धर्म सेवक विकास कार्यालय द्वारा सामग्री उन्नत और वितरित की जाएगी। कलीसिया मंडल के निर्णय पर ऐसा एक कार्यक्रम एक पादरी के कर्मचारियों के लिए भी क्रियान्वित किया जा सकता है।

129.11. कलीसिया मंडल करेगा कि एक सुसमाचार प्रचारक को आर्थिक सहायता और आवासीय भत्ते के रूप में कितनी राशि मिलनी चाहिए। जब उस व्यक्ति को कलीसिया मंडल नियुक्त करेगा तब न्यूनतम सहायता राशि की जानकारी दी जाये।

129.12. किसी ऐसे व्यक्ति को आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) जारी करना, या आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) का नवीनीकरण करना जिसे पादरी द्वारा (अ) स्थानीय सेवक या (ब) आयोजक (जन–साधारण) सेवक के लिए अनुशंसा दी गई है। (503.3–503.5, 531.1–531.3, 813)

129.13. पादरी द्वारा प्रांतीय सभा के लिए मनोनीत व्यक्ति की अनुशंसा करना और कोई व्यक्ति जो सेवकाई में दिये गए किसी भी कार्य के संबंध में एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का इच्छुक है। जिसमें सभी याजकीय और अयाजकीय (जन–साधारण) अभ्यर्थी सम्मिलित हैं जो स्थानीय कलीसिया के बाहर भी सेवकों के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें अनुशंसा देना यदि विवरणिका के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है।

129.14. पादरी द्वारा प्रांतीय सभा के लिए मनोनीत व्यक्ति की अनुशंसा करना यदि कोई आधिकारिक–पत्र प्राप्त सेवक बनना चाहता है या आधिकारिक–पत्र का नवीनीकरण करना चाहता है, उसकी अनुशंसा करना। (531.5, 532.1)

129.15. पादरी द्वारा मनोनीत होने पर सह–सेविका के आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) के नवीनीकरण के विषय में अनुच्छेद 508 के अनुसार, प्रांतीय सभा को अनुशंसा करना।

129.16. पादरी, बाल–सेवकाई के निदेशक और व्यस्क सेवकाई के निदेशक द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एंव शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल का चुनाव करना। (145.6)

129.17. स्थानीय कलीसिया के अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाय.आई.) संगठन द्वारा निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) के अध्यक्ष का चुनाव करना जैसा कि एन.वाय.आई. के घोषणापत्र में प्रावधान है।

129.18. बाल संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) के प्रशासनिक अधिकारियों का अनुमोदन एवं चुनाव करना। (151, 159.1, 211.13, 516.10)

129.19. कलीसिया मंडल के सदस्यों में से एक सचिव चुनना जो अनुच्छेद 33 के अनुसार कलीसिया का अधिकारी होने की योग्यता को पूर्ण करे। इस प्रकार का निर्वाचन नए कलीसिया मंडल की पहली सभा में किया जाए। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति कलीसिया के वर्ष के अंत तक पद पर रहेंगे जब तक कि एक उत्तराधिकारी का चुनाव और प्रशिक्षण न हो जाए और उसे चुनाव का अधिकार होगा। अवश्य है कि वह सभा के सदस्यों की बुलाई गई सभा में कलीसिया मंडल के मतदान द्वारा चुना गया हो। (33, 113.6–113.8, 113.11, 128, 135.1–135.7)

129.20. कलीसिया मंडल के सदस्यों में से एक कोषाध्यक्ष चुनना जो की अनुच्छेद 33 के अनुसार कलीसिया के अधिकारियों की निर्धारित योग्यताएं रखता हो। इस प्रकार के चुनाव नये कलीसिया मंडल की पहली सभा में होगा। इस प्रकार चुना गया व्यक्ति कलीसिया के वर्ष के अंत तक पद पर रहेगा जब तक कि एक उत्तराधिकारी का चुनाव एवं प्रशिक्षण पूरा न हो जाए। उसे मतदान का अधिकार होगा यदि उसे सभा द्वारा बुलाई गई सभा में कलीसिया मंडल के लिए मतदान द्वारा चुना गया हो। पादरी के निकटतम पारिवारिक सदस्यों में से कोई भी स्थानीय कलीसिया के कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा नहीं दे सकता यदि उसे प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल से अनुमति न मिली हो। निकटतम पारिवारिक सदस्यों में पति/पत्नी, बच्चे, भाई–बहिन और माता–पिता आते हैं। (33, 113.7–113.8, 113.11, 128, 136.1–13.6)

129.21. कलीसिया द्वारा किए गए समस्त लेन–देन का लेखा–जोखा रखने में सर्तकता की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, जिनमें किसी भी प्रकार के बाल–संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) और अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.), अंतर्राष्ट्रीय युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.), अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) सम्मिलित हैं कि रिपोर्ट (विवरण) कलीसिया अपनी नियमित मासिक सभा में और कलीसिया की वार्षिक सभा में प्रस्तुत करेगा। (136.3–136.5)

129.22. एक समिति का गठन करना जिसमें कम से कम दो सदस्य होंगे जो कलीसिया द्वारा प्राप्त धन को गिनने और लेखा–जोखा रखने का कार्य करेंगे।

129.23. एक लेखा–परीक्षा समिति की नियुक्ति करना या एक स्वतंत्र निरीक्षकों की समिति बनाना, ऐसे अन्य योग्यता प्राप्त व्यक्ति जो लेखा–परीक्षा या निरीक्षण करे, कम से कम उस मानक स्तर पर जो राष्ट्र या राज्य के नियमों के अनुसार आवश्यक है या अन्य मान्यता प्राप्त पेशेवर व्यक्तियों से वर्ष में कम से कम एक बार लेखा परीक्षा कराना कलीसिया के कोषाध्यक्ष के आर्थिक अभिलेख, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.), अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल, नाज़रीन बाल–सरंक्षण/विद्यालय के अन्य आर्थिक अभिलेख सभी का लेखा–परीक्षा कराना है। पादरी कलीसिया के किसी भी अभिलेख को देख सकता है।

129.24. सुसमाचार–प्रचार और कलीसिया की सदस्यता समिति का गठन करना जिसमें कम से कम तीन व्यक्ति हों। (110)

129.25. यदि उचित हो तो एस.डी.एम.आई. मंडल (अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई) के रूप में कलीसियाओं में कार्य करना जिनमें 75 से अधिक सदस्य न हों। (145)

129.26. यदि कलीसिया के किसी सदस्य के विरूद्ध लिखित आरोप हो तो पाँच व्यक्तियों से बनी एक जाँच समिति नियुक्त करना। (605)

129.27. प्रांतीय अधीक्षक की लिखित अनुमति और पादरी के नामांकन के बाद ऐसे वेतनभोगी सहयोगियों को चुनना जिनको स्थानीय कलीसिया नियुक्त कर सकती है। (151, 159.1, 211.13)

129.28. एक स्थानीय सेवक या एक आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक को एक अवैतनिक सह–पादरी के रूप में चुनना जब उन्हें प्रांतीय अधीक्षक लिखित रूप में वार्षिक आधार पर अनुमति दे। (115.6)

129.29. कलीसिया के लिए एक लंबी अवधि वाली योजना समिति का गठन करना जहाँ पादरी पूर्व पदेन सभा अध्यक्ष हो।

129.30. एक ऐसी योजना बनाना और उसका क्रियान्वन करना जो कलीसिया के भीतर अधिकार प्राप्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के दुराचार करने से उत्पन्न जोखिम को कम करती है। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया की योजना में उसकी अपनी विशेष परिस्थितियों पर समुचित विचार किया जाना चाहिए।

130. कलीसिया मंडल पादरी के साथ मिलकर उन योजनाओं को पूर्ण करेगी जिन्हें प्रमुख अध्यक्ष मंडल और प्रमुख सभा द्वारा ग्रहण किया गया है कि विश्व प्रचारकीय कार्य और प्रांतीय सेवकाई कोष का निर्माण स्थानीय कलीसिया के आनुपातिक के रूप में किया जाए और वे इसका संग्रहण और भुगतान नियमित रूप से प्रमुख कोषाध्यक्ष और प्रांतीय कोषाध्यक्ष से करें। (317.10, 335.7)

131. प्रबंधक का अर्थ – देखें अनुच्छेद 32–32.5

132. कलीसिया मंडल एक नई संगठित कलीसिया में अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल के कर्तव्यों को निर्वाह उस समय तक करेगा जब तक कि इस मंडल का नियमित चुनाव न हो जाए। (145)

132.1. कलीसिया मंडल और नई संगठित कलीसिया मिलकर निर्णय करेंगे कि कब अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम. आई.) का अधीक्षक चुना जाए। (129.25, 145, 146)

133. कलीसिया मंडल, कलीसिया की सदस्यता सूची से एक निष्क्रिय सदस्य का नाम उसे निष्क्रिय घोषित किए जाने की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने पर हटा सकता है। (109–109.4, 112.3)

134. कलीसिया मंडल किसी भी स्थानीय अधिकारिक पत्र (लाइसेंस) धारक व्यक्ति का आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) निरस्त अथवा पुनः जारी कर सकता है।

135. कलीसिया का सचिव – कलीसिया मंडल के सचिव के कर्तव्य इस प्रकार हैं:

135.1. कलीसिया की सभी सभाओं और कलीसिया मंडल की सभी सभाओं की कार्यवृत्तों को सही अभिलेखित करना और बड़ी विश्वसनीयता से उन्हें संभालकर रखना और पद के अनुरूप कार्यालय संबंधी सभी कार्य करना।

कलीसिया मंडल के कार्यवृत्तों के द्वारा मत देने वाले कलीसिया मंडल के सदस्यों की उपस्थिति/अनुपस्थिति का विवरण होना चाहिए ताकि स्पष्ट की जा सके। (120.1, 129.19)

135.2. कलीसिया की वार्षिक सभा में स्थानीय कलीसिया की मुख्य गतिविधियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जिसमें सदस्यता संबंधी आँकडे भी सम्मिलित हों। (113.9)

135.3. स्थानीय कलीसिया से संबंधित कार्यालयी पत्र, अभिलेख और वैधानिक प्रपत्र जिनमें दस्तावेज, सार, बीमा पॉलिसी, ऋण–पत्र, कलीसिया की सदस्यता सूची, ऐतिहासिक अभिलेख, कलीसिया मंडल के अभिलेख, कलीसिया मंडल के कार्यवृत्त तथा निगमीकरण पत्र इत्यादि शामिल हैं, उन्हें अग्निरोधक, सुरक्षित तिजोरियों में कलीसिया के अहाते में रखना, या जब संभव हो, उन्हें स्थानीय बैंकों या ऐसी अन्य संस्थाओं के लॉकरों में रखा जा सकता है। यह पादरी और कलीसिया के कोषाध्यक्ष की संयुक्त जिम्मेदारी होगी और इनकी जवाबदारी कलीसिया के सचिव के उत्तराधिकारी को तुरंत सौंपी जायेगी।

135.4. कलीसिया की समस्त वार्षिक और विशेष सभाओं का सचिव बनना और वार्षिक और विशेष सभाओं कार्यवृत्तों और अन्य प्रपत्रों को अपनी अभिरक्षा में रखना। (113.6)

135.5. पादरी की नियुक्ति हेतु डाले गए मतो के परिणामों के विषय में और कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों को जारी रखने के विषय पर प्रांतीय अधीक्षक को लिखित सूचना देनां ऐसा प्रमाणीकरण मत डाले जाने के एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

135.6. कलीसिया की और कलीसिया मंडल की सभी सभाओं के कार्यवृत्तों की प्रतिलिपि को सभाओं के बाद तीन दिनों के भीतर प्रांतीय अधीक्षक को भेजना जबकि कलीसिया उस स्थानीय कलीसिया में पादरी न हो।

135.7. पादरी के साथ सहयोजन में अचल संपत्ति, गिरवी रखने, गिरवी से छुड़ाने, संविदाएँ तथा अन्य वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना जिनके विषय में विवरणिका में कोई अन्य व्यवस्था न दी गई हो। (102.3, 103–104.2)

136. कलीसिया कोषाध्यक्ष – कलीसिया मंडल के कोषाध्यक्ष के कर्तव्य इस प्रकार हैः

136.1. ऐसे सभीप्रकार के धन प्राप्त करना जिनका किसी अन्य रीति से प्रावधान न किया गया हो, और केवल कलीसिया–मंडल के आदेश पर उन्हें उनका वितरण करना। (129.21)

136.2. प्रांत के सभी फंड मासिक आधार पर प्रांतिय कोषाध्यक्ष के पास भेजना और यदि प्रावधान नहीं किया गया है तो सभी प्रमुख फंड को उचित कार्यालयों के माध्यम से प्रमुख कोषाध्यक्ष को भेजना।

136.3. सभी प्राप्त और वितरित धनराशि का सही–सही अभिलेख तैयार करना। (129.21)

136.4. कलीसिया मंडल के वितरण हेतु एक विस्तृत मासिक आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। (129.21)

136.5. कलीसिया मंडल की वार्षिक सभा को आर्थिक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। (113.9, 129.21)

136.6. कोषाध्यक्ष के कार्य के पद से कर्तव्यमुक्त होने की दशा में कलीसिया मंडल को कोषाध्यक्ष के संपूर्ण अभिलेख सौंपना।

छ. स्थानीय कलीसिया के प्रबंधक

137. कलीसिया के प्रबंधक संख्या में तीन से कम और तेरह से अधिक नहीं होने चाहिए। उनका चुनाव मतदान द्वारा, कलीसिया की वार्षिक या एक विशेष सभा में होगा। वे कलीसिया के सदस्यों में से चुने जाएंगे। और कलीसिया के आगामी वर्ष तक अपने उत्तराधिकारी के चुने जाने और प्रशिक्षित किये जाने तक, सेवा करेंगे। (33, 113.7, 113.11, 127)

138. प्रबंधक के कर्तव्य इस प्रकार हैः

138.1. कलीसिया की संवर्धन समिति के रूप में सेवा देना, जब तक अन्य कोई प्रावधान न हो। सुदूर सुसमाचार प्रचार और विस्तार जिसमें नई कलीसियाओं को प्रायोजित करना और कलीसिया समान सेवकाई को बढ़ावा देना सम्मिलित है, उनकी जिम्मेदारी लेना जिनमें पादरी पदेन सभा अध्यक्ष है।

138.2. जरूरतमंद और तनावग्रस्त लोगों की सहायता करना और उन्हें बल देना। जन–साधारण अगुवों की बाइबिल आधारित भूमिका यह है कि व्यवहारिक क्षेत्रो में सेवा करें। (रोमियों 12:6–8) इसलिए प्रबंधक को अपने समय और आत्मिक वरदानों का उपयोग सेवकाईयों, प्रशासनिक कार्यो, उत्साहवर्धन, दया, मेल–मिलाप और अन्य सेवाओं के लिए करना चाहिए।

138.3. कलीसिया मंडल के निर्णय के अनुसार, सुसमाचार–प्रचार और कलीसिया की सदस्यता समिति के रूप में सेवा करना जिसकी रूपरेखा अनुच्छेद 110–110.8 में दी गई है।

138.4. कलीसिया संगठित करने के लिए पादरी की सहायता करना ताकि सभी सदस्यों को मसीही सेवा के अवसर उपलब्ध हो। विशेष ध्यान उन सेवाओं को विकसित करने की और दिया जाना चाहिए जो हमारे निकट और आस–पास रहते हैं और जिनकी सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियाँ भिन्न है।

138.5. समुदाय के एक मध्यस्थ के रूप में मसीही क्रिया–कलापों और सेवा संगठनों के मध्य मध्यस्थता करना।

138.6. सार्वजनिक आराधना और स्थानीय कलीसिया में मसीही संवर्धन के लिए पादरी की सहायता करना।

138.7. प्रभु–भोज के लिए आवश्यक प्रावधान करना और जब पादरी निवेदन करे तो उसके वितरण में सहायता करना। (29.5, 515.4)

139. प्रबंधक के रिक्त पद को स्थानीय कलीसिया द्वारा विधिवत कलीसिया की सभा बुलाकर भरा जा सकता है। (113.8)

140. प्रबंधक गण एक प्रबंधक समिति बनाएंगे, जिनका कर्तव्य होगा कि स्थानीय कलीसिया में पादरी और प्रबंधक पद कार्यालय के सहयोग से जीवन के संसाधनों के द्वारा मसीही प्रबंधक के कामों को बढ़ावा देना। (32–32.5)

त. स्थानीय कलीसिया के न्यासी–गण

141. कलीसिया के न्यासी गणों की संख्या तीन से कम और नौ से अधिक नहीं होगी। उनका चुनाव स्थानीय कलीसिया के सदस्यों में से कलीसिया के

आगामी वर्ष के लिए होगा जब तक कि उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव और प्रशिक्षण पूर्ण न हो जाये। (33, 113.11, 127)

142. सभी प्रकरणों में जहाँ नागरिक कानून, न्यासी गणों की नियुक्ति के लिए एक विशेष चुनाव विधि की आवश्यकता दर्शाता है, वहाँ उस विधि का कड़ाई से पालन किया जाएं (113.4)

142.1. जहाँ नागरिक कानून में न्यासी–गणों के चुनाव के लिए किसी विशेष चुनाव विधि की बाध्यता न हो तो न्यासीगणों का चुनाव स्थानीय कलीसिया की वार्षिक सभा में मतदान द्वारा किया जाएगा या इस उद्देश्य के लिए विशेष सभा विधिवत बुलाई जाए। (113.7, 113.11)

143. न्यासी–गणों के कर्तव्य इस प्रकार हैं:

143.1. कलीसिया की संपत्ति की अक्षुणता को बनाए रखते हुए उसका प्रबंधन स्थानीय न्यासीगणों की भाँति करना, जहाँ स्थानीय कलीसिया को समाविष्ठ नहीं किया गया है या जहाँ नागरिक कानून के अनुसार इसकी आवश्यकता है या जहाँ अन्य कारणों से प्रांतीय अधीक्षक या प्रांतीय सलाहकार मंडल को यह उचित लगता है, यह अनुच्छेद 102–104.4 के मार्गदर्शन और प्रतिबंधों के अनुसार होगा।

143.2. भौतिक सुविधाओं और आर्थिक योजनाओं को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन देना, जब तक कि कलीसिया मंडल द्वारा इसकी व्यवस्था न की जाये।

144. न्यासी के रिक्त हुए पद को स्थानीय कलीसिया द्वारा विधिवत बुलाई गई कलीसिया की एक सभा द्वारा भरा जा सकता है। (113.8)

थ. स्थानीय कलीसिया का अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठ्शाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम. आई.) मंडल. –

145. प्रत्येक स्थानीय कलीसिया एक अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल स्थापित करेगा या कलीसिया मंडल के एक भाग के रूप में शिक्षा समिति जिसकी स्थापना

कलीसिया की वार्षिक सभा में होगी और वह कलीसिया की मसीही शिक्षा सेवकाइयों के प्रति जवाबदेह होगी। जहां सदस्य संख्या 75 या उससे कम है, दायित्वों का निर्वाह कलीसिया मंडल द्वारा किया जाएगा जिसके सदस्य होंगेः अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई के अधीक्षक पदेन (एस.डी.एम.आई.), अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) अध्यक्ष बाल सेवकाई के निदेशक; व्यस्क सेवकाई के निदेशक; और कलीसिया के सदस्यों में से 3—9 सदस्य जो वार्षिक सभा में चुने जाएंगे। सदस्यों को दो वर्ष के लिए चुना जा सकता है और वे उनके उत्तराधिकारियों के चुनाव व प्रशिक्षण तक पद पर रहेंगे। जब चुने हुए सदस्य का स्थान रिक्त होता है, उसे विधिवत बुलाई गई कलीसिया की सभा द्वारा भरा जा सकता है। यदि कलीसिया, कलीसिया मंडल के एक भाग के रूप में शिक्षा की एक समिति का चुनाव करता है तो वह प्रबंधक और न्यासियों की न्यूनतम संख्या के लिए विवरणिका पुस्तिका के अनुदेशों के अनुसार होगा। समिति सदस्य पदेन व्यक्ति होंगे, उनमें से कुछ कलीसिया मंडल के सदस्य न भी हो।

हम अपनी स्थानीय कलीसियाओं को निर्देशित करते हैं कि वे कलीसिया अधिकारियों के रूप में स्थानीय कलीसिया के सक्रिय सदस्यों का चुनाव करें जिनको संपूर्ण पवित्रीकरण का अनुभव हो जिनका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह की सार्वजनिक साक्षी देता हो, जिसमें हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाहट दी गई है। जिनका ताल—मेल नाज़रीन की कलीसिया के धार्मिक सिद्धांतों नीतियों और रीतियों के साथ है, और जो बड़ी विश्वसनीयता के साथ उपस्थिति, सक्रिय सेवाओं और दशमांशों और बलिदानों के द्वारा स्थानीय कलीसिया की सहायता करते हैं। कलीसिया अधिकारियों का पूर्ण समर्पण “सभी जातियों में मसीह के समान शिष्य बनाने” में होना चाहिए। (33, 137, 141, 146)

अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई मंडल या शिक्षा समिति के कर्तव्य और अधिकारः

145.1. स्थानीय कलीसिया के लिए मसीही शिक्षा और सेवकाई का संचालन करना योजना बनाना, आयोजित करना और बढ़ावा देना। ऐसा पादरी, और

अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के अधीक्षक की सीधी निगरानी में और स्थानीय कलीसिया मंडल के निर्देशन में होगा, कलीसिया के उद्देश्यों को और स्तरों को बनाये रखते हुए, जिनकी स्थापना प्रमुख मंडल द्वारा की गई है और वैश्विक धर्म प्रचारक समिति और व्यस्क सेवकाई के कार्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.), और बाल सेवकाई के माध्यम से बढ़ाया जाता है। इनमें पाठक्रमों और व्यस्कों, युवाओं और बच्चों दोनों के लिए कार्यक्रम जनित सेवकाई सम्मिलित हैं। रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला बाइबिल अध्ययन/छोटे समूह प्रचार की सेवकाई के साथ, कलीसिया द्वारा किये गए वचन और सिद्धांतों के अध्ययन को सार प्रदान करते हैं। बाल संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यम से) और वार्षिक/विशेष सेवकाई और प्रशिक्षण जैसे कारवां, अवकाशकालीन बाइबिल पाठशाला, अकेले व्यक्तियों की सेवकाई, अवसर प्रदान करती है जिनमें वचन के सिद्धांत, सभा के जीवन का एक भाग और अभिन्न अंग बनती जाती है। (516.15)

145.2. मसीह और कलीसिया के लिए उन असंख्य लोगों तक पहुँचना जो अभी तक कलीसिया रहित हैं, उन्हें संगति में लाना, परमेश्वर का वचन उन तक प्रभावी रूप से पहुँचाना और उनका उद्धार सुनिश्चित करना, उन्हें मसीही सिद्धांतों और विश्वास की शिक्षा देना और उनमें मसीह समान स्वभाव, अभिवृत्तियाँ और आदतों को विकसित करना; मसीही परिवार बनाने में सहायता करना, विश्वासियों की कलीसिया की पूर्ण सदस्यता के लिए तैयार करना और उचित मसीही सेवकाईयों के लिए उन्हें योग्य बनाना।

145.3. बाइबिल अध्ययन और धर्म सिद्धांतों का व्याख्यात्मक आधार बनाने हेतु सदा नाज़रीन कलीसिया की सामग्री का उपयोग करते हुए विभिन्न सेवकाइयों के पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

145.4. स्थानीय कलीसिया में संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के लिए नियमों के आधार पर योजना बनाना। (812)

145.5. कलीसिया की वार्षिक सभा के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को मनोनीत करना जिनका अनुमोदन पादरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र

शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) अधीक्षक के चुनाव के लिए किया हो। नामांकन सभा में किए चुनाव जाएंगे जिनमें पदस्थ अधीक्षक उपस्थित न हो।

145.6. कलीसिया मंडल के लिए ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करना जिनका अनुमोदन पादरी द्वारा किया है कि वे बाल सेवकाई में निदेशक और व्यस्क में निदेशक के रूप में सेवाएँ दें।

145.7. बाल सेवकाई और व्यस्क सेवकाई के निदेशकों द्वारा नामांकित व्यक्तियों में से बाल सेवकाई और व्यस्क सेवकाई परिषदों का चुनाव करना जिसे पादरी और अतंर्राष्ट्रीय रविवार शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता (एस.डी.एम.आई.) अधीक्षक से अनुमोदन प्राप्त हो।

145.8. रविवारीय पाठशाला/बाइबिल अध्ययन/छोटे समूहों के लिए, सभी आयु–वर्ग में निरीक्षक, अध्यापक और अधिकारियों को चुनना, जो मसीहत का अंगीकार करने वाले, अनुकरणीय उदाहरण देने वाले और नाज़रीन कलीसिया के मसीही सिद्धांतों और व्यवस्था से पूर्णरूप से सहमत हो और जिनका नामांकन अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) अध्यक्ष और बाल–सेवकाई और व्यस्क सेवकाई के निदेशकों द्वारा होगा। नामांकन का अनुमोदन पादरी और अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई के (एस.डी.एम.आई.) के अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

145.9. श्रेणीगत सामान्य सभासद प्रशिक्षण (सी.एल.टी.) का एक स्थानीय निदेशक का चुनाव करना जो अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता (एस.डी..एम.आई.) कार्यकर्ताओं और कलीसिया के संपूर्ण सदस्यों को संगठित करेगा, बढ़ावा देगा और लगातार प्रशिक्षण के अवसरों का निरीक्षण करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं सेवकाई शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल के पास विकल्प होगा कि वह श्रेणीगत सामान्य सभासद प्रशिक्षण (सी.एल.टी.) के निदेशक को इस सभा के लिए पदेन सदस्य के रूप में नामित करे।

145.10. नियमित सभाओं को बुलाने और उनका आयोजन करने, आवश्यक समझने वाले सचिव व अन्य अधिकारियों को चुनना, अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) वर्ष के प्रांरभ होने के

समय जो कलीसिया के वर्ष के समान होगा। पादरी या (एस.डी.एम.आई.) अधीक्षक विशेष सभाएँ बुला सकते हैं। (114)

146. अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के अधीक्षक – कलीसिया को वार्षिक सभा में उपस्थित मताधिकार प्राप्त पूर्ण सदस्यों के मतदान द्वारा मतदान में बहुमत के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्रशिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के अधीक्षक का चुनाव किया जाएगा। जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। या जब तक उसका उत्तराधिकारी का चुनाव न हो। अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम. आई.) मंडल, पादरी के अनुमोदन के साथ, एक पदस्थ (एस.डी.एम.आई.) अधीक्षक को बुला सकता है जिसको "हाँ" या "ना" मत कें द्वारा चुना जा सकता है। रिक्त स्थान को स्थानीय कलीसिया द्वारा विधिवत बुलाई गई एक सभा द्वारा भरा जाएगा। नया चुना गया (एस.डी.एम.आई.) अधीक्षक प्रांतीय सभा और स्थानीय कलीसिया मंडल और (एस.डी.एम.आई.) मंडल का पदेन सदस्य होगा।

हम अपनी स्थानीय कलीसियाओं को निर्देषित करते हैं कि वे कलीसिया के अधिकारियों के रूप में स्थानीय कलीसिया के सक्रिय सदस्यों का चुनाव करें जिन्हें संपूर्ण पवित्रीकरण का अनुभव प्राप्त हो और जिनका जीवन सार्वजनिक रूप में परमेश्वर के अनुग्रह का साक्षी हो कि हम पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं; जो नाज़रीन कलीसिया के धार्मिक सिद्धांतों नीतियों और रीतियों से सहमति रखते हैं और जो विश्वसनीयता से स्थानीय कलीसिया को उनकी उपस्थिति, सक्रिय सेवा और दशमांशों और बलिदानों के द्वारा सहयोग करते हैं। कलीसिया के अधिकारियों का पूर्ण समर्पण "सभी राष्ट्रों में मसीह के समान शिष्य" बनाने में होना चाहिए। (33, 113.11, 127, 145, 145.5, 201)

अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी. एम.आई.) के अधीक्षक के कर्तव्य और अधिकार इस प्रकार हैं:

146.1. स्थानीय कलीसिया में अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) में कार्यकारी निरीक्षण करें।

146.2. एस.डी.एम.आई. के नियम कानूनों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई एस.डी.एम.आई. प्रशासन करें। (812)

146.3. नामांकन, उपस्थिति और नेतृत्व प्रशिक्षण में विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

146.4. अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल या कलीसिया मंडल की शिक्षा समिति की नियमित सभाओं की अध्यक्षता करना, और एस.डी.एम.आई. मंडल के कर्तव्यों को पूरा करने में नेतृतव करना।

146.5. कलीसिया मंडल को अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

146.6. कलीसिया मंडल के लिए मासिक प्रतिवेदन बनाना और कलीसिया की वार्षिक सभा में एक लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

147. बाल सेवकाई और व्यस्क सेवकाई परिषद और निदेशक गण – अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) का कार्य आयु वर्ग में विभाजित कर सर्वोत्तम रीति से किया जाता हैः बच्चे, युवा एवं व्यस्क। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए एक परिषद होनी चाहिए जो उनके संगठन और प्रशासन के लिए जिम्मेवार होगी। ऐसी परिषद, आयु वर्ग के निदेशक और रविवारीय पाठशाला/बाइबिल अध्ययन/छोटे समूह तथा अन्य सेवकाईयों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है जिसका प्रावधान कलीसिया उस आयु वर्ग के लिए करेगी। परिषद का कार्य, आयु वर्ग निदेशक के साथ मिलकर कार्य करना है कि सवेकाईयों की योजना बनाए, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संसाधन जुटाए। परिषदों के समस्त कार्य इनके निदेशकों और अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे।

आयु वर्ग के निदेशकों के कर्तव्य इस प्रकार हैंः

147.1. आय ु वर्ग परिषद का अध्यक्ष पद संभालना जिसे वह निर्देशित करता/करती है और संगठन करने, विकसित करने और संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय

रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के सभी जनों के लिए जो उस आयु वर्ग के हैं समन्वय करना।

147.2. अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के उचित आयु वर्ग को स्थानीय कलीसिया में बच्चे, युवाओं की संख्या वृद्धि और उपस्थिति में वृद्धि के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के द्वारा, अगुवाई करना एवं एस.डी.एम.आई. मंडल के साथ सहयोग करना।

147.3. अतिरिक्त रविवार बाल संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक), वार्षिक एवं विशेष सेवकाईयों, सुसमाचार प्रचार और सहभागिता की गतिविधियों को उस आयु वर्ग के लिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता/करती है, अगुवाई करना।

147.4. अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल को, उन विभिन्न सेवाओं के लिए जो उसके आयु वर्ग को सौंपी गई है, जिसमें रविवारीय पाठशाला/बाइबिल अध्ययन/छोटे समूह के पर्यवेक्षक अध्यापक और अधिकारी गण सम्मिलित है, नेतृत्व के लिए नामित करना। अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) को छोड़ युवा रविवारीय स्कूल/बाइबिल अध्ययन/छोटे समूह के पर्यवेक्षक, अध्यापक और अधिकारियों को नामांकित करना। पादरी और एस.डी.एम.आई. अधीक्षक नामांकनों का अनुमोदन करेंगे। (33)

147.5. पूरक पाठ्यक्रमों का उपयोग करने के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल का अनुमोदन प्राप्त करना।

147.6. आयु वर्ग के कार्यकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल के और निरंतक अयाजकीय प्रशिक्षण के निदेशक के साथ सहयोग कर नेतृत्व का प्रशिक्षण देना।

147.7. अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.आयुवर्ग मंडल और कलीसिया मंडल को वार्षिक बजट देना और उसकी स्वीकृति के अनुसार कोषों में वितरण करना।

147.8. उन विभिन्न सेवकाईयों के समस्त प्रतिवेदन प्राप्त करना जो उसके नेतृत्व में स्थानीय कलीसिया के आयु वर्गों में कार्यरत हैं। समस्त शिष्यता

सेवकाई (रविवारीय विद्यालय/विस्तारित सेवकाईयों की जिम्मेदारी/शिष्यता/बाइबिल अध्ययन) का एक मासिक प्रतिवेदन अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.आयुवर्ग अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाए।

147.9. आयु वर्ग की गतिविधियों का एक त्रैमासिक कार्यक्रम का ब्यौरा अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल को सौंपना और स्थानीय कलीसिया के कुल एस.डी.एम.आई. के साथ समन्वयन करना।

148. बाल–सेवा परिषद – बाल–सेवा परिषद, स्थानीय कलीसिया के नवजात शिशुओं से लेकर 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए योजना बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) जिम्मेदार है। यह परिषद कम से कम एक रविवारीय विद्यालय/बाइबिल अध्ययन/छोटे समूह का प्रतिनिधि और किसी भी अन्य बाल–सेवकाई के निदेशक जिसे स्थानीय कलीसिया चला रही है, जैसेः बाल कलीसिया, कारवाँ, अवकाश कालीन बाइबिल शाला, बाइबिल प्रश्नोत्तरी, लक्ष्य (मिशन), शिशु सूची और अन्य शामिल हैं। परिषद का आकार उन सेवकाईयों की संख्या के अनुसार बदलेगा जिनको स्थानीय कलीसिया आवश्यकता के अनुसार और नेतृत्व की उपलब्धता के आधार पर चलाती है।

बाल–सेवकाइयों के निदेशक के कर्तव्यः

148.1. अनुच्छेद 147.1–147.9 में दर्शाए गए सभी कर्तव्यों का निर्वहन सभी आयु वर्ग के निदेशक करें।

148.2. स्थानीय कलीसिया की अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.वाय.आई.) की कार्यकारी समिति के साथ मिलकर बालाकों के लक्ष्य (मिशन) के निदेशक की नियुक्ति करना। नियुक्त व्यक्ति एन.एम.आई. और बाल–सेवकाईयों की परिषद दोनों का सदस्य बन जाता है। इस पद का नामांकन पादरी और एस.डी.एम.आई. के अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

149. व्यस्क सेवा परिषद – व्यस्कों की सेवकाई परिषद कलीसिया में व्यस्कों के लिए संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) की योजना बनाएगी। व्यस्कों की सेवकाई परिषद

में कम से कम एक रविवारीय विद्यालय/बाइबिल अध्ययन/छोटे समूह का प्रतिनिधि और किसी भी सेवकाई का निदेशक रहेगा जो स्थानीय कलीसिया चलाती है जैसेः विवाह और पारिवारिक जीवन, वरिष्ठ व्यस्कों की सेवकाईयाँ, एकल व्यस्कों की सेवकाइयाँ, जन साधारण सेवकाइयाँ, महिलाओं की सेवकाइयाँ, पुरुषों की सेवकाइयाँ और अन्य कोई आवश्यक सेवकाई। परिषद का आकार उन सेवकाईयों की संख्यानुसार बदलता रहेगा जिन्हें स्थानीय कलीसिया में व्यस्कों हेतु आवश्यकता के अनुसार और नेतृत्व की उपलब्धता के आधार पर चलाया जाता है।

व्यस्कों की सेवकाईयों के निदेशक के कर्तव्यः

149.1. अनुच्छेद 147.1—147.9 में दर्शाए गए सभी कर्तव्यों का निर्वहन सभी आयु वर्ग के निदेशक करें।

द. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.)

150. नाज़रीन युवा सेवकाई का आयोजन स्थानीय कलीसिया में अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) द्वारा किया जाता है। स्थानीय समूहों का संगठन अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) के घोषणा पत्र और स्थानीय कलीसिया मंडल के अंतर्गत किया जाता है।

150.1. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) स्वयं को एन.वाय. आई. के स्थानीय सेवकाई योजना (810.100—810.118) के अनुसार संगठित करेगा, जिसे स्थानीय युवा सेवकाई के आवश्यकतानुसार ग्रहण किया जा सकता है (देखें 810.103) और वह एन.वाई.आय. के घोषणा—पत्र और नाज़रीन कलीसिया विवरणिका के अनुरूप है।

घ. स्थानीय कलीसिया का नाज़रीन बाल—संरक्षण/ विद्यालय (जन्म से माध्यमिक)

151. स्थानीय कलीसिया मंडल, प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल की अनुमति लेकर नाज़रीन बाल—संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) आरंभ कर सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) कार्यालय के बच्चों की सेवकाई के मानदंडों

के अनुरूप कार्य करेगी। इसके लिये निदेशक और विद्यालय मंडल उत्तरदायी होगा और स्थानीय कलीसिया मंडल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। (129.18, 211.13–211.14, 225.14, 516.15, 517)

151.1. विद्यालय बंद करना – यदि स्थानीय कलीसिया चाहे और आवश्यक समझें कि बाल–संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) को बंद करे, तो वह ऐसा कर सकती है किन्तु प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल से विचार–विमर्श के बाद, वे उन्हें एक आर्थिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे।

न. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.वाई.आई.)

152. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.वाई.आई.) के स्थानीय संगठन को कलीसिया मंडल की अनुमति लेकर किसी भी आयु वर्ग के लिए गठित किया जा सकता है, जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई सम्मेलन और वैश्विक धर्मप्रचार समिति द्वारा अनुमोदन पाकर एन.एम.आई. संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। (811)

152.1. स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई स्थानीय कलीसिया का निर्माण करनेवाल एक भाग होगा और यह पादरी एवं कलीसिया मंडल के पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन कार्य करेगा। (516)

152.2. स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) के अध्यक्ष का नामांकन पादरी द्वारा नियुक्त एन.एम.आई. समिति करेगी जिसमें तीन से सात सदस्य होगे और पादरी, सभा अध्यक्ष होगा। समिति एक या अधिक नाम अध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तावित करेंगी जिनके लिए कलीसिया मंडल का अनुमोदन आवश्यक है। अध्यक्ष का चुनाव, उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत के आधार पर होगा। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम. आई.) काम करेंगी, वह कलीसिया मंडल का पदेन सदस्य होगा (या ऐसी कलीसियाएँ जहाँ पादरी की पत्नी अध्यक्ष है, वहाँ उपाध्यक्ष, कलीसिया मंडल का पदेन सदस्य बनेगा) और वह प्रांतीय सभा का सदस्य भी बनेगा जो उसके पदग्रहण से पहले ही संगठित हुई है। अध्यक्ष, स्थानीय कलीसिया की वार्षिक सभा में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। (113.9, 114, 123, 127, 201)

153. स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) द्वारा नाज़रीन कलीसिया के साधारण कार्यों के लिए एकत्रित सभी धनराशि वैश्विक विश्व प्रचारकीय निधि में जाएगी। केवल वह धनराशि नहीं जाएगी जिसे मिशन (सेवकाई लक्ष्य) के विशेष प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया है और दशवांश समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

153.1. विश्व प्रचारकीय निधि को पूर्ण भुगतान कर चुकने के बाद वैश्विक धर्मप्रचारक कार्य की सहायतार्थ धनराशि एकत्रित की जा सकती है। स्थानीय कलीसिया को, विशष प्रचारकीय कार्य के सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

154. सामान्य हितों को पूरा करने के सहयोग के लिए, इस प्रकार से धन एकत्रित करना होगा –

154.1. विश्व प्रचारकीय निधि और सामान्य हितों के कार्य के लिए उपहार और दानों से।

154.2. विशेष भेंटों द्वारा जैसे ईस्टर एवं धन्यवादी भेंट।

154.3. उपरोक्त धन का कोई भी भाग स्थानीय या प्रांतीय या अन्य कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

य. स्थानीय कलीसिया के लिए आर्थिक अपील निषेध है।

155. किसी भी स्थानीय कलीसिया का उसके अधिकारियों, या सदस्यों के लिए, दूसरी स्थानीय कलीसिया उसके अधिकारियों और सदस्यों से धन माँगना या आर्थिक सहयोग माँगना या अन्य आवश्यकता के लिए धन माँगना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार की माँग प्रांतीय सभा की सीमा के अंतर्गत आने वाली स्थानीय कलीसिया और उसके सदस्यों द्वारा की गई हो जो माँग करने वाली कलीसिया है लेकिन एक शर्त पर इस प्रकार की माँग स्वीकार की जाएगी, जब प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा लिखित अनुमोदित प्राप्त हो।

156. नाज़रीन कलीसिया के वे सदस्य जिन्हें प्रमुख सभा या उसकी कोई समिति द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, विश्व प्रचारक निधि को छोड़कर अन्य किसी सेवकाई के कार्य या उसी प्रकार की गतिविधियों के लिए स्थानीय कलीसिया की किसी सभा या ऐसी कलीसियाओं के किसी सदस्य से धन एकत्रित नहीं करेंगें।

र. स्थानीय कलीसिया के नाम का उपयोग

157. स्थानीय कलीसिया या कोई भी निगम या संस्थान जो किसी भी प्रकार से नाज़रीन कलीसिया से सम्बद्ध हो या किसी भी ऐसे नामों का भाग हो, न तो नाज़रीन कलीसिया का कोई सदस्य और न ही कोई एक या अधिक सदस्य नाज़रीन कलीसिया का नाम प्रयोग में लाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी निगम, साझेदारी, संगति, समूह या अन्य तत्व जो कोई भी गतिविधि (चाहे वह व्यावसायिक, शैक्षणिक, सामाजिक, कल्याणकारी या अन्य प्रकार के हों) बिना किसी पूर्व लिखित अनुमति के जो कि नाज़रीन कलीसिया की प्रमुख सभा और प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा दी गई हो, स्वीकार नहीं की जाएगी किन्तु यह प्रावधान ऐसी किसी गतिविधि के संबंध में लागू नहीं होगा जो नाज़रीन कलीसिया के विवरणिका के द्वारा अधिकृत है।

त. कलीसिया – प्रायोजित निगम

158. कोई भी स्थानीय कलीसिया, स्थानीय कलीसिया मंडल, प्रांतीय निगम, प्रांतीय मंडल, न ही उनके कोई दो या अधिक सदस्य, एकल या संयुक्त या अन्य किसी रूप में परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कोई निगम, संगति, साझेदारी, समूह या अन्य कोई तत्व जो किसी भी गतिविधिको बढ़ावा देता हो या प्रायोजित करता हो (चाहे वह व्यवसायिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कल्याणकारी या अन्य प्रकार के हो) नहीं बनाएगा और नहीं सदस्य बनेगा, जो नाज़रीन सदस्यों से भावी सहयोग, ग्राहक, किरायेदार, सदस्य या सहयोगी बनने का आग्रह करे (चाहे वे व्यवसायिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कल्याणकारी या अन्य किसी प्रकार की गतिविधि करे) जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप में प्रायोजन की माँग करे अथवा नाज़रीन कलीसिया के सदस्यों ही के हितलाभ या सेवा के

लिए कार्य करे, जब तक प्रांतीय अधीक्षक प्रांतीय सलाहकार समिति और प्रमुख अधीक्षक मंडल उसे स्पष्ट लिखित अनुमति न प्रदान करे।

ल. स्थानीय कलीसिया में सहयोगी

159. कुछ ऐसे लोग जो कलीसिया में कुछ प्रमुख अयाजकीय सेवाओं के लिए स्वयं को तैयार करने की बुलाहट पाते हैं, चाहे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप में कलीसिया ऐसे जन–साधारण सेवकों या कार्यकताओं का सम्मान करती है। लेकिन यह एक स्वैच्छिक संगठन होगा जो परमेश्वर और स्वयं दूसरों की सेवा करेगा और उनके अधिकार और कर्तव्य उनकी योग्यतानुसार होंगे। यदि स्थानीय कलीसिया में वेतनभोगी सहयोगी या कोई सम्बद्धित या स्थानीय सभा से सम्बद्धित निगम चाहे वह याजकीय हो या अयाजकीय बेहतर कार्यकुशलता के लिए आवश्यक हो जाए तो, यह ध्यान रखा जाए कि उसके समस्त सदस्यों द्वारा निःस्वार्थ और निःशुल्क सेवा भावना को हतोत्साहित न किया जाए और कलीसिया के आर्थिक संसाधनों पर बोझ न बढ़े और सभी आनुपातिक भुगतान किया जा सके। हालाँकि अनुमति हेतु प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल आवेदन करे कि विशेष प्रकरणों में समीक्षा करके छूट प्रदान करे। (129.27)

159.1. स्थानीय कलीसिया में विशेष सेवकाई करने वाले सभी वेतनभोगी या अवेतनभोगी सहयोगी जो कलीसिया में अवकाशकालीन सेवकाई में भाग लेते हैं, जिनमें बाल–सरंक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) के निदेशक शामिल हैं, कलीसिया मंडल द्वारा चुने जाएंगे और उनका नामांकन पादरी द्वारा किया जाएगा। सभी नामांकित व्यक्तियों को चुनाव से पहले प्रांतीय अधीक्षक से लिखित अनुमोदन लेना होगा जो आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय करेंगे। (159.4, 211.13)

159.2. ऐसे सहयोगियों की नियुक्ति एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी किन्तु पादरी की अनुशंसा और प्रांतीय अधीक्षक द्वारा पूर्व में लिखित स्वीकृति देने पर नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। किन्तु निर्णय को कलीसिया मंडल का बहुमत मिलना चाहिए। पादरी की जिम्मेदारी है कि वह वार्षिक समीक्षा करे और प्रत्येक कर्मचारी का पुनरीक्षण करे। कलीसिया मंडल से परामर्श करके पादरी, कर्मचारियों की उन्नति, विकास और कार्य में सुधार

करने की अनुशंसा, पुनरीक्षण के आधार पर करे। रोजगार नियुक्ति का कार्यकाल (कलीसियाई आर्थिक वर्ष की समाप्ति) पूरा होने से पहले सभी स्थानीय सहयोगियों को काम से हटाने के लिए पादरी की अनुशंसा, प्रांतीय अधीक्षक का अनुमोदन और पक्ष में कलीसिया मंडल का बहुमत चाहिए। सेवाएँ समाप्त करने या नवीनीकरण न करने की जानकारी लिखित रूप में सेवा समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले दी जाए। (129.27)

159.3. ऐसे सभी सहयोगियों के कर्तव्यों और सेवाओं का निर्धारण एवं पर्यवेक्षण पादरी द्वारा किया जाएगा। दायित्वों का एक स्पष्ट विवरण (कार्य का वर्णन) सभी सहयोगियों को स्थानीय कलीसिया में जिम्मेदारी ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

159.4. कलीसिया के किसी भी अवेतनभोगी कर्मचारी को कलीसिया मंडल के लिए चुने जाने की योग्यता नहीं होगी। यदि कलीसिया मंडल को कोई सदस्य वैतनिक सहयोगी बन जाता है, वह तब भी कलीसिया–मंडल का सदस्य नहीं रहेगा।

159.5. पादरी के परिवर्तन के समय स्थानीय कलीसिया का स्थायित्व, एकता और वर्तमान में चल रही सेवकाई अति–महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप प्रांतीय अधीक्षक (या प्रांतीय अधीक्षक द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि) स्थानीय कलीसिया मंडल के साथ मिलकर कार्य करेगा, और इन चरणों को पूरा करेगा जो (अ) स्थानीय कलीसिया को कुछ या सभी कर्मचारियों के परिवर्तनकाल के दौरान कुछ समय रखने की अनुमति देगा। (ब) नए पादरी को यह स्वतंत्रता देगा कि वह सहयोगियों की अपनी टीम बना सके, यदि वह चाहता है और (स) प्रांतीय अधीक्षक और मंडल को अनुमति देगा कि अपने विवेकानुसार परिवर्तनकाल में कार्य करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत और व्यवसायिक समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय देगा। प्रथम, पादरी के त्यागपत्र की दिनांक से प्रभावी होंगे। द्वितीय, कलीसिया मंडल प्रांतीय अधीक्षक से आग्रह कर सकता है कि एक या सभी सहयोगियों के सेवाकाल को जारी रखे। यदि स्वीकृति दी जाती है तो वह नए पादरी के पदभार संभालने के 90 दिनों बाद तक ही प्रभावशाली रहेंगे या तब तक जब नवनिर्वाचित पादरी अपने वेतनभोगी सहयोगियों का नामांकन आगामी वर्ष में कराएंगे जैसा कि अनुच्छेद 159 में दिया गया है। बाल–संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) के निदेशक

अपने–अपने त्यागपत्र, नए पादरी के पदभार ग्रहण करने के वर्ष में देंगे जो विद्यालय वर्ष के अंत से प्रभावशाली होंगे। किसी भी सहयोगी संबंद्ध निगम के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अपने–अपने त्यागपत्र संविदात्मक काल के अंत में देंगे जिसमें नया पादरी अपना पदभार ग्रहण करता है। नए पादरी को यह अधिकार होगा कि वह पहले से नियुक्त कर्मचारियों को काम पर बने रहने की स्वीकृति दें।

159.6. कलीसिया मंडल और सभाओं के विषय में कर्मचारियों से संवाद (बातचीत) करना अनुच्छेदों पर प्रभाव डालना होगा। पादरी के परिवर्तन के समय में कर्मचारीगण प्रांतीय अधीक्षक के जवाबदेही होंगे। (211.13)

159.7. अनुच्छेद 100.2 के अनुसार किसी सभा का पादरी जिसे स्थानीय कलीसिया के पादरी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है, उसे कर्मचारी के रूप में नहीं लिया जा सकता।

159.8. कोई भी व्यक्ति जो कि वेतनभोगी कर्मचारी है उसे कलीसिया का पादरी नहीं माना जाएगा जिसका वह सदस्य है जब तक उसे प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल अनुमति न दें। (115, 129.2, 211.10, 225.16)

2 प्रांतीय प्रशासन

अ. प्रांतीय सीमाएं और नाम

200. प्रमुख सभा, प्रांतों में कलीसिया की सदस्यता को संगठित करेगी। प्रांत एक ऐसा निकाय है जिसे अन्योन्याश्रित स्थानीय कलीसियाएं मिलकर गठित करती हैं कि प्रत्येक स्थानीय कलीसिया का लक्ष्य परस्पर सहयोग, संसाधनों को बाँटने और साझेदारी के द्वारा पूरा किया जा सके।

प्रांत की सीमाओं और नाम की घोषणा प्रमुख सीमा समिति करेगी, और प्रांतों की सभाओं के बहुमत द्वारा अनुमोदित की जाएगी किन्तु अंतिम अनुमोदन प्रमुख अधीक्षक या उस अधिकार क्षेत्र के अधीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

जहाँ एक से अधिक शैक्षणिक क्षेत्र के प्रांत, विलय करके एक प्रांत बनाना चाहते हैं, वहाँ प्रमुख सीमा समिति तय करेगी कि नया बना प्रांत किस क्षेत्र का भाग होगा। और यह अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षकों के परामर्श से तय किया जाएगा। (24)

200.1. नये प्रांतों का गठन – नाज़रीन कलीसिया के नए प्रातों का गठन इस प्रकार होगा –

1. एक प्रांत का दो या अधिक प्रांतों में विभाजन द्वारा (जिसके लिए प्रांतीय सभा के दो–तिहाई मतों की आवश्यकता होगी)
2. दो या अधिक प्रांतों को मिलाकर एक अलग संरचना का नया प्रांत का गठन किया जा सकता है।
3. एक नये प्रांत का गठन, एक ऐसे क्षेत्र में जो पहले से अस्तित्व मे रहे प्रांतों की परिधि में नहीं है।
4. दो या दो से अधिक प्रांतों के विलय द्वारा; या
5. एक नए प्रांत के गठन का प्रस्ताव अधिकार–क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षकों को भेजा जाएगा। प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल या राष्ट्रीय मंडल प्रस्ताव को अनुमोदन देकर प्रांतीय सभा/सभाओं में मतों के लिए भेजेंगे। किन्तु यह अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षकों के मंडल की स्वीकृति के बाद जाएगा। (24, 200, 200.4)

200.2. नाज़रीन कलीसिया में नये–नये क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया जा सकता है और वे आगे चलकर नये प्रांतों और प्रांतीय सभा की सीमाओं को स्थापित कर सकते हैं। दिए गए तरीकों से तीसरे चरण के प्रांत अतिशीघ्र अस्तित्व में आएंगे:

चरण – 1 – जब किसी क्षेत्र में संभावना हो कि रणनीति का विकास और सुसमाचार प्रचार के मार्गदर्शन के अनुसार अवसर है, नये प्रांतों को बनाया जा सकता है। विभागीय निदेशक द्वारा विभागीय सलाहकार परिषद या प्रयोजन करने वाले प्रांतीय अधीक्षक या प्रांतीय सलाहकार मंडल को निवेदन भेजा जाएगा, जिसे अंतिम स्वीकृति के लिए अधिकार मंडल के पास भेजा जाएगा।

चरण 1 के प्रांतीय अधीक्षक की नियुक्ति के लिए वैश्विक सेवकाई निदेशक के साथ परामर्श करके अनुशंसा भेजेंगे, जिसे अधिकार के प्रमुख अधीक्षक के पास भेजा जाएगा जो नियुक्ति करेंगे। क्षेत्र चरण 1 के प्रांत के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के विषय में मार्गदर्शन देगा। दूसरे क्षेत्रों में प्रांतीय अधीक्षक की नियुक्ति अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक द्वारा प्रांत के

अधीक्षकों और प्रयोजन करने वाले प्रांतीय सलाहकार मंडलों के साथ परामर्श के बाद की जाएगी।

जब कार्यक्षेत्र रणनीति समन्वयक और विभागीय निदेशक के अभिमत में चरण 1 का प्रांत जो वैश्विक सेवकाई से सम्बद्ध है और संकट, में है – आर्थिक मनोबल या अन्य किसी रूप में और यह संकट प्रांत के स्थायित्व और भविष्य को गंभीर रूप में प्रभावित कर रहा है, तब प्रांतीय अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक और वैश्विक धर्मप्रचारक निदेशक के साथ परामर्श करके 'संकटग्रस्त' घोषित किया जा सकता है। विभागीय निदेशक, अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुमति लेकर एक अंतरिम मंडल का गठन कर सकते है, जो प्रांत का प्रबंधन वर्तमान के सभी मंडलों के बदले में अगली बार निश्चित प्रांत की सभा होने तक करेगा।

चरण 2 – चरण 2 के प्रांत का गठन तब होगा जब पर्याप्त संख्या में संगठित कलीसियाए और दीक्षित सेवक, प्रांत की बुनियादी संरचना के लिए मूल पर्याप्त परिपक्व सुविधाएँ इत्यादि उपलब्ध हो सके ताकि चरण 2 के स्तर की अनुशंसा की जा सके।

ऐसा पदनाम, प्रमुख अधीक्षक मंडल देगा जो अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुशंसा पर यह करेगा। प्रमुख अधीक्षक पहले वैश्विक धर्मप्रचारक निदेशक, विभागीय निदेशक और अन्य सभी व्यक्तियों और मंडलों से परामर्श करेंगे जो प्रांतीय अधीक्षक की नियुक्ति में संलग्न होते हैं। प्रांतीय अधीक्षक चुना जाएगा या नियुक्त किया जाएगा।

आंकलन हेतु मार्गदर्शन में संख्या की दृष्टि से कम से कम 10 संगठित कलीसियाएँ, 500 पूर्ण सदस्य 5 दीक्षित सेवकगण और प्रांतीय प्रशासन के कम से कम 50 प्रतिशत खर्चे प्रांतीय सेवकाइयों के कोष से दिये जाएंगे। जब यह पदनाम दिया जाएगा। प्रांतीय सलाहकार मंडल या राष्ट्रीय मंडल, अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक से इन मानदंडों में छूट के लिए निवेदन कर सकता है।

जब कार्यक्षेत्र रणनीति समन्वयक एवं विभागीय निदेशक के अभिमत में चरण 2 का प्रांत संकट में हो – आर्थिक, मनोबल या अन्य किसी रूप में यह संकट उसके स्थायित्व और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है तो अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के परामर्श से उसे संकटग्रस्त घोषित करने

की अनुमति दे सकते हैं। विभागीय निदेशक, अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुमति लेकर एक अंतरिम मंडल का गठन कर सकते हैं जो प्रांत के सभी वर्तमान मंडलों के बदले प्रांत का प्रबंध अगली नियमित प्रांतीय सभा होने तक करेगा।

चरण 3 – पर्याप्त मात्रा में संगठित कलीसियाओं, दीक्षित सेवकों और सदस्यों के होने पर जो चरण 3 का पदनाम दिए जाने योग्य हैं। किसी प्रांत को चरण 3 का प्रांत घोषित किया जा सकता है। नेतृत्व, मूल ढाँचा, बजट संबंधी जिम्मेदारियों और धर्म शिक्षा संबधी निष्ठा प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। चरण 3 के प्रांत अपना भार स्वयं उठा सके और महान आदेश की चुनौतियों का सामना एक अंतर्राष्ट्रीय कलीसिया के वैश्विक विस्तार में कर सके।

ऐसा पदनाम अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुशंसा पर वैश्विक धर्म प्रचारक समिति के निदेशक, विभागीय निदेशक और अन्य व्यक्तियों एवं मंडलों के साथ परामर्श के बाद जो प्रांतीय अधीक्षक की नियुक्ति में संलग्न थे, प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा दिया जाएगा। प्रांतीय अधीक्षक का चुनाव 'विवरणिका' में दिए प्रावधानों के अनुसार होगा।

संख्यात्मक आंकलन के लिए मानदण्ड है– कम से कम 20 संगठित कलीसियाएँ, 1000 पूर्ण सदस्य और 10 दीक्षित सेवक। प्रांतीय सलाहकार मंडल या राष्ट्रीय मंडल, अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक से इन मानदण्डों में छूट के लिए निवेदन कर सकता है। चरण 3 का प्रांत, प्रांतीय प्रशासन में 100 प्रतिशत आत्मनिर्भर होना चाहिए।

चरण 3 के प्रांत उनके संबंधित विभागों के आंतरिक भाग है। वे विभाग जिनमें विभागीय निदेशक है, अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक विभागीय निदेशक की सहायता लेकर प्रांत के संबंध में बातचीत एवं पर्यवेक्षण का कार्य कर सकते हैं।

जब अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के अभिमत में ऐसा प्रांत संकट में है – आर्थिक, मनोबल या अन्य किसी रूप में और यह संकट उसके स्थायित्व और भविष्य को गंभीर रूप में प्रभावित कर रहा है, वे प्रमुख अधीक्षक मंडल का अनुमोदन लेकर उस प्रांत को 'संकटग्रस्त' घोषित कर सकते है। अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के साथ प्रमुख अधीक्षक मंडल का अनुमोदन लेकर नीचे दिए एक या अधिक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं –

1. प्रांतीय अधीक्षक को हटा दे।
2. प्रांतो के वर्तमान मंडलों के बदले में प्रांत का प्रबंधन करने के लिए एक अंतरिम मंडल का गठन करे, जब तक कि अगली नियमित प्रांत की सभा न हो जाये।
3. प्रांत के स्वास्थ्य और सेवकाई की प्रभावशीलता के पुर्नगठन के लिए विशेष कदम उठाने में पहल करें, जिनकी आवश्यकता है। (200.1, 205.12, 206.2, 209.1, 307.9, 322)

200.3. प्रांतों के विभाजन या प्रांत की सीमाओं में परिवर्तन – प्रांतों के विभाजन या प्रांत की सीमाओं में परिवर्तन का मानदण्ड, विभागीय कार्यालय, राष्ट्रीय मंडल या प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा तैयार किया गया है। प्रांत के विकास या प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रस्ताव अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक को भेजा जा सकता है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव में निम्न बातों का ध्यान रखा जाए –

1. प्रस्तावित नए प्रांतों या पुर्नगठित प्रांतों में इतने जनसंख्या केन्द्र हों जो ऐसे प्रांतों के गठन या पुर्नगठन को उचित ठहरा सके।
2. उन प्रांतों में सुविधाजनक कार्य संपन्न हो इसके लिए समुचित संचार और यातायात व्यवस्था होनी चाहिए।
3. प्रांत के कार्य के लिए समुचित संख्या में परिपक्व दीक्षित सेवक एवं आयोजक अगुवे उपलब्ध होने चाहिए।
4. वे प्रांत जो प्रयोजन करेंगे उनके पास प्रांत की सेवकाईयों के कोष, सदस्य संख्या और संगठित कलीसियाएँ पर्याप्त मात्रा में हो ताकि वे अपना चरण 3 कलीसिया का स्तर बनाकर रख सकें।

200.4. विलय – चरण 3 की दो या तीन कलीसियाओं के विलय के लिए उनकी प्रांत की सभाओं पक्ष में दो तिहाई बहुमत मिलना चाहिए बशर्ते उनकी अनुशंसा संबंधित प्रांतों के सलाहकार मंडल (और राष्ट्रीय मंडल) के द्वारा की गयी हो और उसे उन प्रांतों के अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षकों ने लिखित में अनुमोदन दिया हो।

विलय और उससे जुड़े सभी मामलों पर अंतिम निर्णय के लिए उन प्रांतों की सभाएँ और अधिकार–क्षेत्र के संबंधित प्रमुख अधीक्षकों द्वारा समय और स्थान तय किया जाएगा।

इस प्रकार अस्तित्व में आया संगठन, संबंधित प्रांतों की सभी संपत्तियों और सभी देन–दारियों को ग्रहण करेगा।

चरण 1 एवं चरण 2 के प्रांत भी 'नए प्रांतों के गठन के लिए अनुच्छेद 200.2 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत विलय किय जा सकते हैं। (200.1)

200.5. यदि कोई एक या जिलों की सभी सभाएँ कार्य करने में असफल होती है या प्रांतों की कुछ सभाओं में आपसी ताल–मेल नहीं बैठता है तो अगली प्रमुख सभा में कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा भेजी जा सकती है। यदि इस आशय का प्रस्ताव प्रभावित प्रांतों के सलाहकार मंडल में दो–तिहाई बहुमत से पारित होता है।

200.6. एक प्रांतीय अधीक्षक उनके क्षेत्र विशेष की सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाले या मिशन (सेवकाई) क्षेत्र के निदेशको का निम्न प्रकार से सहायता के लिए उपयोग कर सकता है –

1. उस क्षेत्र या मिशन के पादरियों के बीच सामुदायिक भाई–चारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए।
2. सेवकाईयों के विकास, कलीसियाई बढ़ोत्तरी, सुसमाचार–प्रचार, कलीसियाओं को आरंभ करना और बंद कलीसियाओं को पुनः आरंभ करने प्रोत्साहन देने और रणनीति बनाने के द्वारा मसीह के कार्य को आगे बढ़ाना।
3. प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल के पक्ष में विशेष रूप से सौंपे गए कार्य को संपन्न करना और
4. स्थानीय कलीसिया और प्रांत के मध्य संचार माध्यम के रूप में कार्य करना (ब) सदस्यता और प्रांतीय सभा का समय।

201. सदस्यता – प्रांतीय सभा की सदस्यता में सभी नियुक्त प्राचीन, सभी नियुक्त सह–सेवक, सभी नियुक्त आधिकारिक सेवक, सभी सेवानिवृत्त नियुक्त आधिकारिक सेवक, प्रांतीय सचिव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, स्थायी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो प्रांतीय सभा को विवरण प्रस्तुत करेंगे सम्मिलित हैं। कोई भी

नाज़रीन उच्च शिक्षा संस्थाओं के आयोजक अध्यक्ष जिनकी स्थानीय कलीसिया की सदस्यता उस प्रांत में है, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के अध्यक्ष, प्रांतीय आयु–वर्ग के सेवकाईयों/अंतर्राष्ट्रीय के निदेशक (बाल एवं व्यस्क); प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) के निदेशक, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) के निदेशक; प्रत्येक स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) के नव–निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) के नव–निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या चुने गए विकल्प जो प्रांतीय सभा के एन.एम.आई., एन.वाई.आई. और एस.डी.एम.आई. संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं; जो सेवकाई में नियुक्त भूमिका निभाते हैं, प्रांतीय सलाहकार मंडल के आयोजक सदस्य, सक्रिय आयोजक धर्मसेवक, जिनकी स्थानीय कलीसिया की सदस्यता उस प्रांत मे हैं; सभी सेवानिवृत्त आयोजक धर्मसेवक, जिनकी स्थानीय कलीसिया की सदस्यता जो सेवानिवृत्त के समय तक सक्रिय धर्मसेवक थे और प्रांतीय सभा में प्रत्येक स्थानीय कलीसिया और कलीसिया–समान सेवकाई के आयोजक प्रतिनिधि हैं, सम्मिलित हैं। (24, 113.14–113.15, 152.2, 201.1–201.2, 219.2, 222.2, 224.4, 242.2, 244.2, 505–528.1, 532.8, 533–533.4, 534–534.3, 535–535.1, 536–536.2, 538.9)

201.1. स्थानीय कलीसियाएँ और कलीसिया समान सेवकाई उन प्रांतों में जिनकी कलीसिया में पूर्ण सदस्यों की संख्या 5000 से कम है, वे नीचे दर्शाए अनुसार प्रांतीय सभा में प्रतिनिधित्व के हकदार होंगे – स्थानीय कलीसिया या कलीसिया समान सेवकाई जिनमें 50 या उससे कम पूर्ण सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक से एक आयोजक प्रतिनिधि और बाद के प्रत्येक 50 सदस्यों पर एक अतिरिक्त आयोजक प्रतिनिधि और अंतिम 50 या उसके कम होने पर शेष भाग के लिए एक आयोजक प्रतिनिधि भेजने की पात्रता होगी। (24, 113.14–113.15, 201)

201.2. स्थानीय कलीसिया और मसीह समान सेवकाई उन प्रांतों में जिनकी कलीसिया में पूर्ण सदस्यों की संख्या 5000 या उससे अधिक हैं, नीचे दर्शाए अनुसार प्रांतीय सभा में प्रतिनिधित्व के हकदार होंगे। प्रत्येक कलीसिया या

कलीसिया समान सेवकाई के 50 सदस्यों पर एक आयोजक प्रतिनिधि और बाद में प्रत्येक 50 सदस्यों पर एक अतिरिक्त आयोजक प्रतिनिधि और अंतिम 50 या उससे कम होने पर शेष भाग के लिए एक आयोजक प्रतिनिधि भेजने की पात्रता होंगी। (24, 113.14–113.15, 201)

202. कार्यकाल – प्रांतीय सभा प्रति वर्ष होगी, समय का निर्धारण अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक करेंगे, यह सभा प्रांतीय सलाहकार मंडल या फिर प्रांतीय अधीक्षक द्वारा नियत स्थान में आयोजित होगी।

203. नामांकन समिति – प्रांतीय सभा से पहले, प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल के साथ परामर्श करके एक नामांकन समिति का गठन करेंगे। जो प्रांतीय सभा के लिए कार्य करेगी। यह समिति प्रांतीय सभा होने से पूर्व समितियों और कार्यालयों के लिए पदाधिकारियों का नामांकन करेगी। (215.2)

204. सभी प्रांतीय संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समागम करना होगा। चुनाव का तरीका प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा अनुमोदित होगा। सभी प्रकार के विचार–विमर्श और चुनाव इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने होंगे।

सी. प्रांतीय सभा की गतिविधियाँ

205. व्यवस्था – क्रम के नियम – उपयुक्त नियमों, निगमीकरण के कथन और विवरणिका में प्रशासन के दिए नियमों, नाज़रीन कलीसिया के सदस्यों की सभाएँ एवं प्रक्रियाएँ (स्थानीय, प्रांतीय और प्रमुख स्तर पर) और निगमों की समितियाँ सभी का नियमन और नियंत्रण रॉबर्ट्स रूल्स ऑफ आर्डर (नवीनतम संस्करण) के अनुसार होगी जिसे संसदीय कार्यवाही के लिए प्रयोग किया गया है। (34)

205.1. प्रांतीय सभा के कार्य इस प्रकार होंगे –

205.2. प्रांतीय अधीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन को सुनना और ग्रहण करना जिसमें प्रांतीय सेवकाईयों का सार–संक्षेप है, उसमें नयी संगठित कलीसिया भी सम्मिलित है

205.3. सभी दीक्षित और आधिकारिक सेवकों के विवरण को सुनना व ग्रहण करना जो पादरी या अधिकृत सुसमाचार प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं

और सभी प्राचीनों, सह–सेवक और सह–सेविका के चरित्र की समीक्षा करना। प्रांतीय सभा में मतों के आधार पर सचिव को प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के विवरण (रिकार्ड) को उन मौखिक प्रतिवेदनों के बदले स्वीकार किया जा सकता है जो अन्य सभी प्राचीन, सह–सेवक और सह–सेविका और नियुक्त सेवक प्रस्तुत करेंगे जो सक्रिय सेवा में नहीं हैं और वे सेवक जिनके पास सेवकाई की सभी भूमिकाओं के लिए 'प्रांतीय प्रमाण–पत्र' है। अनुच्छेद 505–528.2 में दर्शाया गया है। (521, 532.8, 538.9)

205.4. सावधानी पूर्वक जाँच करके उन व्यक्तियों को आधिकारिक पत्र देना जिन्हें कलीसिया मंडल या प्रांतीय सलाहकार मंडल ने अनुशंसा दी है, जिन्हें सेवकाई के लिए परखा जा सकता है यदि उनके पक्ष में प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल द्वारा अनुशंसा दी गई है और उनके आधिकारिक पत्र का नवीनीकरण करना। (129.14, 531.5, 532.1, 532.3)

205.5. सावधानीपूर्वक जाँच करके आधिकारिक सह–सेविका का आधिकारिक–पत्र का नवीनीकरण करना जिन्हें कलीसिया मंडल ने अनुशंसा दी हो जिन्हें सह–सेविका के पद के लिए परखा जा सकता है, यदि उनके पक्ष में प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिती द्वारा अनुशंसा की गई हो। (129.15)

205.6. प्राचीनों के पद पर या सह–सेवक के पद पर व्यक्तियों को चुनना जो ऐसे पदों की योग्यताओं को पूरा करते हों और उनके पक्ष में प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई सेवकाई समिति द्वारा अनुशंसा की गई हो। (533.3, 534.3)

205.7. अन्य कलीसियाओं से आने वाले सेवकों के सेवकाई के पदों और सेवकाई की योग्यताओं की पहिचान करना, जिन्हें प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति की अनुशंसा पर नाज़रीन कलीसिया में पदभार देना, उनकी जाँच करना और इच्छाओं और योग्यताओं को जानना। (532.2, 535–535.2)

205.8. अन्य प्रांतों से स्थानांतरण पर आने वाले उन व्यक्तियों को ग्रहण करना जिनके पास धर्म–सेवक समूह के सेवकाई का प्रमाण–पत्र सेवकाई में अधिकृत भूमिका है इनमें अंतरिम स्थानांनतरण भी शामिल है जिन्हें प्रांतीय सलाहकार मंडल ने अनुमोदित किया है जिन्हें प्रांतीय सभा में सदस्यता के लिए

परखा जाना अवश्य है और जिनके पक्ष में प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति ने अनुशंसा दी हो। (231.9–231.10, 505, 508–511.1, 537–537.2)

205.9. धर्म–सेवक समूह के सदस्य का स्थानातंरण भी शामिल है जिन्हें प्रांतीय सलाहकार मंडल ने अनुमोदित किया है और जो जिन्हें दूसरे प्रांत में स्थानांतरण की अभिलाषा है, उन्हें प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक है। (505, 508–511.1, 231.9–231.10, 537–537.1)

205.10. उन लोगों को एक वर्ष के लिए अधिकृत या पंजीकृत करना जो अनुच्छेद 505–528.2 में दी गई सेवकाई के कार्यो के लिए पद पर रखें जाने की निर्धारित योग्यता रखते हैं यदि उन्हें प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति द्वारा अनुशंसा दी गई है।

205.11. मतदान द्वारा दो–तिहाई बहुमत से एक प्राचीन को प्रांतीय अधीक्षक के पद के लिए चुनना जो दूसरे प्रांतीय सभा के समाप्त होने के 30 दिन बाद तक कार्य करे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुना या नियुक्त न किया जाए और विधिवत, शिक्षित न हो जाए। किसी प्रांतीय अधीक्षक को पुनः चुनने के लिए 'हाँ' या 'ना' के मत लिए जायें। ऐसा कोई प्राचीन जिसने पहले कभी अनुशासनात्मक कार्यवाही के चलते अपना पद त्याग किया हो, चुनाव के योग्य नहीं माना जाएगा। 70 वां जन्मदिन मनाने के बाद कोई अधीक्षक चुने जाने या फिर से चुने जाने के योग्य नहीं माना जाएगा।

205.12. यदि कोई प्रांतीय अधीक्षक चरण 2 या चरण 3 के प्रांतों में किसी एक प्रांत में सभा के दो वर्ष सेवा कर चुका है तो वह अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के अनुमोदन के बाद चार वर्ष के लिए चुना जा सकता है। बढ़े हुए कार्यकाल के लिए 'हाँ' या 'ना' के दो–तिहाई बहुमतों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। (200.2)

205.13. यदि प्रमुख अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार समिति के अभिमत में प्रांतीय अधीक्षक की सेवाएँ चालू वर्ष के बाद आगे जारी न रखी जाए तो अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार समिति इस विषय पर प्रांतीय सभा में मतदान करके निर्णय ले सकती है। प्रश्न इस प्रकार रखा

जाएगा– "क्या वर्तमान प्रांतीय अधीक्षक को प्रांतीय सभा के चालू वर्ष के बाद भी पद पर रखा जाए? यदि प्रांतीय सभा मतदान चुनाव द्वारा दो बहुमत से प्रांतीय अधीक्षक को पद पर जारी रखने का निर्णय करती है तो वह पद पर कार्य करता रहेगा, जैसे कि मतदान प्रक्रिया की ही, नहीं गई हो।

किन्तु यदि प्रांतीय सभा चुनाव द्वारा दो–तिहाई बहुमत से प्रांतीय अधीक्षक को पद पर जारी रखने का निर्णय नहीं लेती है तो प्रांतीय अधीक्षक का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आधिकारिक तिथि, अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके तय करेंगे। (206. 2, 208, 239)

205.14. प्रांतीय सलाहकार मंडल के लिए चुनाव द्वारा मतदान से तीन दीक्षित सेवकों और तीन आयोजकों को चुनना कि वे अधिकतम चार वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करे, जैसा भी प्रांतीय सभा द्वारा तय किया जाए, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी चुने जाकर प्रशिक्षित न कर दिये जाए।

किन्तु यदि प्रांत में 5000 से अधिक सदस्य है, वे अगले प्रत्येक 2500 सदस्यों और अंतिम भाग जिसमें 2500 से कम सदस्य हो सकते हैं के लिए एक अतिरिक्त दीक्षित सेवक और एक अतिरिक्त अयाजकीय सदस्य का चुनाव भी कर सकते हैं। (224)

205.15. प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति का चुनाव करना जिसमें पाँच से कम दीक्षित सदस्य न हो उनमें से दो प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सचिव होंगे। वे चार वर्ष सेवा देंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी चुने और प्रशिक्षित न किए जाएं। एक प्रांतीय सचिव जो एक याजकीय सदस्य है एक की तरह सेवा करें। यह मंडल प्रांतीय सभा के पहले बैठक करेगा और उनके अधिकार के संबंध में सभी मामलों पर विचार करेगा और जहाँ तक संभव हो, प्रांतीय सभा के पहले अपना पूर्व कार्य करेगा (229–231.10)।

205.16. प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति का चुनाव करना जिसमें पाँच या अधिक नियुक्त दीक्षित सेवक हो उनका कार्यकाल चार वर्षो का होगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी चुने और प्रशिक्षित न कर दिये जाएं (232)।

205.17. प्रांतों के उम्मीदवारों को दीक्षित करने का प्रयास करने के लिए सुविधाएँ कराना और उसके सेवकों को समर्थन और याजकगण अभ्यर्थी के

रूप में विकसित करना। एक प्रांतीय सभाएं कुल संख्या में चुनाव कर सकती है जो प्रांतीय प्रमाण–पत्र समिति और प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति में सेवा देने के लिए आवश्यक है। जो भी सेवकगण चुने जाएंगे वे चार वर्षों तक सेवा करेंगे। प्रांतीय सेवकाई समिति, प्रांतीय अधीक्षक के साथ पूर्व पदेन सभा अध्यक्ष के रूप में प्रांतीय सेवकाई समिति का संगठन करेगी जो प्रांतीय प्रमाण–पत्र समिति और प्रांतीय सेवकाई समिति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का वहन करेगी (216, 229–23.4)।

205.18. प्रांतीय कलीसिया संपत्ति मंडल का चुनाव अनुच्छेद 236 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। (206.1)

205.19. निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों के अधिकार का चुनाव करनाः

1. प्रांतीय सुसमाचार–प्रचार मंडल, के सदस्यों की संख्या छह से कम नहीं हो जिसमें प्रांतीय अधीक्षक भी शामिल है।
2. प्रांतीय सुसमाचार प्रचार के निदेशक।

चुने गए व्यक्ति अगली प्रांतीय सभा की समाप्ति तक कार्य करेंगे, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी चुने व प्रशिक्षित न किये जाएं। (206.1,215)

205.20. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई मंडल का चुनाव अनुच्छेद 241 के प्रावधानों के अंतर्गत करना जब तक कि उनके उत्तराधिकारी चुने और प्रशिक्षित न किये जाएं। (206.1, 215)

205.21. प्रांतीय सभा की 'वित्त समिति' का चुनाव करना, जिसमें याजकीय सेवकों और आयोजक का बराबर का प्रतिनिधित्व होगा, जो अधिकतम 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। जैसा कि प्रांतीय सभा निर्णय करेगी, जब तक कि उनके प्रांत के कोषाध्यक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे। (238–238.3)

205.22. प्रांतीय निवेदन न्यायालय गठित करना, जिसमें तीन याजकीय सेवक उनमें एक प्रांतीय अधीक्षक और दो आयोजक व्यक्ति होंगे जो अधिकतम 4 वर्ष उनके उत्तराधिकारियों के चुने और प्रशिक्षित किए जाने तक पद पर बने रहेंगे। (609)

205.23. प्रमुख सभा होने से 16 महीने से पहले या 24 महीने के अंदर जहाँ वीसा एवं यात्रा संबंधी परेशानियों के चलते विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है, मतदान का उपयोग कर सभी आयोजक प्रतिनिधि और याजकीय प्रतिनिधियों (एक कम क्यों कि प्रांतीय अधीक्षक एक प्रतिनिधि होगा) का चुनाव करना। सभी चरण 3 की प्रांतीय सभाओं को प्रमुख सभा प्रतिनिधित्व की पात्रता हे कि बराबर संख्या में याजकीय एवं अयाजकीय प्रतिनिधि भेजे। प्रमुख सभा के समय प्रांतीय अधीक्षक सेवकाई के सदस्यो के प्रतिनिधियों में एक होगा और सभी दीक्षित सेवक होंगे। किसी कारण प्रांतीय अधीक्षक की अनुपस्थिति पर या पद रिक्त होने पर जबकि नया अधीक्षक प्रांत में नियुक्त नहीं हुआ है। उचित रीति से चुना गया अतिरिक्त सदस्य, प्रांतीय अधीक्षक के स्थान पर बैठेगा। नामांकन समिति भेजे जाने वाले प्रत्येक वर्ग सेवक एवं आयोजक की निर्धारित संख्या से 6 गुना अधिक व्यक्तियों का नामांकन करेगी नामांकितों की संख्या निर्धारित संख्या के तीन गुने से अधिक नामकन न किये जाए। तब वे प्रत्याशी और अतिरिक्त जिन्हें अनुमति दी गई है। बहुमत के वोट के आधार पर चुने जाये जैसा कि अनुच्छेद 301.1—301.3 में प्रावधान है। प्रत्येक प्रांतीय सभा द्वारा चुने जाने वाले अतिरिक्त प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या के दो गुने से अधिक न हो। ऐसी स्थिति में जब प्रवास के वीसा में समस्या आती है, तब प्रांतीय सभा, प्रांतीय सलाहकार मंडल को अधिकृत कर सकती है कि वे अतिरिक्त प्रतिनिधि बतौर विकल्प चुनें। सभी चुने गए प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आरंभ से अंत तक प्रमुख सभा की सभी सीमाओं में भाग लेंगे, यदि आकस्मिक रूप में कोई रूकावट न आये। (25—25.2, 301.1—301.3, 303, 332.1)

205.24. विवेकानुसार अपनी स्थानीय कलीसियाओं के लिए 'सहभागिता सदस्यता' के एक तंत्र की व्यवस्था करें (सहभागिता करने वाले सदस्यों को प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से पूर्ण सदस्य नहीं माना जाएगा। (108)

205.25. प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण के लिए प्रांत के कोषाधिकारियों के सभी अभिलेखों को प्रस्तुत करना, जिनका स्तर राष्ट्रीय या राज्य के कानून के निम्नतम स्तर के अनुसार हो या अन्य मान्यता प्राप्त पेशेवर मानकों के अनुरूप हो जिन्हें प्रांत की लेखा परीक्षण समिति और स्वतंत्र जाँच करने वाले विशेषज्ञों,

या समुचित योग्य व्यक्तियों के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जिसे प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा चुना गया हो। (222.21)

205.26. प्रांत के सचिव के माध्यम से एक संपूर्ण आधिकारिक विवरण प्रमुख सभा को प्रस्तुत करना ताकि उसे अभिलिखित और संरक्षित किया जा सके। (207.3–207.4, 220.7)

205.27. प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति की अनुशंसा पर किसी सेवक का सेवानिवृत्ति प्रदान करना। पद में परिवर्तन के लिए प्रांतीय सभा का अनुमोदन आवश्यक है जिन्हें पहले प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति द्वारा अनुशंसा दी गई हो। (231.8, 536)

205.28. प्रांतीय सभा की सीमा में रहकर नाज़रीन कलीसिया के संपूर्ण कार्य पर विचार–विमर्श करना और उसकी देख–रेख करना।

205.29. कार्य से संबंधित अन्य किसी भी जिम्मेदारी का निर्वाह करना जो नाज़रीन कलीसिया की भावनाओं और व्यवस्था के अनुसार है किन्तु जिनका अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है।

206. प्रांतीय सभा से संबंधित अन्य नियम – जहाँ नागरिक कानून की अनुमति है, प्रांतीय सभा, प्रांतीय सलाहकार मंडल को अधिकृत कर सकती है कि वे समाविष्ट करे। निगमन के बाद जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रांतीय सलाहकार मंडल को स्वविवेक से खरीदने बेचने स्वामित्व करने, अदला–बदली करने, गिरवी रखने, बंधक रखने, न्यास में देने या पट्टे पर लेने देने का अधिकार होगा, चाहे वह अचल संपत्ति हो या व्यक्तिगत, निगम के उद्देश्यों के अनुसार आवश्यक हो। (225.6)

206.1. जहाँ तक संभव हो, प्रांतीय मंडलों और समितियों में याजकीय और अयाजकीय सदस्यों की संख्या बराबर हो, जब तक कि विवरणिका में विशेष रूप से कोई अन्य प्रावधान न किया गया हो।

206.2. चरण 1 और चरण 2 प्रांतों के प्रांतीय अधीक्षक अनुच्छेद 200.2 के प्रावधानों के अनुसार चुने जाएंगे। एक चरण 2 का प्रांत फिर से चरण 1 का प्रांत बनाया जा सकता है, जब तक कि वह पुनः चरण 2 का प्रांत बनने के लिए माँग न रखता हो।

206.3. यदि प्रांतीय सभा का सभापति यह मानता है कि प्रांतीय सभा का प्रकरण आगे चलाना लगभग असंभव है और वह प्रांत की सभा को स्थगित, निरस्त या बंद कर देता है, तब अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक, प्रमुख अधीक्षक मंडलों के साथ परामर्श कर प्रांतीय अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। जो प्रांतीय सभा स्थापित करने से पहले नहीं चुने गए थे, वे एक वर्ष के लिए सेवा देंगे।

द. प्रांतीय सभा पत्रिका

207. प्रांतीय सभा पत्रिका में बैठकों की सभी नियमित कार्यवाहियों का अभिलेख होगा।

207.1. प्रमुख सचिव के कार्यालय से स्वीकृत प्रारूप के अनुसार ही पत्रिका तैयार कि जाएगी। कागजी प्रतिलिपियाँ स्थानीय स्तर पर छापी जा सकती हैं।

207.2. अलग–अलग कार्य के विवरण, अलग–अलग अनुच्छेदों में लिखे जाएं।

207.3. पत्रिका के अभिलेख का सावधानीपूर्वक संपादन किया जाए क्योंकि प्रमुख सभा द्वारा उसकी जाँच या पुनरीक्षण किया जाएगा। (205.26, 220.7)

207.4. प्रत्येक चार वर्षो का संपूर्ण आधिकारिक पत्रिका संरक्षित और दायर की जाएगी, जो प्रांतीय सभा के फाइलों में होगा। (220.5, 220.7)

207.5. जहाँ तक संभव हो, पत्रिका को प्रमुख सचिव और प्रमुख अधीक्षक मंडल के परामर्श से तैयार 'विषय–वस्तु' की सूची के अनुसार ही तैयार किया जाए। विषय–वस्तु की सूची प्रांतीय सभा के आयोजन के पूर्व प्रांतीय सचिव के पास भेजी जाये।

207.6. पत्रिका में न केवल स्थानीय कलीसिया के पादरियों के दिए गये कार्यों का समावेश होगा, परंतु उसमें प्रांतीय सभा के सभी याजकीय और अयाजकीय सदस्यों की नियमित एवं विशेष गतिविधियों का भी समावेश होगा जिन्हें मंडली की सेवकाई की किसी भी पंक्ति में जोड़ा गया है, जो उन्हें पात्रता देता है कि वे पूर्व सेवार्थ वृत्ति समिति की जिम्मेदारी के अनुसार पेंशन और लाभों को आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें उनके पिछले प्रांत की भागीदारी है। (115)

इ. प्रांतीय अधीक्षक

208. प्रांतीय सभा में चुने जाने के बाद, प्रांतीय अधीक्षक का कार्यकाल प्रांतीय सभा की समाप्ति के 30 दिन बाद आरंभ होता है। यह अगले दो वर्षो तक चलता है और सभा के समाप्ति के 30 दिनों बाद कार्यकाल समाप्त होगा जो चुनाव के दूसरे वर्षगाँठ को चिन्हित करता है। उस समय सभा में अधीक्षक को पुनः चुना जा सकता है या जब तक कि उनके उत्तराधिकारी का निर्वाचन और प्रशिक्षण पूरा न हो जाएं अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक द्वारा अंतरिम रूप में चुने गये अधीक्षक का कार्यकाल, चुने जाने के समय से लेकर शेष बचे कलीसियाई वर्षों तक जारी रहेगा जिसमें उसे चुना गया है और अगले दो कलीसियाई वर्षों तक जारी रहेगा। सभा की समाप्ति के 30 दिनों बाद तक कार्यकाल जारी रहेगा जो सेवकाई के दूसरे पूर्ण वर्ष की समाप्ति को चिन्हित करता है उस समय सभा में अधीक्षक को अगले अवधि के लिए चुना जा सकता है या जब तक उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन और प्रशिक्षण पूरा न हो जाए। प्रांतीय कार्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी प्राचीन अधीक्षक के पद पर चुने जाने या नियुक्त किये जाने की योग्यता नहीं रखता, जहाँ वे सेवा कर रहे हैं यदि प्रांतीय सलाहकार मंडल और अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुमति न हो। (अनुच्छेद 115 के प्रावधानों के अंतर्गत)। (205.11–205.13)

209. यदि किसी कारणवश प्रांतीय सभा में बीच सत्र में कोई पद रिक्त होता है तो प्रमुख अधीक्षक अलग–अलग या एक साथ मिलकर प्रांतीय सलाहकार समिति के परामर्श पर उस पद पर नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए पूरी समिति को आमंत्रित किया जाएगा कि वे योग्य व्यक्तियों का नाम प्रस्तुत करें साथ ही उनके नामों पर भी विचार किया जाएगा, जिन्हें अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक प्रस्तावित करेंगे। (239, 307.7)

209.1. अधिकार क्षेत्र में प्रमुख अधीक्षक की अनुशंसा पर चरण 1 या चरण 2 के प्रांतीय अधीक्षक के पद पर कारण बताकर रिक्त घोषित किए जा सकते हैं। प्रांतीय अधीक्षक के चरण 3 के पद को रिक्त घोषित करने के लिए प्रांतीय सलाहकार समिति के दो–तिहाई बहुमत से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। (239, 321)

209.2. यदि प्रांत के पदेन अधीक्षक किसी कारणवश अस्थायी तौर पर कार्य करने में असमर्थ हो जाएं तो अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक प्रांतीय सलाहकार मंडल से परामर्श करके किसी योग्य प्राचीन को कुछ समय के लिए प्रांतीय अधीक्षक पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अधीक्षक की असमर्थता पर अधिकारक्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार समिति मिलकर निर्णय करेंगे। (307.8)

209.3. प्रांतीय अधीक्षक के त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की स्थिति में प्रांत के कर्मचारी सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य अधीस्थ या संलग्न निगमों के अधिकारी, वेतनभोगी या अवैतनिक जैसे कि सहायक अधीक्षक, कार्यालय सचिव इत्यादि भी अपना इस्तीफा उसी तिथि में सौंप देंगे जब प्रांतीय अधीक्षक त्यागपत्र दे या उन्हें बर्खास्त किया जाये किन्तु उस अधिकारक्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल की लिखित अनुमति से एक या अधिक व्यक्ति कार्य करने के लिए रह सकते हैं परंतु नये प्रांतीय अधीक्षक द्वारा पदभार ग्रहण करते ही उनका कार्य समाप्त माना जाएगा। (245.3)

209.4. प्रांतीय सलाहकार समिति और अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुमति लेकर नवनिर्वाचित या नियुक्त प्रांतीय अधीक्षक पहले के कर्मचारी सदस्यों को फिर से पद पर बहाल करने की अनुशंसा कर सकते हैं। (245.3)

210. प्रांतीय अधीक्षक की भूमिका प्रांत के पादरियों और सभाओं के निरीक्षण करना और आत्मिक अगुओं को तैयार करना है। जो इस प्रकार हैं:

- प्रार्थना रूपी जीवन का आदर्श प्रस्तुत करना ओर धर्मशास्त्र के प्रति निष्ठावान होना।
- धर्मशास्त्र बाइबिल अध्ययन को बढ़ावा देना और प्रांत में धर्मसेवक समूह में अभ्यास करना।
- वेसेलियन–पवित्र बाइबिल अध्ययन को संपूर्ण प्रांत में बढ़ावा देना व उसे प्रयोग में लाना।
- प्रांत में सुसमाचार प्रचार के लक्ष्य को पूरा करना और कलीसियाओं का रोपण करना।

- प्रांतीय सभाओं को संगठनात्मक बनाने के लिए संसाधन को उपलब्ध कराना।

211. प्रांतीय अधीक्षक के कर्तव्य इस प्रकार हैः

211.1. अपने अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुमति लेकर अपने प्रांतीय सभा की सीमाओं में आने वाली स्थानीय कलीसियाओं को संगठित करना, मान्यता देना उनकी निगरानी करना। (100, 538.15)

211.2. प्रांतीय सभा में स्थानीय कलीसियाओं के लिए उपलब्ध रहना जब आवश्यक हो कलीसिया मंडल से मिलना और आत्मिक, आर्थिक और पासवान के मामलों पर परामर्श देना, जैसा अधीक्षक उचित समझे वैसी सहायता देने वाली सलाह और सहायता प्रदान करना।

211.3. ऐसी स्थिति में जब प्रांतीय अधीक्षक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई कलीसिया बुरी दशा में है और अवनत हो रही है, उसे जारी रखना उसकी प्रतिष्ठा और जीवन के लिए घा तक है, उसके मिशनों (लक्ष्य) पर बुरा असर पड़ रहा है, तो वे कलीसिया के पादरी या पादरी व कलीसिया मंडल दोनों से संपर्क करके स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। पादरी और कलीसिया मंडल के साथ मिलकर वे सभी प्रयास किये जाए कि स्थिति बिगाड़ने वाले समस्याओं का समाधन हो जो कलीसिया के मिशन की प्रभावशीलता को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

कलीसिया और कलीसिया मंडल से सलाह करने के बाद यदि प्रांतीय अधीक्षक को लगता है कि इसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक है, तो वह प्रांतीय सलाहकार मंडल एवं अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुमति लेकर समुचित कार्यवाही कर सकता है। ऐसी कार्यवाही में निम्न बातें शामिल हैं पर कार्यवाही यही तक सीमित नहीं है –

1. पादरी को हटाना।
2. कलीसिया मंडल का विघटन करना।
3. कलीसिया के स्वास्थ्य और मिशन की प्रभावशीलता के पुर्नगठन के लिए आवश्यक समझें जाने वाले विशेष हस्तक्षेपों को लागू करने की पहल करना।

एक संगठित कलीसिया की संपत्ति उस निगमित स्थानीय कलीसिया के नियंत्रण में बनी रहेगी, यदि अनुच्छेद 106.5 के अनुसार उसे निष्क्रिय घोषित नहीं किया गया है या अनुच्छेद 106.1 के अनुसार उसका विघटन नहीं हुआ है। ऐसी कार्यवाही करने पर अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक को 30 दिनों के भीतर सूचना दी जाये।

211.4. प्रांतीय अधीक्षक के मतानुसार यदि अनुच्छेद 125.1 के अंतर्गत संकटग्रस्त घोषित कलीसिया सुधार करती है और सामान्य परिस्थितियों में सेवकाई करने योग्य बन जाती है तब प्रांतीय सलाहकार मंडल दो–तिहाई मतों के बहुमतद्वारा उस स्थानीय कलीसिया को संकट से बाहर घोषित किया जा सकता है। ऐसा होने पर प्रांतीय अधीक्षक 30 दिनों के भीतर अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक को सूचित करेंगे।

211.5. प्रत्येक कलीसिया मंडल के साथ कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों की नियमित समीक्षा करना व निर्धारित करना और अनुच्छेद 123–123.7 के प्रावधानों के अनुसार संचालित करना। प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल और अधिकार क्षेत्र के अधीक्षक के समक्ष कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों के विवरण को प्रस्तुत करेंगे।

211.6. नाज़रीन कलीसिया के सभी कलीसिया समान सेवकाईयों का विशेष पर्यवेक्षण करना जो प्रांतीय सभा की सीमा में आते हैं।

211.7. प्रांत के सचिव का पद यदि रिक्त है तो प्रांतीय सलाहकार मंडल को पद पर नियुक्ति करने के लिए किसी का नामांकन करना। (219.1)

211.8. प्रांत के कोषाधिकारी का पद यदि रिक्त है तो प्रांतीय सलाहकार मंडल को पद पर नियुक्ति करने के लिए किसी का नामांकन करना। (22.1)

211.9. संस्थागत पादरीपन के विशेष सेवकाई के माध्यम से पवित्र सुसमाचारवाद को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए एक प्रांतीय संस्थागत पादरीपन निदेशक नियुक्त करना।

211.10. किसी प्राचीन या आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक को स्थानीय कलीसिया का पादरी बनाने के संदर्भ में कलीसिया मंडल से परामर्श करना, अभ्यार्थियों के नामांकन को प्रांतीय सलाहकार मंडल की सहमति लेकर

स्वीकृत या अस्वीकृत करना जैसा कि अनुच्छेद 115 में बताया गया है। (129.2, 159.8–225.16)

211.11. कलीसिया मंडल के निवेदन पर, 90 दिनों के भीतर, कलीसिया/पुरोहिताई संबंधों की विशेष समीक्षा करना और कलीसिया/पुरोहिताई के संबंधों को आगे जारी रखना या न रखना तय करना। (125)

211.12. नाज़रीन कलीसिया के किसी सदस्य द्वारा स्थानीय सेवक बनने के आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) के लिए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, अथवा जो किसी कलीसिया मंडल में आवेदन करे जिसमें प्राचीन या पादरी नहीं है उसके आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) का नवीनीकरण करना। (531.1, 531.3)

211.13. पादरी एवं कलीसिया मंडल के लिखित आवेदन पर विचार करना, स्वीकृत या अस्वीकृत करना जब वे किसी को वेतन पर या अवैतनिक रूप में सह–पादरी या स्थानीय सहयोगी (जैसे कि सह–पादरी, मसीही शिक्षण; के सेवक और निदेशक बच्चे, युवाओं, व्यस्कों, संगीत बाल–संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक इत्यादि) प्रांतीय अधीक्षक द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत करने का मूल आधार इस बात पर निर्भर करता है कि क्यया वेतन पर कर्मचारी रखने के बाद, जिसके लिए स्थानीय कलीसिया सहमत है और वेतन देने में समर्थ है, वह स्थानीय, प्रांतीय और प्रमुख प्रशासन के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकती है। यह पादरी कि जिम्मेदारी है कि वह सह–पादरी के लिए अभ्यार्थियों में परीक्षण करें और चयन करें, किन्तु प्रांतीय अधीक्षक को उसके द्वारा नामित व्यक्ति को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। (129.27, 159–159.8)

211.14. प्रांतीय सलाहकार मंडल को स्थानीय कलीसियाओं द्वारा मसीही बाल–संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) सेवकाईयों के संचालन के लिये दिये निवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना। (151, 225.14, 517)

211.15. प्रांत के सभी वैधानिक दस्तावेजों को जारी करना और प्रांतीय सलाहकार मंडल के सचिव के साथ उन पर हस्ताक्षर करना। (225.6)

211.16. प्रातीय सलाहकार मंडल के लिए नामांकन करना और प्रांत के सभी वेतभोगी सहायकों का पर्यवेक्षण करना। (245)

211.17. अनुच्छेद 117 के निर्देशानुसार पादरियों की नियुक्ति करना।

211.18. प्रांतीय सलाहकार मंडल की अनुमति लेकर प्रांतीय अधीक्षक, कलीसिया मंडल के सदस्यों (प्रबंधक, न्यासी) अंतर्राष्ट्रीय रविवारीय शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल के अध्यक्ष और कलीसिया के अन्य अधिकारी (सचिव और कोषाध्यक्ष) की नियुक्ति कर सकता है यदि कलीसिया का संगठन 5 से कम वर्ष पहले का है और उसकी पिछली वार्षिक सभा में 35 से कम मत करने वाले पूर्ण सदस्य थे या फिर कलीसिया प्रांत से नियमित रूप में आर्थिक योगदान या सहयोग प्राप्त कर रही है या उसे संकटग्रस्त घोषित किया गया है। ऐसे मंडल में कुल सदस्य संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए। (117, 126)

211.19. प्रांतीय सभा में किसी सेवक के विरूद्ध प्राप्त लिखित आरोपों की छानबीन अनुच्छेद 606–606.3 के अनुसार करना।

211.20. योग्य धर्मसेवक और सामान्य जनों को प्रांतीय सलाहकार मंडल से परामर्श करके एक आपूर्ति दल के रूप में नियुक्त करना जो कि सेवक उनके पति/पत्नी और परिवार, कलीसिया और समुदाय को समय–समय पर मोचन प्रतिक्रिया दे सकें। धर्मसेवक के कदाचार की स्थितियों में जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तब प्रांतीय अधीक्षक को एक आपूर्ति दल को जल्द से जल्द प्रांतीय योजना के अनुसार तैनात करना होगा।

211.21. प्रांतीय अधीक्षक निश्चित समय के लिए रखे गये सुसमाचार–प्रचारकों से अनुच्छेद 510.4 के अनुसार स्व–मूल्यांकन का प्रतिवेदन तैयार कराएंगे और उसकी जाँच और पुनरीक्षण करेंगे।

211.22. प्रांतीय अगुवों के साथ प्रत्येक स्थानीय कलीसिया को व्यक्तिगत रूप से प्रमुख, प्रांतीय और शिक्षा के लिए वित्त (फंड) एकत्रित करने के लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित करना।

212. प्रांतीय अधीक्षक, कलीसिया मंडल की सहमति से पादरी का पद रिक्त होने पर आपूर्ति के लिए रिक्त पद पर किसी को नियुक्त कर सकते हैं पर यह नियुक्ति अगली प्रांतीय सभा तक जारी रहेगी। इस प्रकार की नियुक्ति

प्रांतीय अधीक्षक द्वारा कभी भी निरस्त की जा सकती है यदि पादरी की सेवाएँ कलीसिया मंडल और स्थानीय कलीसिया को संतोषजनक प्रतीत न हो। (129. 5, 524, 531.6)

212.1. पादरी का पद रिक्त होने पर प्रांतीय अधीक्षक कलीसिया मंडल और प्रांतीय सलाहकार समिति की सहमति लेकर अस्थायी तौर पर पादरी की नियुक्ति कर सकते हैं। जब तक कि स्थायी पादरी की नियुक्ति न हो जाए। उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अस्थायी पादरी के सेवाकाल में वृद्धि करे, यदि ऐसा करना आवश्यक है और कलीसिया मंडल के साथ विचार विमर्श किया गया है। अस्थायी पादरी को पादरी की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। यदि वह पादरी उस प्रांत की सदस्यता रखता है तो कलीसिया की ओर से प्रतिनिधि के रूप में प्रांतीय सभा में भेजा जा सकता है।

इस प्रकार अस्थायी नियुक्ति पाने वाला पादरी पूरे समय प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार समिति के अधिकार के अधीन होगा। कलीसिया मंडल के साथ परामर्श करके प्रांतीय अधीक्षक पादरी को पद से हटा भी सकते हैं। (526)

213. प्रांतीय अधीक्षक को अधिकार है कि यदि उनके प्रांत के विभाग की किसी कलीसिया में पादरी नहीं है या उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वह स्वयं स्थानीय कलीसिया के पादरी के सभी कार्य करे। (514)

213.1. प्रांतीय अधीक्षक स्थानीय कलीसिया की वार्षिक सभा में या विशेष सभा में अध्यक्षता करेंगे या अपने बदले किसी और को इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे। (113.5)

214. यदि किसी कारणवश प्रमुख अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के प्रांतीय सभा में उपस्थित नहीं होता या अपने किसी प्रतिनिधि को अपने स्थान पर भाग लेने नियुक्त नहीं कर पाता, तब प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सभा को बुलाएगा आदेश देगा और अध्यक्षता करेगा, जब तक कि प्रांतीय सभा कोई अन्य व्यवस्था न कर दे। (307.5)

215. प्रांतीय अधीक्षक निम्न समितियों में रिक्त पदों को भर सकते हैं –

1. प्रांतीय सभा की वित्त समिति
2. प्रांतीय सभा की लेखा–परीक्षण समिति

3. प्रांतीय सेवकाई समिति (या सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति और सेवकाई अध्ययन समिति)
4. प्रांतीय सुसमाचार प्रचार समिति या प्रांतीय सुसमाचार प्रचारक निदेशक
5. प्रांतीय कलीसिया वित्त समिति
6. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई समिति
7. प्रांतीय निवेदन न्यायालय
8. अन्य प्रांतीय समिति और स्थायी समितियाँ जिनका विवरणिका में उल्लेख नहीं है या सभा का कार्य नहीं है। (205.21, 205.25, 229.1, 232.1, 235, 236, 241, 610)

215.1. प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय समितियों और स्थायी समितियों के सभी अध्यक्षों सचिवों और सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, जहाँ विवरणिका में प्रावधान नहीं हैं या सभा का कार्य नहीं है।

215.2. प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार समिति से परामर्श करके एक नामांकन समिति बनाएंगे जो आगामी प्रांतीय सभा के पहले सभी सामान्य समितियों और पदों के लिए नामांकित होने वाले की सूची तैयार करेगी।

216. प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार समिति और प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। (224.2, 230.1)

216.1. प्रांतीय अधीक्षक सभी चुने गए स्थायी मंडल और समितियों का पदेन सदस्य होगा, वे सब जो उसके प्रांत के अधिकार क्षेत्र में है। (205.20–205.21, 237, 241, 810, 811)

217. जब तक प्रांतीय सलाहकार मंडल बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अधिकार और निर्देशन न दे, प्रांतीय अधीक्षक, आर्थिक दायित्वों गणनीय संपत्ति या प्रांतीय एकत्रित धनराशि का वितरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो अवश्य है कि वह प्रांतीय सलाहकार मंडल की सभा की लिखित कार्यवाही में उल्लेखित हो। प्रांत का कोई भी अधीक्षक या उसके निकट

परिवार के लोग, प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रांतीय सभा की लिखित स्वीकृति के बिना, प्रांत के खाते के किसी भी चेक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। निकट परिवार वालों में पति/पत्नी, बच्चे, भाई/बहिन या माता–पिता शामिल है। (218, 222–223.2)

218. प्रांतीय अधीक्षक के सभी कार्यकालीन कार्यो की समीक्षा की जा सकती है, समीक्षा और संशोधन का कार्य प्रांतीय सभा करेगी और उस पर अपील की जा सकती है।

218.1. प्रांतीय अधीक्षक सदैव उनके अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक और प्रमुख अधीक्षक मंडल के द्वारा प्रांत के पासबानी के प्रबंध और अन्य मामलों के संबंध में उनके लिए परामर्श का समुचित सम्मान करेंगे।

फ. प्रांतीय सचिव

219. प्रांत का सचिव, प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसका कार्यकाल 1 से 3 वर्ष का होगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुना और प्रशिक्षित न कर लिया जाये। (225.22)

219.1. यदि किसी कारणवश सत्र के बीच में प्रांत का सचिव कार्य करना बंद कर दे, प्रांतीय सलाहकार मंडल, प्रांतीय अधीक्षक के द्वारा नामांकित व्यक्तियों में से उसके उत्तराधिकारी को चुनेगा। (211.7)

219.2. प्रांतीय सचिव, प्रांतीय सभा का पदेन सदस्य होगा। (201)

220. प्रांतीय सचिव के कर्तव्यः

220.1. प्रांतीय सभा की कार्यवाही को सही–सही अभिलेखित करना और विश्वासयोग्यता से संरक्षित करना।

220.2. प्रांत की सभी सांख्यकीय सही–सही अभिलेखित करना और संरक्षित करना।

220.3. आधिकारिक पत्रिका के प्रकाशन से पहले लेखा–परीक्षण के लिए सभी सांख्यकीय सारणियों को प्रमुख सचिव को भेजना। (326.6)

220.4. प्रांत के सभी दस्तावेजों की अभिरक्षा करना और उन्हें तत्काल अपने उत्तराधिकारी को सौंपना।

220.5. प्रत्येक चार वर्ष के लिए सभी आधिकारिक पत्रिका को संरक्षित करना और दायर करना। (207.4)

220.6. प्रकाशित पत्रिका की पर्याप्त प्रतियाँ प्रत्येक प्रांतीय सभा से वैश्विक सेवकाई केन्द्र को नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख अधिकारियों में वितरण के लिए भेजना।

220.7. प्रांतीय सभा के पिछले चार वर्षों के सभी आधिकारिक पत्रिका संरक्षित करने और दायर (फाइल) करने के लिए, प्रमुख सभा को भेजना। (205.26, 207.3—207.4)

220.8. उसके पद से जुड़े अन्य सभी कार्यो को करना।

220.9. कार्य के संबंध में प्राप्त होने वाली सभी वस्तु (मदों) को उनकी उचित सभा समिति या स्थायी मंडल को भेजना।

221. जैसा प्रांतीय चयन करेगी, प्रांत के सचिव उतने सहायकों को रख सकते हैं।

ब. प्रांत के कोषाध्यक्ष

222. प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा चुना गया प्रांत का कोषाध्यक्ष एक से तीन वर्ष तक पदासनी होगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का चुनाव एवं प्रशिक्षण नहीं हो जाता। (225.21)

222.1. यदि किसी प्रांत के कोषाध्यक्ष सत्र के बीच किसी कारणवश कार्य बंद कर दे तो प्रांतीय सलाहकार मंडल, प्रांतीय अधीक्षक द्वारा नामांकित व्यक्तियों मे से किसी एक को सत्र के बीच कोषाध्यक्ष के पद पर चुनेगा। (211.8)

222.2. प्रांत के कोषाध्यक्ष प्रांतीय सभा का पदेन सदस्य होगा। (201)

223. प्रांत के कोषाध्यक्ष के कर्तव्यः

223.1. प्रांत से उन सभी धनराशियों को प्राप्त करना जिनका प्रावधान प्रमुख सभा या प्रांतीय सभा या प्रांतीय सलाहकार मंडल ने किया हे, या फिर नाज़रीन कलीसिया की कोई आवश्यकता आती है और उस धनराशि को प्रांतीय सभा और प्रांतीय सलाहकार मंडल या दोनों के निर्देश और नीतियों के आधार पर वितरित करना।

223.2. प्राप्त समस्त धनराशि का समुचित अभिलेख रखना और वितरण करना, और प्रांतीय अधीक्षक के द्वारा प्रांतीय सलाहकार मंडल में वितरण की मासिक विवरण प्रस्तुत करना एवं प्रांतीय सभा के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जिसके लिए वे जिम्मेदार होंगे।

स. प्रांतीय सलाहकार मंडल

224. प्रांतीय सलाहकार मंडल में प्रांत के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होंगे और साथ में तीन दीक्षित सेवक एवं तीन आयोजक सदस्य हो सकते हैं। जिनका चुनाव प्रतिवर्ष प्रांतीय सभा में मतदान द्वारा किया जाएगा। जिनका कार्यकाल चार वर्ष से अधिक नहीं होगा, जब तक कि अगली प्रांतीय सभा में उनके उत्तराधिकारी चुन नहीं लिए जाते और प्रशिक्षित नहीं हो जाते। किन्तु उनके कार्यकाल का निश्चय करने के लिए प्रतिवर्ष प्रांतीय मंडल का आनुपातिक रूप में चुनाव करेगा।

यदि प्रांत की सदस्यता 5000 से अधिक बढ़ जाती है तो वे एक अतिरिक्त दीक्षित सेवक और एक अतिरिक्त अयाजकीय सदस्य को चुन सकते हैं जो आगे प्रत्येक 2500 सदस्यों के लिए होगा या फिर 2500 सदस्यों के अंतिम मुख्य भाग के लिए होगा।

224.1. प्रांतीय सलाहकार मंडल की किसी रिक्ति को शेष सदस्यों से भरा जा सकता है।

224.2. प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल का पदेन अध्यक्ष होगा।

224.3. मंडल अपने सदस्यों में से एक सचिव चुनेगा जो मंडल की सभी बातों का सावधानीपूर्वक अभिलेख करेगा और बाद में उसके उत्तराधिकारी को शीघ्र सौप देगा।

224.4. प्रांतीय सलाहकार मंडल के आयोजक सदस्यगण प्रांतीय सभा, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई सम्मेलन और प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई सम्मेलन एवं प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई सम्मेलन के पदेन सदस्य होंगे। (201, 224)

225. प्रांतीय सलाहकार मंडल के कर्तव्यः

225.1. अनुच्छेद 114.1 में दिये प्रावधानों के अनुसार सांख्यकीय वर्ष के आरंभ और अंत की तिथि निश्चित करना।

225.2. प्रांतीय सभा के याजक सेवकों और स्थानीय कलीसियाओं की सूचना प्रांतीय अधीक्षक को देना और उनके विषय में विचार–विमर्श करना।

225.3. दीक्षित सेवकों के विरूद्ध आरोप लगाये जाने पर जाँच समिति का गठन करना, जिसमें तीन या अधिक दीक्षित सेवक हों और दो से कम अयाजकीय व्यक्ति न हो। (606–606.3)

225.4. जब दीक्षित सेवकों में से किसी के विरूद्ध आरोप लगाए जाते हैं तब उनके संदर्भ में जाँच–अदालत का चयन करना। (606.5–606.6)

225.5. एक लिखित, व्यापक योजना की समीक्षा करना और विकास करना जो समयबद्ध अनुकंपा प्रदान करने और याजकीय समूह के सदस्यों द्वारा अपने सेवक को उनके परिवारों को और किसी भी मंडली को शामिल किए जाने के संबंध में सूचित करने के लिए अपने निर्देशों का मार्गदर्शन करने के लिए विवरणिका के निर्देशों के अनुरूप है।

225.6. निगमीकरण करना, जहाँ नागरिक कानून अनुमति देती हैं और प्रांतीय सभा अधिकृत करती है। निगमीकरण के बाद प्रांतीय सलाहकार मंडल को अधिकार होगा कि वे अपने प्रस्ताव बनाये, स्वयं खरीदे, अदला–बदली करें, गिरवी रखें या न्यास को दें, पट्टे पर दें, वास्तविक एवं व्यक्तिगत जो भी निगम के उद्देश्यों के अनुरूप सुविधाजनक हो और आवश्यक लगे। प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल के सचिव या प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा अधिकृत अन्य कोई व्यक्ति, निगमित या अनिगमित अचल संपत्ति के संदर्भ में सभी लेन–देन, गिरवी के दस्तावेजों, या गिरवी से छुड़ाने वाले दस्तावेजों, अनुबंधों और अन्य वैधानिक दस्तावेजों पर प्रांतीय सलाहकार मंडल की ओर से हस्ताक्षर करेंगे। (206)

225.7. जब प्रांतीय सलाहकार मंडल, निगमीकरण के कथन को सम्मिलित करती है तो वह कानूनी दस्तावेजों को उपलब्ध कराती है कि निगम नाज़रीन कलीसिया के विवरणिका के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करती है। वे अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुशंसा पर ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित करेंगे जो यह सुनिश्चित करता है कि निगम के विघटन होने पर या नाज़रीन कलीसिया को छोड़ने के प्रयास में, निगम की संपत्ति नाज़रीन कलीसिया के पास से नहीं जाएगी। यदि एक बार प्रांत का निगमीकरण अधिकार क्षेत्र के

प्रमुख अधीक्षक की अनुशंसा पर प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो प्रस्तावित निगमीकरण का कथन प्रमुख सचिव के कार्यालय में समीक्षा और दायर करने के लिए भेजी जाएगी और वे अनुच्छेद 102.4 के प्रावधानों के समान प्रावधानों को सम्मिलित करेंगे। (225.6)

225.8. ऐसे क्षेत्रों में जहाँ नागरिक कानून निगमीकरण की अनुमति नहीं देता है तो प्रांतीय सभा, प्रांतीय सलाहकार मंडल को प्रांत के न्यासी के रूप में चुनेगी, उन्हें अधिकार होगा कि वे स्वतः निर्णय करके खरीदे, बेचे, गिरवी रखे न्यास में दे, पट्टे में दे और किसी अचल संपत्ति या व्यक्तिगत, जैसा भी प्रांत की आवश्यकता है या प्रांत के काम के लिए सुविधाजनक है, उपयोग करे। (102.6, 106.2, 225.6)

225.9. प्रांतीय सलाहकार मंडल उन क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय कलीसियाओं को वैधानिक रूप में निगम बनाना संभव है, वे सक्षम न्यायिक सलाहकार की सलाह लेकर उस प्रांत के विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में निगमीकरण प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। निगमीकरण का यह प्रारूप और प्रपत्र सदैव अनुच्छेद 102–102.5 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही होगा।

225.10. प्रांतीय अधीक्षक के लिए सलाहकार की हैसियत से उसके सभी विभागों मंडलों और समितियों पर पर्यवेक्षण में सहायता करना जो उसके प्रांत के सीमा में है।

225.11. प्रांतीय अधीक्षक के स्वस्थ कार्य और सुदृढ़ आत्मिक जीवन के लिए, प्रांतीय सलाहकार मंडल, अधिकार क्षेत्र के अधीक्षक से परामर्श करके उन्हें प्रत्येक सात वर्ष लगातार कार्य करने के बाद कुछ समय के लिए विशेष अवकाश देने का प्रबंध करे। इन छुट्टियों में प्रांतीय अधीक्षक का वेतन एवं अन्य लाभ पूरे–पूरे दिये जाएंगे। प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल के साथ मिलकर इन विशेष अवकाश के लिए प्रस्ताव बनाएंगे कि उसकी अवधि कितनी होगी, व्यक्तिगत उन्नति की क्या योजना होगी और इन छुट्टियों के दौरान प्रांत के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य किस प्रकार संपन्न किए जाएंगे।

225.12. वे प्रांत के केन्द्र के सृजन का प्रस्ताव और योजना प्रमुख अधीक्षक मंडल के पास भेजेंगे। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व अवश्य है कि प्रमुख अधीक्षकों मंडल की लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाए। (319)

225.13. आरंभिक रूप में किसी आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) को देने के लिए अनुंशसा करना या पादरी के रूप में सेवा कर रहे किसी आधिकारिक पत्र प्राप्त (लाइसेंसधारी) सेवक के आधिकारिक पत्र का नवीनीकरण करना। (532.5)

225.14. मसीही बाल–सरंक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) सेवकाईयों को चलाने के लिए स्थानीय कलीसियाओं से प्राप्त निवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना। प्रांतीय अधीक्षक एवं प्रांतीय सलाहकार मंडल की सहमति पर एक प्रांत की मसीही बाल–सरंक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) की समिति बनाई जा सकती है। उसका कार्य होगा स्थानीय कलीसिया द्वारा बाल–सरंक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) के आवेदनों के संदर्भ में प्रांतीय सलाहकार मंडल को नीति, प्रक्रिया और दार्शनिकता के संबंध में अनुशंसा करना और ऐसे बाल–संरक्षण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) स्थापित करने, सहयोग करने और देखभाल करने में सहायता प्रदान करना। (151, 211.14, 517)

225.15. करूणामयी सेवकाई केन्द्र विभाग के लिए निर्धारित मार्गदर्शन के नियमों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित किए जाएंगे। केवल वे ही जिन्हें प्रांत की मंजूरी मिले, अनुच्छेद 154.1 के अनुसार योगदान के उद्देश्य से 'अनुमोदित विशेष सेवकाई' कहलाएंगे।

225.16. किसी दीक्षित सेवक या आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक (प्राचीनों में से) जो स्थानीय कलीसिया में वैतनिक सहायक के रूप में कार्य कर रहा हो, और उस स्थानीय कलीसिया का सदस्य है जो उसे स्थानीय कलीसिया में पादरी के पद पर नियुक्त करने के लिए प्राप्त स्थानीय कलीसिया से निवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना। स्थानीय कलीसिया, प्रांतीय अधीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय लेगी। (115, 129.2, 159.8, 211.10)

225.17. याजकीय समूह के सदस्य के निवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना स्वतंत्र कलीसिया गतिविधियाँ जो नाज़रीन कलीसिया के निर्देशन के अधीन नहीं हैं उनका नियमित रूप से ध्यान रखना या स्वतंत्र मिशन और अनाधिकृत कलीसिया गतिविधियों को जारी रखें या स्वतंत्र कलीसिया या अन्य

धार्मिक समूह या संप्रदाय के साथ जुड़ना। इस तरह के किसी भी निवेदन की मंजूरी की आवश्यकता प्रतिवर्ष होगी। (528, 538.13)

225.18. प्रांत द्वारा नियुक्त किसी भी वेतनभोगी सहायक को पद के लिए चुनना या पद से हटा देना (245–245.1)

225.19. प्रांतीय अधीक्षक के साथ परामर्श करके सभाओं के बीच वित्त समिति के रूप में कार्य करनां यदि उचित समझे तो 'बजट प्रक्रिया' को समायोजित करना और प्रांतीय सभा को इसकी सूचना देना। (223.1)

225.20. प्रांत की सभी संपत्ति, अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, जिसमें सभी शेयर शामिल है, जिन्हें नाज़रीन कलीसिया को छोड़ अन्य किसी व्यक्तिगत या सामूहिक उपयोग के लिए निवेश किया गया हो। (102.4, 106.5, 206)

225.21. प्रांत के कोषाधिकारी को चुनना, एक से तीन वर्ष के सेवाकाल के लिए जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुना व प्रशिक्षित न कर दिया जाए। (222)

225.22. प्रांत के सचिव को चुनना, एक से तीन वर्ष के सेवाकाल के लिए जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुना व प्रशिक्षित न किया जाए। (219)

225.23. किसी स्थानीय कलीसिया को नाज़रीन कलीसिया से अलग होने या अलग होने के प्रयास पर उनके नाम और अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में अनुच्छेद 106.2 के अनुसार प्रमाण–पत्र प्रदान करना।

225.24. यदि आवश्यकता हो, अनुच्छेद 205.25 के परिपालन में प्रांतीय लेखा–परीक्षण समिति को चुनना ताकि वह आने वाली प्रांतीय सभा की समाप्ति तक कार्य करे। (205.25)

225.25. प्रांतीय सभा को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना जिसमें संक्षेप में मंडल के क्रियाकलापों का ब्यौरा देना, उसमें यह भी बताना कि कितनी सभाएं आयोजित की गयीं।

226. प्रांतीय सलाहकार मंडल धर्मसेवक समूह में से किसी को, मसीही शिक्षा के सेवक या एक सह–सेविका को स्थानांतरण पत्र देगा जो किसी दूसरे प्रांत में जाना चाहते हैं, वे उस प्रांत के सदस्य हैं, यह उस प्रांत की सभा होने से

पहले होगा, ऐसे स्थानांतरण के आवेदन दूसरे प्रांत के प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा ग्रहण किए जाएंगे और वे स्थानांतरण पानेवालों को सदस्यता के पूर्ण अधिकार प्रदान करेंगें जिसमें वे आवेदन स्वीकार किए गए हैं। पाने वाले प्रांतीय सभा ऐसे सभी आवेदनों पर अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी जो उन्हें प्रांतीय सलाहकार मंडल से प्राप्त होंगे, और जिन पर हस्तांतरण के पक्ष में प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति की अनुशंसा होगी। (205.8–205.9, 231. 9–231.10, 508, 511, 537–537.2)

226.1. यदि प्रांतीय सभा का कोई सदस्य किसी अन्य कलीसिया का सदस्य बनना चाहता है तो उसके आवेदन करने पर प्रांतीय सलाहकार मंडल एक अनुशंसा प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है। (815)

227. प्रांतीय सलाहकार मंडल, प्रांतीय अधीक्षक की स्वीकृति पर किसी आधिकारिक पत्र प्राप्त सह–सेविका को निलंबित कर सकता है। जब ऐसा करना कलीसिया के हित के लिए आवश्यक हो। जिस स्थानीय कलीसिया के कलीसिया मंडल के साथ सम्मेलन किया जाएगा जिसमें उस सह–सेविका को अपने पक्ष में बोलने का समुचित, निष्पक्ष अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद ही निलंबन की कार्यवाही की जा सकती है।

228. यदि कोई आधिकारिक–पत्र प्राप्त दीक्षित सेवक किसी दूसरी कलीसिया से प्राप्त 'प्रमाण–पत्र' प्रस्तुत करता है, प्रांतीय सभा के बीच में, सत्र और नाज़रीन कलीसिया से जुड़ने के लिए आवेदन करता है, उसके 'प्रमाण–पत्र' की जाँच प्रांतीय सलाहकार मंडल करेगा। प्रांतीय सलाहकार मंडल की उसके पक्ष में अनुशंसा के बाद ही स्थानीय कलीसिया उसे सदस्य के रूप में स्वीकार करेगी। (520, 532.2, 535)

ग. प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति

229. प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति का गठन कम से कम पाँच दीक्षित सेवकों से होगा, जिनमें से दो प्रांतीय अधीक्षक, और प्रांतीय सचिव होंगे। यदि वे दीक्षित सेवक हैं। एक प्रांतीय सचिव हो जो अयाजक पद पर है और मंडल में मतदान नहीं करने वाले सदस्य के रूप में कार्य करता है। वे चुने जाएंगे वे चार वर्ष की अवधि तक सेवा करेंगे। जब तक कि उनके उत्तराधिकारी चुने

और प्रशिक्षित न कर लिए जायें। किन्तु उनकी सेवा अवधि में परिवर्तन हो सकता है यदि मंडल के कुछ सदस्य आनुपातिक रूप में प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। (205.15)

229.1. प्रांतीय सभा के सत्र के बीच में प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति में यदि कोई रिक्त स्थान होता है तो प्रांतीय अधीक्षक नियुक्ति कर सकते हैं। (215)

230. प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति का चुनाव हो जाने के बाद प्रांतीय अधीक्षक, मंडल की सभा में नीचे दिए अनुसार संगठन करने के लिए एक सभा बुलाएंगे।

230.1. प्रांतीय अध्यक्ष, मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे, किन्तु उनके निवदेन पर मंडल किसी अन्य व्यक्ति को कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में चुन सकता है जो इस प्रकार की सेवा अगली प्रांतीय सभा के समाप्त होने तक दे सकते हैं। (216)

230.2. मंडल अपने सदस्यों में से स्थायी सचिव चुनेगा, जो प्रांतीय सभा के खर्चे पर अभिलेखों के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था–तंत्र चुनेगा, सचिव मंडल की सभी कार्यवाहीयों और कामों का सावधानीपूर्वक रिकार्ड रखेगा और जब तक रिकार्ड, मंडल के कार्य के लिए प्रासंगिक है विश्वासयोग्यता से उसका संरक्षण करेगा और उन्हें यथासमय अपने उत्तराधिकारी को सौंप देगा।

231. प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति के कर्तव्य इस प्रकार हैंः

231.1. जितने भी व्यक्तियों के आवेदन, सह–सेवक या सेवकाई के लिए आधिकारिक–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रांतीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं उन सबकी सावधानीपूर्वक जाँच करना और उनका मूल्यांकन करना।

231.2. सेवकाई के किसी भी दिए गए कार्य या पद के संदर्भ में प्रमाण–पत्र चाहने वाले सभी व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार एवं जाँच करना, जिसमें अयाजकीय सेवकों और याजकीय सेवकों के आवेदन भी शामिल है जो स्थानीय कलीसिया से बाहर किसी संस्था या कलीसिया में मान्यता प्राप्त सेवक बनने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, या फिर विवरणिका में दिये गये किसी विशेष कार्य या पद के संबंध में प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं।

231.3. प्रत्येक प्रत्याशियों की सावधानीपूर्वक जाँच करना और जैसा भी उचित लगे अन्य साधनों से भी पता करना कि क्या प्रत्याशियों को नए जन्म (उद्धार) का अनुभव है, और क्या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के द्वारा संपूर्ण पवित्रीकरण के अनुभव में है, उन्हें बाइबिल के सिद्धांतों का ज्ञान है और वे उन्हें पूर्णरूप में स्वीकार करते हैं – यथा मसीही चरित्र की वाचा, मसीही आचरण की वाचा, कलीसिया का प्रबंध–प्रशासन, अनुग्रह और दान–वरदानों के प्रमाण बौद्धिक, नैतिक और आत्मिक गुण और उस सेवकाई के लिए सामान्य स्वास्थ्य जिसके लिए प्रत्याशी को लगता है कि वह बुलाहट रखता है।

231.4. प्रत्येक प्रत्याक्षी के आचरण की सावधानीपूर्वक जाँच करना और यह पता करना कि कहीं प्रत्याक्षी किसी ऐसे आचरण में तो नहीं था या अब शामिल हो रहा है, जिसके जारी रहने पर वह उस सेवकाई के लिए योग्य नहीं ठहरता जिसके लिए उसने आवेदन किया है।

231.5. यदि पादरी के न रहने पर कोई पादरी की पूर्ति के लिए नियुक्त किया गया है और वह नियमित रूप में नियुक्ति चाहता है तो उसकी नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के आवेदन पर अनुशंसा हेतु समीक्षा करना, यदि उसकी सेवाएँ नियुक्ति के बाद होने वाली प्रांतीय सभा के बाद भी जारी रखी जाएगी। (531.6)

231.6. यदि कोई दीक्षित सेवक लगातार दो वर्ष प्रांतीय सभा को रिपोर्ट देने में असफल रहता है तो उसके कारणों की जाँच और समीक्षा करना और प्रांतीय सभा को उसका नाम आगे सेवकों की प्रकाशित होने वाली सूची में, प्राचीनों या सह–सेवकों के साथ रखा जाए अथवा नहीं, इस विषय पर अनुशंसा भेजना।

231.7. यदि दीक्षित सेवक/सेविका संकेत करता है कि उसने किसी दूसरी कलीसिया की सदस्यता ग्रहण कर ली है या फिर वह किसी दूसरी कलीसिया या समूह के साथ स्वतंत्र गतिविधियों में भाग ले रहा है और फिर उसने आधिकारिक रूप में अनुमति नहीं ली है और वह प्रांतीय सभा से अनुशंसा चाहता है कि उसका नाम 'सेवकों की सूची' में रखा जाये। इस प्रकार के रिपोर्ट की जाँच करना। (112, 538.13)

231.8. प्रांतीय सभा में सेवानिवृत्त के लिए प्राप्त आवेदनों की अनुशंसा और उन पर भी जो कलीसिया मंडल के निर्णय के अनुसार किसी निर्बलता या आयु वर्ग के कारण आगे सक्रिय रूप में सेवकाई नहीं कर सकते हैं। (205.27, 536)

231.9. याजकीय सेवक समूह के सदस्य और आधिकारिक–पत्र प्राप्त सेवक जो सेवकाई की भूमिका में बने रहना चाहते हैं और दूसरे प्रांत में जाना चाहते हैं, प्रांतीय सभा को उनके आवेदनों पर अनुशंसा भेजना, इसमें बीच सत्र में प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा किए गए स्थानांतरण भी शामिल है। (205.9, 537–537.2)

231.10. प्रांतीय सभा को उन व्यक्तियों की अनुशंसा करना जिनके पास सेवकाई प्रमाण–पत्र है, वे याजकीय सेवकों के सदस्य है, जिनके पास आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) है और दूसरे प्रांत में जाना चाहते हैं, उनमें प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा स्वीकृत सत्र के बीच के स्थानांतरण भी शामिल है। (205.8, 537–537.2)

घ. प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति

232. प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति पाँच या अधिक नियुक्त दीक्षित सेवकों से बनेगा, जिन्हें प्रांत की सभा चार वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनेगी। वे उनके उत्तराधिकारीयों के चुने जाने और प्रशिक्षित हो जाने तक कार्य करेंगे। किन्तु उनकी सेवा अवधि में बदलाव संभव है, मंडल कुछ सदस्यों को आनुपातिक रूप में प्रतिवर्ष चुन सकता है। (205.16)

232.1. प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति, प्रांतीय सभा के सत्र के बीच होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए प्रांतीय अधीक्षक नियुक्तियां कर सकते हैं। (215)

233. जिसमें मंडल का चुनाव किया जाता है, उस प्रांतीय सभा के समाप्त होने पर प्रांतीय अधीक्षक या प्रांतीय सचिव एक सभा बुलाएंगे जिसमें मंडल के सभी सदस्य संगठन और योजनाएं निम्नानुसार तय करेंगे।

233.1. मंडल अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेगा। वे किसी नियुक्त दीक्षित सेवक को सचिव चुनेंगे, जिनकी अन्य सदस्यों के साथ

मिलकर दीक्षा के लिए प्रत्याक्षियों की जाँच करने और उन्हें एक विधिवत् अध्ययन के पाठ्यक्रम में भेजने की जिम्मेदारी होगी। वे सभी छात्रों का एक स्थायी अभिलेख बनाकर रखेंगे। (233.5, 529.1–529.3)

233.2. अध्यक्ष, मंडल के अन्य सदस्यों को जिम्मेदारी देगा कि वे विधिवत् अध्ययन के लिए सूचीबद्ध सभी प्रत्याक्षियों को सेवकाई के कार्य में तैयार करने के लिए पर्यवेक्षण करे। ऐसी जिम्मेदारी तब तक होगी जब तक प्रत्याशी सक्रिय रूप में सूचीबद्ध है और समिति के सदस्य का कार्यकाल जारी है अन्यथा कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।

233.3. अध्यक्ष, मंडल की सभी सभाओं में उपस्थित रहेगा, यदि उसकी उपस्थिति कुछ समय के लिए रोकी न गई हो और वह प्रतिवर्ष के काम की निगरानी करेगा। जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति आवश्यक होगी तब उसका कार्य अस्थायी रूप से सचिव संभालेगा।

233.4. प्रांतीय सभा के खर्च पर सेवकाई अध्ययन समिति का सचिव उपयुक्त अभिलेख तैयार करेगा जो प्रांतीय सभा की संपत्ति उसे 'सोर्सबुक ऑन आर्डिनेशन' (दीक्षा पर स्त्रोत्र पुस्तक) में दिये गए निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

233.5. मंडल के अन्य सदस्य विश्वास योग्यतापूर्वक मंडल की सभी सभाओं में उपस्थित रहेंगे और सभी उम्मीदवारों का पर्यवेक्षक करेंगे। (1) प्रोत्साहन, परामर्श और मार्गदर्शन और (2) उदाहरण के द्वारा याजकीय समुदाय के सदस्य के रूप में नीति संबंधी बातचीत करके विशेषकर यह कि याजकीय सेवा के एक सदस्य को कैसे यौन दुराचार से बचना चाहिए। (233.1)

233.6. मंडल, प्रांतीय अधीक्षक और वैश्विक धर्मसेवक विकास कार्यालय के साथ सहयोग करेगा और विभागीय अध्ययन पाठ्यक्रम सलाहकार समिति के साथ मिलकर जो नाज़रीन उच्च शैक्षिक संस्थान में कोई विधिवत पाठ्यक्रम सीख रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के तरीके खोजना, उनकी सहायता करना और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना, जैसे कार्य करेगा।

234. आधिकारिक–पत्र प्राप्त सेवकों या अन्य उम्मी द्वारों के लिए जो अध्ययन के विभिन्न प्रामाणिक पाठ्यक्रमों को विधिवत् सीखना चाहते है, उनके लिए मंडल चाहे तो कक्षाएं या सेमिनार कर सकता है, प्रांत की आर्थिक स्थिति

को ध्यान में रखकर सभी पुस्तकों के लिए पुस्तकालय स्थापित कर सकता है जिससे कि आवश्यक होने पर उम्मीदवार पुस्तकें प्राप्त कर सके।

234.1. प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति के अध्यक्ष और सचिव को यह अधिकार है कि वे सेवकाई में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रांतीय अधीक्षक से विचार–विमर्श करके किसी छात्र का नाम अध्ययन के प्रामाणिक पाठ्यक्रम के लिए सूचीबद्ध करें। (233.1–233.2, 529.1–529.3)

234.2. मंडल आधिकारिक 'सोर्सबुक ऑन ऑर्डिनेशन' के दिये निर्देशों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा –

234.3. प्रत्येक उम्मीदवार की शिक्षा संबंधी प्रगति की संपूर्ण जानकारी मंडल द्वारा प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति को समय–समय पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वह जानकारी प्रांतीय सभा में प्रस्तुत की जा सके। प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति, शिक्षा पूरी करनेवालों को नियुक्त करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रांतीय सभा में अनुशंसा भेजेगा, जब वे विभिन्न पाठ्यक्रम को विधिवत् पूरा करेंगे। इस प्रकार की नियुक्ति और आगे बढ़ाने की कार्यवाही जो स्नातकों के लिए की जायेगी, वह पूरी तरह वैश्विक धर्मसेवक विकास कार्यालय से जारी मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार उस पाठ्यक्रम की विभागीय अध्ययन पाठ्यक्रम सलाहकार समिति के माध्यम से होगी।

234.4. प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति प्रांत में सभी दीक्षित सेवकों एवं सेवकाई से जुड़े कर्मचारी को जीवन भर शिक्षा देते रहने के उद्देश्य से नाज़रीन कलीसियाओं के आधिकारिक मान्यता प्राप्त संस्थानों के सहयोग से शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा, उन सबके लिए जो सेवकाई के लिए तैयारी करते हैं संबंधित विभागीय अध्ययन सलाहकार समिति और वैश्विक धर्मसेवक विकास कार्यालय के द्वारा कार्य करेगा जो कि प्रांतीय अधीक्षक के सामान्य मार्गदर्शन में किया जाएगा। जीवनभर सीखने की प्रक्रिया में नीतिगत् वह नैतिक शिक्षा भी शामिल है जिसका संबंध धर्मसेवक समूह का सदस्य बनने से है जिसमें विशेष ध्यान इस बात पर दिया जाए कि धर्मसेवक समूह का सदस्य होकर वह यौन दुराचार से किस प्रकार बचें।

ड. प्रांतीय सुसमाचार प्रचारकीय समिति या सुसमाचार प्रचारकीय समिति के निदेशक

235. प्रांतीय सभा प्रांतीय सुसमाचार प्रचार मंडल या सुसमाचार प्रचार के निदेशक का चुनाव कर सकती है। चुना हुआ व्यक्ति अगली प्रांतीय सभा के समापन और उसके उत्तराधिकारी का चुनाव एवं प्रशिक्षण होने तक पद पर रहेगा। (205.19)

235.1. प्रांतीय अधीक्षक के साथ सहयोग करते हुए प्रांतीय सुसमाचार प्रचार मंडल या सुसमाचार–प्रचार के निदेशक, पवित्रता के सुसमाचार की आवश्यकता को समझाने और बढ़ाने के प्रयास करेंगे, उसके लिए वे प्रशिक्षण कार्यक्रम, रैलियाँ और सम्मेलन इत्यादि आयोजित करेंगे, जिसमें स्थानीय कलीसिया में पवित्रीकरण आंदोलन के लिए परमेश्वर की बुलाहट प्राप्त सुसमाचार–प्रचार और अन्य कोई साधन उपयोग करेगा, जो मसीह की देह में कार्य करते हुए प्रांत को यीशु मसीह के महान आदेश को प्रथम प्राथमिकता बनाने के लिए प्रभावित कर सकें।

च. प्रांतीय कलीसिया संपत्ति समिति

236. प्रांतीय कलीसिया संपत्ति समिति, संगठित करने के लिए प्रांतीय अधीक्षक, पदेन अध्यक्ष और कम से कम दो नियुक्त सेवक और दो अयाजकीय सदस्य चाहिए। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभा करेगी जिनका कार्यकाल चार वर्षों का होगा या जब तक कि उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव एवं प्रशिक्षण न हो जाए। प्रांतीय सभा में समुचित बहुमत पाकर प्रांतीय सलाहकार मंडल, प्रांतीय कलीसिया संपत्ति समिति के रूप में कार्य कर सकता है।

237. प्रांतीय कलीसिया संपत्ति समिति के कर्तव्यः

237.1. कलीसिया से संबंधित भवनों के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जो प्रांतीय की सीमा के अंतर्गत आते हैं, प्रांतीय सलाहकार मंडल के सहयोग से कार्य करना।

237.2. स्थानीय कलीसिया की संपत्ति के दस्तावेजों को प्रमाणित करना और सुरक्षित रखना।

237.3. स्थानीय कलीसियाओं के द्वारा अचल संपत्ति खरीदने या बेचने या नए कलीसिया भवन या पादरी के लिए घर बनाने संबंधित प्रस्तावो पर विचार करना और उनके विषय में सलाह देना। (103–104)

237.4. स्थानीय कलीसिया द्वारा कलीसिया भवन सुधार या विस्तार की योजना, अचल संपत्ति खरीदने ऋण या नए भवन के निर्माण संबंधी प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को प्रांतीय अध्यक्ष की सहमति लेकर अनुमति देना या अस्वीकार करना। सामन्य तौर पर कलीसिया संपत्ति समिति उन आवेदनों को स्वीकार कर लेगा जिनकों ऋण बढ़ाने का प्रस्ताव है, बशर्ते वे नीचे दिए मार्गदर्शन के अनुरूप हो –

1. यदि स्थानीय कलीसिया ऋण बढ़ाने का प्रस्ताव करने से पूर्व अगले दो वर्ष के लिए आनुपातिक रूप में देय सभी आर्थिक सहायता धनराशि का पूर्ण भूगतान कर दे।
2. ऋ़ण की कुल राशि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सभी उद्देश्यों के लिए एकत्रित धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो।
3. जिस भवन के सुधार या निर्माण या पुर्ननिर्माण का प्रस्ताव है वह विस्तार सहित कलीसिया संपत्ति समिति द्वारा स्वीकृत हो।
4. ऋण की धनराशि और भुगतान करने की सीमा कलीसिया के आत्मिक–जीवन को नकारात्मक रूप में प्रभावित न करे।

कलीसिया संपत्ति समिति उन आवेदनों को भी अनुमति दे सकता है जो इन मार्गदर्शनों के अनुरूप नहीं है यदि प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल उसे अनुमति देते हैं। (103–104)

237.5. प्रांतीय सभा द्वारा सौंपे गए उन सभी कामों को करना जिनका संबंध स्थानीय कलीसिया की संपत्ति से है।

द. प्रांतीय सभा की वित्त समिति

238. प्रांतीय सभा की वित्त समिति के कर्तव्यः

238.1. प्रांतीय सभा से पूर्व सभा करना और सभी आनुपातिक आर्थिक धनराशि जो देना है, उसके लिए प्रांतीय सभा की अनुशंसा प्राप्त करना और

उस आनुपातिक देय धन का स्थानीय कलीसियाओं के लिए निर्धारण करना। (32.5)

238.2. प्रांत के वित्त प्रबंध के संदर्भ में प्रांतीय सभा द्वारा दिए गए सभी दायित्वों को पूरा करना। (205.21)

238.3. प्रांतीय सभा द्वारा स्थानीय कलीसियाओं के लिए स्वीकृत आनुपातिक देय धन का प्रतिशत और उनके निर्धारण का तरीका प्रांत के पत्रिका में प्रकाशित करना।

ज. प्रांतीय सलाहकार समिति

239. प्रांतीय सलाहकार समिति, प्रांतीय सलाहकार मंडल, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.(के अध्यक्ष, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) के सभा अध्यक्ष, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) के सभा अध्यक्ष, प्रांतीय सचिव और प्रांतीय कोषाध्यक्ष से मिलकर बनेगी। समिति की बैठक आवश्यकता के अनुसार की जाएगी, जिसमें प्रांतीय अधीक्षक या उस अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेंगे। (209)

झ. प्रांतीय संस्थागत पादरीपन के निदेशक

240. प्रांतीय अध्यक्ष, संस्थागत पादरीपन के निदेशक की नियुक्ति कर सकते हैं। प्रांतीय अधीक्षक के सहयोग से, संस्थागत पादरीपन के निदेशक, पादरीपन की विशेषज्ञता की सेवकाई के द्वारा पवित्रता के सुसमाचार प्रचार को बढ़ाने और फैलाने का प्रयास करेंगें। निदेशक सुसमाचार–प्रचार को सहयोग एवं उसे बढ़ावा देने, औद्योगिक, संस्थागत, परिसर और सैन्य, अवसरों का प्रयोग करेंगे। निदेशक, नाज़रीन सेवा–सदस्यों और सैन्य संस्थानों पर विशेष ध्यान देंगे, वे उन केन्द्रों के निकट स्थानों में मेजबान पादरियों की नियुक्ति और सहायता प्रदान करेंगे ताकि सेवा सदस्यों और उनके परिवार–जनों को मसीह में प्रभावित कर सके, जबकि वे उनके देश की सेवा कर रहे हैं। (211.9)

ञ. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल

241. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.), प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) के अध्यक्ष, प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा सेवकाई (एन.वाई. आई.) के अध्यक्ष, और प्रांतीय एस.डी.एम.आई. मंडल के अध्यक्ष, वे जिनसे कार्यकारी समिति बनती है, और कम से कम तीन अतिरिक्त सदस्यों से मिलकर बनता है। प्रांतीय सभा या प्रांतीय एस.डी.एम.आई. सम्मेलन अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव अलग–अलग समय के लिए तीन वर्ष के लिए कर सकते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी चुने व प्रशिक्षण न प्राप्त कर लें। प्रांतीय एस.डी.एम.आई. मंडल में आरंभिक संगठन के लिए नामांकित 6 में से 3 अतिरिक्त सदस्यों के रूप में चुने जाते हैं, उनमें से एक तीन वर्ष के लिए, दूसरा दो वर्ष के लिए और तीसरा एक वर्ष के लिए चुना जाता है। किन्तु प्रांत की सदस्यता 5000 से अधिक होने पर, नामांकित और चुने गए व्यक्तियों की संख्या दो गुनी की जा सकती है और जहाँ भी संभव हो सके इस में से कम से कम चार व्यक्ति मंडल में अयाजक होने चाहिए। प्रांतीय सभा के बीच सत्र में एस.डी.एम.आई. मंडल में होने वाली रिक्तियों को प्रांतीय अधीक्षक द्वारा भरा जा सकता है। (215)

प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई मंडल के कर्तव्यः

241.1. चुनाव के बाद एक सप्ताह के भीतर बैठक करना और इन पदों पर चुनाव करना – सचिव, कोषाधिकारी, व्यस्क सेवकाई, के प्रांतीय निदेशक, बाल–सेवकाई प्रांतीय निदेशक, बाल सेवकाई के प्रांतीय निदेशक और निरंतर अयाजक प्रशिक्षण के प्रांतीय निदेशक, जो बाद में एस.डी.एम.आई. के पदेन सदस्य बनेंगे। यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रांत के अन्य निदेशकों के पदों के लिए कार्यकारी समिति नामांकन कर सकती है, जिन्हें मंडल द्वारा चुना जाएगा।

241.2. प्रांत के हित में सभी अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई का पर्यवेक्षण करना।

241.3. बाल—सेवा परिषद का चुनाव करना जिसका अध्यक्ष, बाल सेवकाई का प्रांतीय अध्यक्ष होगा और उसके सदस्य—गण लड़के और लड़कियों के परिसर के निदेशक, कारवाँ, अवकाशकालीन बाइबिल विद्यालय, बाइबिल प्रश्नोत्तरी, बच्चों की कलीसिया, शिशु—सूची के निदेशक और अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्ति के निदेशक होंगे।

ध्यान दें: बाल सेवकाई और व्यस्कों की सेवकाई परिषद के विषय में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया एस.डी.एम.आई. हस्तपुस्तिका देखें।

241.4. व्यस्क सेवा परिषद्, का चुनाव करना, जिसका अध्यक्ष व्यस्क सेवकाई का प्रांतीय निदेशक होंगे और उसके सदस्य गणः विवाह और पारिवारिक जीवन के निदेशक, वरिष्ठ व्यस्क सेवकाई के निदेशक, एकल—व्यस्क सेवकाई के निदेशक, अयाजक आश्रय के निदेशक, बाइबिल अध्ययन के छोटे समूह, महिलाओं की सेवकाई के निदेशक और पुरुषों की सेवकाई के निदेशक और अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तियों के निदेशक होंगे।

241.5. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के वार्षिक सम्मेलन को बुलाना। (241)

241.6. प्रांतीय अधीक्षक के साथ परामर्श करके यह तय करना कि प्रांत के अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम. आई.) मंडल के सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय सभा में या एस.डी.एम. आई. सम्मेलन में होगा।

241.7. सभी स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के अधीक्षकों, आयु—वर्ग की सेवकाइयों के निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई एन.वाई.आई. के अध्यक्षों को प्रोत्साहित करना कि वे प्रांतीय एस.डी.एम.आई. सम्मेलन में उपस्थित रहे और जैसा अवसर मिले उसमें भाग लें।

241.8. प्रांत को विशेष क्षेत्रों में बाँटना और उनके अध्यक्ष नियुक्त करना जो मंडल के सहायक होंगे और प्रांत के अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण

पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के कार्य को मंडल के अनुदेशों के अनुसार आगे बढ़ाएंगे।

241.9. प्रांत या विशेष क्षेत्रों के संदर्भ में लगातार अयाजक प्रशिक्षण कक्षाओं की योजना बनाना और उन पर अमल करना।

241.10. नाज़रीन कलीसिया के, अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाईयों के कार्यालय की सहायता करना और प्रांतीय और स्थानीय एस.डी.एम.आई. के हित की जानकारियाँ प्राप्त करना।

241.11. प्रांतीय सभा की वित्त समिति को प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल के वार्षिक बजट की अनुशंसा करना।

241.12. प्रांत की आयोजक आश्रय की जिम्मेदारी लेना। व्यस्कों की सेवकाई के प्रांतीय निदेशक प्रांत की आयोजक आश्रय समिति का पदेन सदस्य होगा।

241.13. अपने अध्यक्ष की रिपोर्ट को अनुमोदन देना ताकि उसे प्रांतीय सभा में रखा जाए।

241.14. आवश्यकतानुसार, जैसा प्रांतीय अधीक्षक या प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल के अध्यक्ष तय करे, बार–बार बैठक करना, और मंडल की जिम्मेदारियों की योजनाओं को बनाना और उन पर अमल करना।

242. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) के अध्यक्षः प्रांतीय सभा या एस.डी.एम.आई. सम्मेलन में प्रांतीय एस.डी.एम.आई. मंडल के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, उनका सेवाकाल एक या दो वर्ष का होगा। प्रांत की नामांकन समिति दो या दो से अधिक नामांकन प्रस्तुत करेगी। पदेन अध्यक्ष को 'हाँ' या 'ना' के मत के अनुसार फिर से पद पर रखा जा सकता है, यदि प्रांतीय एस.डी.एम.आई. मंडल ऐसे मतदान को स्वीकृत करता है और प्रांतीय अधीक्षक उसकी स्वीकृति देते हैं। प्रांतीय सभा के बीच सत्र में होने वाली रिक्ति अनुच्छेद 215 में दिए प्रावधान के अंतर्गत भी जा सकती है। (241.6)

प्रांतीय एस.डी.एम.आई. मंडल के अध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकार –

242.1. अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) को प्रांत में जिम्मेदारी पूर्ण नेतृत्व प्रदान करनाः

1. नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि के लिए प्रचार कार्यक्रम बनाना।
2. बच्चों एवं व्यस्कों की सेवकाइयों से संबंधित सभी कार्यक्रमों का समन्वयन करना।
3. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) के सहयोग से युवा रविवारीय विद्यालय/बाइबिल अध्ययन/छोटे समूह को समन्वयन कराना।

242.2. प्रांतीय सभा और प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल का पदेन सदस्य बनना।

242.3. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) मंडल के लिए वार्षिक प्रपत्र तैयार करना।

ट. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई

243. नाज़रीन युवा सेवकाई प्रांतीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) के अधीन एन.वाई.आई. के लिखित अधिकार–पत्र और प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रांतीय सभा के अधिकार के अधीन है। प्रांत की एन.वाई.आई. का गठन प्रांतीय सभा के अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम.आई.) एवं शिष्यता सेवकाई के सदस्यों और स्थानीय से मिलकर होगा।

243.1. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई.) के अधीन एन.वाई.आई. स्वयं का संगठन, प्रांतीय एन.वाई.आई. सेवकाई के योजना (810.200–810.219) के अनुसार करेगी, जिसे प्रांत की युवा सेवकाई की आवश्यकताओं (देखें अनुच्छेद 810.203) के अनुरूप एन.वाई.आई. के लिखित अधिकार–पत्र और नाज़रीन कलीसिया की विवरणिका के निर्देशानुसार स्वीकार किया जा सकता है।

ठ. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.एम.आई.) के अधीन

244. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई एन.वाई.आई. के अधीन एन.एम.आई. के द्वारा प्रांतीय सभाओं की समीमाओं के भीतर गठित होगाः प्रांतीय एन.एम.आई. प्रांत की सेवकाइयों में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई का प्रतिनिधित्व करेगी। (811)

244.1. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई एन.एम.आई.के संविधान द्वारा प्रशासित होगा। जिसे वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सेवकाई सम्मेलन और वैश्विक धर्मप्रचारक समिति द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह प्रांतीय अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार मंडल, प्रांतीय सभा और प्रांतीय एन.एम.आई. परिषद के अधीन होगा। (811)

244.2. प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.एम.आई.) के अध्यक्ष बिना वेतन कार्य करेंगे और प्रांतीय सभा के पदेन सदस्य होंगे। (201)

ड. प्रांत के वेतनभोगी सहायक

245. जब प्रांत के प्रशासन में अधिक दक्षता लाने के लिए वेतनभोगी सहायकों की नियुक्ति करना आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति याजकीय सेवक हो या अयाजकीय सेवक, प्रांतीय अधीक्षक के द्वारा नामांकित किए जाएंगे। जब उन्हें अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक से स्वीकृति मिल जाएगीं उनका चुनाव प्रांतीय सलाहकार मंडल करेगा। ऐसे सहायकों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा परन्तु प्रांतीय अधीक्षक की अनुशंसा और प्रांतीय सलाहकार मंडल के बहुमत के निर्णय के द्वारा कार्यकाल का नवीनीकरण किया जा सकता है। (211.16)

245.1. ऐसे सहायकों को उनके कार्यकाल की अवधि से पूर्व पद से हटाने के लिए प्रांतीय अधीक्षक की अनुशंसा और प्रांतीय सलाहकार मंडल के बहुमत की आवश्यकता होगी। (225.16)

245.2. प्रांतीय सहायकों के कर्तव्य और सेवाकार्य का निर्धारण एवं पर्यवेक्षण प्रांतीय अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा।

245.3. प्रांतीय अधीक्षक द्वारा इस्तीफा देने या पद से हटने पर, वेतनभोगी सहायकों का कार्यकाल समाप्त माना जाएगा, जब तक कि राष्ट्रीय नियमों द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न दी गई हो। हालाँकि एक या अधिक कर्मचारी अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की और प्रांतीय सलाहकार मंडल की अनुशंसा पर रह सकते है लेकिन तब तक ही जब तक नया अधीक्षक पदभार न ग्रहण कर ले। (209.3—209.4)

245.4. वेतनभोगी सहायकों पर अन्य प्रांत में निर्वाचित या नियुक्ति के पद जैसे कि प्रांतीय सचिव या प्रांत के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करने का प्रतिबंध नहीं है। एक वेतनभोगी प्रांतीय सहायक, प्रांतीय सलाहकार मंडल में सेवा करने के योग्य नहीं माना जाएगा।

च. प्रांत का विघटन

246. जब प्रमुख अधीक्षकों के मंडल के समक्ष स्पष्ट राय बनती है कि किसी प्रांत को आगे न चलाया जाए तो उनकी अनुशंसा पर नाज़रीन कलीसिया का प्रमुख मंडल मतदान करेगा और दो—तिहाई मतों के पक्ष में पड़ने पर प्रांत का विघटन किए जाने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। (200)

246.1. यदि कोई प्रांत आधिकारिक रूप में विघटित हो जाता है तब जो भी कलीसिया की संपत्ति अस्तित्व में होगी वह किसी भी कारण से अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं दी जाएगी परंतु उसका स्वामित्व नाज़रीन कलीसिया के पास रहेगा, कलीसिया के वृहत—उपयोग के लिए जैसा प्रमुख सभा निर्देश देगी। न्यासी, जिनके पास संपत्ति है और निगम जो उन संपत्तियों के संदर्भ में बनाए गए हैं, विघटित प्रांत में उन संपत्तियों को बेचने का कार्य नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करने के लिए नाज़रीन कलीसिया द्वारा नियुक्त अभिकर्ता आदेश और निर्देश न दे, वे ऐसे अभिकर्ता को संपत्ति/धनराशि सौप देंगे। (106.2, 106.5, 225.6)

3. प्रमुख प्रशासन

क. प्रमुख सभा के कार्य एवं संगठन

300. प्रमुख सभा, नाज़रीन कलीसिया के संविधान के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख धर्म सिद्धांत बनाने, कानून बनाने और चुनाव संबंधित अधिकारों को रखने वाली सभा है। (25–25.8)

300.1. प्रमुख सभा की अध्यक्षता, प्रमुख अधीक्षकों द्वारा किया जाएगा। (25.5, 307.3)

302.2. प्रमुख सभा, अधिकारियों के चुनाव और कार्य के संबंध में लेन–देन और संगठन संबंधित कार्य करेंगी। (25.6)

300.3. व्यवस्था या क्रम के नियमः लागू नियमों, निगमीकरण के कथन और विवरणिका में दिए प्रशासन के नियम कानूनों के आधार पर नाज़रीन कलीसिया की स्थानीय, प्रांतीय और प्रमुख स्तर एवं निगमों की समितियों की बैठकें, संसदीय प्रक्रियाओं के लिए 'रॉबर्ट्स रूल्स ऑफ आर्डर न्यूली रिवाइज्ड' (नवीनतम संस्करण) के आधार पर संपन्न होगी। (34)

ख. प्रमुख सभा की सदस्यता

301. प्रमुख सभा का गठन याजकीय और अयाजकीय प्रतिनिधियों की समतुल्य संख्या से होगा। जो प्रत्येक चरण 3 प्रांत से होंगे। प्रांतीय अधीक्षक एक दीक्षित याजकीय प्रतिनिधि, शेष दीक्षित सेवकों के प्रतिनिधि और प्रांतीय सभाओं द्वारा चुने गए सभी अयाजक प्रतिनिधि, प्रमुख अधीक्षक जो पद पर हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, प्रमुख अधीक्षक; वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई (एन.एम.आई.) के अध्यक्ष, नाज़रीन कलीसिया के निदेशक गण, जिनके ऊपर वैश्विक जिम्मेदारी है और जो प्रमुख मंडल को परिपूर्ण विवरण देते हैं। विभागीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल, विद्यालय के अध्यक्षों में से आधे इत्यादि मत देने वाले सदस्य होंगे और दूसरे आधे मत नहीं देने वाले सदस्यगण होंगे। जिनकी संख्या और चुनाव की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल द्वारा तय की जाएगी। प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख मंडल–अधिकृत धर्म प्रचारक प्रतिनिधि का चुनाव उस विभाग में सेवा कर रहे, प्रमुख मंडल अधिकृत धर्मप्रचारकों द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार का चुनाव न होने की

स्थिति में सेवक धर्म–प्रचारक प्रतिनिधि का चुनाव वैश्विक धर्म–प्रचारक समिति द्वारा किया जाएगा।

301.1. प्रत्येक चरण 3 प्रांत के अधिकारी का प्रतिनिधित्व प्रमुख सभा में इस प्रकार किया जाएगाः प्रथम 6000 या उससे कम पूर्ण कलीसिया के सदस्यों के लिए दो नियुक्त दीक्षित सेवक और दो याजकीय सेवक होंगे और अगले 4000 पूर्ण सदस्य और प्रत्येक क्रमिक अतिरिक्त 5000 पूर्ण सदस्यों के लिए एक अतिरिक्त दीक्षित सेवक और एक अतिरिक्त अयाजक सेवक होंगे। "नियुक्त दीक्षित सेवक" प्राचीनों और सह–सेवकों को सम्मिलित करेंगे। (नीचे दिए गए सारणी को देखें)

पूर्ण सदस्यों की संख्याः	प्रतिनिधियों की संख्या
0—6,000:	4 (2 अयाजकीय, 2 याजकीय)
6,001—10,000:	6 (3 अयाजकीय, 3 याजकीय)
10,001—15,000:	8 (4 अयाजकीय, 4 याजकीय)
20,001—25,000:	10 (5 अयाजकीय, 5 याजकीय)
25,001—30,000:	14 (7 अयाजकीय, 7 याजकीय)
30,001—35,000:	16 (8 अयाजकीय, 8 याजकीय)
35,001—40,000:	18 (9 अयाजकीय, 9 याजकीय)

(प्रत्येक 5,000 सदस्यों के ऊपर 40,000 सदस्यों तक 1 अतिरिक्त अयाजकीय प्रतिनिधि और 1 अतिरिक्त याजकीय प्रतिनिधि होगा)

301.2. प्रत्येक चरण 3 प्रांत एक नियुक्त दीक्षित सेवक और एक अयाजकीय प्रतिनिधि को प्रमुख सभा में पद देगा। नियुक्त दीक्षित सेवक प्रतिनिधि, प्रांतीय अधीक्षक होगा। प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए एक विकल्प का चुनाव किया जाएगा।

301.3. चरण 1 प्रांत, प्रमुख सभा में एक मत न देने वाले प्रतिनिधि को पद देंगे। प्रांतीय अधीक्षक, प्रतिनिधि होगा, वह (स्त्री या पुरुष) प्रांत में अपने (स्त्री या पुरुष) सदस्यता को नियंत्रित रखेगा। यदि प्रांतीय अधीक्षक, प्रांत में अपनी सदस्यता को नियंत्रित नहीं रख पाएगा तो एक विकल्प जो प्रांत का एक सदस्य होगा, चुना जाएगा।

301.4. प्रमुख सभा से निर्वाचित, एक नियुक्त याजकीय प्रतिनिधि का प्रांतीय सभा का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रद्द किया जाएगा यदि वह (स्त्री या

पुरुष) किस अन्य याजकीय कार्य में किसी अन्य प्रांत में चले गया हो या यदि चयनित प्रतिनिधि प्रमुख सभा के आयोजन से पूर्व, नाज़रीन कलीसिया के सक्रिय सेवकाई को छोड़ दे। कोई भी सेवक जिसे प्रांत द्वारा आधिकारिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई हो वह प्रमुख सभा में प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने के अयोग्य है।

301.5. प्रमुख सभा से निर्वाचित, एक अयाजकीय प्रतिनिधि का प्रांतीय सभा में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रद्द किया जाएगा यदि उसने (स्त्री या पुरुष) अपनी कलीसिया की सदस्यता को छोड़कर अन्य प्रांत के स्थायी कलीसिया की सदस्यता प्रमुख सभा के आयोजन से पूर्व ग्रहण की हो।

ग. प्रमुख सभा का समय और स्थान

302. प्रमुख सभा का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष में जून के महीने में आयोजित किया जाएगा। समय और स्थान का निर्धारण प्रमुख सभा आयोग द्वारा किया जाएगा, जो प्रमुख अधीक्षकों और प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा चयनित समान संख्या के सदस्य द्वारा बना हो। आपातकालीन स्थिति में प्रमुख सभा आयोग के पास यह अधिकार होगा कि वह प्रमुख सभा के आयोजन के समय और स्थान को बदल सकता है।

302.1. प्रमुख अधीक्षक मंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रमुख मंडल के कर्मचारी समिति के साथ विचार–विमर्श कर, प्रमुख सभा के आयोजन के लिए एक उपयुक्त समकालिक कार्य स्थल (स्थानों) का चुनाव करे। ऐसे समकालिक कार्यस्थलों से मतदान करने की पहचान आधिकारिक मतदान के साथ मुख्य कार्यस्थल से प्रतिनिधि के मतदान के रूप में की जाएगी।

302.2. प्रमुख सभा का आरंभ धार्मिक और प्रेरणादायक आराधना द्वारा किया जाएगा। व्यापारिक प्रबंध और अन्य धार्मिक सेवाओं के लिए प्रावधान बनाए जाएंगे। प्रमुख सभा, सभा के समापन के समय को निर्धारित करेगी।

घ. प्रमुख सभा के विशेष सत्र

303. प्रमुख अधीक्षक मंडल को या उसके बहुमत जिसमें सभी प्रांतीय अधीक्षकों को दो–तिहाई लिखित सहमति हो, को यह अधिकार होगा कि वह

आपातकालीन स्थिति में प्रमुख सभा के विशेष सत्र को बुला सकते हैं, समय और स्थान का निर्धारण प्रमुख अधीक्षकों और प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा चुनी गई आयोग द्वारा किया जाएगा।

303.1. प्रमुख सभा के, विशेष सत्र की स्थिति में अंतिम पूर्वगामी प्रमुख सभा के प्रतिनिधि और पर्याय सदस्य, या उनके द्वारा चुने गए योग्य उत्तराधिकारी विशेष सत्र में प्रतिनिधि और पर्याय सदस्य के रूप में सेवा करेंगे।

ड. प्रमुख सभा आयोजन समिति

304. प्रमुख सभा के आयोजन से कम से कम एक वर्ष पूर्व, प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा प्रमुख सचिव, प्रमुख कोषाध्यक्ष और तीन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जो प्रमुख सभा आयोजन समिति को गठित करेंगे।

304.1. प्रमुख सभा आयोजन समिति को यह अधिकार होगा कि वह सभी आवश्यक विवरण को व्यवस्थित करें और प्रमुख सभा से संबंधित अनुबंध में प्रवेश करें।

304.2. प्रमुख सभा आयोजन समिति, प्रमुख अधीक्षकों के साथ प्रमुख सभा के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रमुख अधिकार, प्रभु–भोज सेवकाई और धार्मिक सेवकाई सम्मिलित हों और जो, प्रमुख सभा के अनुमोदन का विषय होगा।

च. प्रमुख सभा के क्रिया–कलाप

305. प्रमुख सभा के क्रिया–कलाप का विषय अनुच्छेद 25.8 में दिए कलीसिया के संविधान से है जो इस प्रकार होगाः

305.1. सभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले संदर्भ समिति अपने प्रस्ताव, सिफारिश, रिपोर्ट और अन्य स्थायी दस्तावेजों को प्रांत के आयोग, विशेष समिति, विशेष विधान समिति या क्षेत्रीय सभाओं को सौंपती है। संदर्भ समिति कार्यवाही के लिए सभा में उक्त क्षेत्रों की बैठकों के प्रमुख सभा प्रतिनिधियों को केवल एक विशिष्ट क्षेत्र/ क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कानून प्रस्तुत कर सकती है। परिवर्तन जो विवरणिका को प्रभावित करते हैं, उन पर पूरी प्रमुख सभा द्वारा कार्य किया जाना चाहिए।

305.2. इसके उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई मतों से चुनाव करें और छह प्रमुख अधीक्षक को मतदान करें जो अगले प्रमुख सभा के अंतिम स्थगन के बाद 30 दिनों तक और जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित और योग्य नहीं होंगे, कार्यालय को सँभालेगे ;

अ) पहले वर्तमान में सेवारत् प्रमुख अधीक्षकों के लिए "हाँ" या "ना" मतदान होगा।

ब) सभी प्रमुख अधीक्षकों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष रिक्तियों को चुनावों के पूरा होने तक मतदान द्वारा भरा जाएगा।

इस स्थिति में कि कोई व्यक्ति जो इस प्रावधान के तहत अयोग्य है उसे पहले मतदान पर मत प्राप्त होता है, उस व्यक्ति का नाम निर्वाचित मतदान से हटा दिया जाएगा और पहले मतदान की रिपोर्ट में यह कथन शामिल होगा; "कार्यालय के लिए अयोग्यता के कारण एक या अधिक नाम हटा दिए गए हैं।"

कोई भी प्राचीन जिसने किसी भी समय अनुशासकीय कारणों से अपने प्रमाण–पत्र को आत्म–समर्पण किया हो वह प्रमुख अधीक्षक के कार्यालय के चुनाव के योग्य नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु तक न पहुँचा हो या जो 68 वर्ष की आयु तक पहुँच गया हो प्रमुख अधीक्षक के कार्यालय के लिए नहीं चुना जाएगा। (25.4, 307.16, 900)

305.3. उचित योग्य समझे जाने पर एक प्रमुख अधीक्षक को ससम्मान सेवामुक्त आदर के लिए चुनें अगर अधीक्षक असक्षम हो गया हो या उसे सेवानिवृत्त का दर्जा दिया गया हो। यह भी समझा जाता है कि ससम्मान सेवामुक्त आदर का चुनाव जीवन काल का होता है। (314.1)

305.4. सेवानिवृत्त होने की स्थिति में एक प्रमुख अधीक्षक जिसने इस तरह के संबंध का अनुरोध किया हो या जो प्रमुख सभा के निर्णय में शारीरिक अक्षमता के कारण अयोग्य बन गया हो या किसी अन्य अयोग्यता के कारण जो ऐसे व्यक्ति को प्रमुख अधीक्षक के काम के लिए पर्याप्त रूप से देख–रेख करने से रोकता है; और यह देखा जाता है कि उस अधीक्षक ने कम से कम एक पूर्ण कार्यकाल के लिए प्रमुख अधीक्षक के कार्यालय में सेवा की हो। क्या एक प्रमुख अधीक्षक को प्रमुख सभाओं के अंतरिम में सेवानिवृत्ति के लिए

निवेदन करना चाहिए, इस निवेदन की स्वीकृति प्रमुख मंडल, प्रमुख अधीक्षक मंडल की अनुशंसा पर नियमित सत्र में दे सकती है। (314.1)

305.5. प्रत्येक सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक के लिए एक उपयुक्त सेवानिवृत्ति पेंशन को स्थापित करना।

305.6. अगले आम प्रमुख सभा के अंतिम स्थगन तक और उत्तराधिकारियों के निर्वाचित और योग्य होने तक, सेवकाई के लिए अनुच्छेद 332.1, 33.4 में दिए गए अनुसार एक प्रमुख मंडल का चुनाव करें। (331, 901)

305.7. अगले आम प्रमुख सभा के अंतिम स्थगन तक और उत्तराधिकारियों के निर्वाचित और योग्य होने तक पाँच नियुक्त दीक्षित सेवकों से मुक्त एक प्रमुख अपीली न्यायालय का चुनाव करें। प्रमुख अधीक्षक मंडल अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करेंगे। (25.7, 611, 902)

305.8. कलीसिया के संविधान के अधीन, पवित्र शास्त्र के अनुरूप कुछ अन्य करें, वह ज्ञान नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख कल्याण और मसीह के पवित्र कार्यो के लिए हो सकता है। (25.8)

द. प्रमुख अधीक्षक

306. प्रमुख अधीक्षक की भूमिका, प्रेरिताई और दार्शनिक आत्मिक अगुवाई निम्नलिखित द्वारा कराना है।

- स्पष्ट मिशन (लक्ष्य)
- प्रक्षेप दर्शन
- याजकीय समूह के दीक्षित सदस्य
- धार्मिक सुसंगती का प्रचार करना
- प्रमुख कलीसिया के लिए क्षेत्राधिकार और प्रमुख प्रशासनिक निरीक्षण प्रदान करना।

307. प्रमुख अधीक्षक के कर्तव्य और अधिकार इस प्रकार हैं –

307.1. प्रमुख सभा द्वारा अंगीकृत नियम और कानून के अधीन रहकर नाज़रीन कलीसिया का प्रमुख पर्यवेक्षण करना।

307.2. प्रमुख सभा के पदेन सदस्य के रूप में सेवकाई करना। (301)

307.3. नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख सभा और प्रमुख मंडल की सभाओं के ऊपर अध्यक्षता करना। (300.1, 335.3)

307.4. प्रमुख अधीक्षक को यथायोग्य रूप से चयनित प्राचीन या सह–सेवक को दीक्षा देने का या दूसरों को दीक्षा देने के लिए नियुक्त करने का विवेकाधीन अधिकार है। (320, 538.5–538.6)

307.5. प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा सूचीबद्ध किए गए प्रत्येक प्रांतीय सभा की अध्यक्षता करना। एक प्रमुख अधीक्षक, एक दीक्षित प्राचीन को अध्यक्ष के रूप में सेवकाई करने के लिए नियुक्त कर सकता है। (202, 214)

307.6. प्रमुख अधीक्षक, प्रांतीय सभा, प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल, के ऊपर अध्यक्षता करेगा। स्थानीय कलीसियाओं की सहमति द्वारा वह उन स्थानीय कलीसियाओं में पादरियों को नियुक्त करेगा, जहाँ पर पादरी नहीं हैं। (218.1)

307.7. प्रमुख अधीक्षक, प्रांतीय सलाहकार समिति के परामर्श द्वारा प्रांतीय सभा सत्र के अंतरिम में जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, वहाँ पर प्रांतीय सभाओं के ऊपर प्रांतीय अधीक्षकों को नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 208 के अनुसार, सभी योग्य प्राचीन विचार के योग्य हैं वे भी जो उस प्रांत के हैं। (209, 239)

307.8. अस्थायी कार्यो में प्रांतीय अधीक्षक की असमर्थता होने पर, प्रमुख अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में प्रांतीय सलाहकार मंडल के परामर्श द्वारा एक योग्य प्राचीन को अंतरिम प्रांतीय अधीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकता है। उस अधिकार–क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल 'असमर्थता' के प्रश्न को निर्धारित करेंगे। (209.2)

307.9. संकट घोषित होने पर प्रमुख अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में प्रमुख अधीक्षक मंडल को चरण 3 जिला के गठन की अनुशंसा कर सकता है। (200.2, 322)

307.10. प्रमुख अधीक्षक अपने अधिकार–क्षेत्र में स्थायी कलीसिया के वार्षिक या एक विशेष सभा की अध्यक्षता कर सकता है या ऐसा करने के लिए प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है। (113.5)

307.11. प्रमुख अधीक्षक मंडल के अलावा अन्य कोई भी प्रमुख अधीक्षक नाज़रीन कलीसिया के किसी भी मंडल का मतदाता सदस्य नहीं होगा जब तक कथित मंडल द्वारा इसके लिए कोई कानून पारित न हो। (307.12)

307.12. एक प्रमुख अधीक्षक अपने कार्यकाल के समय में कलीसिया के अन्य प्रमुख कार्यालय को संचालित नहीं करेगा। (307.11)

307.13. प्रमुख अधीक्षकों के सभी कार्यालयी क्रिया—कलापों को प्रमुख सभा द्वारा समीक्षा और संशोधित किया जाएगा।

307.14. प्रमुख अधीक्षक के किसी भी कार्यालयी क्रिया—कलाप को प्रमुख अधीक्षक मंडल के शेष सदस्यों के एकमत द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

307.15. प्रमुख अधीक्षक के किसी भी कार्यालय को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि प्रमुख अधीक्षक मंडल के शेष सदस्यों का एकमत हो और प्रमुख सभा के दो—तिहाई मतों द्वारा समर्थित हो।

307.16. प्रमुख अधीक्षक का चुनाव प्रमुख सभा द्वारा किया जाएगा। वह तब तक आगामी प्रमुख सभा के आखिरी कार्यस्थगन के 30 दिनों तक सेवकाई करेगा या जब तक उसके उत्तराधिकारियों का चुनाव व प्रशिक्षण न हो जाए। (305.2)

ज. सेवामुक्त और सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक

314. सभी सेवामुक्त और सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक, प्रमुख सभा के पदेन सदस्य होंगे। (301)

314.1. एक प्रांतीय अधीक्षक जो सेवानिवृत्त अवस्था में है या सेवामुक्त रूप में प्रतिष्ठित है, वह प्रमुख अधीक्षक मंडल का सदस्य नहीं होगा। हालाँकि, यदि किसी कार्यक्रम में सक्रिय प्रांतीय अधीक्षक रोगी होने की दशा में, अस्पताल में भर्ती होने की दशा में या अन्य अनिवार्य आपातकालीन आवश्यकता में किसी भी नियत कार्य में अनुपस्थित हो तो प्रांतीय अधीक्षक मंडल को यह अधिकार है कि अस्थायी रूप से किसी भी सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक को नियत कार्य के लिए बुलाया जाए। (305.3—305.5, 900.1)

आइ. प्रमुख अधीक्षक मंडल

315. प्रमुख अधीक्षक मंडल, एक मंडल को संगठित व व्यवस्थित करेगा और उसमें उन सदस्यों को नियुक्त करेगा जिनके पास विशेष अधिकार क्षेत्र है।

316. रिक्तियाँ – प्रमुख सभा के अंतरिम सत्र में, प्रमुख अधीक्षक मंडल में यदि कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति को पूर्ति करने के लिए चुनाव कराने के प्रश्न को प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मंडल के निर्णय पत्र के ऊपर प्रमुख सचिव, प्रमुख मंडल के सभी सदस्यों को सूचित करेगा। जब इसका चुनाव कराया जाएगा, तब दो–तिहाई मतों द्वारा प्रमुख मंडल के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। नाज़रीन कलीसिया के एक प्राचीन को रिक्त पद की पूर्ति करनी होगी और प्रमुख अधीक्षक के सभी कर्तव्यों को आगामी प्रमुख सभा के आखिरी स्थगन के 30 दिनों तक पूरा करना होगा। और तब तक भी जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन और प्रशिक्षण पूरा न हो जाए। (25.4, 305.2)

316.1. प्रमुख सचिव, प्रमुख अधीक्षक मंडल के समक्ष मतदान के निर्णय को प्रस्तुत करेगा जो मतदान के निर्णय की घोषणा करेंगे।

317. प्रमुख अधीक्षक मंडल के कर्तव्य इस प्रकार हैं:

317.1. प्रमुख कलीसिया को अगुवाई, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना, नाज़रीन कलीसिया के सभी प्रांतों, संस्थाओं और सेवकों, अगुवाई और धर्मशास्त्र के द्वारा उपयुक्त रूप में ध्यान देना।

317.2. वैश्विक सेवकाई के निदेशक के परामर्श द्वारा विशिष्ट राष्ट्रीय प्रशासनिक निदेशकों या विभागीय निदेशकों, भौगौलिक क्षेत्र संबंधित विषय के नियत कार्य को प्रमुख सभा की अनुशंसा द्वारा बदल सकते हैं।

317.3. उनके पास कलीसिया संबंधी नीतियों और योजनाओं और प्रमुख मंडल, उसकी समितियों और नाज़रीन कलीसिया के सभी मंडलों के अन्य मामलों पर सलाह देने का प्राथमिक अधिकार है। प्रमुख प्रमुख अधीक्षक मंडल अनुशंसा को अर्जित कर प्रमुख सभा और समीतियों से उचित विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख सेवकाई समिति द्वारा, प्रमुख मंडल के सेवकों की नियुक्ति के सभी नामांकनों को प्रमुख अधीक्षक मंडल स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे।

317.4. प्रमुख सचिव और प्रमुख कोषाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रमुख मंडल कार्यकारी समिति, नामांकन समिति के साथ मिलकर प्रमुख मंडल को एक या अधिक नामों का सुझाव देगी।

317.5. प्रमुख अधीक्षक, प्रमुख सचिव कार्यालय, प्रमुख कोषाध्यक्ष या विभागीय निदेशक के दो–तिहाई मतों द्वारा रिक्ति पद को घोषित करेगा।

317.6. वे रिक्तियाँ भरें जो प्रमुख सभा के सत्रों के अंतरिम प्रमुख अपीली न्यायालय की सदस्यता में हो सकती हैं या न्यायालय के अध्यक्ष और सचिव का चयन करने के लिए हो सकती हैं। (305.7, 612, 902)

317.7. अंतरिम प्रमुख सभा या प्रमुख मंडल के किसी भी विशेष आयोग या समिति के रिक्त पदों की पूर्ति करना।

317.8. अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल से संबंद्ध उच्च शैक्षिक संस्थाओं में सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए प्रमुख अधीक्षकों को नियुक्त करना। (905)

317.9. वैश्विक याजकीय विकास कार्यालय, सेवकाई अध्ययन, उनके लिए जो सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, अयाजकीय या प्रामाणिक के साथ संयोजन को व्यवस्थित करना। (529–530)

317.10. विश्व प्रचारकीय निधि, जो वैश्विक धर्मप्रचारक हित की जीवन रेखा है, उसकी योजना बनाना, संरक्षण करना और प्रोत्साहित करना। प्रमुख अधीक्षक मंडल और प्रमुख मंडल को यह अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है कि वह स्थानीय कलीसिया से विश्व प्रचारकीय निधि के लिए निधि एकत्रित करने के लक्ष्य और जिम्मेदारियों को स्थापित करें। (32.5, 130–335.7)

317.11. आवश्यकतानुसार भूतपूर्व प्राचीन या सहसेवक के प्रमाण–पत्र की वापसी को स्वीकृति देना। (539.11, 540, 540.12)

318. प्रमुख सभा के एक अपील के अधीन रहते हुए प्रमुख अधीक्षक मंडल को नाज़रीन कलीसिया के नियम व सिद्धांत के अनुवाद व विवरणिका के प्रावधानों को अर्थ और बल देने का अधिकर है।

319. प्रमुख अधीक्षक मंडल, प्रांतीय केन्दों के योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए विचार करेंगे। योजनाओं को तब तक कार्य में नहीं लाया

जाएगा जब तक कि उन्हें प्रमुख अधीक्षक मंडल से लिखित स्वीकृति नहीं मिल जाती। (225.12)

320. प्रमुख अधीक्षक मंडल को तलाकशुदा सदस्यों को दीक्षित करने का स्वनिर्णयगत अधिकार है। (307.4, 533.3, 534.3)

321. अधिकार–क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुशंसा से प्रमुख अधीक्षक मंडल, किसी भी चरण 2 या चरण 3 प्रांत के प्रांतीय अधीक्षक के कार्यालय में कारण सहित रिक्त पद की घोषणा कर सकते हैं, और प्रांतीय सलाहकार समिति के दो–तिहाई मतों के आधार पर चरण 3 प्रांतों के प्रांतीय अधीक्षक के कार्यालय में रिक्त पद की घोषणा कर सकते हैं। (209.1, 239)

322. प्रमुख अधीक्षक मंडल चरण–3 प्रांत को संकटग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति दे सकता है। (200.2, 307.9)

323. जब प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा आधिकारिक प्रकाशन की तारीख की घोषणा करने पर, दिये गय प्रत्येक प्रमुख सभा, नाज़रीन कलीसिया के संशोधित विवरणिका को सभी उपयुक्त भाषाओं में प्रकाशित करेंगे।

324. कलीसिया संविधान के अधीन रहकर और प्रमुख कलीसिया के आदेशों के साथ सामंजस्य तालमेल बैठाकर, प्रमुख अध्यक्ष मंडल को यह अधिकार होगा कि वह नाज़रीन कलीसिया की सेवकाई में कुछ भी कर सकता है।

त्र. प्रमुख सचिव

325. प्रमुख मंडल के कानूनों के आधार पर प्रमुख मंडल द्वारा प्रमुख सचिव का चुनाव किया जाएगा, जो आगामी प्रमुख सभा के आखिरी स्थगन तक कार्यरत रहेगा या तब तक कार्यरत रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन और प्रशिक्षण न हो जाय या अनुच्छेद 312.5 के अनुसार हटाये जाने पर। (900.2)

325.1. प्रमुख सचिव, प्रमुख सभा का पदेन सदस्य होगा। (301)

325.2. यदि प्रमुख मंडल के अंतिम सत्रों में प्रमुख सचिव के कार्यालय में यदि कोई रिक्त पद होता है तो इस पद की पूर्ति अनुच्छेद 317.14 में दिए गए नामांकनों के आधार पर प्रमुख मंडल द्वारा किया जाएगा। (335.21)

325.3. प्रमुख सचिव, प्रमुख अधीक्षक मंडल और प्रमुख मंडल के अधीन रहकर कार्य करेगा।

326. प्रमुख सचिव के कर्तव्य इस प्रकार हैः

326.1. प्रमुख मंडल और प्रमुख सभा सम्मिलित रूप से नाज़रीन कलीसिया के पदेन सचिव के रूप में सेवा करेंगे। और वे अपने कार्यवाहियों की पत्रिका को पंजीकृत और स्वीकृत रखेंगे।

326.2. नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख लेखा–जोखे को पंजीकृत और संरक्षित रखें।

326.3. प्रमुख सभा से संबंधित दस्तावेजों को संरक्षित रखें और उसके उत्तराधिकारियों को वह दस्तावेज सौंपे।

326.4. प्रमुख अपीली न्यायालय द्वारा किए गए सभी स्थायी रिकॉर्ड (विवरण) और निर्णय सुरक्षित रखें। (614)

326.5. आत्मसमर्पित किए गए, हटाए गए और त्यागे गए सेवकों के प्रमाण पत्रों को सूचीबद्ध और दर्ज करना और उन्हें केवल उस प्रांत के द्वारा किए गए उचित आदेश पर वितरित करें, जहाँ से उन्हें प्राप्त किया गया था।

326.6. प्रांतीय सांख्यिकी रूपरेखा का लेखा परीक्षा करना। (220.3)

326.7. उन सदस्यों के विवरण को व्यवस्थित रखना जिनके पास प्रांतीय सेवक होने का आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) दिय गया हो।

326.8. प्रतिनिधियों के लिए प्रमुख सभा सत्रों के कार्यवृत्त को उपलब्ध कराना।

326.9. विवरणिका के नवीनतम संस्करण को उपलब्ध कराना।

326.10. कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो भी अतिरिक्त आवश्यक हो विश्वासपूर्वक पूरा कराना।

327. प्रमुख सचिव का प्रमुख कलीसिया के न्यास (ट्रस्ट), कानूनी दस्तावेजों पर नियंत्रण रहेगा।

327.1. प्रमुख सचिव को संप्रदाय की उन्नति और वृद्धि से संबंधित ऐतिहासिक सामग्रियों को एकत्रित करने का अधिकार दिया गया है और वह इन अभिलेखों और सामग्रियों का संरक्षक होगा।

327.2. प्रमुख सचिव अनुच्छेद 913 के आधार पर ऐतिहासिक घटनास्थल और सीमा चिन्हों से संबंधित विवरण (रजिस्टर) को रखेगा।

328. प्रमुख सचिव, प्रमुख अधीक्षकों के साथ प्रमुख सभा के प्रांरभ से पहले अध्यक्ष होंगे, जो आवश्यक प्रारूप की तैयारी करेंगे जिसमें संशोधन के लिए विवरणिका के व्यवस्था या क्रम के नियम और अन्य कार्य जो प्रमुख सभा को आगे बढ़ाने में सहायक हो, सम्मिलित होंगे। इसमें किए गए व्यय को प्रमुख सभा, व्यय निधि से बाहर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

328.1. प्रमुख सचिव के पास उतने अधिक सहायक हो सकते हैं जितने अधिक प्रमुख सभा द्वारा चुनें जाएं या प्रमुख सभा के आखिर में प्रमुख अधीक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं।

ट. प्रमुख कोषाध्यक्ष

329. प्रमुख मंडल के कानूनों के आधार पर प्रमुख मंडल द्वारा प्रमुख कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा जो प्रमुख सभा के आखिरी स्थगन तक कार्यरत रहेगा या तब तक कार्यरत रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन और प्रशिक्षण न हो जाए या अनुच्छेद 317.5 के अनुसार हटाए जाने पर। (900.3)

329.1. प्रमुख कोषाध्यक्ष, प्रमुख सभा का पदेन सदस्य होगा। (301)

329.2. प्रमुख कोषाध्यक्ष, वैश्विक सेवकाई केन्द्र वित्तीय कार्यालय, प्रमुख अध्यक्ष मंडल, और प्रमुख मंडल के लिए अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के अधीन कार्यरत रहेंगे।

330. प्रमुख कोषाध्यक्ष के कर्तव्य इस प्रकार हैः

330.1. नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख लाभ से संबंधित तिधि का अधिकार प्रमुख कोषाध्यक्ष को होगा।

330.2. वैश्विक प्रशासन और वित्त समिति, वैश्विक शिक्षण और याजकीय विकास समिति, वैश्विक सेवकाई समिति के निधि (फंड) और प्रमुख कलीसिया से संबंधित अन्य निधि या उसके किसी विभाग और प्रमुख अधीक्षक विधि, प्रमुख प्रासंगिक निधि, प्रमुख सभा लागत निधि; प्रमुख उदार कलीसिया निधि,

वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई निधि और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई निधि को प्राप्त करना और व्यय करना। (331.3)

330.3. जैसा प्रमुख मंडल निर्देशित करता है उस आधार पर विश्वसनीय कुशल कंपनी को कार्य प्रदर्शन के लिए अनुबंध देना।

330.4. मंडलों और विभागों को रिपोर्ट करना जो निधि को संरक्षित कर सकता है।

330.5. निवेश समेत नाज़रीन कलीसिया के समस्त वित्त की एक वार्षिक रिपोर्ट, प्रमुख मंडल को प्रस्तुत करना। (335.12)

330.6. वार्षिकी संरक्षक निधि को उचित बीमा योजना के तहत भूमि–भवन निर्माण योजना में निवेश करना और ऐसी योजनाओं के पतन पर प्रदान करना।

ठ. प्रमुख मंडल

331. नाज़रीन कलीसिया यू.एस.ए. मिसौरी राज्य के कानूनों के अधीन एक लाभ निरपेक्ष निगम है। अनुच्छेद 332.1–333.5 के अनुसार प्रमुख मंडल सदस्यों को संयोजित करेगी जिनका चुनाव प्रमुख सभा में मतदान द्वारा किया जाएगा। कलीसिया क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख मंडल के एक सदस्य के चुनाव के लिए उस सदस्य को उस क्षेत्र का निवासी होना और साथ ही उस क्षेत्र के एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य होना भी जरूरी है। (305.6, 334)

331.1. कोई भी वह सदस्य प्रमुख मंडल के चुनाव या प्रमुख मंडल के सदस्य के योग्य नहीं होगा जो नाज़रीन कलीसिया का एक कर्मचारी हो या शैक्षिक संस्था से जुडा हो जो नाज़रीन कलीसिया से वित्तीय अनुदान प्राप्त करता हो या प्रांतीय या अन्य संस्थाओं का सदस्य हो जो प्रमुख कलीसिया से परिचालन लागत प्राप्त करता हो। वे सभी अयोग्य समझे जाएंगे।

331.2. प्रमुख सचिव नाज़रीन कलीसिया और प्रमुख मंडल का पदेन सचिव होगा।

331.3. प्रमुख कोषाध्यक्ष नाज़रीन कलीसिया, प्रमुख मंडल और नाज़रीन कलीसिया के अन्य विभागों का पदेन कोषाध्यक्ष होगा। (330.2)

332. प्रमुख मंडल का नामांकन इस प्रकार किया जाएगाः

332.1. प्रमुख सभा के प्रतिनिधियों के चुने जाने के पश्चात प्रत्येक चरण – 3 प्रांत का प्रतिनिधि प्रमुख मंडल के नामांकनों के लिए चुने गए उम्मीदवारों से दिए गए रीति से मिलेंगे। प्रत्येक चरण 3 प्रांत दो नियुक्त दीक्षित सेवक और दो अयाजकीय सेवकों के नामों को प्रस्तुत कर सकते हैं। नामांकित प्रांतों के बहुसांस्कृतिक संयोजन को देखते हुए नामांकनों के लिए नाम का चुनाव होना चाहिए। इस प्रकार के विभागों के लिए विभागीय सलाहकार परिषद है। इन उम्मीदवारों के नाम को सर्वप्रथम राष्ट्रीय मंडल और बाद में विभागीय सलाहकार को भेजा जाएगा। जो प्रत्येक सदस्य के नामों को घटाकर तीन कर सकते हैं और उन्हीं सदस्यों पर दलो को मत देने की आवश्यकता होगी, उसके बाद नामों को तुरंत प्रमुख सचिव के कार्यालय में प्रत्येक विभाग के प्रमुख सभा के प्रतिनिधियों द्वारा मतदान कराने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। (205.23)

332.2. इन उम्मीदवारों की सूची द्वारा प्रत्येक विभाग के प्रमुख सभा प्रतिनिधि, प्रमुख सभा के लिए इस प्रकार नामांकन करेंगेः

एक अयाजकीय सदस्य का नामांकन करेंगे, प्रत्येक विभाग के 100,000 से अधिक और प्रत्येक विभाग के 100,000 या कम पूर्ण सदस्य एक नियुक्त दीक्षित याजक और एक अयाजकीय सदस्यों को नामांकन करेंगे; प्रत्येक विभाग के 100,000 से अधिक 200,000 तक पूर्ण सदस्य दो नियुक्त दीक्षित याजकों का नामांकन करेंगे। 200,000 पूर्ण सदस्यों से अधिक विभाग एक प्रांतीय अधीक्षक और एक पादरी या धर्मप्रचारक और दो अयाजकीय सदस्य व एक अतिरिक्त अयाजकीय सेवक तथा एक अतिरिक्त नियुक्त दीक्षित सेवक का नामांकन निम्न प्रावधानों द्वारा करेंगेः

उन विभागों में से जिनकी सदस्यता 200,000 पूर्ण सदस्यों से अधिक है उन पर एक नियुक्त दीक्षित सेवक, एक पादरी या धर्मप्रचारक होगा; दूसरा एक प्रांतीय अधीक्षक होगा और अन्य नियुक्त सेवक अन्य वर्ग में हो सकते हैं। कोई भी प्रांत, प्रमुख मंडल में दो से अन्य सदस्यों को पद नहीं दे सकता, और कोई भी क्षेत्र छह से अधिक सदस्यों को पद देगा। (अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई और अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई के संस्थागत प्रतिनिधि और सदस्य इसमें अपवाद रहेंगे)। जब भी किसी प्रांत के दो से अधिक उम्मीदवार,

दूसरे किसी प्रांत के क्षेत्र से अधिक संख्या में मत प्राप्त करते है, जो प्रांत सबसे अधिक संख्या में मत प्राप्त करता है, उसका चुनाव, क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में हो जाएगा। प्रत्येक प्रांत में अयाजक सदस्य (एक से अधिक), पादरी या धर्म प्रचारक और/या प्रांतीय अधीक्षक अपने–अपने संबंधित वर्गो में अधिक मत को प्राप्त करता है, वह बहुमत द्वारा प्रमुख सभा के लिए नामांकित हो जाएगा। उदाहरणस्वरूप बड़े क्षेत्र जहाँ पर छह याजकीय सेवक के रूप में होता है उनमें से जो दूसरे नंबर में अधिक मत प्राप्त करता है वह अतिरिक्त उम्मीदवार होगा। यदि एक विभागीय सलाहकार परिषद यह निर्धारित करता है कि संभावना स्वरूप चुने गए प्रतिनिधियों के बहुमत को प्रमुख सभा में सम्मिलित होने से रोकता है तो विभागीय दल के मत जो डाक या विद्युत उपकरण के माध्यम से होगा, वह उस निर्णय का निर्धारण कर सकता है उन्हें अपना निर्णय प्रमुख सभा के प्रारंभ से छह माह पूर्ण देना होंगा। यह विशिष्ट प्रक्रिया जिनमें डाक या विद्युत उपकरण के माध्यम से प्रमुख सभा के प्रमुख मंडल के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा वह विभागीय सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तावित और प्रयोग में आने से पूर्व प्रमुख सभा के कार्यालय में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। (305.6, 901)

332.3. अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल, प्रमुख सभा के लिए शैक्षिक संस्थानों से चार सदस्यों का नामांकन करेगा, जिनमें दो नियुक्त दीक्षित सेवक और दो अयाजकीय सदस्य होंगे। प्रमुख सभा दो प्रतिनिधियों का चुनाव, प्रमुख सभा के लिए करेगी जिनमें एक नियुक्त दीक्षित सेवक और एक अयाजकीय सदस्य होगा। (331.1)

332.4. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई का वैश्विक परिषद, प्रमुख सभा को अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई का वैश्विक परषिद के लिए नए उम्मीदवारों पद के चुनाव के लिए नामांकित करेगी। उस सभा में नए चुने गए पद प्रमुख सभा की सेवकाई नहीं कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई की वैश्विक परिषद एक सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई के लिए नामांकित करेगी। (343.4)

332.5. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई का वैश्विक परिषद, प्रमुख सभा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई से एक सदस्य को नामांकित करेगी। प्रमुख सभा, प्रमुख मंडल के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। (344.3)

332.6. एस.डी.एम.आई. के विभागीय संयोजक और एस.डी.एम.आई. के वैश्विक निदेशक प्रमुख सभा के लिए एक सदस्य को नामांकित करेंगे। प्रमुख सभा, मंडल के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगी।

333. प्रमुख मंडल का चुनाव निम्न बिन्दुओं द्वारा होगाः

333.1. संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक नामांकित व्यक्ति का चुनाव प्रमुख सभा के "हाँ" बहुमत होने पर होगा।

333.2. अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकित व्यक्तियों में से प्रमुख सभा, दो सदस्यों का चुनाव करेंगी, जिनमें से एक नियुक्त दीक्षित याजक और एक अयाजकीय सदस्य होगा।

333.3. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई के वैश्विक परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकित व्यक्ति का चुनाव प्रमुख सभा के "हाँ" बहुमत प्राप्त होने पर होगा। (343.4, 903)

333.4. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई के वैश्विक परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकित व्यक्ति का चुनाव प्रमुख सभा के "हाँ" बहुमत प्राप्त होने पर होगा। (344.8, 903)

333.5. विभागीय एस.डी.एम.आई. संयोजक और एन.एम.आई. के वैश्विक निदेशक द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकित व्यक्ति का चुनाव प्रमुख सभा के "हाँ" बहुमत होने पर होगा। (332.6)

334. अगले प्रमुख सभा के स्थगन होने और दूसरे उम्मीदवार के निर्वाचन और प्रशिक्षण होने तक प्रमुख मंडल के सदस्य कार्यालय को संचालित करेंगे। यदि किसी भी कारणवश प्रमुख मंडल का सदस्य अपनी कलीसिया की सदस्यता को छोड़ता है या वर्तमान जगह को छोड़कर अन्य जगह में चले जाता है या एक सेवक चुने गए सेवकाई के कार्यों के वर्ग को छोड़ता है या जब किसी सेवक को अनियुक्त किया जाता है या जब एक अयाजकीय सदस्य प्रांतीय आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) का निवेदन करता है या प्राप्त करता है तब उसकी सदस्यता को उसी समय खारिज़ (अंत) किया जाएगा। रिक्त हुए पद की पूर्ति तुरंत की जाएगी। (331)

334.1. प्रमुख मंडल की सदस्यता और समितियों में रिक्त पद होने पर प्रमुख अधीक्षक मंडल नामांकनों के आधार पर उपपदों की पूर्ति की जाएगी

जो प्रमुख सभा को प्रस्तुत किए जाएंगे। विभागीय प्रस्तुतीकरण के लिए, जिस विभाग में रिक्त पद है उस प्रांत के प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा दो अयोग्य सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक चरण–2 और चरण–3 के प्रांतीय सलाहकार मंडल एक–एक पद के लिए हकदार होंगे। शैक्षिक प्रस्तुतीकरण के लिए प्रमुख मंडल को बहुमत के आधार पर चुनाव किए जाने के लिए नामांकित व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई से प्रस्तुतीकरण के लिए नामांकित व्यक्तियों के नाम को वैश्विक परिषद के कार्यकारी समिति को उस अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के सलाह द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। और प्रमुख अधीक्षक मंडल की स्वीकृति होने पर अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई के वैश्विक परिषद बहुमत द्वारा एक नाम का चुनाव करेंगे। एस.डी.एम.आई. (अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण सेवकाई) के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रमुख मंडल को नामांकित नामांकनों के नाम प्रस्तुत किए जाएंगे जो बहुमत के आधार पर एक नाम का चुनाव करेंगे। (332.3–332.6)

335. प्रमुख मंडल के कर्तव्य – प्रमुख मंडल नाज़रीन कलीसिया के मंडल के निदेशकों के रूप में सेवा करेंगीं और उन्हें गैर–गिरजाघर के नीतियों और योजनाओं के संबंध में प्राथमिक अधिकार होगा। प्रमुख मंडल सभी राष्ट्रीय, विभागीय, प्रांतीय और स्थानीय मंडल को नाज़रीन कलीसिया के मिशन को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित और करेंगे जो वेसेलियन परंपरा के अनुसार मसीही पवित्रीकरण का प्रचार करेंगे जो राष्ट्र में मसीह समान चेले बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और जो प्रत्येक राष्ट्र और विभाग के वैश्विक कलीसिया के विकास को सुगम बनाता है। प्रमुख मंडल, नाज़रीन कलीसिया के समितियों के आर्थिक और वित्तीय कार्यो को प्रमुख सभा द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बढ़ावा देता है। यह निर्वाचक समिति के सहसंबंध और एकता कायम रखने की योजनाओं को समन्वय करता है ताकि एक नीति को एकजुट रखने की योजना नाज़रीन कलीसिया के सभी कार्यो में कायम हो सके। इसके पास नाज़रीन कलीसिया के सभी विभागों के जमा खाते की लेखा जोखा करना और सभी संस्थाओं की कानूनी तौर पर निर्देशित करने का अधिकार है। और यह नाज़रीन कलीसिया के कार्य और प्रशासन को भी निर्देशित करेगी और इसके सभी विभाग और संस्थाए कानूनी तौर पर नाज़रीन

कलीसिया संबंधित होगी। ये विभाग और संस्थाएं, प्रमुख मंडल के अनुशंसा और सलाह को उचित महत्व देंगी।

335.1. प्रमुख मंडल के पास दोनों वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति जो बेची गई हो, हस्तांतरण की गई हो, वसीयत में दी गई हो, दान दी गई हो, या नाज़रीन कलीसिया को अवगत कराया हो, को खरीदने, स्वामित्व रखने, अधिकार में रखने, प्रबंधन करने, गिरवी रखने, बेचने, अवगत और दान करने या अधिग्रहण, ऋणग्रस्त करने और निबटारे का अधिकार होगा ताकि वे नाज़रीन कलीसिया के किसी भी कानूनी उद्‌देश्यों का निष्पादन करने के लिये पैसे उधार लें या कर्ज दे सकें।

335.2. प्रमुख मंडल, प्रमुख अधीक्षक मंडल के रिक्त पद की पूर्ति अनुच्छेद 316 और 305.2 अनुच्छेद के अनुसार करेगा।

335.3. प्रमुख मंडल आगामी प्रमुख सभा के अंतिम स्थगन से पूर्व या तुरंत बैठक करेंगे और अधिकारियों और समितियों और निगमीकरण के कथन और नियमों के आवश्यकतानुसार समितियों के सदस्यों को चार वर्ष के लिए सेवा करने के लिए संगठित करेंगे जब तक कि उसके उत्तराधिकारियों का निर्वाचन और प्रशिक्षण न हो जाए। प्रमुख अधीक्षक मंडल, प्रमुख मंडल की सभाओं की अध्यक्षता करेगा।

335.4. अधिवेशन – कथित मंडल समय के नियमों के आधार पर निर्धारित किए गए समय और स्थान पर प्रमुख मंडल, प्रमुख सभाओं के बीच में कम से कम तीन सत्रों में बैठक करेंगे या प्रमुख सभा और उसके समितियों के हित के लिए किसी दैनिक या विशेष सभा के आदेश के अनुरूप निर्धारित किए गए समय, तारीख और स्थान को सर्वसम्मति से अपनाएंगे।

335.6. विश्व प्रचारकीय निधि – नाज़रीन कलीसिया की प्रत्येक स्थानीय कलीसिया "राष्ट्रों में मसीह समान शिष्य बनाना" के वैश्विक प्रयास के भाग होंगे। विश्व प्रचारकीय निधि का उपयोग प्रमुख मिशन (लक्ष्य) और उससे संबंधित कार्यो के सहयोग, रख रखाव और उन्नति के लिए उपयोग किए जाएँगे। प्रमुख कलीसिया का वार्षिक बजट योगदान के आयोजन पर निर्भर होगा, जिसमें प्रमुख कलीसिया के शाखा और संस्था का निवेश होगा और प्रमुख कोषाध्यक्ष के वित्तीय वक्तव्य पर निर्भर होगा। समय–समय पर प्रमुख

मंडल, विश्व प्रचारकीय निधि द्वारा प्रत्येक शाखा और भंडार के लिए रकम निर्धारित करेगी। जब यह निर्धारित हो जाए तब इन्हें प्रमुख मंडल के अंतिम अभिग्रहण से पूर्व, प्रमुख अधीक्षक मंडल के विचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए या संशोधन करने के लिए भेजा जाएगा।

335.7. प्रमुख मंडल और प्रमुख अधीक्षक मंडल को विश्व प्रचारकीय निधि के लिए स्थानीय कलीसिया द्वारा अनुदान के लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को स्थापित करने का अधिकार और सामर्थ्य हैं। (130, 317.10)

335.8. प्रमुख मंडल को यह अधिकार है कि वह किसी शाखा या भंडार के निवेदन पर रकम को बढ़ा या घटा सकती है। प्रमुख सभा द्वारा निर्धारित किए गए वित्तीय रकम को प्रमुख मंडल को सुपुर्द कर दिया जायगा, जिसके पास प्रमुख कलीसिया की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा आर्थिक स्थितियों के साथ किसी भी संस्थान या शाखा के वार्षिक बजट के अनुपात में समायोजन करने का अधिकार होगा।

335.9. वित्तीय उपलब्धता को उचित रूप से समझते हुए प्रमुख मंडल, विश्व प्रचारकीय विधि से नाज़रीन धार्मिक विद्यालय (यू.एस.ए.) और नाज़रीन बाइबिल महाविद्यालय (यू.एस.ए.) के विनियोग को स्वीकार करेंगे।

335.10. प्रमुख मंडल, प्रमुख सभा के आखिर में प्रमुख अधीक्षक के वेतन और उनसे संबंधित सुविधाओं की वार्षिक समीक्षा और उचित समाधान करेंगे।

335.11. प्रतिवेदन – प्रमुख मंडल अपनी नियमित बैठक में पिछले वर्ष की शाखाओं की गतिविधियों की एक विस्तृत प्रतिवेदन को ग्रहण करेंगे। प्रत्येक शाखा आगामी वर्ष के प्रस्तावित व्यय के बजट को भी सौपेंगे।

335.12. प्रमुख कोषाध्यक्ष, वार्षिक रूप से प्रमुख मंडल को उसके द्वारा संरक्षित धन का विस्तृत वित्तीय प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की रसीद और व्यय लेखे को प्रस्तुत करेगा। उसमें न्यास (ट्रस्ट) निधि और निवेश, भी सम्मिलित रहेगा। नाज़रीन कलीसिया के आगामी वर्ष के शाखाओं के बजट निधि उसमें सम्मिलित नहीं होगी। प्रमुख कोषाध्यक्ष, प्रमुख मंडल को अपने आधिकारिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। (330.5)

335.13. प्रमुख मंडल, प्रमुख सभा के आखिरी स्थगन के पूर्व या तुरंत बाद एक बैठक करेगा और प्रमुख मंडल के नियमानुसार एक प्रमुख सचिव और

प्रमुख कोषाध्यक्ष को चयन करेगा, जो आगामी प्रमुख सभा के आखिरी स्थान तक या उनके उत्तराधिकारियों के निर्वाचन और प्रशिक्षण तक कार्यालय को संचालित करेगा।

335.14. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख मंडल के सदस्य एक पूर्व सेवार्थ वृत्ति समिति और लाभ हित मंडल (यू.एस.ए.) का चयन करेंगे जिसमें युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक एक सदस्य और बड़े पैमाने पर एक सदस्य शामील होंगे। प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा नामांकन पूर्व सेवार्थ वृत्ति समिति और लाभ हित मंडल (यू.ए.ए.) के नियमानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

335.15. प्रमुख मंडल, प्रत्येक प्रमुख सभा के निर्देशानुसार एक नाज़रीन प्रकाशन संस्था मंडल का चयन करेगी जो आगामी प्रमुख सभा के स्थगन तक या उसके उत्तराधिकारियों के निर्वाचन और प्रशिक्षण तक सेवा करेगी।

335.16. प्रमुख मंडल के कार्य सूची का वह विषय जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र/राष्ट्र को प्रभावित करेगा उसे प्रमुख मंडल और प्रमुख अधीक्षक मंडल की कार्यकारी समिति के अनुशंसा पर उसे क्षेत्र/राष्ट्र के बैठक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

335.17. प्रमुख मंडल, प्रमुख सभा या प्रमुख मंडल के कुछ शाखाओं या मंडल द्वारा आधिकारिक किसी भी आयोग या समिति से पूर्ण रूप से और नियुक्त कार्य, जिम्मेदारियों और बजट से जुडे रहेंगे।

335.18. शाख निदेशक – प्रमुख मंडल नाज़रीन कलीसिया का चुनाव करेंगी। जिसमें शाखा निदेशक प्रमुख मंडल के नियमानुसार और प्रमुख मंडल नीति विवरणिका द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण करेंगे, वे आगामी प्रमुख सभा के आखिरी स्थगन तक सेवा करेंगे या तब तक सेवा करेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारियों का निर्वाचन या प्रशिक्षण न हो जाए। (317.5)

335.19. विभागीय निदेशक निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार नामांकित किए जाएंगेः यदि वहाँ पदधारी निदेशक है तो नामांकन समिति या तो "हाँ" या 'ना' मत द्वारा अनुशंसा कर सकती है या अनेक नामांकनों को प्रस्तुत कर सकती है। इन कार्यालयों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की खोज, अन्वेषण समिति

द्वारा प्रमुख मंडल के नियमानुसार किया जाएगा। यह समिति, नामांकन समिति के समक्ष दो या अधिक नामों को अनुशंसा के लिए प्रस्तुत करेगी।

नामांकन समिति की रचना छह प्रमुख अधीक्षकों और संबंधित समिति के कर्मचारी समिति द्वारा करेंगे। वे प्रमुख मंडल को, प्रमुख मंडल के नियमानुसार एक या अनेक नामों को सौंपेगे।

335.20. कार्यकारियों का वेतन – प्रमुख मंडल 'निष्पादन मूल्यांकन' और वेतन प्रशासनिक कार्यक्रम को दस्तावेज में लागू करेगी, जिसके अंतर्गत शाखा निदेशक और सेवक/सेवकाई निदेशक सम्मिलित हैं और वे एक वेतन की संरचना को प्रस्तुत करते हैं, जो जिम्मेदारी और स्तर को प्रकट करते हैं। प्रमुख मंडल, वार्षिक रूप में विभागीय निदेशकों और अन्य अधिकारियों के वेतन को स्वीकृत करता है और जिसे प्रमुख मंडल आधिकारिक और चयनित कर सकता है।

335.21. प्रमुख मंडल, प्रमुख मंडल या प्रमुख सभा के सत्रों के अंतरिम सत्र के दौरान प्रमुख मंडल के नियमों और अनुच्छेद 317.4 में दिए गए नामांकन के अनुसार, अनुच्छेद 335.13 और 335.18 और किसी भी अन्य कार्यकारी कार्यालयों में सूचीबद्ध कार्यालयों में होने वाले किसी भी रिक्ति (पद) को प्रमुख सभा, प्रमुख मंडल या उनकी निर्वाचित समितियों द्वारा भरा जाएगा।

336. अनुच्छेद 335.13 और 335.18 की सूची में दिए गए सभी अधिकारी और कोई भी निदेशक और किसी भी एजेंसी के मुखिया जो नाज़रीन कलीसिया द्वारा कार्यरत है उनकी सेवानिवृत्ति, प्रमुख सभा के बैठक के समय उनके 70 वें जन्मदिवस पर होगा। जहाँ पर रिक्त पद हैं, उन्हें विवरणिका प्रक्रिया के अनुसार भर दिया जाएगा।

पूर्वसेवार्थ वृत्ति (पेंशन) योजना

337. एक पूर्वसेवार्थ वृत्ति (पेंशन) मंडल होगा या उसके अनुरूप अधिकृत संस्था होगी। जिसकी प्रत्येक कलीसिया से संबंधित पूर्वसेवार्थ वृत्ति (पेंशन) योजना की जिम्मेदारी होगी। एक पूर्व सेवार्थ वृत्ति योजना संगठनात्मक, प्रांतीय, बहुप्रांतीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या बहुक्षेत्रीय स्तर जैसा निर्देश हो, उसी आधार पर सब पर लागू की जा सकती है। (335.14)

337.1. प्रमुख मंडल निर्देशित दिशा–निर्देश को स्थापित और व्यवस्थित करेगी जो विश्व–भर में पूर्व सेवार्थ वृत्ति (पेंशन) योजना के अनुरूप होगी। प्रमुख मंडल किसी भी पेंशन योजना के लाभ व हानि की जिम्मेदार नहीं होगा। प्रमुख मंडल किसी भी देय राशि के भुगतान का जिम्मेदार नहीं होगा जो शायद या किसी भी पेंशन योजना के तहत किसी भी सदस्य के प्रति देय हो और किसी भी पेंशन योजना के तहत देय धनराशि के मामले में उत्तरदायी नहीं होगा। (32.5)

337.2. प्रांरूप और प्रपत्र पर अंतर्राष्ट्रीय पेंशन और लाभ के माध्यम से सभी पेंशन योजनाएँ प्रमुख मंडल को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (32.5)

338. नाज़रीन कलीसिया के सहायक निगम निम्नलिखित सिद्धांतो के आधार पर संगठित और शासित करेंगेः

(अ) एकमात्र सदस्य

1) सभी सहायक निगमों के एकमात्र सदस्य जो यूनाइटेड स्टे्टस ऑफ अमेरिका से निगमित हैं उन्हें नाज़रीन कलीसिया का होना आवश्यक हैं।

(ब) निदेशक मंडल सदस्यता

1) संयोजनः प्रत्येक संगठन अपनी आवश्यकता और उद्देश्य के आधार पर उचित संख्या में निदेशकों को निर्धारित करेंगे। न्यूनतम योग्यताएँ इस प्रकार हैंः

1. प्रमुख अधीक्षक मंडल का एक निदेशक पदेन सदस्य होगा।
2. एक दीन वरिष्ठ कर्मचारी प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) सभी निदेशकों का नामांकन, प्रमुख अधीक्षक द्वारा निगम के अन्य निदेशकों के सलाह पर होना आवश्यक है।

(3) सभी निदेशकों का चुनाव प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा होना आवश्यक है जो एकमात्र सदस्य की ओर से कार्यरत होंगे। वे तब

तक कार्यालय का संचालन करेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारियों का निर्वाचन या प्रशिक्षण न हो जाएं

(4) निष्कासनः कोई एक या अधिक निदेशकों को प्रमुख अधीक्षक मंडल के मत के आधार पर किसी भी समय, कारण या अकारण निष्कासित किया जा सकता है जो एकमात्र सदस्य की ओर से किसी विशेष सभा और उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं।

(स) अधिकारी और कार्यकारी अधिकारीः अधिकारियों की संख्या और उपाधि को प्रशासन अपने नियमों के आधार पर निर्धारित करेगी।

(द) निगमों की सभाएँ –

(1) एकमात्र सदस्य की सभाओं के स्थान और तारीख को समय–समय पर एकमात्र सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (नाज़रीन कलीसिया)

(2) निदेशकों की सभाओं का आयोजन निगमों के निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

प. वित्तीय वर्ष – सभी सहायक निगम एक वित्तीय वर्ष को अपनाएंगे जो नाज़रीन कलीसिया का वित्तीय वर्ष के समान होगा।

फ. विघटनः निगम के विघटन होने पर उसके सभी संपत्ति उसकी एकमात्र सदस्य को स्थानांतरण हो जाएगा।

ब. निगमीकरण के कथन और नियम

(1) सहायक निगमों की स्थापना एकमात्र सदस्य के प्रमुख मंडल के दो–तिहाई मतों के आधार पर हो सकता है। निगमीकरण के कथन और नियम, एकमात्र सदस्य के प्रमुख मंडल के अनुमोदन के अधीन है।

(2) निगम के निदेशक मंडल के दो–तिहाई मतों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे और वे एकमात्र सदस्य के प्रमुख मंडल के अनुमोदन के अधीन होगे।

नाज़रीन प्रकाशन संस्था

339. नाज़रीन प्रकाशन संस्था का उद्देश्य नाज़रीन कलीसिया के लाभ के लिए सामग्रियों को प्रकाशित करना या उत्पादित करना, व्यापार करना, स्वीकारना, लाइसेंस करना और व्यवस्थित करना है और अन्य मसीही बाज़ार कलीसिया के उद्देश्य के अनुरूप हैं। नाज़रीन कलीसिया और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा उपयोग किए गए मीडिया की संपत्ति को क्रमानुसार संरक्षण और व्यवस्थित करने के लिए नाज़रीन कलीसिया, नाज़रीन प्रकाशन संस्था को इन प्राथमिक जिम्मेदारियों को सौंपती है।

प्रमुख मसीही कार्य समिति

340. प्रमुख सभा का अनुसरण करते हुए प्रमुख अधीक्षक मंडल प्रमुख मसीही कार्य समिति को नियुक्त करेंगे, उनमें से एक प्रमुख सचिव होगा जो समिति के कार्य की रिपोर्ट को प्रमुख मंडल को देगा।

प्रमुख मसीही कार्य समिति के कर्तव्य इस प्रकार हैं:

340.1. कलीसिया के सिद्धांत के अनुरूप शराब, तंबाकु, नशीले पदार्थ, जुआ और अन्य वर्तमान नैतिक और सामाजिक मुद्दों के रचनात्मक जानकारियों को उपलब्ध करना व विकसित करना। और सांप्रदायिक संचार की जानकारियों को प्रसारित करना।

340.2. शादी की पवित्रता पर और मसीही घर की पवित्रता पर ज़ोर देना तथा तलाक की समस्या और बुराइयों को दिखाना। विशेष रूप से समिति, बाइबिल में शादी की योजना जिसमें शादी को जीवनभर की वाचा जो केवल मृत्यु के बाद ही टूटती है, उसको प्रसारित करते हैं।

340.3. नागरिक और सामाजिक सच्चाई के लिए कार्यरत संगठनों में नेतृत्व के स्थान में सेवकाई करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।

340.4. लोगों को परमेश्वर के दिवस, गुप्त आदेशों के प्रति शपथ बाध्य होना, मनोरंजन जो कलीसिया के नीति के विनाशक है और अन्य प्रकार की सांसारिकता के प्रति चेतावनी देना। (29.1)

340.5. प्रत्येक प्रांत को एक मसीही कार्य समिति स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना और प्रोत्साहित करना और प्रत्येक समिति को वर्तमान नैतिक मुद्दों के विषय में जानकारी और सामग्री उपलब्ध कराना जो प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में प्रसारित की जाती है।

340.6. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वता के नैतिक मुद्दों को निरीक्षण करना और शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना।

परमेश्वर द्वारा बुलाए गए धर्म–प्रचारक संबंधी समिति

341. परमेश्वर द्वारा बुलाए गए धर्म–प्रचारक समिति का गठन नवजागरणवाद संयोजक के लिए किया गया है जो समिति का पदेन सभा अध्यक्ष होगा और इसमें चार पर्याप्त धर्मप्रचारक और एक पादरी भी सम्मिलित होंगे। अमेरिका/कनाडा के कार्यालय निदेशक, नवजागरणवाद संयोजक के साथ सलाह करके प्रमुख अधीक्षक मंडल को अनुमोदन और नियुक्ति प्रदान करने के लिए नामांकनों की एक सूची सौंपेंगे। समिति और उसके अधिकारी प्रमाणित धर्मप्रचारकों का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करेंगे जो अपने–अपने प्रांतीय सभाओं में "पर्याप्त धर्मप्रचारक" स्तर के लिए अनुशंसा प्राप्त किए हों यह नाज़रीन कलीसिया के भ्रमणकारी धर्मप्रचारकों की दशा की भी समीक्षा करेंगे और पुनःरूत्थान और धर्म–प्रचारक दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मंडल के उचित समिति की अनुशंसा करेंगे। रिक्त पदों की पूर्ति प्रमुख अधीक्षक मंडल के नियुक्तिकरण द्वारा होगी, जो अमेरिका/कनाडा कार्यालय निदेशक और नवजागरणवाद संयोजन के सलाह पर अनुशंसा करेंगे। (317.7, 510.3)

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सलाहकार समिति पाठ्यक्रम

342. प्रमुख सभा का अनुसरण करते हुए वैश्विक याजकीय विकास के निदेशक, विभागीय शैक्षिक संयोजक की सलाह पर नामाकनों की सूची प्रदान करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सलाहकार समिति पाठ्यक्रम में सेवा करेंगे। नामांकन व्यक्तियों में वेतनभोगी सेवक, प्रशासनिक, शैक्षिक और अयाजकीय प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस समिति का संयोजन वैश्विक कलीसिया को दृढ़ रूप में प्रस्तुत करना होना चाहिए। प्रमुख अधीक्षक मंडल प्रत्येक चौथे वर्ष के

सेवाकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सलाहकार समिति पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सलाहकार समिति पाठ्यक्रम, वैश्विक याजकीय विकास निदेशक द्वारा निर्धारित स्थान में प्रत्येक चौथे वर्ष में एक बार से कम बार में नहीं मिलेंगे।

वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई

343. नाज़रीन युवा सेवकाई, (एन.वाई.आई.) के तत्वाधान के अधीन, एन.वाई.आई. संविधान (चार्टर) के अधीन और एन.वाई.आई. और प्रमुख मंडल के अधिकार के अधीन एक वैश्विक संगठन है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई विश्वभर के एन.वाई.आई. के सदस्यों, स्थानीय समूहों और प्रांतीय संगठनो को संगठित करेगी। वैश्विक एन.वाई.आई., एन.वाई.आई. संविधान (चार्टर) और एन.वाई.आई. वैश्विक योजना द्वारा शासित है जिसे प्रमुख सभा द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

343.1. एन.वाई.आई. वैश्विक परिषद के परामर्श द्वारा प्रमुख अधीक्षक मंडल चार वर्ष के वैश्विक एन.वाई.आई. सम्मेलन के आयोजन के समय का निर्धारण करेंगे। चार वर्षीय सम्मेलन सदस्यों को संगठित करेगी जो एन.वाई.आई. वैश्विक सेवकाई योजना के तहत नामित हैं। (810)

343.2. एन.वाई.आई. वैश्विक परिषद, एन.वाई.आई. वैश्विक सेवकाई योजना द्वारा नामित प्रत्येक विभाग से एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि को संगठित करेंगे। एन.वाई. का निदेशक, परिषद के पदेन सदस्य के रूप में सेवकाई करेगा। परिषद, वैश्विक सेवकाई समिति और एन.वाई.आई. के अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के द्वारा प्रमुख मंडल के लिए उत्तरदायी होंगे। और वह स्वयं एन.वाई.आई. संविधान (चार्टर) और एन.वाई.आई. वैश्विक सेवकाई के अधीन संचालन करेंगे। एन.वाई.आई. के वैश्विक परिषद के सदस्य कार्यालय का संचालन तब तक करेंगे जब तक कि आगामी प्रमुख सभा की समाप्ति न हो जाए या जब तक उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन या प्रशिक्षण न हो जाएं (810)

343.4. एन.वाई.आई. वैश्विक सेवकाई का प्रतिनिधित्व करेगी। कलीसिया के प्रमुख मंडल में एन.वाई.आई. के वैश्विक परिषद के अध्यक्ष पद के द्वारा जिसका चुनाव प्रमुख सभा ने एन.वाई.आई. के वैश्विक परिषद के आधार पर किया गया है। (332.4, 333.3)

343.5. वैश्विक एन.वाई.आई. को अपने कार्यकाल के अंत में एन.वाई.आई. की वैश्विक परिषद के अध्यक्ष द्वारा सामान्य सभा में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। (301)

अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई का वैश्विक परिषद

344. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई का वैश्विक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई एन.वाई.आई. के संविधान के अनुसार निर्धारित और चयनित वैश्विक अध्यक्ष, वैश्विक निदेशक और सदस्यों की संख्या का निर्धारण करेंगे।

344.1. वैश्विक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई के संविधान द्वारा शासित होगा। वैश्विक परिषद, प्रमुख मंडल के वैश्विक सेवकाई समिति को सूचित करेगा। (811)

344.2. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.एम.आई.) के वैश्विक निदेशक का नामांकन और चुनावः वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई के कार्यकारी समिति और अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक, वैश्विक एन.एम.आई. निदेशक के पद के लिए योग्य उम्मीदवार की पहचान के लिए परीक्षण समिति का गठन करेगी। कम से कम दो उम्मीदवारों के नाम प्रमुख मंडल के वैश्विक सेवकाई समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रमुख मंडल की वैश्विक सेवकाई समिति अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के साथ उम्मीदवारों के नाम को सौंपने के लिए विचार करेगी और प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा चुनाव के लिए दो नामों की पुष्टि करेगी।

प्रमुख अधीक्षक मंडल, प्रमुख मंडल के वैश्विक सेवकाई समिति द्वारा सौंपे गए नामों के मतदान के द्वारा वैश्विक एन.एम.आई. निदेशक का चुनाव करेगी।

वैश्विक एन.एम.आई. निदेशक, एन.एम.आई. के वैश्विक परिषद के पदेन सदस्य और वैश्विक सेवकाई कर्मचारी का एक सदस्य होगा।

344.3. वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई प्रमुख मंडल को, प्रमुख सभा द्वारा चुने गए एक सदस्य को प्रस्तुत करेगी जिसका चुनाव एन.एम.आई. के वैश्विक परिषद के नामांकनों के चुनाव के आधार पर किया गया हो। (332.5, 333.4)

344.4. प्रमुख सभा के नियमित सभाओं में तुरंत कार्यवाही के लिए एन.एम. आई. के वैश्विक परिषद के दिशा–निर्देश के अधीन एक चर्तुवर्षीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन संविधान के अनुरूप एन.एम.आई. के वैश्विक परिषद का चुनाव करेगी। यह सम्मेलन एक वैश्विक अध्यक्ष का चुनाव करेगी जो एन.एम.आई. के वैश्विक परिषद का एक पदेन सदस्य होगा। (811)

राष्ट्रीय मंडल

345. प्रमुख अधीक्षक मंडल की अनुशंसा पर एक राष्ट्रीय मंडल का गठन किया जा सकता है राष्ट्र में कलीसिया की सेवकाई और रणनीति को सुगम बनाने के लिए इस प्रकार की संस्था का होना आवश्यक हो। एक राष्ट्रीय मंडल को यह अधिकार होगा कि राष्ट्र के विभागीय निदेशक और चरण 3 प्रांतीय सलाहकार मंडल के द्वारा इसे विस्तृत करे और उस विभाग के प्रमुख अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक और राष्ट्र के प्रांतों के परामर्श पर विभागीय रणनीति की पूर्ति के लिए कलीसिया की ओर से कार्य करे। ऐसा तब होगा जब विभागीय निदेशक के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि उस विभाग के अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के परामर्श पर उस राष्ट्र के नाज़रीन कलीसिया में वैध अधिकार को दर्ज कराएं जब मिशन की पूर्ति और कानूनी आवश्यकता के लिए यह अधिक आवश्यक न हो तो, प्रमुख अधीक्षक मंडल के द्वारा राष्ट्रीय मंडल को समाप्त किया जा सकता है।

प्रत्येक राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता ओर संरचना, प्रमुख अधीक्षक मंडल की मंजूरी के अनुसार होगी।

संगठन या निगमीकरण के कथन की एक प्रति तुरंत ही प्रमुख सचिव को दायर की जाएगी।

इन कथनों को वर्तमान में प्रमुख सचिव के कोई भी बदलाव करने पर रखा जाएगा। कलीसिया के मिशन और रणनीति को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय मंडल द्वारा किया गया व्यावसायिक लेन–देन विभागीय निदेशक के परामर्श पर संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय मंडल के वार्षिक और विशेष सभाओं के कार्यवृत्त का निरीक्षण विभागीय सलाहकार परिषद द्वारा किया जाएगा इससे पहले कि वे प्रमुख सचिव को, प्रमुख मंडल के उपयुक्त समीक्षा और टिप्पणी के लिए प्रस्तुत करे। (32.5)

विभाग

346. उद्‌गम और उद्देश्यः कलीसिया का विश्वभर में विस्तारित करने के लिए कई संगठित प्रांतों के समूहों को भौगोलिक क्षेत्र जिन्हें विभाग कहते हैं, विकसित किया गया। प्रांतों के समूह नाज़रीन कलीसिया के प्रमुख प्रशासन के अधीन कार्यरत है और क्षेत्रों के ज्ञान और सांस्कृतिक पहचान इसे एक प्रशासनिक विभाग बना सकते हैं प्रमुख मंडल के कार्य और प्रमुख अधीक्षक मंडल की अनुशंसा पर।

346.1. विभागीय नीति – संगठन के लिए गैर–समितीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रमुख अधीक्षक मंडल विभागीय सलाहकार परिषद के साथ परामर्श करते हुए, विशेष जरूरतों, संभावित समस्याओं मौजूदा वास्तविकताओं और दुनिया के विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रों की संरचना करें। ऐसी स्थितियों में प्रमुख अधीक्षक मंडल एक ऐसी नीति स्थापित करेगा जो गैर–परकाम्य प्रतिबद्धताओं को लागू करता है, जिसमें विश्वास के कथन, पवित्रता सिद्धांत और जीवनशैली के प्रति वफादार पालन और व्यापक मिशनरी पहुँच के लिए प्रयास शामिल हैं।

346.2. विभाग के मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं:

1. नाज़रीन कलीसिया के उद्देश्य (मिशन) को नए क्षेत्र, प्रांतों और संस्थानों के द्वारा लागू करना।
2. महान आज्ञा को पूरा करने के लिए विभागीय जागरूकता, संगति और रणनीति को विकसित करना और प्रांतीय और संस्थागत

प्रतिनिधियों को समय समय प्रार्थना के लिए, योजना बनाने के लिए ओर प्रेरणा के लिए साथ लाना।

3. प्रमुख मंडल के चुनाव के लिए प्रमुख सभा और वैश्विक सम्मेलन में व्यक्तियों का नामांकन करना;
4. विवरणिका के प्रावधानों अनुरूप विद्यालयो, महाविद्यालयों या अन्य संस्थाओं को स्थापित व व्यवस्थित करना;
5. नीति के अनुसार विभाग से नए व्यक्तियों को भर्ती करना और सेवकों को जाँचने का अधिकार।
6. विभाग के लिए विभागीय सलाहकार समिति सभाओं और संगोष्ठियों की योजना बनाना।
7. राष्ट्रीय मंडल को अनुच्छेद 345 और 346.3 के अनुसार सुगम बनाना।

346.3. विभागीय सलाहकार परिषद एक विभाग में एक विभागीय सलाहकार होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी विभागीय निदेशक को विभाग की उन्नति की योजना विकसित करने, समीक्षा करने में सहयोग देना होगा और प्रमुख सचिव के कार्यालय में पेश करने से पूर्व राष्ट्रीय मंडल और कार्यवृत्तों की स्वीकृति और अस्वीकृति की अनुशंसा करना, वैश्विक नियुक्ति के लिए प्रमुख मंडल की अनुशंसा पर मिशनरी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना और विभागीय निदेशक, क्षेत्र रणनीति समन्वयक और सेवकाई समन्वयक से रिपोर्ट प्राप्त करना है।

विभागीय सलाहकार परिषद की सदस्यता, परिषद को व्यक्तिगत विभाग की आवश्यकता, विकास और जरूरतों के अनुसार आकार देने के क्रम में लचीला होना। विभागीय निदेशक, वैश्विक सेवकाई निदेशक और अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक की अनुशंसा प्राप्त करने के लिए परिषद के सदस्यों की संख्या की अनुशंसा करेगा। पदेन सदस्य, विभाग के अधिकार क्षेत्र का प्रमुख अधीक्षक, वैश्विक सेवकाई निदेशक और विभागीय निदेशक होगा जो अध्यक्ष के रूप में सेवकाई करेगा। उत्तरदायी कार्यकर्ता, वैश्विक सेवकाई के लिए विभागीय सलाहकार परिषद के चुनाव का उम्मीदवार नहीं होगा लेकिन एक संसाधक विशेष के रूप में सेवकाई कर सकता है। विभागीय सलाहकार परिषद के सदस्य का चुनाव प्रमुख सभा में विभागीय दल के द्वारा मतदान

कराने से होगा। विभागीय सलाहकार परिषद, प्रांतीय सभा के बीच की कोई भी रिक्त पद की पूर्ति करेगा।

विभागीय निदेशक, परिषद के परामर्श पर एक विभागीय सम्मेलन या क्षेत्रीय धर्मप्रचारक सम्मेलन का एक आयोजन कर सकता है। (32.5)

346.4. विभागीय निदेशकः एक विभाग का एक निदेशक होगा जिसका चुनाव प्रमुख अधीक्षक मंडल, वैश्विक सेवकाई निदेशक के परामर्श द्वारा और प्रमुख मंडल की पुष्टि द्वारा होगा। जो विभाग के प्रांतों, कलीसियाओं और संस्थानों में मिशन की पूर्ति, योजना बनाने और कलीसिया के कार्यक्रम का नेतृत्व, नाज़रीन कलीसिया की नीतियों और कार्य–प्रणाली के अनुरूप करेगा।

विभागीय निदेशक के फिर से चुनाव से पूर्व, विभागीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर वैश्विक सेवकाई निदेशक और अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक द्वारा एक समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। फिर से चुनाव की सिफारिश के लिए एक सकारात्मक समीक्षा एक समर्थन खड़ा करेगा।

प्रत्येक विभागीय निदेशक, प्रमुख मंडल और वैश्विक सेवकाई के प्रति प्रशासनिक रूप से जवाबदेह होगा और क्षेत्राधिकार मामलों में प्रमुख अधीक्षक मंडल को जवाबदेह होगा।

346.5. क्षेत्रीय रणनीति संयोजकः जब विचार करना आवश्यक हो, विभागीय निदेशक, विभाग में एक क्षेत्रीय संरचना का गठन कर सकता है और वैश्विक सेवकाई नीति और विवरणिका प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रीय रणनीति संयोजक की नियुक्ति के लिए वैश्विक सेवकाई निदेशक की अनुशंसा करना। क्षेत्रीय रणनीति संयोजक, विभागीय निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

346.6. विभागीय अध्ययन पाठ्यक्रम सलाहकार समितिः विभागीय अध्ययन पाठ्यक्रम सलाहकार समिति का गठन विभागीय शैक्षिक संयोजक से होगा जो समिति का पदेन अध्यक्ष हो सकता है। अतिरिक्त प्रतिनिधि का चुनाव विभागीय निदेशक के परामर्श पर होगा।

समिति के सदस्यों को विभाग के लिए सेवकाई शिक्षण (जैसे – पादरी, प्रशासक, शिक्षक और सामाजिक वक्ता) की सभी इच्छुक दलो में उपस्थित होना चाहिए।

346.7. विभागीय अध्ययन पाठ्यक्रम सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार हैं:

1. विभाग पर न्यूनतम शैक्षिक मापदंड की रूपरेखा के लिए 'विभागीय दीक्षा पाठ्यक्रम स्त्रोत पुस्तक' को विकसित करनां दीक्षा पाठ्यक्रम स्त्रोत पुस्तक को विवरणिका में उपस्थित न्यूनतम मापदंडों को दर्शाना आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय दीक्षा विकासात्मक मापदंड स्त्रोत पुस्तक से सविस्तारित होना आवश्यक है।
2. विभाग के लिए सेवकाई शिक्षण के लिए मान्य प्रक्रिया विकसित करना और यह प्रमाणित करना कि यह कार्यक्रम विभागीय अध्ययन पाठ्यक्रम सलाहकार समिति के न्यूनतम मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पाठ्यक्रम सलाहकार समिति से मेल खाते हैं;
3. सेवकाई शिक्षण कार्यक्रमों में मापदंडों की व्याख्या के लिए विभागीय शिक्षण प्रबंधकों के साथ सहयोग करना;
4. विभागीय और अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोतपुस्तक के मापदंडों के साथ स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए सेवकाई शिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करना;
5. अनुमोदन और अंगीकार करने के लिए विभागीय सेवकाई शिक्षण कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पाठ्यक्रम सलाहकार समिति का समर्थन करना।

भाग 5

उच्च शिक्षा

कलीसिया और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय
वैश्विक नाज़रीन शिक्षा संघ
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल

1. कलीसिया और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय

400. नाज़रीन कलीसिया अपने आरंभ से ही उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। कलीसिया छात्रों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, प्रशासनिक और अगुवों और वित्तीय तथा आत्मिक सहयोग प्रदान करती है। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कलीसिया के युवाओं और कलीसिया के कई व्यस्कों को शिक्षित करती है, आत्मिक परिपक्वता की ओर मार्गदर्शन कराती है, कलीसिया को समृद्ध कराती है, विश्व की विचारधारा को जानने के लिए बाहर भेजती है व मसीह के सेवकों से प्रेम करना सिखाती है। कलीसिया का महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्थानीय सभा ही नहीं बल्कि कलीसिया का अविभाज्य अंग है; यह कलीसिया की एक अभिव्यक्ति है।

नाज़रीन कलीसिया, मानव जीवन के मूल्य और गौरव पर विश्वास करती है और यह एक ऐसे माहौल प्रदान करने की जरूरत है जिसमें लोग छुटकारे

और आत्मिक समृद्धता को बौद्धिक और शारीरिक रूप में प्राप्त कर सके। "यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा" (2 तीमुथियुस 2:21)। स्थानीय कलीसिया के क्रियाकलाप के प्राथमिक कार्य और परंपरागत अभिव्यक्ति – सुसमाचार प्रचार, धार्मिक शिक्षा, करुणामयी सेवकाई और आराधना की सेवकाई – ये सब उदाहरण कलीसिया का परमेश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के लिए चिंता को दर्शाती है।

स्थानीय कलीसिया स्तर में, युवा और व्यस्कों में मसीही शिक्षा मानव को उन्नति के विभिन्न चरणों को सुसमाचार के द्वारा सशक्त और प्रभावशाली करती है। सभा कहीं भी और सभी स्तरों में बाल संरक्षण/विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम (जन्म से माध्यमिक) में सम्मिलित हो सकती है। कलीसिया का मुख्य स्तर, उच्च शिक्षा और सेवकाई को तैयार करने के कार्यक्रम में संस्थानों को उपलब्ध कराने के ऐतिहासिक प्रयत्न को व्यवस्थित करेगा। जहाँ भी इस प्रकार के संस्थानों को संचालित किया जाता है वे नाज़रीन कलीसिया के दर्शनिक और धार्मिक संरचना के अंदर रहकर कार्य करेंगे जिसे प्रमुख सभा द्वारा स्थापित किया है और विवरणिका के द्वारा अभिव्यक्त किया गया हैं।

400.1. शैक्षिक सेवकाई कथन – नाज़रीन कलीसिया की शिक्षा वेसेलियन और पवित्रीकरण आंदोलन के बाइबिल और धार्मिक, प्रतिबद्धता में रोपे गए हैं और वे संप्रदाय की सेवकाई के उत्तरदायी हैं। इनका लक्ष्य उन लोगों को मार्गदर्शन देना है जो इसे स्वीकारते हैं, पोषण करते हैं और कलीसिया में सेवकाई की इच्छा को प्रकट करते हैं तथा विश्व सांसारिक संगति व मसीही संगति के सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन को समझते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे उच्च शैक्षिक संस्थान एक पाठ्यक्रम, निर्देश की गुणवत्ता और दार्शनिक उपलब्धि के प्रमाण को प्रदान करने का प्रयास करेंगे जो पर्याप्त रूप से स्नातकों को तैयार करेंगे जिससे स्नातक अपने द्वारा चुने गया वृत्ति या व्यावसायिक स्थानों में प्रभावशीलता से कार्य करें।

400.2. अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल के अनुशंसा के अधीन प्रमुख सभा को यह अधिकार है कि डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों को अवश्य स्थापित करें।

स्थापित संस्थानों में उन्नति या उसकी स्थिति में बदलाव करने का अधिकार प्रमुख सभा, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल की अनुशंसा पर दे सकता है।

कोई भी स्थानीय कलीसिया या कलीसियाओं का संयोजन या वह व्यक्ति जो स्थानीय कलीसिया या कलीसियाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उपाधि देने वाले द्वितीय स्तर या सेवक तैयार करने वाले संस्थानों को स्थापित या प्रायोजक नहीं कर सकता है सिवाय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल की अनुशंसा के।

2. वैश्विक नाज़रीन शिक्षा संघ

401. एक वैश्विक नाज़रीन शिक्षा संघ होनी चाहिए जिसमे एक अध्यक्ष, प्रधान अध्यापक, नाज़रीन कलीसिया के हर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान से एक निदेशक (या उनके नामित प्रतिनिधि), क्षेत्रीय शिक्षा समन्वयक, शिक्षा आयुक्त, वैश्विक मिशन निदेशक और प्रमुख अधीक्षक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल के क्षेत्राधिकार में शामिल होंगे।

3. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल

402. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल, नाज़रीन कलीसिया में शैक्षिक संस्थानों के लिए एक प्रमुख कलीसिया अधिवक्ता होगा। यह मंडल बारह सदस्यों से मिलकर बना होगाः आठ सदस्य प्रमुख मंडल, द्वारा चुने जाएंगे इसके अतिरिक्त ये सदस्य पदेन सदस्य होंगेः प्रमुख मंडल में दो शिक्षा प्रतिनिधि, वैश्विक सेवकाई निदेशक, वैश्विक याजकीय विकास निदेशक और शिक्षा आयुक्त होंगे। एक नामांकन समिति प्रमुख मंडल में शिक्षा आयुक्त, वैश्विक सेवकाई निदेशक, दो शिक्षा प्रतिनिधि से मिलकर बना होगा और अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल और वैश्विक सेवकाई के लिए, प्रमुख अधीक्षक मंडल के अनुमोदन पर आठ नामांकनों को प्रस्तुत करेगा, जो प्रमुख मंडल के चुनाव के लिए होंगे।

समस्त कलीसिया भर में मंडल का प्रतिनिधत्व सुनिश्चित करने के प्रयास में नामांकन समिति, नामांकनों को इस प्रकार प्रस्तुत करेगीः एक विभागीय शिक्षा समन्वयक; तीन अयाजकीय सदस्य; वैश्विक सेवकाई से दो नियुक्त दीक्षित सेवक जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कि एक शिक्षा समन्वयक होगा, नामांकित नहीं होगा; दो “स्वतंत्र” नामांकन। कोई भी वैश्विक सेवकाई विभाग

में एक से अधिक चयनित सदस्य नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक विभाग में एक प्रतिनिधि न हो।

समस्त नामांकन और चुनाव प्रक्रिया में उन चयनित व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाएगा जो संकर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या शिक्षक के रूप में अनुभवशील या दोनों होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल के कार्य इस प्रकार हैं:

402.1. यह सुनिश्चित करना कि शैक्षिक संस्थान संबंधित शासित मंडल के कानून के नियंत्रण में कार्यशील हैं जिसका संविधान और नियम, उनके संबंधित चार्टर (कानून) या निगमीकरण के कथन को स्वीकारते हैं और जो नाज़रीन कलीसिया के विवरणिका द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश से सामंजस्य बैठाकर कार्यशील रहें।

402.2. यह सुनिश्चित करना कि, नाज़रीन कलीसिया के शासित मंडल अच्छी दशा में नाज़रीन कलीसिया के सदस्य होंगे। कलीसिया के विवरणिका में निर्धारित विश्वास के कथन, समेत संपूर्ण पवित्रीकरण के सिद्धांत और नाज़रीन कलीसिया के रिवाज द्वारा पूर्ण रूप से सहमत हों। जहाँ तक संभव हो उच्च शिक्षा मंडल के संचालन की सदस्यता में समान संख्या में सेवक और साधारण जन हों।

402.3. ऐसे निधि (फंड) को प्राप्त करना जो भेंट, वसीहत और दोनों के रूप में शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए हैं और प्रमुख मंडल द्वारा अपनाए गए नीतियों के अनुसार इस निधि में से प्रत्येक शैक्षिक संस्थान को वार्षिक रूप में आवंटन करने का अनुरोध करना। शैक्षिक संस्थान तब तक नियमित रूप से सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि उनके शैक्षिक स्तर, संगठन की योजना और वित्तीय रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल के सामने प्रस्तुत न हो जाए।

402.4. शिक्षा आयुक्त द्वारा समस्त अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मंडल संस्थानों के आगे दी गई सूचनाओं के सार का वार्षिक रिपोर्ट उपयुक्त रूप से प्राप्त करना और कार्यवाही करना: (1) वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट, (2) वार्षिक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट और (3) वर्तमान वार्षिक वित्तीय बजट।

402.5. अनुरोध करना और सहयोग प्रदान करना और समर्थन करना यद्यपि उसकी भूमिका संस्थानों को, प्रमुख अधीक्षक मंडल को और प्रमुख मंडल को सलाह देना है।

402.6. नाज़रीन शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित मामलों में सहयोग प्रदान करना और कलीसिया तथा संस्थाओं के बीच के बंधन को क्रमानुसार अत्याधिक मजबूत करना।

402.7. इसके क्रिया–कलाप और गुणों को प्रमुख मंडल के उपयुक्त समिति के सामने प्रस्तुत करना।

403. समस्त शैक्षिक संस्थान और नियम को जरूरी रूप से नाज़रीन कलीसिया द्वारा निर्देशित संपत्ति के विघटन और व्यवस्थापन के कथन को सम्मिलित करें कि वे इस प्रकार की संपत्ति को कलीसिया के शैक्षिक सेवकाई के लिए उपयोग करेंगे।

भाग 6

सेवकाई और मसीही सेवकाई

सेवक की बुलाहट और योग्यता
सेवकाई की श्रेणियाँ
याजकीय प्रमाण–पत्र की सेवकाई शिक्षा और सेवकाई अधिनियम

1. सेवक की बुलाहट और योग्यता

ध्यान दें: अनुच्छेद 500 के आरंभिक शब्द की वैधता की मान्यता में विवरणिका संपादन समिति ने ऐसी भाषा का उपयोग करने का प्रयास किया है जो कि इस विशेषता को प्रतिबिंबित करता है। हालाँकि विवरणिका के इस खंड के गुण के कारण "सेवक" पद का प्रयोग आमतौर पर एक प्रमाण–पत्र प्राप्त व्यक्ति, चाहे वह आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) प्राप्त हो या दीक्षित हो या आयुक्त हो के लिए उल्लेख किया जाएगा।

500. नाज़रीन कलीसिया यह मानती है कि सभी विश्वासी, सभी लोगों की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि मसीह ने कुछ पुरुषों और स्त्रियों को विशिष्ट और जनता की सेवकाई के लिए बुलाया हैं उसी प्रकार जैसे मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को सुना और दीक्षित किया। जब कलीसिया पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित होती है तो वह ऐसे दिव्य बुलाहट

को पहचानती है और कलीसिया ऐसे व्यक्तियों का समर्थन व सहायता करती है जो जीवनभर के लिए सेवकाई में प्रवेश करते हैं।

501. सेवकाई में महिलाओं के लिए धर्मशास्त्र नाज़रीन कलीसिया, महिलाओं को परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए आत्मिक भेंटों को कलीसिया में उपयोग करने के अधिकार का समर्थन करती है और यह महिलाओं के उस ऐतिहासिक अधिकार को स्वीकार करती है कि वह नाज़रीन कलीसिया में नेतृत्व के स्थान में चयनित व नियुक्त की जा सकती है, जिसमें प्राचीन और सहसेवक के कार्यालय भी सम्मिलित है।।

मसीह के छुटकारे के कार्य का उद्देश्य परमेश्वर की सृष्टि को पतन के श्राप से मुक्त कराना है। जो 'मसीह में' है, वह नई सृष्टि हैं। (2 कुरिन्थियों 5:17)। इस छुटकारा प्राप्त किए गए समाज में कोई भी मानव सामाजिक स्तर, दौड़ या लिंग के आधार पर तुच्छ नहीं माना जाता है (गलतियों 3:26–28) तीमुथियुस के लिए पौलुस के निर्देश के द्वारा बनाई गई स्पष्ट विरोधाभास को (1 तीमुथियुस 2:11–12) और कुरिन्थियों में कलीसिया के लिए स्वीकार करते हैं। (1 कुरिन्थियों 14:33–34), हम विश्वास करते हैं कि इन अनुच्छेद की व्याख्या करना, सेवकाई में महिलाओं की भूमिका को सीमित करने के रूप में, पवित्र शास्त्र के विशिष्ट अनुच्छेद के साथ गंभीर संघर्ष प्रस्तुत करता है जो आत्मिक नेतृत्व की भूमिका में महिला की भागीदारी की सराहना करता है। (योएल 2:28–29; प्रेरितों के काम 2:17–18; 21:8–9; रोमियों 16:1, 3, 7: फिलिप्पियों 4:2–3) और वेसेलियन – पवित्रीकरण परंपरा के आत्मा और अभ्यास का उल्लंघन करता है। अंत में यह पूरे पवित्रशास्त्र में प्रस्तुत परमेश्वर के चरित्र के साथ अंसगत है, विशेष रूप से जैसा कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व में प्रकट हुआ है।

502. दीक्षा का पवित्रशास्त्रः

सार्वभौमिक पादरी–वर्ग के लिखित सिद्धांत की पुष्टि करते हुए और सभी विश्वासियों की सेवकाई और दीक्षा, बाइबिल के उस विश्वास को प्रतिबिंबित करती है, कि परमेश्वर ने कुछ पुरुषों और महिलाओं को कलीसिया में सेवकाई का संचालन करने के लिए बुलाया है। दीक्षा, कलीसिया का प्रमाणीकरण और अधिकृत कार्य है, जो प्रबंधक के रूप में सेवकाई के संचालन के कार्य को परमेश्वर की बुलाहट मानता है और उसकी पुष्टि भी करता है और यीशु

मसीह की कलीसिया और सुसमाचार की घोषणा करता है। इसके परिणामस्वरूप दीक्षा, विश्व में कलीसिया की इस सार्वभौमिकता को बड़े पैमाने पर साबित करती है कि इन उम्मीदवारों की योग्यता पवित्रता के अनुकरणीय जीवन के रूप में और भेंट और कृपा द्वारा जनता की सेवकाई के रूप में है। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की विशेष रूप से परमेश्वर के वचन की प्यास है और उनके पास यह योग्यता है कि वह एक स्वस्थ सिद्धांत को संवादित करें। (प्रेरितों के कार्य 13:1–3; 20:28; रोमियों 1:1–2; 1 तीमुथियुस 4:11–16; 5:22; 2 तीमुथियुस 1:6–7)

502.1. नाज़रीन कलीसिया विस्तृत रूप से अपने सेवकों के आत्मिक योग्यता, चरित्र और जीवन के तरीके पर निर्भर रहता है। (538.17)

502.2. नाज़रीन कलीसिया के सुसमाचार प्रचारक के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के साथ संधि होनी चाहिए और बपतिस्मा द्वारा या पवित्र आत्मा की भरपूरी द्वारा पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए। सेवकों को अविश्वासियों के प्रति यह मानते हुए गहरा प्रेम होना चाहिए कि वे कष्ट भुगत रहे है और उन्हें उद्धार पाने के लिए बुलाया गया है।

502.3. सेवक को कलीसिया के समक्ष एक उदाहरण होना चाहिएः परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा उसे समयानिष्ठ, विचारशील, मेहनती, उत्साही, पवित्रता में, उदार, सहनशील, दयालु, प्रेमी और सच्चा होना चाहिए। (2 कुरिनिथियों 6:6–7)

502.4. एक सेवक के पास पूर्णता की ओर जा रहे विश्वासियों की जरूरत की गहरी समझ होनी चाहिए और उनके व्यावहारिक जीवन में मसीही अनुग्रह का विकास कराना चाहिए जिससे उनका "प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए" (फिलिप्पियों 1:9)। वह जो नाज़रीन कलीसिया में सेवक होगा उसे उद्धार और मसीही आचारनीति का आभार रहना होगा।

502.5. सेवक को भावी सेवकों को प्रशिक्षित करने के अवसरों पर प्रत्युत्तर देना चाहिए और उनमें सेवकाई की बुलाहट का पोषण करना चाहिए।

502.6. सेवक के पास दान और वरदानों होने चाहिए। उनके स्त्री या पुरुष के पास ज्ञान प्राप्त करने विशेष रूप से परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने की प्यास होनी चाहिए और पवित्र शास्त्र में उल्लेखित उद्धार के विषय में एक स्पष्ट दृष्टिकोण, अच्छी समझ और स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। उनके सेवकाई

में धर्मीजन उन्नति प्राप्त करेंगे और पापी बदल जाएंगे। नाज़रीन कलीसिया में सुसमाचार प्रचारक को प्रार्थना में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

2. सेवकाई की श्रेणियाँ
(अ) अयाजकीय सदस्यों की सेवकाई

503. सभी मसीहियों को सेवकाई के उपयुक्त मार्ग के अनुसार स्वयं को मसीह का सेवक समझना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को ढूँढना चाहिए। (500)

500.1. नाज़रीन कलीसिया एक अयाजकीय सदस्यों की सेवकाई के लिए जाना जाता है। यह इसलिए भी जाना जाता है कि इसमें अयाजकीय सदस्य विभिन्न क्षेत्रों मे सेवकाई कर सकते हैं (इफिसियों 4:11–12) कलीसिया, सेवकाई के लिए आगे दिए गए भूमिकाओं को जानता है, जिसमें प्रांतीय सभा द्वारा अयाजकीय सदस्यः याजक, सुसमाचार प्रचारक, मिशनरी, अध्यापक, प्रशासक, संस्थागत पादरी और विशेष सेवक को स्थान दिया जा सकता है। अयाजक प्रशिक्षण इन श्रेणियों की पूर्ति के लिए सामान्य रूप से आवश्यक है या बहुत वांछित है। (605.3)

503.2. अयाजकीय सेवकः नाज़रीन कलीसिया का कोई भी सदस्य जो कलीसिया की ओर से कलीसिया रोपक, द्वि–व्यावसायिक पादरी, अध्यापक, अयाजकीय सुसमाचार प्रचारक, अयाजकीय आराधना अगुवा, प्रबंधक पद सेवक, कलीसिया कर्मचारी सेवक या अन्य विशेष के रूप में सेवकाई की बुलाहट को महसूस करता है लेकिन जो वर्तमान में एक दीक्षित सेवक के रूप में सेवकाई की विशेष बुलाहट को महसूस नहीं करता है, वह एक मान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, जो अयाजक सेवक रूप में प्रमाणीकरण के लिए अग्रणी है।

503.3. स्थानीय कलीसिया मंडल, पादरी के अनुमोदन पर उनके (अयाजक सदस्यों) व्यक्तिगत उद्धार के अनुभव पर, कलीसिया की सेवकाई में विशिष्ट योगदान को देखकर और कलीसिया के कार्यो के ज्ञान को देखकर उनका निरीक्षण करेगा व मंजूरी प्रदान करेगा।

503.4. स्थानीय कलीसिया मंडल, प्रत्येक अयाजकीय सेवक उम्मीदवार को पादरी व कलीसिया मंडल सचिव के द्वारा हस्तांतरित प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकता है।

503.5. यदि नियमित अयाजकीय प्रशिक्षण द्वारा रूपरेखित अयाजकीय सेवकाई शैक्षिक कार्यक्रम के कम से कम दो विषयों को अयाजक सेवक पूरा कर लेता है तो, उसके प्रमाण पत्र को कलीसिया मंडल, पादरी के अनुमोदन पर प्रतिवर्ष नवीकृत कर सकता है। अयाजक सेवक कलीसिया मंडल को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

503.6. एक अयाजक सेवक अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम को पूरा करके प्रांतीय प्रस्तावों के अधीन एक कलीसिया रोपक, पादरी आपूर्ति, द्वि–व्यावसायिक पादरी या अन्य विशेष सेवक के रूप में सेवकाई कर रहा है तो प्रांतीय सलाहकार मंडल उस प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा हस्ताक्षरित अयाजकीय सेवकाई प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकता है। अयाजकीय सेवक के प्रमाण–पत्र को प्रांतीय सलाहकार मंडल, प्रांतीय अधीक्षक की अनुमति से प्रतिवर्ष नवीकृत कर सकता है।

503.7. अयाजकीय सेवक, स्थानीय कलीसिया के बाहर जहाँ का वह सदस्य है और जिस विषय के लिए उसे नियुक्त किया गया है तथा प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा निरक्षित कार्यक्षेत्र में सेवकाई करेगा और प्रतिवर्ष उन्हें रिपोर्ट देगा। जब प्रांतीय नियत कार्य को रोक दिया जाएगा तो उससे संबंधित फैसले को वापिस स्थानीय कलीसिया करेगी जहाँ का प्रमाण पत्र अयाजकीय सेवक के पास है और जहाँ पर उस प्रमाण पत्र को नवीकृत किया जाता है तथा जहाँ पर अयाजकीय सेवक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

503.8. मान्य अयाजकीय सेवकाई अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात अयाजकीय सेवक, नियमित अयाजकीय प्रशिक्षण कार्यालय के माध्यम से अपने द्वारा चुने गए सेवकाई में विशेष योग्यता प्राप्त कर सकता है।

503.9. एक अयाजकीय सेवक, बपतिस्मा और प्रभु–भोज जैसे संस्कारों को करने की योग्यता नहीं रखता है और आधिकारिक रूप से विवाह कराने की भी योग्यता नहीं रखता है।

ब. याजकीय समूह की सेवकाई

504. नाज़रीन कलीसिया, सेवकाई के केवल एक व्यवस्था को स्वीकार करता है और वह है प्राचीन द्वारा। वह, ये भी स्वीकार करता है कि याजकीय समूह के सदस्य कलीसिया के विभिन्न जरूरतों में सेवकाई कर सकते हैं। (इफिसियों 4:11–12) कलीसिया, प्रमुख सभा द्वारा स्वीकृत सेवकाई की श्रेणियों को स्वीकार करता है, जो इस प्रकार हैः परिस्थिति अनुसार प्राचीन, सेवक, एक दीक्षित सेवक; पादरी, सुसमाचार प्रचारक, मिशनरी (सेवक), अध्यापक, प्रशासक, संस्थागत पादरी और विशेष सेवक। "नियुक्त सेवक" के रूप में इन श्रेणियों की पूर्ति के लिए सेवकाई प्रशिक्षण और दीक्षा सामान्य रूप से आवश्यक है या बहुत वांछित है। "दीक्षा पर स्त्रोत पुस्तक" सेवकाई की प्रत्येक श्रेणियों के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराती है जो प्रमुख मंडल को एक नियुक्त सेवक के चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताओं की पहचान कराने में सहायक होगी। केवल नियुक्त सेवक ही प्रांतीय सभा के चुनाव करने वाले सदस्य होंगे।

504.1. सभी सदस्य जो किसी विशेष भूमिका के लिए नियुक्त किए गए हैं वे प्रतिवर्ष प्रांतीय सभा को विवरण देंगे।

504.2. सभी सदस्य जो किसी विशेष भूमिका के लिए नियुक्त किए गए है वह नियत प्रांत से अपने सेवकाई की भूमिका के लिए प्रमुख अधीक्षक और प्रांतीय सचिव द्वारा हस्तांतरित प्रमाण–पत्र की माँग कर सकते हैं व प्राप्त कर सकते हैं।

504.3. सभी सदस्य जो किसी विशेष भूमिका के लिए नियुक्त किए गए हैं उन्हें यदि चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकलांग घोषित किया गया है तो उन्हे "नियुक्त विकलांग सेवक" की सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

3. सेवकाई की भूमिका

505. सेवकाई की भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

506. प्रशासक – प्रशासक एक प्राचीन होगा या एक सह–सेवक जिसका चुनाव या तो प्रमुख सभा ने प्रमुख अधिकारी के रूप में या याजकीय समूह के सदस्य के रूप में या प्रमुख कलीसिया में सेवा करने के लिए कर्मचारी के

रूप में किया है। एक प्रशासक, एक प्राचीन भी हो सकता है जिसका चुनाव प्रांतीय सभा द्वारा प्रांतीय अधीक्षक के रूप में या याजकीय समूह के सदस्य के रूप में या उसके मुख्य नियत कार्य के लिए प्रांत की सेवकाई के लिए किया गया है।

507. संस्थागत पादरी

संस्थागत पादरी एक दीक्षित सेवक होता है। जो विशेष सेवकाई जैसे सैंन्य, संस्थागत या औद्योगिक स्थान में अपने दिव्य बुलाहट को महसूस करता है। सभी सेवक जो संस्थागत पादरी के रूप मे सेवकाई करने का प्रयास कर रहे हैं, उनहें प्रांतीय अधीक्षक की अनुमति लेना आवश्यक है। एक दीक्षित सेवक जो संस्थागत पादरी के रूप में अपने मुख्य नियत कार्य में कार्यरत हैं वह एक दीक्षित सेवक होगा और वह प्रतिवर्ष प्रांतीय सभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल की सलाह और परामर्श को उचित सम्मान देगा। आधिकारिक तौर पर संगठित नाज़रीन कलीसिया की सलाह पर संस्थागत पादरी, नाज़रीन कलीसिया के सहभागी सदस्यों को प्राप्त कर सकता है, वह संस्कारों को नियमावली के अनुरूप करते हैं, पुरोहिताई देखभाल करते हैं, दु:खी को सांत्वनां देते है, सभी साधनों द्वारा पापियों के रूपांतरण को प्रोत्साहित करते हैं, विश्वासियों का पवित्रीकरण और सर्वोच्च पवित्र विश्वास में परमेश्वर के जनों का निर्माण करते हैं। (519, 538.9, 538.13)

508. सह–सेविका – एक महिला जो नाजरीन कलीसिया की एक सदस्य है और यह विश्वास करती है कि वह बीमारों और जरूरतमंदों के बीच में सेवकाई, दुखीजनों को सात्वनां और मसीही हित के लिए अन्य कार्यो को करने में नेतृत्व कर सकती है और जिसने अपने जीवन की योग्यता, कृपा और उपयोगिता का सबूत दिया है तथा जो पूर्ववर्ती वर्ष 1985 की लाइसेंसधारक थी या जो सहसेविका के रूप में पवित्र है वह स्थायी रूप से अपने कार्यकाल को जारी रखेगी। हालाँकि इन महिलाओं की बुलाहट सक्रिय और नियुक्त सेवक के रूप में है लेकिन उनकी बुलाहट प्रचारक की नहीं हैं उन्हें सहसेविका के रूप में कार्यरत रहने के लिए दीक्षा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। महिलाएँ जो करुणामयी सेवकाई के लिए प्रमाण पत्र

प्राप्त करना चाहती है वे याजकीय सेवक की सभी योग्यताओं को प्राप्त कर सकती हैं। (113.9, 502.2–503.9)

509. शिक्षक – शिक्षक एक प्राचीन, सहसेवक या लाइसेंस धारक सेवक है जिसकी नियुक्ति नाज़रीन कलीसिया के प्रशासनिक कर्मचारी या एक शैक्षिक संस्थानों के सदस्यों की सेवकाई के लिए किया गया है। प्रांत ऐसे सदस्यों की नियुक्ति उनकी सेवकाई के नियत कार्य में शिक्षक के रूप में करता है।

510. सुसमाचार प्रचारक – प्राचीन या लाइसेंस धारक सेवक जो एक सुसमाचार प्रचारक है, जो सुसमाचार प्रचार व प्रसार के लिए समर्पित है और जिसकी नियुक्ति कलीसिया द्वारा पुनरूद्धार को बढ़ावा देने के लिए और यीशु मसीह के सुसमाचार को देश–विदेश में प्रसार के लिए किया गया है। नाज़रीन कलीसिया के भ्रमणशील सुसमाचार प्रसार के तीन स्तरों को स्वीकार करती है जिसके अंतर्गत प्रांतीय सभा नियुक्त सेवकों को नियुक्त कर सकती है; पंजीकृत सुसमाचार प्रचारक, अधिकृत सुसमाचार प्रचारक और कार्यकालिक सुसमाचार प्रचारक। एक सुसमाचार जो सुसमाचार प्रसार में अपने समय को सुसमाचार प्रसार के लिए और उसके स्थानीय कलीसिया के बाहर मुख्य नियतकार्य को करने के लिए समर्पित करता है और जो किसी कलीसिया या उसके किसी विभाग या संस्थानों से सेवानिवृत्ति नहीं होना चाहता है वह एक नियुक्त सेवक होगा।

510.1. एक पंजीकृत सेवक एक प्राचीन या एक प्रांतीय लाइसेंस धारक सेवक है जो अपनी मुख्य सेवकाई में सुसमाचार प्रसार करने की इच्छा को जाहिर करता है। ऐसे सेवकों का पंजीकरण एक वर्ष के लिए होगा और उनका नवीनीकरण क्रमानुसार प्रांतीय सभा द्वारा किया जाएगा। यह अनुमति प्रमुख सभा से पूर्व वर्ष में योग्यता और प्रमाण दोनों के आधार पर किया जाएगा।

510.2. एक अधिकृत सुसमाचार प्रचारक, एक प्राचीन है जिसने पंजीकृत सुसमाचार प्रचार की सभी योग्यताओं को दो वर्ष में पूरा किया है। अधिकृत सेवक का कार्यकाल एक वर्ष का है और इसका नवीनीकरण प्रांतीय सभाओं द्वारा उनके लिए किया जाएगा जो सभी योग्यताओं में खरे उतरते हैं।

510.3. कार्यकालिक सुसमाचार प्रचारक, एक प्राचीन होगा जिसने अधिकृत सुसमाचार प्रचार की योग्यताओं को चार वर्षों में पूरा किया है और क्रमिक

वर्षों में अधिकृत सुसमाचार प्रचारक के स्तर में निवेदन दिया है और जिसका अनुमोदन प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल द्वारा किया गया है तथा जिसकी स्वीकृति प्रभु द्वारा, बुलाए गए प्रचारक के हितों की समिति और प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा, की गई है। इस पद की भूमिका उस समय तक जारी रहेगी जब तक प्रचारक अपनी भूमिका को पूरी करने में असफल न हो जाएं या जब तक उसे सेवानिवृत्ति नहीं किया जाएगा (231.2, 536)

510.4. एक नियमित आत्म मूल्यांकन और समीक्षा, कलीसिया/पुरोहिताई संबंध के समीक्षा के समान है और उनका संचालन सुसमाचार प्रचारक और प्रांतीय अधीक्षक दोनों साथ में कम से कम प्रत्येक चार वर्ष में कार्यकारिक पद के चुनाव के बाद करते हैं। प्रांतीय अधीक्षक सभा की सूची तैयार करने और संचालित करने का उत्तरदायी होगा। यह सभा सुसमाचार प्रचारक के साथ विचार–विमर्श कर होगा। समीक्षा के समापन के बाद परिणामों की रिपोर्ट को प्रभु द्वारा बुलाहट पाए सुसमाचार प्रचारक के हितों की समिति को नियमित स्वीकृति के लिए आवश्यक योग्यताओं के मूल्यांकन हेतु आगे सौंप दिया जाएगा (211.21)

510.5. एक प्राचीन और आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक जो कलीसिया या उसके किसी विभाग के साथ सेवानिवृत्त संबंध बनाए रखता है और जो पुनरूत्थान या सुसमाचार–प्रचारकीय सभाओं में एक सेवकाई के कार्य को पूरा करने की इच्छा रखता है, वह "सेवानिवृत्त सुसमाचार प्रचारकीय सेवकाई" के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसका चुनाव प्रांतीय सभा द्वारा प्रांतीय अधीक्षक की अनुशंसा पर किया जाएगा और उसका पुनः नवीनीकरण बाद में प्रमुख सभाओं द्वारा सभा से पूर्व के वर्ष के सुसमाचार प्रचारक के वास्तविक कार्य के आधार पर किया जा सकता है।

510.6. एक प्राचीन या आधिकारिक–पत्र प्राप्त सेवक प्रांतीय सभाओं के मध्य में सुसमाचार प्रचारक के क्षेत्र में प्रवेश की इच्छा करता है तो उसको प्रांतीय अधीक्षक की अनुशंसा के अधीन वैश्विक धर्मसेवक विकास के प्रमुख कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। अधिकृत और पंजीकृत सुसमाचार प्रचारक का चुनाव प्रांतीय सभा द्वारा प्रांतीय अधीक्षक की अनुशंसा के अधीन किया जाएगा।

510.7. 'सुसमाचार प्रचारकों के प्रमाणीकरण के लिए दिशा–निर्देश और प्रक्रियाओं' की भूमिका 'दीक्षा पर स्त्रोत पुस्तक' में निहित होगा।

511. मसीह शिक्षा के सेवक – धर्मसेवक समूह का एक सदस्य जो एक स्थानीय कलीसिया के एक मसीह शिक्षा कार्यक्रम में मसीह योग्यताओं के आधार पर कर्मचारी है तो उसकी नियुक्ति एक मसीह शिक्षा के सेवक रूप में हो सकती है।

511.1. एक व्यक्ति जो वर्ष 1985 पूर्ववर्ती था, जो मसीह शिक्षा के सेवक के रूप में लाइसेंस धारक या आयुक्त है वह अच्छी स्थिति में अपने कार्य को जारी रखेगा। हालाँकि जो व्यक्ति मसीह शिक्षा के सेवक के रूप में कार्य करने की इच्छा रखते हैं वह सहसेवक के आदेश के द्वारा उनकी सेवकाई के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए दीक्षा के सभी योग्यताओं को पूरा कर सकता है।

512. आराधना अगुवे – नाज़रीन कलीसिया का एक सदस्य जो संगीत में सेवकाई की बुलाहट को महसूस करता है उसकी नियुक्ति आराधना अगुवे के रूप में की जा सकती है। बशर्ते उसे निम्न बातों का ज्ञान होना चाहिएः

1. जिस कलीसिया की वह सदस्यता रखता है उसे उस स्थानीय कलीसिया के कलीसिया मंडल द्वारा ऐसे कार्य करने की स्वीकृति दी गई हो।
2. दया, वरदानों और उपयोगिताओं के सबूत देता हो।
3. उसे संगीत के सेवकाई का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो;
4. उसने मान्यता प्राप्त अध्यापक के अधीन कम से कम एक वर्ष का सांगीतिक अध्ययन पूरा किया हो और वह अध्ययन के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा है या इसके समतुल्य संगीत के सेवकाई का अध्ययन कर रहा हो या पूरा कर लिया हो
5. और नियमित रूप से संगीत के सेवक के रूप में संलग्न हो; और
6. सभा की प्रांतीय सभा के दिशा–निर्देशन के अधीन जिस कलीसिया की वह सदस्यता रखता हो उसकी सीमा के भीतर सावधानी पूर्वक उसकी जाँच की गई हो ताकि उसकी, संगीत के सेवक के रूप

में बौद्धिक और आत्मिक योग्यताएँ व प्रमुख औचित्य के बारे में जान सकें। (205.10)

512.1. केवल वह व्यक्ति जो इस सेवकाई को अपनी प्रमुख कार्य और व्यवसायिक रूप में बनाए रखता हो उसके पास सेवकाई का प्रमाण–पत्र हो उसे नियुक्त सेवक माना जाएगा।

513. सेवक – एक सेवक, याजकीय या अयाजकीय समूह का सदस्य होता है जो वैश्विक मिशन के देख–रेख के अधीन सेवकाई करता है। एक सेवक जिसे नियुक्त किया गया हो और जिसके पास सेवकाई का प्रमाण–पत्र हो उसे एक दीक्षित सेवक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

514. पादरी – एक पादरी एक दीक्षित प्राचीन या आधिकारिक पत्र प्राप्त सेवक (प्राचीन पद) है और जिसे परमेश्वर और उसके लोगों की बुलाहट है, वह स्थानीय कलीसिया का देख–रेख करता है। स्थानीय कलीसिया का पादरी एक नियुक्त सेवक है। (115, 213, 533.4)

515. एक पादरी के मुख्य कर्तव्य इस प्रकार हैं:

515.1. प्रार्थना

515.2. वचन का प्रचार

515.3. सेवकाई के कार्य के लिए सेवकों की आपूर्ति करना।

515.4. प्रभु भोज और बपतिस्मा के संस्कारों का प्रबंध करना। प्रभु भोज का प्रबंध त्रिमास में कम से कम एक बार होना चाहिए। पादरियों को इस अनुग्रह के मायनों के उत्सव की ओर ले जाने के लिए अधिक और लगातार प्रोत्साहित होना चाहिए। एक प्रांतीय आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) धारक सेवक जिसने अनुच्छेद 532.7 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन न किया हो वह संस्कारों की व्यवस्था एक दीक्षित सेवक द्वारा करवाएगा। एक स्थानीय आधिकारिक पत्र प्राप्त सेवक, बपतिस्मा और प्रभु–भोज को करने के योग्य नहीं होगा। पादरी कलीसिया के अनुबंधित व्यक्तियों को प्रभु–भोज देने का विचार, पादरी के देखरेख के अधीन होना चाहिए। (513.7, 700)

515.5. पुरोहिताई मुलाकात के अंतर्गत लोगों की देखभाल करना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों का।

515.6. जो लोग शोकित हैं उन्हें सात्वना देना।

515.7. अधिक विवेक और सावधानीपूर्वक निर्देशों के द्वारा उन्हें सुधारना, आवश्यकता पड़ने पर डाँटना और प्रोत्साहित करना।

515.8. पापियों का रूपांतरण करने के प्रयास में रहना, परिवर्तन के द्वारा संपूर्ण पवित्रीकरण करना और प्रभु के जनों को पवित्रता में बढ़ाना। (19)

515.9. विवाह उत्सव जैसे विषयों पर उचित ध्यान देना अपने स्वयं की वैवाहिक स्थिति पर उचित ध्यान देने के द्वारा, सभीप्रकार से बातचीत के द्वारा, दूसरों की सेवकाई के द्वारा और विवाह से पूर्व परामर्श द्वारा और रीतिपूर्व विवाह आयोजन द्वारा पादरी मसीही शादी की पवित्रता को व्यक्त करेगा। (538.19)

515.10. परमेश्वर द्वारा बुलाहट प्राप्त लोगों का पोषण करना उन्हें मसीही सेवकाई को महसूस कराना और ऐसे लोगों की अगुवाई करना तथा सेवकाई के उचित तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना।

515.11. जीवनभर सीखने के उद्देश्य द्वारा परमेश्वर और कलीसिया की अपेक्षाओं को पूरा करना। (538.18)

515.12. अपनी सेवकाई के सेवाकाल में स्वयं की बुलाहट को पोषित करना व्यक्तिगत समर्पण के जीवन को बनाए रखना, जिससे वह अपने अन्तः मन को समृद्ध बनाए रखता है और यदि वह विवाहित है तो अपने वैवाहिक संबंधों की अखंडता और जीवंतता की रक्षा करना।

516. एक पादरी के प्रशासनिक कर्तव्य इस प्रकार हैंः

516.1. अनुच्छेद 107 और 107.1 के अनुसार कलीसिया के सदस्य के रूप में व्यक्तियों को ग्रहण करना।

516.2. स्थानीय कलीसिया कार्य के सभी विभागों की देखभाल करना।

516.3. अनुच्छेद 145.8 से सामंजस्य रखते हुए रविवारीय विद्यालय/बाइबिल अध्ययन और छोटे समूह के लिए अध्यापकों को नियुक्त करना।

516.4. प्रत्येक वर्ष के अंदर नाज़रीन कलीसिया के संविधान और मसीही आचरण की वाचाओं दोनों के समायोजन को सभा के समक्ष पढ़ना या

विवरणिका के इस खंड को छपवाकर कलीसिया के सभी सदस्यों में वितरण करना। (114)

516.5. स्थानीय कलीसिया के सभी विभागों से सभी सांख्यिकीय रिपोर्टो की तैयारी की निगरानी करना और प्रांतीय सचिव के माध्यम से प्रांतीय सभा के लिए ऐसी सभी रिर्पोटों को तुरंत प्रस्तुत करना।

516.6. स्थानीय कलीसिया के सुसमाचारवाद, शैक्षिक, धर्मनिष्ठा और विस्तार कार्यक्रम तथा प्रांतीय और प्रमुख कलीसिया के प्रचारकीय लक्ष्य और कार्यक्रम में सामंजस्य कर उनकी अंगुवाई करना।

516.7. स्थानीय कलीसिया और उसके विभागो की स्थिति समेत रूपरेखांकित क्षेत्र जहाँ भविष्य में शिक्षा या कार्यान्वयन की आवश्यकता है उनकी रिपोर्ट वार्षिक कलीसिया सभा को प्रस्तुत करना।

516.8. यदि कलीसिया के किसी सदस्य के खिलाफ आरोप दायर होता है तो उसके लिए कलीसिया के तीन सदस्यों की एक जाँच समिति नियुक्त करना। (605)

516.9. यह ध्यान देना कि स्थानीय एन.एम.आई. द्वारा एकत्रित सभी विश्व प्रचारकीय निधि (फंड) का धन तुरंत प्रमुख कोषाध्यक्ष को सौंपा जाय और वह सभी धन प्रांतीय सेवकाई निधि (फंड) के लिए प्रांतीय कोषाध्यक्ष को तुरंत सौंपा जाएं। (136.2)

516.10. स्थानीय कलीसिया के सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को कलीसिया मंडल को नामांकित करना और उन्हें समान अगुवाई करना। (159.1–159.3)

516.11. कलीसिया सचिव के साथ संयोजन के रूप में सभी भूमि–भवन संपत्ति, गिरवी रखे गए, गिरवी से छुड़ाए गए संपत्ति के दस्तावेज अनुबंध और अन्य कानूनी दस्तावेजों को दाखिल करना अन्यथा जो विवरणिका में उपलब्ध नहीं हैं। (102.3, 103–104.3)

516.12. जब स्थानीय कलीसिया या उसके किसी भी विभाग का कोई सदस्य या मित्र अन्य स्थान में समान प्रांत की कलीसिया में स्थान–परिवर्तन कर लेता है जिसका पिछले कलीसिया के साथ महत्वपूर्ण संबंध है तो उस स्थान के निकटतम कलीसिया के पादरी को उस सदस्य या मित्र का पता दें।

516.13. स्थानीय कलीसिया मंडल के साथ, स्थानीय कलीसिया द्वारा निर्धारित किए गए सभी संप्रदायों तक पहुँचने के लक्ष्य, जिसके अंतर्गत विश्व सुसमाचार प्रचारकीय निधि, कोई भी प्रयोज्य प्रांतीय निधि और विभागीय या राष्ट्र मंडल द्वारा निर्धारित किए गए निधि (फंड) के लक्ष्य आते हैं, उनको एकत्रित व व्यवस्थित करना। (32.2, 130, 153)

516.14. पादरी, किसी सदस्य द्वारा कलीसिया की सदस्यता के स्थानांतरण के लिए, संस्ताव (प्रशंसा) के प्रमाण–पत्र के लिए, या पत्र के लिए, निवेदन करने पर उसे प्रदान कर सकता है। (111–111.1, 112.2, 815–818)

516.15. एक पादरी, पदेन, स्थानीय कलीसिया का अध्यक्ष, कलीसिया मंडल का सभा अध्यक्ष, और जिस कलीसिया में वह सेवकाई करता है उसके चयनित स्थायी मंडल या समितियों का एक सदस्य होगा। पादरी को स्थानीय कलीसिया के सभी रिपोर्ट को प्राप्त करना होगा। (127, 145, 150, 151, 152.1)

517. पादरी को स्थानीय कलीसिया के सभी विभागों के सभी अगुवों के नामांकनों के लिए और किसी भी नाज़रीन बाल कल्याण/विद्यालय (जन्म से माध्यमिक) संगठनों के लिए बोलने का अधिकार होगा।

518. पादरी और उसके सगे परिवार के सदस्यों को वित्तीय दायित्वों का निर्माण करना, फंड (निधि) को खर्च करना, धन की गणना करना वर्जित है या कलीसिया के वित्तीय लेखों तक पहुँचना भी प्रतिबंधित है। कलीसिया मंडल या कलीसिया सभा, बहुमत द्वारा प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रांतीय अधीक्षक को इसकी छूट (अपवाद) का निवेदन कर सकते हैं। यदि प्रांतीय अधीक्षक और बहुमत द्वारा प्रांतीय सलाहकार मंडल इस छूट की मंजूरी दे देते है तो प्रांतीय अधीक्षक, कलीसिया मंडल के सचिव को लिखित स्वीकृति प्रदान करेगा जो कलीसिया विवरण के कार्यों का रिकार्ड रखेगा। सगे परिवार के अंतर्गत पति/पत्नी, बच्चे भाई–बहन या माता–पिता आते हैं। (129.1, 129.21–129.22)

519. पादरी, प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल के संयुक्त सलाह को सदैव उचित सम्मान देगा। (225.2, 538.2)

520. यदि आधिकारिक–पत्र प्राप्त या दीक्षित सेवक, अन्य वर्ष का प्रमाण–पत्र प्रांतीय सभा के अंतिम सत्र में प्रस्तुत करता है और स्थानीय कलीसिया को सदस्यता के लिए निवेदन करता है तो पादरी प्रांतीय सलाहकार मंडल के

अनुकूल अनुरोध को जाने बगैर ऐसे आवेदक को ग्रहण नहीं कर सकता है। (107, 228)

521. इस कार्य–स्थान की शिक्षा के लिए पादरी, प्रांतीय सभा के लिए उत्तरदायी होगा जहाँ पर वह प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा व अपने व्यक्तिगत मसीही अनुभव की विस्तृत गवाही पेश करेगा। (205.3, 532.8, 538.9)

522. पादरी खुद–ब–खुद ही अपने चयनित जगह का, जहाँ का वह पादरी है या उसके संचालन में एक से अधिक कलीसिया है उसका सदस्य बन जाएगा। (538.8)

523. पुरोहिताई के अंतर्गत एक पादरी और सह–पादरी की सेवकाई आती हैं जो उचित संचालन, अनुज्ञप्ति अनुपालन और पुष्टि शाखा के द्वारा मान्य और स्वीकृत, सेवकाई के विशेष क्षेत्र में सेवकाई कर सकते हैं। याजकीय समूह के सदस्य की बुलाहट कलीसिया के इन तीन स्तरों की पुरोहिताई सेवा के लिए होती है और उसे एक नियुक्त सदस्य माना जाता है।

524. पादरी आपूर्ति – एक प्रांतीय अधीक्षक को एक आपूर्ति पादरी नियुक्त करने का अधिकार है जो किसी विषय में दिए गए नियमों के आधार पर सेवा करेगाः

1. आपूर्ति सेवक, याजकीय समूह का नाज़रीन सदस्य जो किसी अन्य नियत कार्य में सेवकाई कर रहा हो, हो सकता है। नाज़रीन कलीसिया का स्थानीय सेवक या एक याजकीय सेवक, एक सेवक जो अन्य नाज़रीन कलीसिया के स्थानांतरण की प्रक्रिया में हो या एक सेवक जो किसी अन्य नाज़रीन कलीसिया से संबंध रखता हो, हो सकता है
2. एक आपूर्ति सेवक को अस्थायी रूप से मंच की पूर्ति के लिए और एक आत्मिक सेवकाई के लिए नियुक्त किया जाएगा लेकिन उसे संस्कारों को कराने का या विवाह कराने का अधिकार नहीं होगा जब तक वह अधिकार उसे किसी अन्य आधार पर न मिल जाए और वह पादरी के प्रशासनिक कार्यो को नहीं करेगा, रिपोर्ट को दायर करने के सिवाय जब तक कि उसे प्रमुख अधीक्षक ऐसा करने का अधिकार न दे दें।

3. एक आपूर्ति सेवक के कलीसिया की सदस्यता स्वयं कलीसिया में स्थानांतर नहीं हो जाएगी जहाँ वह सेवकाई कर रहा/रही है।
4. एक आपूर्ति सेवक प्रांतीय सभा का मत न देने वाला सदस्य होगा जब तक कि उसे मतदान करने वाले सदस्य के रूप मे कुछ अन्य अधिकार न मिल जाए।
5. एक आपूर्ति सेवक को किसी भी समय प्रांतीय अधीक्षक हटा या प्रतिस्थापित कर सकता है।

525. अभिभावक संबंधित सभा के पादरी – मान्यता प्राप्त मंडली
एक प्राचीन या प्रांतीय आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक जो एक अभिभावक–मान्यता प्राप्त मंडली की अगुवाई करता है वह एक नियुक्त सेवक होगा और शायद प्रांत उसे एक अभिभावक संबंधित सभा के पादरी–मान्यता प्राप्त मंडल की पदवी दे सकता है।

526. अंतरिम पादरी – एक प्राचीन को शायद प्रांतीय सभा द्वारा प्रांतीय अंतरिम पादरी के रूप में प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल की अनुमति से नियुक्त किया जा सकता है और वह प्रांतीय अधीक्षक और एक स्थानीय कलीसिया मंडली की बुलाहट पर सेवकाई करेगा। (212.1)

527. आराधना सुसमाचार प्रचारक – एक आराधना सुसमाचार प्रचारक नाज़रीन कलीसिया का एक सदस्य है जिसकी आंकाक्षा अपने समय के मुख्य भाग को संगीत द्वारा सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के लिए समर्पित करना है। एक आराधना सुसमाचार प्रचारक जिसके पास सेवकाई का प्रमाण–पत्र है और जो सक्रिय सेवकाई में शामिल है और सुसमाचार प्रचार जिसका अपना प्राथमिक नियत कार्य है और जो कलीसिया और उसके किसी भी विभाग या संस्थानों से सेवानिवृत्त संबंध नहीं चाहता है, वह एक नियुक्त सेवक होगा।

527.1. 'आराधना सुसमाचार प्रचारक के प्रमाणीकरण के दिशा–निर्देशन और प्रक्रिया' की भूमिका 'दीक्षा पर स्त्रोतपुस्तक' में निहित हैः

528. विशेष सेवा – सक्रिय सेवा में याजकीय समूह के सदस्य बशर्ते विशेष सेवा के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे यदि ऐसी सेवा की अनुमति प्रांतीय सभा देता है और उसे प्रांत एक दीक्षित सेवक के रूप में सूचीबद्ध करेगा। विशेष सेवा के निर्दिष्ट व्यक्तियों को नाज़रीन कलीसिया के साथ संबंध रखना

आवश्यक है और वह प्रतिवर्ष लिखित में नाज़रीन कलीसिया के साथ अपने संबंधों के पोषण को प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल को प्रस्तुत करेगा।

528.1. सेवकाई क्षमता में कार्यरत याजकीय समूह का सदस्य, एक कलीसिया संबंधित संगठन में अधिकारी के रूप में कलीसिया की सेवकाई करता है या उसे प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रांतीय सभा द्वारा शैक्षिक संस्थान, सुसमाचार प्रचारक दल या मिशनरी संगठन में सेवकाई करने का अनुमोदन प्राप्त होता है। उसे अनुच्छेद 538.13 के विषय के अनुसार विशेष सेवा के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

528.2. याजकीय समूह के सदस्य को प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा प्रांतीय अधीक्षक की अनुशंसा पर छोटे समय की अवधि के कार्य, किसी की अनुपस्थिति पर विशेष सेवा के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

4. याजकीय समूह की शिक्षा

1. दीक्षित सेवक के लिए शैक्षिक नींव

529. प्रभु द्वारा बुलाहट पाए सेवकों को तैयार करने में सहायता प्रदान करने के लिए सेवकीय शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है जिसका मुख्य कार्य सुसमाचार प्रचारकीय अवसरों के लिए नए क्षेत्रों में पवित्रीकरण के संदेश का विस्तार व प्रसार करना है। हम अपने मिशन के स्पष्ट लक्ष्य (समझ) की महत्वता को स्वीकार करते हैं "जिसके अनुसार 'राष्ट्रों में मसीह समान शिष्य बनाना है" जो मत्ती 28:19–20 उसकी कलीसिया के लिए मसीह के आयोग पर आधारित है। सेवकों की अधिकतर तैयारी मुख्यतः धार्मिक और बाइबिल के गुण पर आधारित है जो नाज़रीन कलीसिया की सेवकाई में दीक्षा की ओर अगुवाई करता है। प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति प्रत्येक विद्यार्थी का उसका अपने मान्य अध्ययन पाठ्यक्रम का मूल्यांकन व स्थापन निर्धारित करेगी।

529.1. नाज़रीन कलीसिया विश्वभर में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों व कार्यक्रम को उपलब्ध कराती है। कुछ वैश्विक क्षेत्र सेवकाई के शैक्षिक संस्थानों को उपलब्ध कराने के विकास के लिए एक से अधिक कार्यक्रम की अनुमति देते हैं। प्रत्येक छात्र से यह उम्मीद है कि वह विश्व के अपने क्षेत्र के कलीसिया

द्वारा सबसे अधिक उपयुक्त मान्य अध्ययन पाठ्यक्रम का लाभ उठाए। अगर ऐसा संभव न हो तो कलीसिया, जितना संभव हो सके उतने प्रसारकीय माध्यमों से कलीसिया में परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाहट पाए प्रत्येक जन को तैयार करेगी। प्रत्येक मान्य अध्ययन पाठ्यक्रम की रीति को 'दीक्षा के लिए विकासात्मक मानकों की स्त्रोतपुस्तक' और विभागीय 'दीक्षा पर स्त्रोत पुस्तक' में दिए गए रूपरेखा के समान मानकों को पूरा करना चाहिए।

529.2. जब एक आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक संतोषपूर्वक एक मान्य अध्ययन को पूरा करता है तो शिक्षा प्रदाता, आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक को पाठ्यक्रम के समापन के लिए एक प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा। आधिकारिक पत्र प्राप्त सेवक प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति को पाठ्यक्रम पूरा करने के प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करेगा जो प्रांतीय सभा को मान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के द्वारा स्नातक करने के विचार के लिए उत्तरदायी होगा।

529.3. सेवकाई प्रबंधन के प्रमुख पाठ्यचर्या क्षेत्र – हालाँकि पाठ्यचर्या को विषय में अक्सर यह सोचा जाता है कि वह केवल एक शैक्षिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम है जिसकी विषय सूची बहुत बड़ी है। प्रशिक्षक का चरित्र, विद्यार्थी और प्रशिक्षक के संबंध, परिवेश, विद्यार्थी और पिछले अनुभव पाठ्यक्रम की विषयसूची के साथ मिलकर पूर्ण पाठ्यचर्या को बनाते हैं। बहरहाल सेवकाई प्रबन्धन के पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम के न्यूनतम श्रेणी को शामिल करेंगे जो सेवकाई के शैक्षिक मानकों को उपलब्ध कराएगी। सांस्कृतिक विभिन्नताएँ और संसाधनों की विविधता पाठ्यक्रम संरचना के विभिन्न पाठ्यक्रमों के विवरण के लिए आवश्यक होगी। हालांकि वैश्विक याजकीय समूह विकास समिति द्वारा अनुमोदित सभी कार्यक्रम जो दीक्षित सेवक के लिए मूल शैक्षिक पाठ्यक्रम को प्रदान करती है उन्हे विषय–सूची योग्यता, चरित्र और संदर्भ में सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए। मान्य अध्ययन कार्यक्रम का उद्देश्य उन पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करना है जो विविध उपाधि के चार तत्व है और जो सेवकों को नाज़रीन कलीसिया के मिशन कथन को पूरा करने में सहायता प्रदान करेंगे जो कि प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा स्वीकृत होगा जैसा कि दिया गया है:

"नाज़रीन कलीसिया का लक्ष्य राष्ट्रों में मसीह समान शिष्य बनाना है"

"नाज़रीन कलीसिया का मुख्य उद्देश्य पवित्र शास्त्र में बताए गए मसीही पवित्रीकरण के संरक्षण और प्रचार के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है"

"नाज़रीन कलीसिया का गंभीर उद्देश्य पवित्र मसीही सहभागिता, पापियों का मनफिराव, विश्वासियों का संपूर्ण पवित्रीकरण, पवित्रता में उनकी बढ़ोत्तरी और प्राथमिक नए नियम की कलीसिया के सहज और आत्मिक सामर्थ्य का प्रकटीकरण और साथ मिलकर सभी प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करना है।" (19)

मान्य अध्ययन पाठ्यक्रमों को दिए गए श्रेणियों में परिभाषित किया गया है:

विषय–सूची – नए और पुराने नियम की विषय सूची का ज्ञान, मसीह विश्वास के धर्मशास्त्र का ज्ञान और कलीसिया के इतिहास और मिशन का ज्ञान सेवकाई के लिए आवश्यक है। शास्त्र के अनुवादन का ज्ञान, पवित्रीकरण के सिद्धांत और हमारा विशेष वेसेलियन और नाज़रीन कलीसिया का इतिहास और शासन के ज्ञान को इन पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करना आवश्यक है।

योग्यता – मौखिक और लिखित संचार, प्रबंधन और नेतृत्व, वित्तीय, और विश्लेषणात्मक सोच का कौशल भी सेवकाई के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सामान्य शिक्षा में इन दिए गए क्षेत्रों के पाठ्यक्रम जैसे प्रचार, पुरोहिताई देखरेख और परामर्श, बाइबिल संबंधित व्याख्यान, आराधना, प्रभावशाली सुसमाचार प्रचार, जीवन के संसाधनों के बाइबिल के आधार पर प्रबंधन, मसीह शिक्षा और कलीसिया प्रशासन भी कौशल प्रदान करने में सम्मिलित हैं। एक मान्य अध्ययन पाठ्यक्रम द्वारा स्नातक का सेवकाई के अभ्यास और योग्यता के विकास के लिए विद्यार्थियो को निर्देशित करने के लिए शैक्षिक प्रबंधक और एक स्थानीय कलीसिया में साझेदारी की आवश्यकता है

चरित्र – चरित्र, नीति, आत्मिकता और व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में व्यक्तिगत बढ़ोत्तरी सेवकाई के लिए आवश्यक है। वह पाठ्यक्रम जो मसीही नीति, आत्मिकता के निर्माण में, मानव के विकास में, सेवकाई के जन के लिए और विवाह और परिवार में गतिशीलता को दर्शाते है, उन्हें सम्मिलित करना आवश्यक है।

संदर्भ – एक सेवक को ऐतिहासिक और समकालीन दोनों संर्दभों को समझना और जहाँ कलीसिया गवाही देता है वहाँ विश्वदृष्टि और सामाजिक वातावरण की व्याख्या करना आवश्यक है। वह पाठ्यक्रम जो नृविज्ञान और समाजशास्त्र, विविध सांस्कृतिक संचार, मिशन (लक्ष्य) और सामाजिक अध्ययन से संबंधित हैं उन्हें सम्मिलित करना आवश्यक हैं।

529.4. गैर–नाज़रीन विद्यालय और गैर–नाज़रीन तत्वधान के अधीन दीक्षित सेवकाई के लिए तैयारी करने पर उसका मूल्यांकन विभागीय या भाषा समूह द्वारा बनाए गए 'दीक्षा पर स्त्रोत पुस्तक' में दिए गए आवश्यक पाठ्यक्रमों की निश्चितता के आधार प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति द्वारा किया जाएगा।

529.5. सभी पाठ्यक्रम, वार्षिक योग्यताएँ और आधिकारिक प्रशासनिक नियम विभागीय या भाषा, समूह और वैश्विक याजकीय समूह विकास के सहयोग से बनाए गए विभागीय 'दीक्षा पर स्त्रोतपुस्तक' में दिए गए हैं। इस विभागीय 'स्त्रोतपुस्तक' में आवश्यक संशोधन को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सलाहकार समिति पाठ्यक्रम समर्थन करेगा और वैश्विक याजकीय–समूह विकास समिति, प्रमुख मंडल और प्रांतीय अधीक्षक मंडल अनुमोदित करेगा। 'स्त्रोत पुस्तक' विवरणिका और 'दीक्षा के विकासात्मक मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोत पुस्तक' के अनुरूप होगा और उसकी उत्पत्ति वैश्विक याजकीय–समूह विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सलाहकार पाठ्यक्रम समिति द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सलाहकार पाठ्यक्रम समिति की नियुक्ति प्रांतीय अधीक्षक मंडल द्वारा की जाएगी।

529.6. यदि एक बार सेवक सेवकाई के मान्य अध्ययन पाठ्यक्रम की सभी आवश्यकताओं का पूरा कर लेता है तो उसे जिस कार्य के लिए परमेश्वर की बुलाहट मिली है वह उस सेवकाई के विस्तार के लिए नियमित रूप से जीवनभर उस पद्धति को अपनाएगा। प्रत्येक वर्ष आजीवन सीखने की न्यूनतम अपेक्षा 20 घंटे की है या विभागीय या भाषा समूह और उनके 'दीक्षा पर विभागीय स्त्रोत पुस्तक' द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सभी नियुक्त और अनियुक्त आधिकारिक–पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक और दीक्षित सेवक, अपने–अपने रिपोर्ट को प्रांतीय सभा में आजीवन सीखने के कार्यक्रम तहत पेश करेंगे। आजीवन सीखने के कार्यक्रम के तहत पेश की गई सभी रिपोर्ट को कलीसिया/पुरोहिताई संबंध समीक्षा की प्रक्रिया और पादरी के बुलाहट

की प्रक्रिया में उपयोग किए जाएंगे। विभाग/भाषा समूह के लिए 'दीक्षा पर विभागीय स्त्रोत पुस्तक' के अंतर्गत प्रमाणीकरण और प्रतिवेदन प्रक्रिया शामिल हैं।

529.7. आजीवन सीखने के कार्यक्रम की योग्यताओं को पूरा करने में लगातार दो वर्षों से अधिक बार असफल होने के परिणामस्वरूप दीक्षित सेवक को प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति से अपने नियमित समय में मिलने की आवश्यकता होगी। प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति सेवक को आजीवन सीखने के आवश्यकताओं को पूरा करने में निर्देशन देगी (115,123,515.11, 538.18)।

ब. दीक्षित सेवक के लिए शैक्षिक संस्थान के सांस्कृतिक रूपांतरण

530. विश्व भर में सांस्कृतिक विषय सूचियों की विविधता एक पाठ्यक्रम को बनाती है जो समस्त वैश्विक क्षेत्र के लिए अलग है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट पाठ्यचर्या आवश्यकताओं को विकसित किया जाएगा जो सेवकाई के लिए शैक्षिक संस्थान प्रदान करते हैं जो उस वैश्विक क्षेत्र के संसाधनों और अपेक्षाओं को दर्शाता है।

विभागीय प्रारूप कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व अध्ययन सलाहकार समिति के अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, प्रमुख मंडल और प्रमुख अधीक्षक मंडल का अनुमोदन आवश्यक है। यहाँ तक कि वैश्विक क्षेत्रों के अन्दर भी सांस्कृतिक अपेक्षाओं और संसाधनों की विविधताएँ हैं जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक संवेदनशीलता और लचीलापन सेवकाई के शैक्षिक नींव के लिए विभागीय प्रावधानों की विशेषता होगी, जिसे प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति द्वारा निर्देशित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। सेवकाई के लिए शैक्षिक नींव प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यक्रम के सांस्कृतिक रूपांतरण को वैश्विक याजकीय समूह विकास समिति और अध्ययन सलाहकार समिति के अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय शैक्षिक समन्वय के परामर्श पर अनुमोदित करेगा (529:5)।

530.1. अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम, आवश्यक प्रक्रियाओं के साथ–साथ प्राचीन और सह–सेवक या श्रेणियों के प्रमाणीकरण और सेवक की भूमिकाओं

के लिए प्रमाण पत्र मांगनेवालों के लिए उनके पूरा होने का विषय है। ये दीक्षा पर विभागीय स्त्रोत पुस्तिका में पाए जाते हैं।

530.2. सभी मान्य अध्ययन पाठ्यक्रम, दीक्षा पर विभागीय स्त्रोतपुस्तक द्वारा संचालित किए जाएंगे (529:2—529:3, 529:5)।

5. प्रमाण पत्र और सेवकाई नियम

531. एक स्थानीय सेवक नाज़रीन कलीसिया का एक अयाजकीय सदस्य है जिसे स्थानीय कलीसिया मंडल, पादरी के निर्देशन में सेवकाई के लिए अधिकारिक पत्र (लाईसेंस) प्रदान करता है और इस तरह सेवकाई के उपहार और उपयोगिता के विकास, रोजगार और प्रदर्शन के अवसर प्रदान होते हैं। और वह आजीवन सीखने के प्रक्रिया में प्रवेश करता है।

531.1. नाज़रीन कलीसिया का कोई भी सदस्य जो कलीसिया के द्वारा प्रचार या आजीवन सेवकाई करने की परमेश्वर की बुलाहट को अनुभव करता है उसे पादरी के अनुमोदन पर स्थानीय कलीसिया के कलीसिया मंडल द्वारा एक वर्ष के लिए स्थानीय सेवक के रूप में लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है जिसमें वह एक पादरी के रूप में दीक्षित सेवक हो सकता है या यदि पादरी के अनुमोदन पर लाइसेसं दिया गया है और प्रांतीय अधीक्षक द्वारा स्वीकृत किया गया हो स्थानीय कलीसिया का कलीसिया मंडल में पादरी के रूप में दीक्षित सेवक हो। उम्मीदवार को सर्वप्रथम अपने उद्धार के व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा, बाइबिल के सिद्धांत के ज्ञान के द्वारा और कलीसिया के व्यवस्था के द्वारा स्वयं को जाँचना जरूरी है; और उसको यह भी दर्शाना होगा कि उसकी बुलाहट कृपा, वरदान और उपयोगिता से प्रमाणित है। उसे स्थानीय कलीसिया द्वारा प्रशासित एक उपयुक्त पृष्ठभूमि परीक्षण से गुजरना होगा। एक स्थानीय सेवक को अपने वार्षिक कलीसिया सभा में स्थानीय कलीसिया पर रिपोर्ट बनानी होगी (113,9,129,12,211.12)।

531.2. कलीसिया मंडल, पादरी और कलीसिया मंडल के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित लाइसेंस को प्रत्येक स्थानीय सेवक को प्रदान करेगा। जहाँ एक व्यक्ति द्वारा एक कलीसिया की आपूर्ति की जाती है जिसके पास प्रांतीय लाइसेंस नहीं होता उस व्यक्ति को प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा प्रांतीय

अधीक्षक के अनुमोदन पर स्थानीय सेवक का लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है या लाइसेंस का नवीकरण किया जा सकता है (2111:12,225:13)।

531.3. एक स्थानीय सेवक का लाइसेंस पादरी के अनुमोदन पर स्थानीय कलीसिया मंडल द्वारा जिसमें एक प्राचीन, पादरी के रूप में है, नवीनीकरण किया जा सकता है या उस स्थानीय कलीसिया मंडल द्वारा नवीनीकरण किया जा सकता है जहाँ एक प्राचीन, पादरी के रूप में नहीं है बशर्ते कि पादरी द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण की सिफारिश की जाए और प्रांतीय अधीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाए। (129.12,211.12)।

531.4. स्थानीय सेवक, सेवकों के लिए अध्ययन के एक मान्य पाठ्यक्रम को प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति के दिशा–निर्देशन में पूरा करेंगे। यदि स्थानीय सेवक ने अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम में आवश्यक अध्ययन में कम से कम दो पाठ्यक्रम नहीं पूरे किए हैं तो प्रांतीय अधीक्षक की लिखित मंजूरी के बिना स्थानीय लाइसेंस को दो साल बाद नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है।

531.5. एक स्थानीय सेवक जो कम से कम एक पूर्ण वर्ष के लिए उस पद में सेवा कर रहा है और उसने आवश्यक अध्ययन को उत्तीर्ण कर लिया है तो कलीसिया, मंडल प्रांतीय सभा को उसके सेवकाई के आधिकारिक पत्र (लाइसेंस) के लिए अनुमोदन कर सकती है। लेकिन ऐसा न होने पर उसे भूतपूर्व पद पर ही रहना होगा (129.12, 529, 532.1)।

531.6. एक स्थानीय सेवक जिसे आपूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है, उसे प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए यदि वह नियुक्ति के बाद प्रांतीय सभा के बाद इस सेवा को जारी रखता है (212,231.5,524)।

531.7. एक स्थानीय सेवक बपतिस्मा और प्रभुभोज के संस्कारों को प्रशासित करने के योग्य नहीं होगा, और वह विवाह करने के कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा (532.7)।

ब. अधिकारिकपत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक

532. एक अधिकारिक पत्र (लाइसेंस) प्राप्त सेवक वह है जिसकी सेवकाई की बुलाहट और वरदानों को औपचारिक रूप से एक सेवकाई के अधिकारिक पत्र (लाइसेंस), प्रदान करने के माध्यम से प्रांतीय सभा द्वारा मान्यताप्राप्त है। एक प्रांतीय अधिकारिक पत्र (लाइसेंस) एक सेवक को एक बड़े सेवा के क्षेत्र के लिए अधिकृत और नियुक्त करता है। आमतौर पर एक प्राचीन या सहसेवक के रूप में दीक्षा की दिशा में एक कदम को बढ़ाता है। प्रांतीय सेवकाई अधिकारिक पत्र (लाइसेंस) एक कथन को सम्मिलित करेगा जो यह संकेत करता है कि चाहे सेवक एक प्राचीन या एक सहसेवक या प्रांतीय लाइसेंस के रूप में दीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है तो वह दीक्षा की ओर अग्रसर नहीं है (532.7)।

532.1. जब नाज़रीन कलीसिया के सदस्य सेवकाई के आजीवन बुलाहट को स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रांतीय सभा द्वारा सेवकाई के रूप में अधिकारिक पत्र (लाइसेंस) दिया जा सकता है, जो यह उपलब्ध कराता है कि उन्होंनेः

1. उन्होंने एक वर्ष के लिए एक स्थानीय मंत्री का लाइसेंस प्राप्त किया है;
2. उन्होंने सेवकाई के अध्ययन के एक मान्य पाठ्यक्रम के एक चौथाई भाग को पूरा कर लिया है और वे अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम से संबंधित भाग को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।

   नाज़रीन कलीसिया के विवरणिका और इतिहास का मूल्यांकन, बोध और अनुप्रयोग और पवित्रीकरण के सिद्धांत का नमूना पेश कर सकते हैं।
3. उनका स्थानीय कलीसिया के कलीसिया मंडल द्वारा इस तरह के कार्य के लिए अनुशंसा किया गया है जिनके वे सदस्य हैं जिनके अनुशंसा को प्रांतीय सेवक के लाइसेंस के लिए सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग किया जाएगा।
4. वे कृपा, वरदान और उपयोगिता का गवाह रहे हैं।

5. प्रांतीय सलाहकार, मंडल द्वारा निर्धारित उचित पृष्ठभूमि जाँच सहित उनके इस कार्य के लिए आत्मिक, बौद्धिक और अन्य रखरखाव के संबंध में प्रांत की प्रांतीय सभा जिसकी वे सदस्यता रखते हैं उसकी सीमा के तहत और निर्देशन में उनकी सावधानीपूर्वक जाँच की गई है।
6. उन्होंने लाइसेंस प्राप्त सेवक और दीक्षा के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित, मान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का वादा किया हैं।
7. उनके पास यदि कोई अयोग्यता है, जो कि प्रांतीय सभा द्वारा लगाया गया हो सकता है उसे प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल एक लिखित स्पष्टीकरण द्वारा हटा सकता है जहाँ पर उसे अयोग्य बताया गया था इसके अतिरिक्त उम्मीदवार का वैवाहिक संबंध इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि प्रांतीय लाइसेंस के लिए अयोग्य न घोषित किया जाए।
8. पिछले तलाक की स्थिति में, प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या सेवकाई के प्रांतीय मंडल की अनुशंसा और सहायक दस्तावेज को प्रमुख अधीक्षक मंडल के आगे प्रस्तुत करेगा, जिससे लाइसेंस प्राप्त करने की बाधा को हटाया जा सकता है।

एक सेवक को नाज़रीन कलीसिया में एक मान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के एक–तिहाई भाग के बराबर पूरा करना आवश्यक है। प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या सेवकाई का प्रांतीय मंडल द्वारा इस आवश्यकता की अपेक्षाएँ की जा सकती है बशर्ते उम्मीदवार एक संगठित चर्च में पादरी के रूप में सेवकाई कर रहा हो और वह अनुमोदित अध्ययन की व्यवस्था में पंजीकृत हो। बशर्ते उम्मीदवार लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए विवरणिक द्वारा आवश्यक न्यूनतम अध्ययनों को पूरा करता है और यह प्रांतीय अधीक्षक को अपवाद की मंजूरी दें।

ऐसे मामलों में जहाँ पृष्ठभूमि की जाँच किसी के पुनरूद्धार से पहले अपराधिक दुर्व्यवहार का खुलासा करती है, इस तथ्य को प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या सेवकाई के प्रांतीय मंडल द्वारा परिभाषित नहीं किया

जाना चाहिए सिवाय प्रमाण पत्र सेवकाई के अभ्यर्थी के और अनुच्छेद दे 540. 9 के प्रावधानों को छोड़कर (129.14, 207.6, 531.5)।

532.2. अन्य वर्ग से लाइसेंस प्राप्त सेवक यदि नाज़रीन कलीसिया के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं वे प्रांतीय सभा से सेवकाई के लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते वे उन मूल्यों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जिनमें उन्होंने पहले अपनी सदस्यता आयोजित की थी, और आगे प्रदान किया कि:

1. उन्होंने नाज़रीन कलीसिया में स्थानीय सेवकों के लिए मान्य पाठ्यक्रम को पूरा किया और वे अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम से संबंधित भाग को सफलतापूर्वक पूरा करके, नाज़रीन कलीसिया के विवरणिका और इतिहास का मूल्यांकन, बोध और अनुप्रयोग और पवित्रीकरण के सिद्धांत का नमूना पेश कर सकते हैं।
2. उनकी अनुशंसा नाज़रीन की स्थानीय कलीसिया के कलीसिया मंडल द्वारा की गई है जहाँ के वे सदस्य हैं।
3. वे कृपा, वरदान और उपयोगिता का गवाह रहे हैं।
4. इस तरह के कार्य के लिए उनके आत्मिक, बौद्धिक और अन्य रखरखाव के संबंध में प्रांतीय सभा के निर्देशन में उनकी सावधानीपूर्वक जाँच की गई है।
5. उन्होंने लाइसेंस प्राप्त सेवक और दीक्षा के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का वादा किया है।
6. उनके पास यदि कोई अयोग्यता है, जो कि प्रांतीय सभा द्वारा लगाया गया हो सकता है उसे प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल एक लिखित स्पष्टीकरण द्वारा हटा सकता है जहाँ पर उसे अयोग्य बताया गया था। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार का वैवाहिक संबंध इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि उसे प्रांतीय लाइसेंस के लिए अयोग्य न घोषित किया जाए और;
7. पिछले तलाक की स्थिति में, प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या सेवकाई के प्रांतीय मंडल की अनुशंसा और सहायक दस्तावेज को

प्रमुख अधीक्षक मंडल के आगे प्रस्तुत करेगा, जिससे लाइसेंस प्राप्त करने की बाधा को हटाया जा सकता है।

532.3. अगली प्रांतीय सभा के समापन के साथ एक सेवक के लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाएगा बशर्ते इसका नवीनीकरण प्रांतीय सभा के मत के आधार पर हो सकता है:

1. और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए उम्मीदवार प्रांतीय सभा के साथ प्रांतीय सेवकाई के लिए लाइसेंस के आवेदन को सावधानीपूर्वक दायर करेगा।
2. उम्मीदवार ने अध्ययन के एक मान्य पाठ्यक्रम में कम से कम दो पाठ्यक्रम पूरे किए होंगे।
3. पादरी के नामांकन के अधीन, स्थानीय कलीसिया के कलीसिया मंडल द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए उम्मीदवार की अनुशंसा की गई है।

यदि वह अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो इस विफलता के लिए लिखित स्पष्टीकरण जमा करने पर केवल प्रांतीय सभा द्वारा लाइसेंस नवीनीकृत किया जा सकता है। इस तरह का स्पष्टीकरण प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय मंडल के लिए संतोषजनक होगा और प्रमुख अधीक्षक की अध्यक्षता में अनुमोदित होगा। प्रांतीय सभा इसके कारण और इसके निर्देशन में, सेवक के लाइसेंस के नवीनीकरण के खिलाफ मतदान कर सकती है।

लाइसेंसधारक सेवक जिसने अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम में स्नातक किया है और प्रांतीय सभा द्वारा सेवानिवृत्त संबंध द्वारा रखा गया है वह प्रांतीय सलाहकार मंडल के अनुशंसा द्वारा अपने लाइसेंस को बिना किसी प्रांतीय सेवक के लाइसेंस को भरे अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकता है (205:4)।

532.4. दीक्षित होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को प्रथम प्रांतीय लाइसेंस द्वारा दिए गए 10 वर्षों के भीतर अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने या पिछले वर्ष के दौरान अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम में कम से कम दो पाठ्यक्रम पूरा करने पर आकस्मिक होगी।

532.5. लाइसेंस प्राप्त सेवक के विषय में जो पादरी के रूप में सेवकाई कर रहे हैं, सेवक के लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुशंसा प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा की जाएगी। स्थानीय सेवक के विषय में जो पादरी के रूप में सेवकाई कर रहें है, सेवकाई के लाइसेंस देने की अनुशंसा प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा की जाएगी (225.13)।

532.6. अधिकार क्षेत्र वाले प्रमुख अधीक्षक को प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवक को एक सेवकाई का लाइसेंस जारी करना होगा, जिसमें क्षेत्राधिकार में प्रमुख अधीक्षक के प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

532.7. लाइसेंस प्राप्त सेवकों को वचन का प्रचार करने और मसीह की देह के लिए विभिन्न सेवकाई में उनके वरदान और अनुग्रह का उपयोग करने के अधिकार के साथ निहित किया जाएगा। इसके अलावा, बशर्ते वे प्रांत द्वारा मान्यता प्राप्त एक निर्दिष्ट सेवकाई में सेवा करें, जिस पर वे अपनी सेवकाई स्तरीय सदस्यता रखते हैं, लाइसेंस प्राप्त सेवकों को भी आपनी स्वयं की सभा में बपतिस्मा, प्रभु भोज जैसे संस्कारों को करने का अधिकार दिया जायेगा और जहाँ राज्य का कानून प्रतिबंध नहीं लगाता है वहाँ विवाह के आयोजन का अधिकार होगा (511–512,515,515.4, 523,532.8, 533, 533.2,534–534.2,700,706,705)।

532.8. सभी लाइसेंस प्राप्त सेवक प्रांत के प्रांतीय सभा में अपने सेवकाई के लाइसेंस का ग्रहण करेंगे जहाँ पर उनकी कलीसिया की सदस्यता है और वे प्रतिवर्ष इस भाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उचित वार्षिक रिपोर्ट पत्र या (यदि नवीनीकरण किया जा रहा तो) प्रांतीय सेवक के लाइसेंस के लिए आवेदन जमा किया जा सकता है (201,205.3,521)।

532.9. यदि एक लाइसेंस प्राप्त सेवक नाज़रीन कलीसिया के अलावा किसी अन्य कलीसिया या संप्रदाय के साथ एकजुट हो जाता है या अपने प्रांतीय सलाहकार मंडल की मंजूरी के बिना या प्रमुख अधीक्षक मंडल के लिखित अनुमोदन के बिना अन्य मसीही सेवकाई में संलग्न होता हैं तो उसे नाज़रीन कलीसिया की सेवकाई और सदस्यता से तत्काल निष्कासित कर दिया जाएगा। अपने कार्यवृत्तों में प्रांतीय सभा मंडल दिए गए कथन को दर्ज (रिकॉर्ड) करेगाः

"किसी अन्य कलीसिया, संप्रदाय या सेवकाई से जुड़ने के कारण नाज़रीन कलीसिया की सेवकाई और सदस्यता से निष्कासित किया गया है" (107,112)।

स. सहसेवक

533. सहसेवक एक सेवक है जिसकी सेवकाई, वरदान और उपयोगिता के लिए परमेश्वर की बुलाहट, उचित प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा प्रदर्शित और बढ़ाया गया है, जिसे प्रांतीय सभा के मत और दीक्षा के गंभीर कार्य द्वारा मसीह की सेवकाई के लिए अलग किया गया है और जिसे मसीही सेवकाई के कार्यों को करने के लिए पद पर नियुक्त किया गया है।

533.1. सहसेवक प्रचार करने के लिए विशिष्ट बुलाहट का साक्षी नहीं है। कलीसिया पवित्रशास्त्र और अनुभव के आधार पर पहचानना है कि परमेश्वर व्यक्तियों को आजीवन सेवकाई के लिए बुलाता है जो इस तरह के विशिष्ट बुलाहट के गवाह नहीं होते हैं और मानते हैं कि इस तरह के सेवकाई के लिए बुलाए जाने वाले व्यक्तियों को कलीसिया द्वारा मान्यता प्राप्त और पुष्टि की जानी चाहिए और आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और कलीसिया द्वारा स्थापित जिम्मेदारियाँ दी जानी चाहिए। यह सेवकाई का स्थायी आदेश है।

533.2. एक सहसेवक को शिक्षा के क्रम को पूरा करना होगा, उपयुक्त वरदान और अनुग्रह को प्रकट करना होगा और उसकी कलीसिया द्वारा मान्यता और पुष्टि की जानी चाहिए। सहसेवक को बपतिस्मा और प्रभु—भोज के संस्कारों को प्रशासित करने, विवाह संस्कार करवाने जहाँ राज्य के कानून प्रतिबंध नहीं करती और कभी—कभी आराधना और प्रचार करने के अधिकार को दिया जाएगा। यह समझा जाता है कि परमेश्वर और कलीसिया विभिन्न सहयोगी सेवकों में इस व्यक्ति के वरदान और अनुग्रह का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि मसीह के देह के सेवकाई के प्रतीक के रूप में सहसेवक संस्थागत कलीसिया के बाहर भूमिकाओं में अपने वरादानों का भी उपयोग कर सकता है (515.4, 515.9)।

533.3. एक सहसेवक उम्मीदवार अपनी सेवकाई में परमेश्वर की बुलाहट को घोषित कर सकता है। उम्मीदवार वर्तमान में एक प्रांतीय लाइसेंस रखता है और एक बार लगातार तीन वर्षों से कम समय के लिए लाइसेसं नहीं रखता है। इसके अलावा उम्मीदवार को स्थानीय कलीसिया के कलीसिया मंडल द्वारा जहाँ की वह सदस्यता रखता हो या प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा अनुशंसनीय हो। आगे ....

1. उम्मीदवार ने कलीसिया की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है।
2. उम्मीदवार ने लाइसेंस प्राप्त सेवक और सहसेवक के रूप में दीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अध्ययन का एक मान्य पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
3. प्रांतीय सभा में प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या सेवकाई प्रांतीय मंडल द्वारा उम्मीदवार को सावधानी से विचार किया गया है और अनूकूल रूप से सूचित किया गया है।

उम्मीदवार प्रांतीय सभा के दो–तिहाई मत द्वारा सहसेवक के क्रम के लिए चुने जा सकते हैं बशर्ते वह लगातार तीन वर्ष से कम समय तक एक नियुक्त किया गया सेवक न हो और आगे वर्तमान में उसे एक निर्दिष्ट सेवकाई में सेवा करनी चाहिए। अंशकालीन कार्य के विषय में यह समझा जाना चाहिए कि स्थानीय कलीसिया सेवकाई में उनकी भागीदारी के स्तर के आधार पर सेवा समय में लगातार वर्षों का विस्तार होना चाहिए और उनकी गवाही और सेवा यह दर्शाती है कि सेवकाई में उनकी बुलाहट अन्य सभी कार्य से ज्यादा प्राथमिक है। प्रांतीय सभा द्वारा लगाए गए किसी भी अयोग्यता को प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा लिखित में हटा दिया गया है और आगे यह प्रदान किया गया हैं कि उसका वैवाहिक संबंध उसे दीक्षा के लिए अयोग्य घोषित नहीं करता है (206.6,320,529)।

533.4. यदि उसकी सेवकाई के अनुसरण में दीक्षित सहसेवक प्रचारकीय सेवकाई की बुलाहट को महसूस करता है तो वह प्रमाण पत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर के व सह–सेवक के प्रमाण पत्र को वापस लौटाकर एक प्राचीन के रूप में दीक्षित हो सकता है।

द. प्राचीन

534. एक प्राचीन एक सेवक होता है जिसे प्रचार, वरदान और उपयोगिता के लिए परमेश्वर की बुलाहट है और उसे उचित प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा प्रकट और बढ़ाया गया है और उसे प्रांतीय सभा के मत और दीक्षा के पवित्र कार्य द्वारा कलीसिया के माध्यम से मसीह की सेवा के लिए अलग किया गया है और इस प्रकार मसीही सेवकाई के सभी कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से समर्पित किया गया है।

534.1. हम पहचानते हैं लेकिन प्रचारकीय सेवकाई के एक क्रम को जो प्राचीन है। जो कलीसिया का स्थायी क्रम है। प्राचीन को कलीसिया में सही संचालन करने, वचन का प्रचार करने बपतिस्मा और प्रभु–भोज के संस्कारों को प्रशासित करने और विवाह के गठबंधन को पूरा करना चाहिए और कलीसिया के महान प्रमुख यीशु मसीह के अधीन होना चाहिए (31,514–515. 3, 515.4,515.9,538.15)।

534.2. कलीसिया यह उम्मीद करती है कि जिसे आधिकारिक सेवकाई की बुलाहट है उसे वचन का प्रबंधक होना चाहिए और इसकी उद्घोषणा के लिए उसे जीवन भर पूरी शक्ति लगानी चाहिए।

534.3. एक प्राचीन उम्मीदवार, सेवकाई में परमेश्वर की बुलाहट की घोषणा करता है। उम्मीदवार वर्तमान में एक प्रांतीय लाइसेंस रखता है और एक बार लगातार तीन वर्षों से कम समय के लिए लाइसेंस नहीं रखता। इसके अलावा उम्मीदवार को स्थानीय कलीसिया के कलीसिया मंडल द्वारा जहाँ की वह सदस्यता रखता हो या प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा अनुशंसनीय होना चाहिए। आगे.....

1. उम्मीदवार ने कलीसिया की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है।
2. उम्मीदवार ने लाइसेंस प्राप्त सेवक और प्राचीन के रूप में दीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अध्ययन का एक मान्य पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक कर लिया है।

3. प्रांतीय सभा में प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या सेवकाई के प्रांतीय मंडल द्वारा उमीदवार को सावधानी से विचार किया गया है और अनुकूल रूप सें सूचित किया गया है।

उम्मीदवार प्रांतीय सभा के दो–तिहाई मत द्वारा प्राचीन के क्रम के लिए चुने जा सकते हैं बशर्ते वह लगातार तीन वर्ष से कम समय तक एक नियुक्त किया गया सेवक न हो और आगे वर्तमान में उसे एक निर्दिष्ट सेवकाई में सेवा करनी चाहिए। अंशकालीन कार्य के विषय में यह समझा जाना चाहिए कि स्थानीय कलीसिया सेवकाई में में उनकी भागीदारी के स्तर के आधार पर सेवा समय में लागतार वर्षो का विस्तार होना चाहिए और उनकी गवाही और सेवा यह दर्शाती है कि सेवकाई में उनकी बुलाहट अन्य सभी कार्य से ज्यादा प्राथमिक है। प्रांतीय सभा द्वारा लगाए गए किसी भी अयोग्यता को प्रांत के प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रांतीय अधीक्षक द्वारा लिखित में हटा दिया गया है जहाँ सेवक के क्रम में चुनाव के योग्य होने से पहले अयोग्यता लगाया गया था। इसके अतिरिक्त उसका वैवाहिक संबंध उसे दीक्षा के लिए अयोग्य घोषित नहीं करता है (206.6, 320,529)।

प. प्रमाण पत्र की मान्यता

535. नाज़रीन कलीसिया के साथ एकजुट होने की इच्छा रखने वाले अन्य संप्रदायों के दीक्षित सेवक और उनके दीक्षा पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल द्वारा संतोषजनक परीक्षा के बाद प्रांतीय सभा द्वारा उनके दीक्षा को व्यक्तिगत आचरण और सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

1. वे अध्ययन के मान्य संबंधित हिस्सों को सफलतापूर्वक पूरा करके नाज़रीन कलीसिया के इतिहास और पवित्रता के सिद्धांत के विवरणिका की प्रशंसा समझ और आवेदन का प्रदर्शन करते हैं।
2. वे प्रांतीय सभा के साथ दीक्षा/मान्यता प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक भरते हैं; और
3. वे अनुच्छेद 533–533.3 या 534–534.3 में उल्लेखित दीक्षा के सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं; और

4. वे आगे उपलब्ध कराते हैं कि उम्मीदवार वर्तमान में सेवकाई के कार्य में सेवा कर रहे हैं (205.7,228,539,532.2)।

535.1. अधिकार क्षेत्र वाले प्रमुख अधीक्षक, दीक्षित सेवक को अधिकार क्षेत्र में प्रमुख अधीक्षक दीक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे (538.6)।

535.2. जब किसी अन्य कलीसिया द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को उसके पास वापस कर दिया जाएगा या लिखित में अंकित किया जाएगा या प्रमाण पत्र के विपरीत पक्षा पर मुद्रित किया जाएगा, जो इस प्रकार है –

नाज़रीन कलीसिया की प्रांतीय सभा द्वारा मान्यता प्राप्त नए प्रमाण पत्र के आधार पर इस (तारीख), (वर्ष) में –

––––––––––––––, प्रमुख अधीक्षक
––––––––––––––, प्रांतीय अधीक्षक
––––––––––––––, प्रांतीय सचिव

फ. सेवानिवृत्त सेवक

536. – एक सेवानिवृत्त सेवक वह है जिसे प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या सेवकाई के प्रांतीय मंडल की अनुशंसा पर उस प्रांतीय सभा द्वारा सेवानिवृत्त पद पर रखा गया है, जहाँ कि वह सदस्यता रखता है। प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल द्वारा स्थिति में किसी भी बदलाव को मंजूरी दी जानी चाहिए।

536.1. सेवानिवृत्ति, सेवकों को सेवकाई की समाप्ति के लिए मजबूर नहीं करेगी या स्वयं प्रांतीय सभा में सदस्यता से वंचित नहीं होगी। एक सेवक जो सेवानिृवत्त संबंध का अनुरोध करने के समय या सामान्य सेवानिवृत्त की उम्र में एक 'नियुक्त' भूमिका में सेवा कर रहा था उसे 'नियुक्त सेवानिवृत्त' के पद में रखा जा सकता है। एक नियुक्त सेवानिवृत्त सेवक प्रांतीय सभा का सदस्य है। हालांकि उपरोक्त स्थितियों में से किसी एक में 'अनियुक्त स्थिति में एक सेवक को "सेवानिवृत्ति अनियुक्त" संबंध में रखा जाएगा। एक "सेवानिवृत्त अनियुक्त" सेवक प्रांतीय सभा का एक सदस्य नहीं है (201, 538.9)।

536.2. सेवानिवृत्त सेवक (नियुक्त या अनियुक्त) प्रांतीय सभा में प्रतिवर्ष रिपोर्ट के लिए बाध्य रहते हैं। सेवानिवृत्त सेवकों के मामलें में जो नियंत्रण से

परे सीमाओं के कारण रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं, प्रांतीय सभा, प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल की अनुशंसा पर "छूट" प्रदान कर सकती है। इस प्रकार वार्षिक प्रतिवेदन के दायित्व को निरंतर पूर्ण करना (538.9)।

ब. सेवकों का स्थानांतरण

537. — जब याजकीय समूह के सदस्य किसी अन्य प्रांत में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो मंत्रिस्तरीय सदस्यता का हस्तांतरण प्रांतीय सभा के मत या प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा सभाओं के अंतरिम में जारी किया जा सकता है जिसमें उनकी मंत्रिस्तरीय सदस्यता आयोजित की जाती है। इस तरह के हस्तांतरण प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा अंतराल में प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले प्रांतीय सभा, सेवकों को पूर्ण अधिकार और प्रांतीय सदस्यता के विशेषाधिकार देने के लिए मिलती है जिस पर इसे सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल और प्रांतीय सभा की अंतिम मंजूरी के अधीन प्राप्त किया जाता है (205.8—205.9, 226,231.9)।

537.1. एक लाइसेंस प्राप्त सेवक का हस्तांतरण तभी मान्य होगा, जब लाइसेंस प्राप्त सेवकों के लिए अध्ययन के मान्य पाठ्क्रम में लाइसेंसधारक के वर्ग का विस्तृत विवरण जारी करने वाले प्रांतीय सभा के प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति के सचिव द्वारा उचित रूप से प्रमाणित हो और जो प्राप्त करने वाले प्रांत के प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति के सचिव को भेजा गया हो। प्राप्त प्रांत के प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति के सचिव अपने प्रांतीय सचिव को सूचित करेंगे कि लाइसेंस धारकों के वर्ग का विवरण प्राप्त हुआ है। हस्तांतरित सेवक सक्रिय रूप से प्राप्त करने वाले प्रांत के एक मान्य पाठ्यक्रम में अपने वर्ग की रिपोर्टिंग के मामले को आगे बढ़ाएंगे (233.1—233.2).

537.2. प्रांतीय सभा एक स्थानांतरण प्राप्त करने के द्वारा प्रांतीय सभा को स्थानांतरित व्यक्ति की सदस्यता की प्राप्ति के स्थानांतरण को सूचित किया जाएगा। जब तक प्रांतीय सभा के मत द्वारा स्थानांतरण प्राप्त नहीं किया जाता है जिस पर इस प्रकार स्थानांतरित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, वह जारी करने वाली प्रांतीय सभा का सदस्य होगा। ऐसा स्थानांतरण प्रांतीय सभा

जारी करने की तारीख के बाद अगले सत्र के करीब तक ही मान्य है, जिसे संबोधित किया गया है (205,8,226,231.10)।

ह. प्रमुख नियम

538. – निम्नलिखित परिभाषाएँ नाज़रीन कलीसिया के सेवकों के लिए प्रमुख नियमों से संबंधित शर्तों के हैं:

याजकीय समूह के सदस्य – प्राचीन, सहसेवक और लाइसेंसधारक सेवक (530,531,532)।

समाज – नाज़रीन कलीसिया के सदस्य जो याजकीय समूह के सदस्य नहीं है।

सक्रिय सदस्य – एक नियुक्त भूमिका को पूरा करने वाले याजकीय समूह का सदस्य।

नियुक्त सदस्य – याजकीय समूह के सदस्य की स्थिति जो अनुच्छेद 505–528 में सूचीबद्ध भूमिकाओं में से एक में सक्रिय है।

नियुक्त नहीं किया गया सदस्य – याजकीय समूह के सदस्य की स्थिति जो अच्छी स्थिति में है लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 505–528 में सूचीबद्ध भूमिकाओं में से एक में सक्रिय नहीं है।

सेवानिवृत्त नियुक्त सदस्य – याजकीय समूह के सेवानिवृत्त सदस्य की स्थिति जिसे सेवानिवृत्त के समय में नियुक्त नहीं किया गया था, से अनुरोध किया गया था।

सेवकों की सूची – एक प्रांतीय सेवकों की सूची, याजकीय समूह के सदस्यों के रूप में अच्छी स्थिति में है और जिन्होंने अपने प्रमाण पत्र दायर नहीं किये हैं।

सही स्थिति – उन याजकीय समूह के सदस्य की स्थिति जिनके उपर कोई अनसुलझा आरोप नहीं है और जो वर्तमान में अनुशासित नहीं है।

हटाया जाना – सेवकों की सूची से बाहर निकालने के लिए याजकीय समूह के उन सदस्यों के नामों को नामित करने, इस्तीफा देने या आत्मसमर्पण करने के लिए प्रांतीय सभा द्वारा निकाली गई कार्यवाही या उनके प्रमाण पत्र को निलंबित या निरस्त कर दिया गया है।

अनुशासित – याजकीय समूह के सदस्य की स्थिति जिसे अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा याजकीय समूह के सदस्य होने के अधिकारों, विशषाधिकारों और जिम्मेदारियों के पूरे या कुछ हिस्सों में राहत मिली हो।

निलंबन – अनुशासनात्मक कार्यों की एक श्रृंखला, जिसमें प्रमाण पत्र को छोड़कर एक सेवक अस्थायी रूप से याजकीय समूह के सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों से छुटकारा पाता है, जब तक कि बहाली के लिए शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है।

निष्कासित – पादरी के उस सदस्य की स्थिति जिसका प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया हो और जिसने नाज़रीन कलीसिया में सदस्यता से हटा दिया गया हो।

दर्ज प्रमाण पत्र – सेवकाई में निष्क्रियता के कारण याजकीय सदस्य के प्रमाण पत्र की स्थिति जिसने प्रमुख सचिव के साथ अपने प्रमाण पत्र को भरकर याजकीय सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है। एक व्यक्ति जिसने अपने प्रमाण पत्र को दायर किया है वह याजकीय समूह का सदस्य बना रहेगा और उसके पास अनुच्छेद 539.10 के अनुसार बहाल किए गए याजकीय सदस्य होने के अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं (539,539.1)।

समर्पित प्रमाण पत्र – याजकीय सदस्य के प्रमाण पत्र की स्थिति जो कदाचार, आरोप, स्वीकारोक्ति, अनुशासन मंडल द्वारा कार्यवाही का परिणाम या सेवकाई में निष्क्रियता के अलावा किसी भी कारण से स्वैच्छिक कार्यवाही के कारण याजकीय सदस्य होने के नाते अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदिारयों से मुक्त हो गया है। वह व्यक्ति जिसका प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है वह अनुशासन के तहत याजकीय समूह का सदस्य है। याजकीय सदस्य होने के अधिकारों विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को फिर से बहाल किया जा सकता है यदि व्यक्ति पुर्न नियुक्ति की अच्छी स्थिति में है और उसके प्रमाण–पत्र की वापसी है।

त्यागा गया प्रमाण–पत्र – याजकीय सदस्य के प्रमाण पत्र की स्थिति जो कलीसिया के अयाजकीय सदस्य बनने के लिए याजकीय सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों को छोड़ देता है। याजकीय समूह का सदस्य जो

अच्छी स्थिति में नहीं है वह केवल प्रांतीय सलाहकार मंडल के अनुमोदन द्वारा ही अपने प्रमाण को त्याग सकता है (539.1, 539.5)।

निरस्त किया गया प्रमाण पत्र – याजकीय सदस्य के प्रमाण पत्र की स्थिति जिसे सेवकाई से और नाज़रीन कलीसिया की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। उस सेवक का नाम सेवकों की सूची से हटा दिया जाएगा जिसका प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है।

प्रमाण पत्र की बहाली – याजकीय समूह के सदस्य होने के कारण कार्यवाही के साथ अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियों की बहाली की जाती है जिसकी विश्वसनीयता को निलंबित, आत्मसमर्पण, इस्तीफा या निरस्त कर दिया गया है।

पुनः प्राप्ति (वसूली) – याजकीय समूह के सदस्य होने के नाते उसके पति/पत्नी और परिवार के स्वास्थ्य और पूर्णता की पुनः प्राप्ति में स्वेच्छा से या अन्यथा अधिकारों, विशेषाधिकारों या जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने में किसी सेवक की सहायता करने की प्रक्रिया! पुनःप्राप्ति की दिशा में प्रयास, इस प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं कि यह निर्धारित करें कि सेवक के प्रमाण पत्र की वापसी उचित है या नहीं।

बहाली (पुनःनियुक्ति) – किसी सेवक के याजकीय समूह के सदस्य होने के अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियों को प्रदान करना जिसके प्रमाण पत्र को दायर करने, निलंबित करने, आत्मसमर्पण करने, इस्तीफा देने या बहाल करने की शर्त पर सही स्थिति और सभी आवश्यक अनुमोदन के लिए रद्द कर दिया गया था।

आरोप – एक लिखित दस्तावेजः नाज़रीन कलीसिया के कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो कि आचरण के नज़रिए से एक सदस्य पर आरोप लगाते है, जो अगर साबित होता है तो वह सदस्य विवरणिका की शर्तों के तहत अनुशासन के अधीन होगा।

ज्ञान – तथ्यों के विषय में जागरूकता स्वयं की इंद्रियों के अभ्यास से सीखा जाता है।

जानकारी – तथ्य दूसरों से सीखें।

धारणा – ज्ञान और सूचना के आधार पर एक निष्कर्ष दृढ़ विश्वास तक पहुँचता है।

जाँच आयोग – कथित या संदिग्ध दुराचार के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए विवरणिका के अनुसार नियुक्त एक समिति।

दोषारोपण – विशेष रूप से नाज़रीन कलीसिया के एक सदस्य के आचरण का वर्णन करने वाला एक लिखित दस्तावेज, जो यदि साबित होता है तो विवरणिका की शर्तों के तहत अनुशासन का आधार होगा।

538.1. याजकीय समूह का एक सदस्य अनुशासन के अधीन हो सकता है यदि वह नियमित रूप से सभा प्रांत के प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रमुख अधीक्षक मंडल की लिखित मंजूरी के बिना एक अन्य धार्मिक समूह के साथ स्वतंत्र कलीसिया की गतिविधियों का संचालन करता है जहाँ की वह सेवकाई की सदस्यता रखता हो (538.13, 606.1)।

538.2. याजकीय समूह का एक सदस्य सदैव प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल की एकजुट सलाह के लिए उचित सम्मान दिखाएगा (519)।

538.3. याजकीय समूह के सदस्य द्वारा किसी भी योजना या फंड में उसके आश्रितों की भागीदारी का दावा जो कलीसिया अभी या उसके बाद अपने विकलांग या वृद्ध सेवकों की सहायता या समर्थन के लिए कर सकती है केवल प्रांतीय सभा की मंजूरी के तहत सेवक द्वारा प्रदान की गई नियमित सक्रिय सेवा पर आधारित होगा जैसे एक नियुक्त पादरी या धर्मप्रचारक या अन्य मान्य भूमिका। यह नियम अंशकालिक और सामायिक सेवकाई में ऐसी भागीदारी से बाहर रखा जाएगा।

538.4. नाज़रीन कलीसिया के पादरी या सहयोगी पादरी के रूप में सक्रिय रूप से नियुक्त एक लाइसेंस प्राप्त सेवक प्रांतीय सभा का एक मतदान सदस्य होगा (201)।

538.5. प्राचीन या सह–सेवक के क्रम में चुने गए उम्मीदवार को अध्यासीन प्रमुख अधीक्षक के अधीन उचित धार्मिक शिक्षा के साथ प्रमुख अधीक्षक और दीक्षित सेवकों के हाथों द्वारा दीक्षित किया जाएगा (307.4)।

538.6. अधिकार क्षेत्र का प्रमुख अधीक्षक, अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक, प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सचिव के हस्तांक्षरित दीक्षा के प्रमाण पत्र को दीक्षित किए गए व्यक्ति को देगा (535.1)।

538.7. किसी प्राचीन या सहसेवक के दीक्षा प्रमाण पत्र के खो जाने पर फट जाने पर या नष्ट हो जाने की स्थिति में प्रांतीय सलाहकार मंडल की अनुशंसा पर एक प्रतिलिपि प्रमाण पत्र को जारी किया जा सकता है। इस तरह की अनुशंसा सीधे अधिकारक्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक को की जाएगी और उस अनुमोदन के अधिकार के अधीन प्रमुख सचिव एक प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रमाण पत्र के पीछे मूल संख्या को 'प्रतिलिपि' शब्द के साथ पहचाना जाना चाहिए। यदि प्रमुख अधीक्षक, प्रांतीय अधीक्षक या प्रांतीय सचिव मूल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधाक्षक, प्रांतीय अधीक्षक और प्रांत के प्रांतीय सचिव प्रतिलिपि प्रमाण पत्र का अनुरोध करने वाले प्रांत के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए उल्टे तरफ पर लिखित या मुद्रण या दोनों लेखन और मुद्रण में उत्कीर्ण निम्नलिखित कथन होगा और अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक, प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सचिव के द्वारा हस्तांक्षरित होंगे।

यह प्रमाण पत्र दीक्षा के मूल प्रमाण पत्र को बदलने के लिए उस (नाम) और (दिन) को दिया जाता है। यह (दीक्षाकरण के संगठन) द्वारा (महीने), (वर्ष) को जिस दिन (वह स्त्री/पुरूष) दीक्षित किया गया था और मूल प्रमाण पत्र (प्रमुख अधीक्षक), (प्रांतीय अधीक्षक) और (प्रांतीय सचिव) द्वारा हस्तांक्षरित है।

मूल प्रमाण पत्र खो गया था, फट गया था और नष्ट हो गया था।

——————————, प्रमुख अधीक्षक

——————————, प्रांतीय अधीक्षक

——————————, प्रमुख सचिव

538.8. याजकीय समूह के सभी सदस्य (नियुक्त और अनियुक्त) नाज़रीन के स्थानीय कलीसिया में सक्रिय सदस्य होंगे जहाँ कलीसिया के सेवकाई कलीसिया के सेवकाई उपस्थिति दशमांश और भागीदारी में विश्वासयोग्य हैं। इस आवश्यकता की छूट केवल प्रांतीय सलाहकार मंडल के अनुमोदन से दिए जा सकते हैं। याजकीय समूह का कोई भी सदस्य जो प्रांत के नाज़रीन के एक स्थानीय कलीसिया में सदस्यता नहीं रखता है जहाँ का वह प्रमाण पत्र

धारक है और जिसे छूट नहीं दिया गया है वह प्रांतीय सलाहकार मंडल के अनुशासन की कार्यवाही के अधीन है (522, 538.10)।

538.9. सभी प्राचीनों और सहसेवक प्रांत के प्रांतीय सभा में अपनी सेवकाई की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें उनकी कलीसिया की सदस्यता उस निकाय को प्रतिवर्ष दी जाएगी। कोई भी प्राचीन या सहसेवक जो लगातार दो वर्षों तक अपनी प्रांतीय सभा को व्यक्तिगत रूप से या पत्र द्वारा रिपोर्ट नहीं करेगा, यदि प्रांतीय सभा का चुनाव होता है तो उसका सदस्य होना रोक दिया जाएगा (201, 205.3, 521, 536.1)।

538.10. याजकीय समूह का कोई भी सदस्य यदि नाज़रीन कलीसिया के अलावा किसी अन्य कलीसिया, संप्रदाय या अन्य मसीही सेवकाई से जुड़ता है तो उसकी नाज़रीन कलीसिया से सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह प्रांत के प्रांतीय सभा के प्रांतीय सलाहकार मंडल की मंजूरी नहीं लेता है जहाँ कि वह सेवकाई सदस्यता रखता है। प्रांतीय सभा अपने कार्यवृत्त के विवरण को इस कथन के द्वारा दर्ज करेगीः "किसी अन्य कलीसिया, संप्रदाय या सेवकाई के एकजुट होने पर नाज़रीन कलीसिया की सेवकाई और सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा" (107,112)।

538.11. याजकीय समूह का कोई भी सदस्य स्थानीय कलीसिया की सदस्यता से हटा दि गया था या निष्कासित कर दिया गया था जब वह अच्छी स्थिति में नहीं है तो वह नाज़रीन कलीसिया के साथ केवल उस सभा प्रांत के प्रांतीय सलाहकार मंडल की सहमति से पुनर्मिलन कर सकता है, जिसकी सदस्यता से उसे हटा दिया गया था या निष्कासित कर दिया था। प्रांतीय सलाहकार मंडल इस शर्त पर अपनी सहमति दे सकता है कि पूर्व सेवक बाद में कलीसिया का अयाजकीय सदस्य बना रहेगा या अधिकार क्षेत्र के प्रांतीय अधीक्षक और प्रमुख अधीक्षक की इस मंजूरी के साथ कि वह अनुशासन के अधीन याजकीय समूह का सदस्य फिर से बनेगा और इस पुष्टि के साथ कि वह अपनी इच्छानुसार अपनी पुनः वापसी की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगातार प्रतिभागी होगा।

538.12. एक प्राचीन या सहसेवक जिसका नाम प्रांतीय सभा के सेवकों की सूची से हटा दिया गया है और जिसने अपने प्रमाण पत्र को दर्ज नहीं किया

है, उसे किसी अन्य प्रांत में प्रांतीय सभा की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना मान्यता नहीं दी जाएगी जिसे सेवकों की सूची से उसका नाम हटा दिया गया था सिवाय अन्यथा प्रदान किए गए। प्रांतीय सलाहकार मंडल सभाओं के बीच अधिकार क्षेत्र के हस्तांतरण के अनुरोध पर कार्य कर सकता है (538.11)।

538.13. याजकीय सदस्य निम्नलिखित के लिए प्रांतीय सलाहकार मंडल की वार्षिक लिखित स्वीकृति होनी चाहिए:

नियमित रूप से स्वतंत्र कलीसिया गतिविधियों का संचालन नाज़रीन कलीसिया के निर्देशन में नहीं करता है, या स्वतंत्र सेवकाई (मिशन) या अनधिकृत कलीसिया गतिविधियों को जारी रखना।

एक स्वतंत्र कलीसिया या अन्य धार्मिक समूह, मसीही सेवकाई या संप्रदाय के परिचालन कर्मचारियों के साथ जुड़ा होना।

यदि याजकीय समूह के सदस्य को इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफल हो जाता है तो वह प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल की पूरी सदस्यता के दो–तिहाई मत की अनुशंसा पर और प्रांतीय सभा की कार्यवाही से नाज़रीन कलीसिया की सदस्यता और सेवकाई से निष्कासित किया जा सकता है।

यह निर्धारित करना कि क्या कोई विशिष्ट गतिविधि “एक स्वतंत्र मिशन” या एक अनधिकृत कलीसिया गतिविधि का गठन करती है वह प्रमुख अधीक्षक मंडल के साथ स्थिर रहेगी (112–122.1,532.9)।

538.14. स्वतंत्र कलीसिया की गतिविधियों में भाग लेने के लिए याजकीय समूह के सदस्य को अनुमोदन देने से पहले प्रांतीय सलाहकार मंडल को प्रमुख अधीक्षक मंडल की लिखित स्वीकृति का निवेदन करना चाहिए जब ऐसी भागीदारी एक प्रांत से अधिक या एक प्रांत या प्रांत के अलावा किसी अन्य प्रांत से अधिक हो जहाँ वह सेवक, सेवकाई की सदस्यता रखता हो। प्रमुख अधीक्षक मंडल संबंधित प्रांतीय सलाहकार मंडल को सूचित करेगी कि उक्त अनुमोदन के लिए एक अनुरोध विचाराधीन है।

538.15. एक नियुक्त सेवक एक स्थानीय कलीसिया का आरम्भ कर सकता है जब वह प्रांतीय अधीक्षक या अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक द्वारा अधिकृत किया जाता है। अधिकारित संगठन की रिपोर्ट प्रमुख अधीक्षक द्वारा प्रमुख सचिव कार्यालय के साथ दायर की जाती है (100.211.1)।

538.16. प्रांतीय सभा में सदस्यता एक पादरी या अन्य नियुक्त सेवक के रूप में होगी, जो सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं और अनुच्छेद 505—528 में परिभाषित नियुक्त सेवक की भूमिकाओं में से एक में प्राथमिक व्यवसाय के रूप में सेवकाई को रखते हैं।

538.17. सलाह, परामर्श या आध्यात्मिक निर्देशन के दौरान एक सेवक को बताई गई जानकारी को सख्त संभव गोपनीय रखा जाएगा और व्यक्ति की सूचित सहमति के बिना खुलासा नहीं किया जाएगा सिवाय कानून द्वारा आवश्यकता पड़ने पर।

जब भी संभव हो और जितनी जल्दी हो सके सेवक को उन परिस्थितियों का खुलासा करना चाहिए जिनके तहत गोपनीयता भंग हो सकती हैः

1. जब स्वयं या दूसरों को नुकसान पहुँचाने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा होता है।
2. जब स्थानीय कानून द्वारा परिभाषित किसी नाबालिग, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति या अन्य कमजोर व्यक्ति पर दुर्वव्यहार या उपेक्षा का संदेह होता है। यह संवाददाता की जिम्मेदारी नहीं है कि वह रिपोर्ट की सत्यता का पता लगाए या रिपोर्ट के संदर्भ की जाँच करें लेकिन वह केवल उचित अधिकारियों को संदेह की सूचना दे सकता है। एक नाबालिग को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जब तक कि किसी राज्य या देश के अपने घरेलू कानून के तहत बहुमत की आयु प्राप्त नहीं होती है।
3. कानूनी मामलों में जब अदालत के अधीन सबूत देने के लिए सेवकों को सत्रों की विषय—वस्तु के अति सूक्ष्म रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए, जिसमें किए गए खुलासे का रिकॉर्ड और प्राप्त की गई सहमति शामिल होनी चाहिए। व्यवसायिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का उपयोग, शिक्षण, लेखन, घर या सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण में तभी किया जा सकता है जब व्यक्तियों की पहचान और खुलासे की गोपनीयता दोनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाते हैं। नाबालिग को परामर्श करते समय यदि

सेवक को पता चलता है, नाबालिग के कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा है और माता–पिता या कानूनी अभिभावक के साथ गोपनीय जानकारी को व्यक्त करना नाबालिग के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो सेवक को नाबालिग के स्वास्थ्य व सुरक्षा की भलाई के लिए जानकारी का खुलासा करना चाहिए।

538.18. सभी प्राचीन और सहसेवक को प्रांतीय सेवकाई अध्ययन समिति द्वारा प्रशासित होने के लिए प्रति वर्ष 20 घंटे के जीवनकाल तक सीखने के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद की जाती है (529.6)।

538.19. एक सेवक केवल उन लोगों के लिए विवाह का संपादन कर सकता हे जो सावधानीपूर्वक परामर्श द्वारा योग्य बन गए हैं और जिनके पास शादी के लिए बाइबिल का आधार है। बाइबिल पर आधारित विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला को शामिल करने वाले रिश्ते में मौजूद है (31,515.9)।

538.20. प्रत्येक प्रांत के पास याजकीय समूह के सदस्य जो सेवक पद से हटने में शामिल है उनके परिवार एवं किसी भी सभा को समयानुसार, दयालु और सूचित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक लिखित, व्यापक योजना का होना आवश्यक है। प्रांतीय योजना विवरणिका के निर्देशों के अनुरूप होगी और इसमें किसी भी उस सेवक की स्थिति में परिवर्तन के तथ्यों और परिस्थितियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने का प्रावधान शामिल है जो याजकीय समूह के सदस्य के अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व जो याजकीय समूह के सदस्य के अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व के अभ्यास करने से रोक दिया गया है। इस रिकॉर्ड में याजकीय समूह के सदस्य की स्थिति से संबंधित सभी पत्राचार और अधिकारिक कार्यवाहियाँ शामिल होंगी और पुनः प्राप्ति (वसूली) टीम के लिए चुने गए उन व्यक्तियों की नियुक्ति की तारीख और नाम अनुच्छेद 540.1 के (225.5) दाखिल, इस्तीफा निलंबन या एक सेवकाई प्रमाण पत्र निरसन (खंडन) के अनुसार प्रदान की जा सकती है।

539. प्रमुख सचिव को अच्छी स्थिति में याजकीय समूह के सदस्य के प्रमाण पत्र को सुरक्षित प्राप्त करने और रखने के लिए अधिकार दिया गया है जो कि समय–समय पर सेवकाई में निष्क्रियता के कारण उन्हें दर्ज कराना चाहते

हैं। प्रमाण पत्र को दायर करने के समय, प्रांत के सेवकों की सभा के प्रांतीय सलाहकार मंडल, प्रमुख सचिव को प्रमाणित करेगी कि अनुशासन के अधीन होने से बचने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र दायर नहीं किया जा रहा है। प्रमाण पत्र को दाखिल करने से याजकीय समूह के सदस्य को याजकीय समूह के सदस्य के रूप में अनुशासन के अधीन होने से नहीं रोका जा सकेगा।

याजकीय समूह के वे सदस्य जो अपने प्रमाण पत्र को प्रमुख सचिव के साथ दायर करते हैं उन्हें बहाल किया जा सकता है (539.10)।

539.1. अच्छी स्थिति में याजकीय समूह के सदस्य जिन्हे सेवानिवृत्ति का दर्जा नहीं दिया गया है और जो लगातार चार या अधिक वर्षों से अनियुक्त हैं उन्हें अब याजकीय समूह के सदस्य के रूप में भागीदार नहीं माना जाता है और उन्हें अपनी प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता होती है। प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल, प्रांतीय सभा को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी "(प्राचीन या सहसेवक के प्रश्न में) प्रमाण पत्र, प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल द्वारा दायर किया गया है।" इस कार्यवाही को चरित्र के प्रति गैर–पक्षपाती नहीं माना जाना चाहिए। वह व्यक्ति जो दायर करता है वह अपने प्रमाण पत्र को पुनः प्राप्त (बहाल) कर सकता है (539.10)।

539.2. जब अच्छी स्थिति में एक दीक्षित सेवक को नाज़रीन कलीसिया के याजकीय सदस्य के अलावा बुलाहट के लिए या व्यवसाय के लिए एक नियुक्त सेवकाई से निष्कासित किया जाता है तो वह याजकीय सदस्य के अपने अधिकारो, विशेषाधिकारों व उत्तरदायित्व से इस्तीफा दे सकता है। प्रांतीय सभा जहाँ वह अपनी स्थिति को रखता है, वह प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और उसे प्रमुख सचिव की निगरानी में रखेगा। प्रांतीय कार्यवृत्तों के रिकॉर्ड यह प्रदर्शित करेंगे कि वह "सेवकों की सूची से हटाया गया है, अपने पद से निलंबित है" याजकीय समूह का सदस्य जो इस प्रकार से इस्तीफा देता है वह अपने प्रमाण पत्र को वापस रख सकता है (539.11)।

539.3. जब एक असेवानिवृत्त दीक्षित सेवक याजकीय समूह के सदस्य के रूप में अपने सक्रिय सेवकाई को रोक देता है और पूर्ण समय के रोजगार को ग्रहण कर लेता है तो दो साल की अवधि के बाद उसे प्रांतीय सेवकाई मंडल द्वारा अयाजकीय सदस्य होने से इस्तीफा देने की आवश्यकता हो सकती है

या अपने प्रमाण पत्र को प्रमुख सचिव के साथ दायर कर सकता है। याजकीय सदस्य के रूप में गतिविधि की समाप्ति के तुरंत बाद यह दो साल की अवधि प्रांतीय सभा में शुरू होगी। प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल इसकी गतिविधि को प्रांतीय सभा में प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य को गुणानुसार गैर प्रतिकूल माना जाना चाहिए।

539.4. याजकीय समूह के सदस्य के अधिकार, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्व निरस्त किए जा सकते हैं और सेवकों की सूची से उसका नाम हटा दिया जा सकता हैं यदि वह एक वर्ष के भीतर प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल को रिकॉर्ड (सूची) में दर्ज नया पता प्रदान किए बिना रिकॉर्ड में दर्ज पते से अपना निवास स्थान बदलता है या यदि वह अनुच्छेद 532.8 और 538.9 के आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष रिपोर्ट देने में असफल होता है। निलंबित करने के ऐसे कार्य की जिम्मेदारी प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल की होगी।

539.5. याजकीय समूह का एक सदस्य जो अपने स्थानीय कलीसिया से प्रशस्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और अगली प्रांतीय सभा के समय तक नाज़रीन कलीसिया के किसी अन्य कलीसिया से नहीं जुड़ता है या जो लिखित रूप में यह घोषणा करता है कि नाज़रीन कलीसिया से उसने अपना नाम वापस ले लिया है या जो एक सेवक के रूप में एक अन्य कलीसिया में शामिल होता है और जिसने अपने सेवकाई के प्रमाण पत्र से इस्तीफा नहीं दिया है वह प्रांतीय सभा के आदेश से प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल की अनुशंसा पर नाज़रीन कलीसिया की सेवकाई से निष्कासित किया जा सकता है और उसका नाम स्थानीय कलीसिया के सेवकों की सूची और सदस्यता से हटा दिया जाता है (111.1,815)

539.6. याजकीय समूह का एक सदस्य जो अच्छी स्थिति में नहीं है अपने प्रमाण पत्र से केवल प्रांतीय सलाहकार मंडल की अनुमति से ही इस्तीफा दे सकता है।

539.7. याजकीय समूह का एक सदस्य अनुच्छेद 539.5 और 540.10 के अनुसार नाज़रीन कलीसिया की सेवकाई से निष्कासित किया जा सकता है या अनुच्छेद 606–609 के अनुशासनीय कार्य के द्वारा।

539.8. जब एक प्राचीन या सहसेवक निष्कासित होता है तो याजकीय सदस्य के प्रमाण पत्र को प्रमुख सचिव को सूचीबद्ध करने और संरक्षित करने के लिए प्रांत के प्रांतीय सभा के पास भेजा जाएगा जहाँ निष्कासन के समय में प्राचीन या सहसेवक अपनी सदस्यता रखता होा (326.5)।

539.9. पादरियों, स्थानीय कलीसिया मंडल या अन्य जो कलीसिया के भीतर कार्य का निर्धारण करते हैं वे उस याजकीय सदस्य को शामिल नहीं करेंगे जो किसी भी सेवकाई की भूमिका या दायित्व या प्राधिकारण के किसी अन्य पद (जैसे आराधना में अगुवाई, रविवारीय विद्यालय की कक्षा में पढ़ाना या बाइबिल अध्ययन या छोटे समूह की अगुवाई पर अच्छी स्थिति में नहीं है जब तक की अच्छी स्थिति पुनः बहाल नहीं होती है। इस निषेध के अपवादों के लिए उस प्रांत के दोनों प्रांतीय अधीक्षक की लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होती है जहाँ से सेवक संबंध रखता था, जब वह समान प्रांत के अधिकार क्षेत्र के प्रमुख अधीक्षक के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते थे (540.4))।

539.10. एक दायर प्रमाण पत्र की बहाली – जब एक प्राचीन या सहसेवक अच्छी स्थिति में अपने प्रमाण पत्र को दायर करता है, तब ऐसे प्रमाण पत्र किसी भी आगामी समय में जब प्राचीन या सहसेवक अच्छी स्थिति में हो तब प्रांतीय सभा के आदेश पर प्राचीन या सहसेवक को वापस किए जा सकते हैं, जहाँ पर ये दायर थे और यह उपलब्ध कराया जाता है कि वापिस किए गए उनके प्रमाण पत्र प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा अनुशंसनीय होंगे। प्रांतीय सभाओं के बीच में प्रांतीय सलाहकार मंडल किसी सेवक के दायर किए गए प्रमाण पत्र की वापसी को मंजूरी देने के लिए मतदान कर सकता है।

539.11. इस्तीफा देने या निरस्त प्रमाण पत्र की बहाली – एक प्राचीन या सहसेवक ने जब वह अच्छी स्थिति में सेवक है उसने अपने सेवकाई के आदेश को त्याग दिया था या जिसके प्रमाण पत्र को एक अन्य कलीसिया, संप्रदाय या सेवकाई के साथ एकजुट होने पर निरस्त कर दिया गया था उसके प्रमाण पत्र को प्रांतीय सभा द्वारा दीक्षित/मान्यता प्रश्नावली के अधीन और सेवकाई की प्रतिज्ञाओं की पृष्टि करने पर, प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई समिति द्वारा और प्रांतीय अधीक्षक और प्रमुख अधीक्षक के पूर्व

अनुमोदन से जाँच और अनूकूल करने की सिफारिश पर वापस लौटाया जा सकता है (539.2)।

539.12. एक मृतक सेवक के दीक्षा का प्रमाण पत्र जिसका प्रमाण पत्र को दायर किया गया है और जो मृत्यु के समय अच्छी स्थिति में था, उसके (सेवक) के परिवार को प्रमुख सचिव के लिखित अनुरोध और प्रांत के प्रांतीय अधीक्षक द्वारा अनुमोदन करने के लिए अवगत कराया जा सकता है जहाँ उसके दाखिले को दर्ज किया जाता है।

539.13. अलगाव या तलाक – तलाक, कानूनी अलगाव या सेवक के विवाह की समाप्ति के निवेदन को दायर करने के 48 घंटों के भीतर या सेवक और उसके पति/पत्नी के शारीरिक अलगाव के 48 घंटों के भीतर शारीरिक संबंध को बंद करने के उद्देश्य से सेवक निम्न चिजों पर ध्यान देंगे:

अ) प्रांतीय अधीक्षक से संपर्क करें और लिए गए कार्यों को अधीक्षक को सूचित करें।

ब) प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल के सदस्य से परस्पर सहमति से निर्धारित समय और स्थान पर मिलने के लिए सहमत हों यदि कोई पारस्परिक रूप से सहमति से निर्धारित समय और स्थान उपलब्ध न हो तो प्रांतीय अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर व्यवस्था की जा सकती है, और:

स) की गई कार्यवाही की परिस्थितियों के बारे में बताए ('ब' बिन्दु में निर्धारित किए गए मिलने के स्थान पर) वैवाहिक संघर्ष की व्याख्या करें और अधिकार क्षेत्र के लिए बाइबिल के आधार के विषय में बताए कि याजकीय सदस्य को याजकीय सदस्य को याजकीय सदस्य के रूप में सेवा करने की अनुमति क्यों दी जाए यदि याजकीय समूह का सदस्य ऊपर दिए गए प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो यह गैर–अनुपालन अनुशासन का कारण होगा। सभी सेवक चाहे वे सक्रिय हों, निष्क्रिय हों या सेवानिवृत्त, नियुक्त किए गए या पदमुक्त हों, इन प्रावधानों के अधीन हैं और उन्हें प्रांतीय अधीक्षक और प्रांतीय सलाहकार मंडल की एकजुट सलाह के लिए उचित सम्मान दिखाना चाहिए। कोई

भी असक्रिय या अनियुक्त सेवक, प्रांतीय सलाहकार मंडल के सकारात्मक मत के बिना याजकीय समूह के सदस्य की भूमिका को नहीं रख सकता है।

ज. पादरी के सदस्यों की बहाली –

540. नाज़रीन कलीसिया अपने स्वयं के किसी भी सेवक के लिए परमेश्वर के छुटकारे और नए सिरे से अनुग्रह की आशा और चंगाई का विस्तार करने के लिए अपने उत्तरदायित्व को जानती है जो, सेवक पद से हटने के कारण अपने प्रमाण पत्र को स्वैच्छिक या अन्यथा समर्पण के कारण अपने याजकीय सदस्य के अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हैं। कलीसिया, सेवक के पति/पत्नी और परिवार, सभा और समुदाय के प्रति परमेश्वर के प्रेम–प्यार में सम्मिलित कराने के लिए आमंत्रित करने के अपने कर्तव्य को स्वीकार करती है। इस कारण से मंत्री को अच्छी स्थिति में लाने की दिशा की प्रक्रिया दो अलग–अलग चरणों में आयोजित की जाती हैः

1. पुनःप्राप्ति – सेवक के दुराचार की गंभीरता की परवाह किए बिना सेवक की सेवकाई में उनकी वापसी की संभावना या उनके अनुग्रह और मदद के प्रस्तावों की ग्रहणशीलता को बढ़ाना, सेवक की भलाई (आत्मिकता और अन्यथा) की बहाली और इसके लिए उसके पति/पत्नी और परिवार अनुच्छेद 540.1–540.7 के अनुसार प्रांत द्वारा परिश्रमपूर्वक, प्रार्थनापूर्वक और विश्वासपूर्वक अनुसरण करें। इस प्रकार की पुनःप्राप्ति इस कदम का विलक्षण उद्देश्य है।
2. पुनःस्थापना (बहाली) – सेवक की अच्छी स्थिति की बहाली और उनकी प्रमाण पत्र की वापसी के लिए सिफारिश से अलग प्रक्रिया में विचार किया जाना चाहिए और बाद में सेवक और उनके पति/पत्नी और परिवार के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की पुनःप्राप्ति की कोशिश की जाएगी (540.6–540.12)।

540.1. वसूली दल की नियुक्ति – जब याजकीय सदस्य का दुराचार प्रत्यक्ष बन जाता है तो सेवक और उसके पति/पत्नी और परिवार, सभा और समुदाय के खातिर उपयुक्त और करुणामय हस्तक्षेप की समय पर प्रतिक्रिया

महत्वपूर्ण है। चूँकी इस तरह के घटनाक्रमों का अनुमान शायद ही लगाया जाता है अतः अग्रिम चयन और योग्य व्यक्तियों की तैयारी दोनों याजकीय सदस्य और अयाजकीय दोनो ही प्रांतीय प्रतिक्रिया योजना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इन व्यक्तियों की नियुक्ति प्रांतीय सलाहकार मंडल के परामर्श द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष करता हैं। जब याजकीय सदस्य के दुराचार की स्थिति सामने आती है तब इन व्यक्तियों को प्रांतीय योजना के अनुसार जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक पुनः प्राप्ति दल के रूप में कार्य करने के लिए तैनात करना चाहिए। एक तैनात पुनः प्राप्ति दल में तीन व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को शामिल नहीं करना चाहिए (211.20, 225.5,540)।

540.2. पुनः प्राप्ति दल के कर्तव्य – एक पुनः प्राप्ति दल, सेवक और सेवक के पति/पत्नी और परिवार के स्वास्थ्य और भलाई को सुगम बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह न तो जिम्मेदारी है और न ही यह निर्धारित करने का अधिकार है कि याजकीय सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को सेवक को बहाल किया जाना चाहिए या नहीं। जहाँ तक हो स्थिति के आधार पर पुनः प्राप्ति दल के कर्तव्य इस प्रकार हैं:

1. सेवकाई के साथ–साथ सेवक के पति/पत्नी और परिवार की देखभाल करना।
2. पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया और उद्देश्य पर सेवक और उसके पति/पत्नी को स्पष्टता प्रदान करना,
3. जहाँ दुराचार प्रत्यक्ष रूप से नज़र आता है वहाँ सेवक, प्रांत और कोई भी सभा जो वित्तिय, आवास, चिकित्सा, भावनात्मक, आत्मिक और अन्य आवश्यकताएँ जो जरूरत के हिसाब से दिखायी देती है उनके विकास के लिए संयोजित प्रयास करती हैं उनके साथ जुड़ना।
4. प्रांत द्वारा अनुमोदित योजना को लागू करना, जिसमें स्वयं के प्रयासों पर नियमित रूप से सूचना देना और स्वास्थ्य और भलाई की प्राप्ति में सेवक और उनके पति/पत्नी और परिवार की प्रगति की स्थिति शामिल है।
5. सेवक और उसके पति/पत्नी को प्रांतीय अधीक्षक और उचित प्रांतीय मंडल को सूचित करना जब वह यह जाँच लेता कि उसका

काम पूरा होने वाला है या जहाँ तक उम्मीद की जा रही थी, वह आगे बढ़ चुका है।

6. याजकीय सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों की बहाली के लिए सेवक द्वारा आवेदन करने पर बहाली पर विचार करने के लिए जिम्मेदार प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र मंडल या सेवकाई का प्रांतीय मंडल या नियुक्त समिति को पेश करना और इस बात की अनुशंसा करना कि क्या अच्छी स्थिति के लिए सेवक की बहाली करना उचित है।

540.3. ऐसी स्थिति में जब अनुशासन के अधीन सेवक है या पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के प्रति अनुत्तरदायी हो जाता हौ तो सेवक के पति/पत्नी और परिवार को पुनः प्राप्ति में आगे बढ़ने के लिए परिश्रमपूर्वक प्रयास करने देना चाहिए जबकि सक्रिय रूप से पुनःप्राप्ति में सेवक को संलग्न करने या फिर से संलग्न करने की कोशिश की जानी चाहिए। पुनःप्राप्ति के प्रयासों की समीक्षा करने और सेवक के पति/पत्नी और परिवार को ध्यान में रखते हुए प्रांतीय अधीक्षक, इसके पुनःप्राप्ति के प्रयासों को निलंबित कर सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है या अन्यथा पुनः निर्देशित कर सकता है।

यदि किसी स्थिति में प्रांत पुनः प्राप्ति दल को नियुक्त नहीं करता है या यदि नियुक्त दल, जब से सेवक को अनुशासन के अधीन रखा गया था उस तारीख से 180 दिनों के भीतर अपने जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहता है तो सेवक अनुशासन के अधीन प्रमुख अधीक्षक मंडल को अपने पुन प्रयासों को सुगम बनाने की जिम्मेदारी के लिए और यदि कुछ है तो आगामी प्रतिवेदन में कार्यवाही के लिए, अन्य प्रांत में अपने स्थानांतरण की याचिका दायर कर सकता है ताकि याजकीय समूह के सदस्य के अधिकारों, विशेषाधिकारों की पुनः प्राप्ति कर सके और अच्छी स्थिति की बहाली कर सके। यह विकल्प सेवक के पास भी उपलब्ध है, सवाल यह है कि क्या कोई प्रांत अच्छी स्थिति में बहाली के लिए अपने आवेदन का जवाब देने में विफल हो सकता है (540–540.2, 540,4,540.12)।

540.4. याजकीय समूह का सदस्य जो अच्छी स्थिति में नहीं है वह ट्रस्ट में किसी पद को या कलीसिया में अधिकार को या आराधना में किसी पद को

प्राप्त नहीं करेगा जैसेः प्रचार, आराधना की अगुवाई, रविवारीय विद्यालय मे कक्षा को पढ़ाना, बाइबिल अध्ययन या छोटे समूह की अगुवाई करना, सेवक केवल इन भूमिकाओं में सेवा कर सकता है या सेवक को सौंपी गई प्रांतीय–नियुक्ति वसूली दल की अनुकूल सिफारिश पर प्रांतीय सलाहकार, मंडल प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल, प्रांतीय अधीक्षक और अधिकार क्षेत्र के प्रांतीय अधीक्षक की सहमति से एक सेवक की भूमिका निभा सकते हैं। एक अनुकूल सिफारिश इस समर्पण को इंगित करती है कि व्यक्ति और उसके पति/पत्नी और परिवार ने पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति कर ली है कि वह व्यक्ति एक बार फिर से पद और अधिकारियों के पद में सेवकाई कर सकता है। ट्रस्ट या प्राधिकारण की स्थिति में सेवा करने की अनुमति प्रतिबंधों के साथ या बिना दी जा सकती है और पुनः प्राप्ति दल के परामर्श से प्रांतीय अधीक्षक द्वारा वापस ली जा सकती है (606.1–606.2,606.5,606.11–606.12)।

540.5. अनुच्छेद 540.6 में दिए गए अनुसार अच्छी स्थिति की बहाली के लिए अनुशासन के तहत एक सेवक द्वारा आवेदन करने पर पुनः प्राप्ति दल, प्रांतीय अधीक्षक और उपयुक्त प्रांतीय मंडल या नियुक्त समिति को सिफारिश कर सकती है कि आवेदन अनुच्छेद 540.8 के अनुसार माना जाए या सेवक पुनःप्राप्ति की प्रक्रिया में जारी रहता है।

पुनःप्राप्ति दल की स्थिति में इसके प्रयास समाप्त हो गए हैं और अनुशासन के तहत सेवक अच्छी स्थिति में बहाली के लिए तब तक आवेदन नहीं करता है, जब तक मंत्री अनुशासन में रहेगा 1) नाज़रीन कलीसिया की सदस्यता और सेवकाई से सेवक को निष्कासित करना या 2) सेवक को अपने प्रमाण पत्र को त्यागने और कलीसिया के एक याजकीय सदस्य बनने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए। एक सेवक द्वारा प्रमाण पत्र की स्थिति में जो अनुशासन के अधीन रहा है और जहाँ पर्याप्त और निरंतर रूप से पुनःप्राप्ति के प्रमाण है तो इस प्रकार की प्रगति को उचित रूप से पहचानने और सराहना करने के लिए ध्यान देना चाहिए (539.5, 540.10)।

540.6. अच्छी स्थिति में बहाली के लिए आवेदन – याजकीय सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों से कार्यमुक्त होने वाले सेवक अच्छी स्थिति में बहाली और अनुच्छेद 540.7 की योग्य आवश्यकताओं के

अनुसार अपने प्रमाण पत्र की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह के आवेदन को प्रांतीय सभा की अगली निर्धारित बैठक से कम से कम छह महीने प्रांतीय अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रांतीय अनुमोदित योजना का पालन करना चाहिए। प्रांतीय अधीक्षक 30 दिनों के भीतर आवेदन की प्राप्ति को स्वीकार करेगा।

540.7. एक सेवक अच्छी स्थिति में बहाली के लिए आवेदन कर सकता है और उसके प्रमाण पत्र की वापसी पुनः प्राप्ति दल को ऐसे आवेदन के लिए अनुकूल समर्थन प्रदान करता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सेवक ने अपनी देखरेख में एक पुनःप्राप्ति प्रक्रिया में कम से कम दो साल तक सक्रिय रूप से भाग लिया है। एक सेवक जिसने अपने निर्णयानुसार इस तरह की पुनःप्राप्ति प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगातार कम से कम चार साल तक भाग लेने का प्रयास किया है वह अच्छी स्थिति में बहाली के लिए अनुकूल समर्थन के साथ या उसके बिना, आवेदन कर सकता है।

जब अनुशासन के तहत एक सेवक ने पुनःप्राप्ति दल में शुरू से भागीदारी की है तो अच्छी स्थिति में बहाली के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक न्यूनतम समय, पुनःप्राप्ति दल के साथ सेवक की पहली अधिकारिक बैठक के पूर्व शुरू होगा या तिथि के 60 दिन बाद पुनः प्राप्ति दल सेवक को सौंपा गया था। ऐसी स्थिति में जहाँ सेवक पुनःप्राप्ति की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को स्थगित या बाधित करता है तो पुनःप्राप्ति

दल के परामर्श से प्रांतीय अधीक्षक यह निर्धारित करेगा कि अच्छी स्थिति में बहाली के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम समय की आवश्यकता है या नहीं (538, 540.3)।

540.8. अच्छी स्थिति में बहाली के लिए एक आवेदन की प्रतिक्रिया – प्रांतीय सेवकाई प्रमाण–पत्र मंडल या प्रांतीय सेवकाई मंडल या प्रांतीय अधीक्षक द्वारा नियुक्त की गई एक समिति, प्रांतीय अधीक्षक द्वारा प्राप्त अच्छी स्थिति में बहाली के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करेगी औरः

1. सत्यापित करें कि आवेदन वैध है और इसने प्रस्तुत करने की सभी शर्तों को पूरा किया है;
2. पुनःप्राप्ति के सिफारिश का निवेदन और मूल्यांकन;

3. अच्छी स्थिति के लिए बहाली की मांग करने वाले सेवकों का साक्षात्कार लेना और कोई अन्य व्यक्ति जो साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है।
4. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सेवक को बहाल करने के लिए व प्रमाण पत्र को वापस लौटाने के लिए याजकीय सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों की सिफारिश की जाए।

यदि अगली निर्धारित प्रांतीय सभा के अग्रिम में कम से कम 180 दिनों में एक आवेदन को प्रस्तुत किया गया है तो आवेदन पर विचार पूरा हो जाएगा और उसे प्रांतीय सभा से पहले प्रांतीय अधीक्षक को सिफारिश की जाएगी। याजकीय सदस्य के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को बहाल करने के लिए सिफारिश जिसके प्रमाण पत्र को यौन दुराचार के कारण आत्मसमर्पण कर दिया गया था, ऐसी सिफारिश को प्रांतीय सलाहकार मंडल के दो–तिहाई अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस सिफारिश को प्रांतीय अच्छी स्थिति की बहाली अधीक्षक मंडल को सेवक की अच्छी स्थिति की बहाली के लिए दिए गए हाल ही के आवेदन के एक वर्ष के अंदर सौंपनी हैं। इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट किसी भी समय सीमा के अपवादों को अधिकार क्षेत्र के प्रांतीय अधीक्षक की पूर्व लिखित स्वीकृति होनी चाहिए (540.2, 540.3, 40. 6, 540.7, 540.12)।

540.9. नाबालिगों के साथ यौन दुराचार के व्यक्तिगत दोषी की याजकीय सदस्य के रूप में अच्छी स्थिति में बहाल नहीं किया जाना चाहिए और कोई भी सेवकाई के प्रमाण पत्र को रखने नहीं दिया जाना चाहिए और किसी भी पद में जिम्मेदारी की सेवकाई या नाबालिगों की सेवकाई और स्थानीय कलीसिया में किसी भी अगुवाई की भूमिका के लिए न तो चुना जाना चाहिए और न ही नियुक्त किया जाना चाहिए। एक नाबालिग को 10 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जब तक कि किसी राज्य या देश के घरेलू कानून के तहत बहुमत की आयु प्राप्त नहीं होती है (129.30, 60, 606.1, 606.2, 606.5, 606.11, 606.12, 916)।

540.10. प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल या उसी की समिति अच्छी स्थिति में बहाली के लिए दिए गए एक आवेदन को समय सीमा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकती है और प्रांतीय अधीक्षक और उचित प्रांतीय मंडल निम्नलिखित में से किसी एक की सिफारिश कर सकता है;

1. कि सेवक को अच्छी स्थिति में बहाल किया जाएगा और उसके प्रमाण पत्र को वापिस दिया जाए।
2. अच्छी स्थिति में बहाली के लिए पुनः आवेदन करने से पहले सेवक एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पुनःप्राप्ति प्रक्रिया में जारी रहता है;
3. पुनःप्राप्ति अवधि को बढ़ाया जाए और पुनः प्राप्ति योजना को संशोधित किया जाए (जैसे सेवकाई में फिर से वचनबद्धता की निगरानी, एक नई पुनःप्राप्ति दल को नियुक्त करना या व्यक्तिगत, वैवाहिक या पारिवारिक चिंताओं को संबोधित करना);
4. सेवक लगातार अनुशासन के अधीन रहे।
5. सेवक को अच्छी स्थिति में बहाल नहीं किया जाएगा लेकिन पुनःप्राप्ति के प्रमाण को उचित रूप से स्वीकार और ध्यान रखा जाएगा और सेवक को उसके प्रमाण पत्र को त्यागने की अनुमति दी जाएगी।
6. नाज़रीन कलीसिया की सेवकाई और सदस्यता से सेवक को निष्कासित किया जाएगा (539.5, 540.7, 540.12)।

540.11. अनुशासन के तहत एक सेवक द्वारा बहाली के लिए दिए गए दो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा पुनः प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी को हस्तांतरित करने ओर किसी अन्य प्रांत में जहाँ सेवक के आवेदन पर विचार किया जा सकता है, वहाँ सेवक की अच्छी स्थिति में बहाली संभव हो सकती है। यदि अच्छी स्थिति की बहाली और याजकीय समूह के सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों की पुनः प्राप्ति के लिए तीसरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो सेवक प्रांतीय सलाहकार मंडल के अनुमोदन पर अयाजकीय सदस्य बन सकता है (538:13, 539:6)।

540.12. याजकीय समूह के सदस्य होने के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों की बहाली।

याजकीय समूह का एक सदस्य जो अच्छी स्थिति खो चुका है और जिसने की पुनःप्राप्ति के लिए आवेदन दिया है जिसके परिणामस्वरूप याजकीय समूह के सदस्य के अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व को बहाल करने की अनुशंसा की गई है तो उसे अच्छी स्थिति में बहाल किया जा सकता है और उसके प्रमाण–पत्र को निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा लौटाया जा सकता है।

1. प्रांतीय अधीक्षक के अनुमोदन पर;
2. प्रांतीय सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल के अनुमोदन पर;
3. प्रांतीय सलाहकार मंडल को दो–तिहाई अनुमोदन पर;
4. प्रमुख अधीक्षक मंडल के अनुमोदन पर; और
5. प्रांतीय सभा के अनुमोदन पर जहाँ अच्छी स्थिति गवाँ दी गई थी (606:1; 606:5; 606:5; 606:11; 606:12)।

भाग 7

न्यायिक प्रशासन

संभावित गलत आचरण और कलीसिया अनुशासन की जाँच
संभावित दुराचार की प्रतिक्रिया
किसी व्यक्ति द्वारा विश्वास या अधिकार के पद में दुराचार की प्रतिक्रिया
एक अयाजकीय सदस्य का अनुशासन संघर्ष
याजकीय समूह के सदस्य का अनुशासन संघर्ष
प्रक्रिया के नियम
प्रांतीय अपील न्यायालय
प्रमुख अपील न्यायालय
विभागीय अपील न्यायालय अधिकारों की जिम्मेदारी

1. संभावित गलत आचरण और कलीसिया अनुशासन की जाँच

600. कलीसिया के अनुशासन का उद्देश्य कलीसिया की अखंडता को बनाए रखना, निर्दोषों को हानि से बचाना, कलीसिया के गवाह की प्रभावशीलता की रक्षा करना, लापरवाह को चेतावनी देना और उसे ठीक करना, उद्धार के लिए दोषियों को लाना, दोषियों का पुनर्वास करना, जो पुनर्वासित है उनके लिए प्रभावशाली सेवकाई को बहाल करना और कलीसिया की प्रतिष्ठा और संसाधनों की रक्षा करना। कलीसिया के सदस्य जो मसीही चरित्र की वाचा का या मसीही आचरण की वाचा का या जो अपनी सदस्यता की प्रतिज्ञा का जानबूझकर निरंतर उल्लंघन करते हैं उन्हें उनके अपराधों की शिकायत के अनुसार ईमानदारी से निपटा लेना चाहिए। हृदय और जीवन की पवित्रता नए नियम के मानक के रूप में नाजरीन कलीसिया एक स्पष्ट सेवकाई पर जोर देता है और जो याजकीय सदस्य के रूप में इसके प्रमाण पत्र को रखते हैं वे सिद्धांत में कट्टरपंथी और जीवन में पवित्र हैं। इस प्रकार अनुशासन का उद्देश्य दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक नहीं है बल्कि इन उद्देश्यों को पूरा करना है। कलीसिया के लिए स्थायी और निरंतर संबंध का निर्धारण भी अनुशासनात्मक प्रक्रिया का एक कार्य है।

2. संभावित दुराचार की प्रक्रिया

601. प्रतिक्रिया करने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति किसी भी समय उचित प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है यदि उसे विवेकी व्यक्ति विश्वसनीय लगे। साथ ही साथ ऐसी सूचना जो एक विवेकी व्यक्ति को यह विश्वास करने पर मजबूर करे कि कलीसिया दुराचार के संभावित पीडितों या किसी अन्य व्यक्ति को कलीसिया के भीतर, किसी ऐसे व्यक्ति के दुराचार के द्वारा जो विश्वास के पद या अधिकार में है, नुकसान पहुँच सकता है। उसके लिए भी ऐसी प्रतिक्रिया उचित है।

601.1. जब किसी व्यक्ति को कलीसिया के लिए प्रतिक्रिया करने का अधिकार नहीं होता है तो वह उस सूचना के विषय में जागरूक हो जाता है जिसे विवेकशील व्यक्ति विश्वसनीय मानता है और जिसके कारण एक

विवेकशील व्यक्ति यह विश्वास करेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा जो विश्वास या अधिकार के पद पर है गलत आचरण हो सकता हैं जानकारी रखने वाला व्यक्ति उसे कलीसिया का प्रतिनिधि बनाएगा जिसके सूचना के प्रतिक्रिया देने का अधिकार हैं

601.2. जिस व्यक्ति के पास प्रतिक्रिया करने का अधिकार है उसे व्यक्ति या व्यक्तियों के कलीसिया के भीतर पद द्वारा निर्धारित किया जाता है जो निम्मानुसार दुराचार में शामिल हो सकते हैं।

व्यक्ति को अपराध में फँसाना

  प्रतिक्रिया देने का अधिकार वाला व्यक्ति

गैर–सदस्य

  स्थानीय कलीसिया का पादरी जहाँ आचरण पर प्रश्न होता हैं

अयाजकीय सदस्य

  कलीसिया का पादरी जहाँ अयाजकीय सदस्य एक सदस्य होता है।

प्रांतीय याजकीय समूह के सदस्य

  अधीक्षक (प्रांतीय सलाहकार मंडल के साथ संयोजन के रूप में) जहाँ व्यक्ति अपराध में फँसता है वह एक सदस्य है या स्थानीय कलीसिया का पादरी जहाँ व्यक्ति कर्मचारियों में से होता हैं

प्रांतीय अधीक्षक

  अधिकार क्षेत्र में प्रमुख अधीक्षक

क्षेत्रीय रणनीति संयोजक

  अधिकार क्षेत्र में प्रमुख अधीक्षक

गैर अन्यथा परिभाषित

  प्रमुख सचिव

प्रतिक्रिया करने के अधिकार वाल व्यक्ति को भी समय–समय पर संबंधित व्यक्तियों को प्रांतीय, क्षेत्रीय, विभागीय और वैश्विक आयामों पर आरोपों के विषय में सूचित करना चाहिए। प्रतिक्रिया देने के अधिकार वाले व्यक्ति किसी भी तथ्य खोज या प्रतिक्रिया में दूसरों की मदद को शामिल कर सकते हैं।

601.3. यदि कोई आरोप नहीं लगाया गया है, तो जाँच का उद्देश्य यह निर्धारित करना होगा कि नुकसान को रोकने के लिए या नुकसान के प्रभाव को कम करने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं। ऐसी परिस्थितियों

में जब कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति यह विश्वास करेगा कि नुकसान को रोकने या नुकसान के प्रभाव को कम करने के लिए आगे की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, तब तक कोई जाँच जारी नहीं होगा जब तक कि कोई आरोप दायर नहीं किया गया हो। जाँच के दौरान ज्ञात गए तथ्य एक आरोप का आधार बन सकते हैं।

3. किसी व्यक्ति द्वारा विश्वास या अधिकार के पद में दुराचार की प्रतिक्रिया।

602. जब कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकृत होता है, जो ऐसे तथ्यों को ज्ञात कर लेता है, जो यह संकेत देते हैं कि निर्दोष पक्षों को किसी व्यक्ति के विश्वास या अधिकार के पद के व्यक्ति द्वारा दुराचार से नुकसान पहुँचा है तो कलीसिया को उचित जवाब देने के लिए कार्यवाही करनी होगी। एक उचित प्रतिक्रिया दुराचार के शिकार लोगों के किसी भी अतिरिक्त नुकसान को रोकने का प्रयास करेगी और पीड़ित, अभियुक्त और अन्य जो दुराचार के परिणामस्वरूप पीड़ित हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगी। विशेष चिंता आरोपियों के जीवनसाथी और परिवार की जरूरतों के लिए दिखाई जानी चाहिए। प्रतिक्रिया में स्थानीय कलीसिया, प्रांतीय और प्रमुख कलीसिया की जरूरतों, जनसंपर्क के विषय में कलीसिया की अखंडता की सुरक्षा और दायित्व से सुरक्षा की मांग की जाएगी। जो लोग कलीसिया के लिए प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि वे जो कहते हैं वह सिविल कानून के तहत होना चाहिए।

जवाब देने के लिए कलीसिया का कर्तव्य मसीही विषय पर आधारित हैं। किसी के पास कलीसिया मंडल द्वारा कार्यवाही के बिना एक स्थानीय कलीसिया के लिए वित्तिय उत्तरदायित्व स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। जो इस बारे में अनिश्चित है कि कौन सा कार्य उचित है उसे उचित अनुभवी से सलाह लेने पर विचार करना चाहिए।

602.1. प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में, उठे हुए संकट की प्रतिक्रिया को कलीसिया मंडल द्वारा जवाब देना उचित है। हालाँकि मंडल की बैठक होने

से पहले इसका जवाब देना आवश्यक हो सकता है। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया के लिए यह ज्ञानपूर्ण है कि वह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को रखें।

602.2. प्रत्येक प्रांत पर संकट का जवाब देने की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रांतीय सलाहकार मंडल पर होती है। हालाँकि मंडल की बैठक होने से पहले इसका जवाब देना आवश्यक हो सकता है। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया के लिए यह ज्ञानपूर्ण है कि वह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को रखें। इस योजना में प्रांतीय सलाहकार मंडल द्वारा नियुक्ति दल को शामिल किया जा सकता है, जिसमें विशेष योग्यता वाले लोग जैसे सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता जो संचार में प्रशिक्षित और उचित कानून से परिचित हैं।

603. कलीसिया में संघर्ष का समाधान और सामंजस्य– असहमति जीवन का एक हिस्सा है, यहाँ तक की कलीसिया में भी। हालाँकि जब यह मतभेद एक संघर्ष बन जाता है, जो कलीसियों को विभाजित करता है या कलीसिया की सहभागिता को बाधित करता है तो विचार–विमर्श की अनौपचारिक प्रक्रिया को संकल्प की किसी भी औपचारिक प्रक्रिया से पहले होना चाहिए। चाहे प्रक्रिया औपचारिक हो या अनौपचारिक, लक्ष्य केवल समाधान और सामंजस्य होना चाहिए।

603.1. अनौपचारिक प्रक्रिया – जब कलीसिया में संघर्ष पैदा होता है तो सभी लोगों के साथ शांति से रहने की इच्छा के साथ विचार–विमर्श और परामर्श की अवधि मांगी जानी जाहिए। इसमें शामिल सभी पक्षों को इस बात को प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख सौंपने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वास्तव में पूरी प्रक्रिया को प्रार्थना में रखा जाना चाहिए। संघर्ष में व्यक्तियों को सामंजस्य की आशा के साथ विनम्रता में एक दूसरे से संपर्क करना चाहिए।

603.2. औपचारिक प्रक्रिया – यदि यह प्रक्रिया असफल हो जाती है तो व्यक्ति सुलह की औपचारिक प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय ले सकता है। कलीसिया में परिपक्व और निष्पक्ष व्यक्तियों के प्रतिनिधि समूह के साथ मामले को मध्यस्थ किया जाना चाहिए। यदि दोष निर्धारित किया जाता है तो यह समूह, अनुच्छेद 604 में वर्णित उचित कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है।

604. समझौते द्वारा अनुशासनात्मक मामलों का समाधान – इस विवरणिका में वर्णित अनुशासनात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य अभियुक्तों द्वारा आरोप लगाए जाने पर दुराचार के आरोपों को हल करने के लिए एक उचित प्रक्रिया प्रदान करना है। कई स्थितियों में समझौतें द्वारा अनुशासनात्मक मामलों को हल करना उचित है। समझौते द्वारा अनुशासनात्मक मामलों को हल करने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और व्यवहारिक रूप में अपनाया जाना चाहिए।

604.1. कोई भी मामला जो स्थानीय अनुशासन मंडल के अधिकार क्षेत्र में है उसे आरोपी व्यक्ति और पादरी के बीच लिखित समझौते द्वारा हल किया जा सकता है यदि वह उसे कलीसिया मंडल और प्रांतीय अधीक्षक द्वारा अनुमोदित हो इस तरह के समझौते की शर्तो का प्रभाव स्थानीय अनुशासन मंडल के समान ही होगा।

604.2. प्रांतीय अनुशासन मंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले का समाधान आरोपी व्यक्ति और प्रांतीय अधिक्षक के बीच एक लिखित समझौते द्वारा किया जा सकता है यदि समझौता अधिकार क्षेत्र के प्रांतीय सलाहकार मंडल और प्रमुख अधीक्षक द्वारा, अनुमोदित हो। इस तरह के समझौते की शर्तों का प्रभाव प्रांतीय अनुशासन मंडल के समान ही होगा।

4. एक अयाजकीय सदस्य का अनुशासन संघर्ष

यदि एक अयाजकीय सदस्य पर अभद्र आचरण का आरोप लगाया जाता है तो ऐसे आरोपों को लिखित रूप में रखा जाएगा और दो ऐसे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो कम से कम छह महीने तक वफादार उपस्थिति में रहे है। पादरी प्रांतीय अधीक्षक की मंजूरी के अधीन स्थानीय कलीसिया के तीन सदस्यों की एक जाँच समिति नियुक्त करेगा। यह समिति अपने जाँच की एक लिखित रिपोर्ट बनाएगी। इस रिपोर्ट को बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। स्थानीय कलीसिया में अच्छी स्थिति में किसी भी दो सदस्यों की जाँच और खोज के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और कलीसिया मंडल में दायर कर सकते हैं। तत्पश्चात कलीसिया मंडल प्रांतीय अधीक्षक के अनुमोदन के अधीन पांच सदस्यों के अनुशासन का एक स्थानीय मंडल अनुशासन नियुक्त करेगा जो निष्पक्ष और

बिना भेदभावपूर्ण तरीके से मामले की सुनवाई और निपटान करने में समर्थ हैं। यदि प्रांतीय अधीक्षक की राय में कलीसिया के आकार के कारण, आरोपों की प्रकृति या अभियुक्तों के प्रभाव की स्थिति में स्थानीय कलीसिया से पाँच सदस्यों का चयन करना अव्यवहारिक है तो प्रांतीय अधीक्षक पादरी के सलाह के बाद समान प्रांत के अन्य कलीसियाओं से पाँच अयाजकीय सदस्यों को अनुशासन मंडल के लिए नियुक्त करेंगे। यह मंडल जहाँ तक संभव हो उतनी शीघ्रता से सुनवाई करेगा और उसमें शामिल मुद्दों का निर्धारण करेगा। गवाहों की गवाही सुनने और सबूतों पर विचार करने के बाद, अनुशासन मंडल या तो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेगा या फिर अनुशासन का प्रबंध करेगा क्योंकि तथ्य उचित होंगे। निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। अनुशासन द्वारा स्थानीय कलीसिया में सदस्यता से फटकार, निलंबन या निष्कासन का रूप ले सकता है (516:08)।

605.1. स्थानीय अनुशासन मंडल के निर्णय से एक अपीली, अपीलकर्ता या कलीसिया मंडल द्वारा 30 दिनों के भीतर प्रांतीय अपील न्यायालय में ले जा सकती है।

605.2. जब एक अयाजकीय सदस्य को अनुशासन के एक स्थानीय मंडल द्वारा स्थानीय कलीसिया में सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया हो, तो वह उसी प्रांत के नाज़रीन कलीसिया के साथ प्रांतीय सलाहकार मंडल की मंजूरी के साथ फिर से मिल सकता है। यदि ऐसी सहमति दी जाती है, तो उसे कलीसिया के सदस्यों की स्वीकृति के लिए अनुमोदित फॉर्म का उपयोग करके उसे स्थानीय कलीसिया की सदस्यता प्राप्त हो जाएगी (21,20,33,112:1,112,4,704).

605.3. नेतृत्व की भूमिकाओं कों सेवारत अयाजकीय सदस्य एक उच्च स्तर के लिये आयोजित किये जाते हैं। जब दुराचार होता है, तो प्रभाव अक्सर बहुत गंभीर होता है। नाबालिगों के साथ यौन दुराचार के एक दोषी को नाबालिगों के साथ या सेवकाई के लिए जिम्मेदारी की किसी भी पद में सेवा करने या स्थानीय कलीसिया में किसी भी नेतृत्व (अगुवे) की भूमिका के लिए निर्वाचित या नियुक्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक नाबालिग को 10 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जब

तब कि किसी राज्य या देश के घरेलू कानून के तहत बहुमत की आयु प्राप्त नहीं होती है (503:1)।

5. एक याजकीय समूह के सदस्य का अनुशासन संघर्ष

606. नाजरीन कलीसिया की निरंतरता और प्रभावशीलता काफी हद तक आध्यात्मिक योग्यता, चरित्र और याजकीय सदस्यों के जीवन के तरीके पर निर्भर करती है। याजकीय समूह के सदस्यों की आकांक्षा एक उच्च बुलाहट और कार्य अभिषिक्त व्यक्तियों के रूप में जिन्हें कलीसिया के विश्वास (भरोसे) रखा गया है। वे यह कहते हुए उनके बुलाहट को स्वीकार करते हैं कि वे उच्च मानकों पर खरे उतरेंगे जिनके लिए वे सेवक है। क्योंकि उन पर याजकीय समूह के सदस्यों और उनके सेवकाई की उच्च अपेक्षाओं के कारण दुराचार के किसी भी आरोप की प्रबल संभावना है। इसलिए बाइबल के ज्ञान और परिपक्वता के साथ निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए सदस्यों पर निर्भर है जो परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है।

606.1. यदि याजकीय समूह के एक सदस्य पर आरोप लगाया जाता है कि वह किसी सेवक को या नाज़रीन कलीसिया के सिद्धांत के कथन के साथ सद्भाव से बाहर शिक्षण सिखाता है तो ऐसे आरोपों को लिखित रूप में रखा जाएगा और कलीसिया के कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाऐंगे, जो उस समय अच्छी स्थिति में थे। यौन दुराचार के आरोपों को किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकता है जिसने कथित दुराचार में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। लिखित आरोप प्रांतीय अधीक्षक के पास दायर किया जाना चाहिए, जो इसे उस प्रांत के प्रांतीय सलाहकार मंडल में प्रस्तुत करेगा जो आरोपी की मंत्रीस्तरीय सदस्यता है। यह आरोप रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा।

प्रांतीय सलाहकार मंडल अभियुक्तों को लिखित सूचना देगा कि आरोपों को दायर कर दिया है, शीघ्रता से किसी भी व्यावहारिक विधि द्वारा जो वास्तविक सूचना देता है। जब वास्तविक सूचना (नोटिस) व्यावहरिक नहीं होता है, तो सूचना उस तरीके से प्रदान किया जा सकता है जो उस इलाके

में कानूनी सूचनाओं को देने के लिए किया जाता है। आरोपी और उसके वकील के पास आरोपों की जाँच करने और अनुरोध पर तुरंत उसी की लिखित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा (540:4; 540:9; 540:12).

606.2. याजकीय समूह के एक सदस्य के खिलाफ आरोप पर एक व्यक्ति के हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण का गठन करता है कि हस्ताक्षरकर्ता के सही ज्ञान, जानकारी और विश्वास के उचित जाँच के बाद ही आरोप वास्तव में सही तथ्यों के आधार पर लगाया गया है (540:4; 540:12)।

606.3. जब प्रांतीय अधीक्षक के पास लिखित आरोप दायर किया जाता है और उसे प्रांतीय सलाहकार मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तब प्रांतीय सलाहकार मंडल तीन या अधिक (न की दो से कम) अयाजकीय सदस्यों की नियुक्ति करेगा क्योंकि प्रांतीय सलाहकार मंडल शामिल तथ्यों और परिस्थितियों की जाँच को उचित समझते और खोजे गए तथ्यों को लिखित में दायर करे जिसमें समिति के बहुमत द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो। यदि समिति की रिपोर्ट में विचार करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपों के लिए संभावित आधार हैं, तो ऐसे आरोपों को किसी भी दो नियुक्त दीक्षित सेवकों द्वारा लेखाबद्ध और हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रांतीय सलाहकार मंडल वास्तविक सूचना देने की किसी भी विधि द्वारा आरोपी को सूचना देगा। जब वास्तविक नोटिस (सूचना) व्यावहारिक नहीं होता है तो सूचना उस तरीके से प्रदान किया जा सकता है जो उस इलाके में कानूनी सूचना देने के लिए किया जाता है। अभियुक्त और उसके वकील को आरोपों और विनिर्देशों की जाँच करने और अनुरोध पर तुरंत एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा। किसी भी आरोपी को उन आरोपों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी जिनके विषय में उसे सूचना न दी गई हो (225:3)।

606.4. अगर जाँच के बाद यह प्रतीत होता है कि याजकीय सदस्य के खिलाफ आरोप बिना तथ्यात्मक आधार पर लगाया गया है जो बुरे विश्वास से पूरित है तो लगाए गए आरोप उन लोगों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आधार हो सकता है, जिन्होंने आरोप पर हस्ताक्षर किए हैं।

606.5. यदि मामले में आरोप दायर किए गये हैं तो प्रांतीय सलाहकार मंडल पाँच नियुक्त दीक्षित सेवकों और दो से कम अयाजकीय सदस्यों को नियुक्त

नहीं करेगा क्योंकि यह मामले की सुनवाई और मुद्दों को निर्धारित करने के लिए प्रांत के लिए उचित है। इन व्यक्तियों को प्रांतीय अनुशासन मंडल नाम दिया गया है जो कलीसिया के नियमों के अनुसार मामले की सुनवाई और निपटान करने के लिए होगी। कोई भी प्रांतीय अधीक्षक, एक दीक्षित सेवक या लाइसेंस प्राप्त सेवक की सुनवाई में अभियोक्ता के रूप में या अभियोक्ता के सहायक के रूप में काम नहीं करेगा। अनुशासन मंडल के पास आरोपों के संबंध में अभियुक्तों को दोषी ठहराने या उन्हें अपराध करने के लिए अनुशासित करने और उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार होगा। इस तरह के अनुशासन से दोषी पार्टी के उद्धार और पुनर्वास का नेतृत्व करने के इरादे से अनुशासन प्रदान किया जा सकता है। अनुशासन में पश्चाताप, स्वीकारोक्ति, बहाली, निलंबन, प्रमाण पत्र बर्खास्त करने की सिफारिश, और कलीसिया की सेवकाई और सदस्यता से निष्कासन या दोनों सार्वजनिक या निजी फटकार या कोई अन्य अनुशासन शामिल हो सकता है जो निलंबन के दौरान उचित हो या परीक्षा की अवधि में अनुशासन की अवहेलना शामिल हो। (225.4, 540.4, 540.12, 606.11, 606.12)

606.6. यदि अभियुक्त या प्रांतीय सलाहकार मंडल अधिक अनुरोध करेगा तो अनुशासन मंडल, विभागीय अनुशासन मंडल होगा। प्रत्येक मामले के लिए विभागीय मंडल को उस प्रांत के प्रमुख अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा जहाँ आरोपी सेवक अपनी सदस्यता रखता हो।

606.7. यह प्रदान किया जाता है कि किसी भी मामले में एक मिशनरी के खिलाफ चरण 1 प्रांत द्वारा अनुशानात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

606.8. अनुशासन मंडल के निर्णय को सभी सदस्यों द्वारा एकमत, लिखित और हस्तांतरित किया जाएगा और इसमें प्रत्येक आरोप और विनिर्देश के अनुसार 'दोषी' या "दोषी नहीं" की परख की जाएगी।

606.9. इसके लिए प्रदान किए गए अनुशासन मंडल द्वारा किसी भी सुनवाई को हमेशा उस प्रांत की सीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए जहाँ मंडल द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर आरोप लगाए गए है जहाँ आरोपों की सुनवाई होनी है।

606.10. किसी भी सुनवाई की प्रक्रिया उसके बाद प्रदान की गई प्रक्रिया के नियम के आधार पर होगी। (225.3–225.4, 532.9, 538.13, 609)

606.11. जब एक सेवक पर किसी सेवक को गलत आचरण का आरोप लगाया जाता है तो वह अपने आरोप को स्वीकार करेगा या आरोप लगाए बिना अपराध को कबूल करेगा तो प्रांतीय सलाहकार मंडल अनुच्छेद 606.5 में दिए गए किसी भी अनुशासन का आंकलन कर सकता है। (540.4, 540.12)

606.12. जब किसी सेवक पर किसी सेवक को अनुचित आचरण करने का आरेप लगता है और वह अपना आरोप स्वीकार करता है या अनुशासन मंडल के सामने लाने से पहले अपना अपराध स्वीकार करता है वो प्रांतीय सलाहकार मंडल अनुच्छेद 606.5 में दिए गए किसी भी अनुशासन का आँकलन कर सकता है। (540.4, 540.12)

607. अनुशासन मंडल के फैसले का अनुसरण करते हुए अभियुक्त, प्रांतीय सलाहकार मंडल या वे जिन्होंने आरोपों पर हस्ताक्षर किए हैं वे विभागीय अपील न्यायालय में अपील करने के हकदार हैं। इस तरह के निर्णय के बाद 30 दिनों के भीतर अपील शुरू की जाएगी और न्यायालय मामले के पूरे रिकार्ड और उसमें उठाए गए सभी कदमों की समीक्षा करेगी। अगर न्यायालय किसी भी व्यक्ति के अधिकार के लिए किसी भी पर्याप्त त्रुटि का पता लगाती है, तो वह पिछली कार्यवाही या निर्णय से प्रभावित उस व्यक्ति को राहत देने में सक्षम तरीके से एक नई सुनवाई का आदेश देकर इस तरह की त्रुटि को ठीक करेगी।

608. जब अनुशासन मंडल का निर्णय आरोपी सेवक के प्रति होता है और निर्णय सेवकाई से निलंबित करने या प्रमाण–पत्र को रद्द करने का प्रावधान करता है तो सेवक तुरंत सभी सेवकाई स्तरीय गतिविधियों को निलंबित कर देगा और ऐसा करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप वह अपील करने के अधिकार का हनन करेगा।

608.1. जब अनुशासन मंडल का निर्णय प्रमाण–पत्र के निलंबन या रद्द करने के लिए प्रावधान करता है और आरोपी सेवक अपील करने की इच्छा रखता है तो वह न्यायालय के सचिव के पास अपील दायर करेगा जिसमें अपील की गई है, उस मसय अपील करने का नोटिस दायर होगा। एक सेवक

के रूप में लिखित प्रमाण–पत्र और अपील के उनके अधिकार इस प्रावधान के अनुकूलित अनुपालन होंगे। जब इस तरह का प्रमाण–पत्र दायर किया जाता है तो इसे उक्त सचिव द्वारा सुरक्षित रूप से रखा जाएगा, जब तक कि मामले का समापन न हो जाए और इसे प्रमुख सचिव के पास भेज दिया या सेवक को लौटा दिया जाए क्योंकि ऐसा करने का निर्देश न्यायालय दे सकता है।

608.2. एक विभागीय अपील न्यायालय के फैसलों से अभियुक्त या अनुशासन मंडल द्वारा अपील की प्रमुख न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस तरह की अपीलें समान नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा की जाएंगी जैसे कि प्रमुख अपील न्यायालय में की जाती है।

6 प्रक्रिया नियम

609. प्रमुख अपील न्यायालय अनुशासन और अपील के न्यायालयों के समक्ष सभी कार्यवाहियों को संचालित करने वाली प्रक्रिया के समान नियमों को अपनाएगी। इस तरह के नियम अपमान और प्रकाशित होने के बाद वे सभी न्यायिक कार्यवाहियों में अंतिम अधिकारी होंगे। प्रक्रिया के मुद्रित नियमों की आपूर्ति महासचिव द्वारा की जाएगी। इस तरह के नियमों के लिए शुल्क या संशोधन प्रमुख अपील न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता है और जब इन्हें अपनाया जाता है, और प्रकाशित किया जाता हैं तो वे सभी मामलों में प्रभावी और आधिकारिक होंगे। इसके बाद किसी भी कार्यवाही में उठाए जाने वाले कदम ऐसे परिवर्तन या संशोधन के अनुसार होंगे। (606.1)

7. प्रांतीय अपील न्यायालय

610. प्रत्येक संगठित प्रांत में दो अयाजकीय सदस्य और तीन नियुक्त दीक्षित सेवकों से मिलकर, जिसमें प्रमुख अधीक्षक भी शामिल हैं, एक प्रांतीय अपील न्यायालय होगा, जो प्रांतीय सभा द्वारा अनुच्छेद 205.22 के अनुसार चुने गए होंगे। यह न्यायालय अनुशासन के स्थानीय मंडल की किसी भी कार्यवाही से संबंधित कलीसिया के सदस्यों की अपील पर सुनवाई करेगी। इस तरह की कार्यवाही के बाद या अपील कर्ता को जानकारी होने के बाद अपील की सूचना लिखित रूप में 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए और

ऐसे नोटिस की प्रतिलिपि स्थानीय कलीसिया के पादरी और संबंधित कलीसिया मंडल के सचिव तक पहुँचाई जाएगी (205.22)।

610.1. प्रांतीय अपील न्यायालय के पास एक अयाजकीय सदस्य को अनुशासित करने के लिए नियुक्त अनुशासन मंडल की कार्यवाही से अयाजकीय सदस्य या कलीसियाओं की सभी अपील को सुनने और तय करने का अधिकार होगा।

8. प्रमुख अपील न्यायालय

611. प्रमुख सभा प्रत्येक आगामी चतुर्वर्षीय के दौरान या जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित और योग्य नहीं हो जाते, पाँच नियुक्त दीक्षित सेवकों को प्रमुख न्यायालय में सेवकाई के लिए चुनेंगे। इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगाः

611.1. किसी भी प्रांतीय अनुशासन मंडल या विभागीय अपील न्यायालय की कार्यवाही या निर्णय से सभी अपीलों को सुनना और निर्धारित करना। जब ऐसी अपील उक्त न्यायालयों द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ऐसा निर्धारण अधिकारिक और अंतिम होगा (305:7).

612. प्रमुख सभा के सत्रों के बीच अंतरिम अपील के दौरान प्रमुख अपील न्यायालय में मौजूद रिक्तियों को प्रमुख अधीक्षक मंडल की नियुक्ति से भरा जाएगा (317:6)।

613. प्रमुख अपील न्यायालय के सदस्यों के दैनिक और व्यय भत्ते कलीसिया के प्रमुख मंडल के सदस्यों के समान ही होंगे। जब न्यायालय के सदस्य न्यायालय के अधिकारिक व्यवसाय में लगे होंगे और उसके बाद भुगतान प्रमुख कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

614. प्रमुख सचिव, प्रमुख अपील न्यायालय के सभी स्थायी रिकॉर्ड और निर्णयों का संरक्षक होगा (326:4)।

9. विभागीय अपील न्यायालय

615. प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय अपील न्यायालय होगी। प्रत्येक विभागीय अपील न्यायालय में प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा प्रत्येक आगामी प्रमुख

सभा में पाँच या अधिक नियुक्त किए गए सेवकों को शामिल किया जाएगा। रिक्तियों को प्रमुख अधीक्षक मंडल द्वारा भरा जाएगा। कलीसिया की विवरणिका और न्यायिक नियमावली दोनो में प्रमुख अपील न्यायालयों के लिए प्रक्रिया के नियम विभागीय अपील न्यायालय के समान होंगे। न्यायालय को संदर्भित अपीलों के लिए पाँच कोरम (कार्यसाधक संख्या) की आवश्यकता होगी।

10. अधिकारों की गारंटी (जिम्मेदारी)

616. किसी आरोपी सेवक या अयाजकीय सदस्य के खिलाफ लंबित आरोपों की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अस्वीकृत या पूर्ववत नहीं होगा। लिखित आरोपों को जल्दी सुनवाई के लिए दिया जाएगा ताकि निर्दोष को दोषमुक्त किया जा सके और दोषी को अनुशासन में लाया जा सके। दोषी साबित होने तक हर आरोपी बेगुनाही का हकदार है। प्रत्येक आरोप और विनिर्देश के अनुसार, अभियोजन पक्ष के लिए नैतिक और निश्चित रूप से एक उचित संदेह से परे समाज को साबित करने की जिम्मेदारी होगी।

616.1. प्रमुख अपील न्यायालय में अपील के उद्देश्य से मुकदमे में दिए गए सभी गवाही के प्रतिशब्द प्रतिलेख सहित एक सेवक के लिए एक मामले का रिकॉर्ड तैयार करने की लागत को प्रांत द्वारा वहन किया जाएगा जहाँ सुनवाई हुई थी और अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। अपील करने वाले प्रत्येक सेवकों को अपनी अपील पर मौखिक और साथ ही लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, लेकिन अभियुक्त द्वारा लिखित में इसे माफ किया जा सकता है।

616.2. अपील करने वाले सेवक के लिए उच्चतम न्यायालीय प्रमुख अपील न्यायालय है और अपील करने वाले अयाजकीय सदस्य के लिए उच्चतम न्यायालय प्रांतीय अपील न्यायालय है।

616.3. एक सेवक या अयाजकीय सदस्य जिस पर दुराचार का आरोप है या जो कलीसिया विवरणिका का उल्लंघन करता है और जिसके आरोप विचाराधीन है, को अपने अभियुक्तों से मिलने आमने–सामने मिलने का अधिकार होगा और जो अभियोजन पक्षों के गवाहों से जिरह करेंगे।

616.4. आरोपों का जवाब देने के लिए अनुशासन मंडल से पहले किसी भी गवाह की गवाही को हमेशा अपने स्वयं से चुने हुए वकील द्वारा प्रतिनिधित्व

करने का अधिकार होगा, बशर्ते ऐसा वकील नाज़रीन कलीसिया में योग्य सदस्य हो। किसी भी नियमित रूप से संगठित कलीसिया का कोई भी पूर्ण सदस्य जिसके खिलाफ कोई लिखित आरोप लंबित नहीं है, उसे योग्य माना जाएगा।

616.6. ऐसे आरोप जो दायर करने से पाँच साल से अधिक समय पहले घटित हुए थे, उन अधिनियम की जवाबदेही के लिए सेवक या अयाजकीय सदस्य की आवश्यकता नहीं होगी और आरोप दायर किए जाने से पाँच साल से अधिक समय पहले हुई किसी भी मामले की किसी भी सुनवाई में कोई सबूत नहीं माना जाएगा। हालाँ कि ऐसे आरोपों से पीड़ित व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का था और ऐसे आरोपों को लगाने व दायर करने के लिए वह मानसिक रूप से असक्षम था तो ऐसे पाँच साल की सीमा अवधि तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि वह 18 वर्ष की आयु तक न पहुँच जाए या मानसिक रूप से सक्षम न हो जाए। नाबालिग के यौन शोषण के मामले में कोई समय सीमा लागू नहीं होगी। एक नाबालिग को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति मे रूप में परिभाषित किया गया है, जब तक कि किसी राज्य या देश के घरेलू कानून के तहत बहुमत की आयु प्राप्त नहीं होती है।

यदि किसी सेवक को अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा घोर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह प्रांतीय अधीक्षक को अपना प्रमाण पत्र सौंप देगा। इस तरह के सेवक के अनुरोध पर और यदि अनुशासन मंडल पहले शामिल नहीं हुआ हैं तो दोषसिद्धी की परिस्थितियों की जाँच प्रांतीय सलाहकार मंडल करेगा और यदि वह उचित समझे तो प्रमाण पत्र को बहाल कर सकता है।

616.7. एक ही सेवक या अयाजकीय सदस्य को एक ही अपराध के लिए दो बार खतरे में नहीं डाला जाएगा। हालाँकी, यह सही नहीं समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को किसी सुनवाई या कार्यवाही के दौरान खतरे में डाल दिया गया, जहाँ अपील न्यायालय, अनुशासन मंडल से पूर्व मूल कार्यवाही में प्रतिवर्ती त्रुटि का पता लगाती हैं

भाग 8

संस्कार और रीति-रिवाज

ध्यान दें: विवरणिका के अनुभाग संस्कार और रीति–रिवाज में किसी भी विषय वस्तु को संपादित करने या जोड़ने के लिए प्रमुख सभा की स्वीकृति आवश्यक है।

प्रभु–भोज
विश्वासियों का बपतिस्मा
शिशुओं या छोंटे बच्चों का बपतिस्मा
शिशुओं या छोटे बच्चों का समर्पण
कलीसिया के सदस्यों का अभिनंदन
विवाह
अंतिम संस्कार की सेवा
अधिकारियों की नियुक्ति
एक स्थानीय कलीसिया का संगठन
कलीसिया समर्पण

1. संस्कार

700. प्रभु–भोज

प्रभु–भोज का संचालन एक उपयुक्त उपदेश 1 कुरिन्थियों 11:23–29; लुका 22:14–20 या अन्य उपयुक्त उपदेश के पठन द्वारा आरंभ किया जा सकता है। फिर सेवक द्वारा निम्नलिखित आमंत्रण देना चाहिए:

प्रभु–भोज हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह द्वारा संकलित एक संस्कार है जो उनके जीवन, उनके सताव (दुख), उनके बलिदान और पुनरूत्थान और उनके फिर से आने की आशा की घोषणा करता है। यह आगे उनकी वापसी तक प्रभु की मृत्यु को दर्शाता है।

भोज अनुग्रह का साधन है जिसमें मसीह आत्मा के द्वारा उपस्थित होता है। यह मसीह के कार्य के लिए श्रद्धा और कृतज्ञता प्राप्त करना है।

वे सभी जो वास्तव में पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का त्याग करते हैं, उद्धार के लिए मसीह में विश्वास करते हैं, उन्हें मसीह की मृत्यु और पुनरूत्थान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हम उस मेज पर सहभागी होते हैं जिसे हम जीवन और उद्धार में नवीनीकृत कर सकते हैं और आत्मा से एक बना सकते हैं।

कलीसिया के साथ एकता में, हम अपने विश्वास को स्वीकार करते हैं कि मसीह की मृत्यु हुई, मसीह फिर से जी उठा है और मसीह फिर से आएगा और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं।

सेवक अंगीकार और निवेदन की प्रार्थना को पेश कर सकते हैं व अभिषेक की निम्नलिखित प्रार्थना के साथ समापन कर सकते हैं: पवित्र प्रभु, हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम पर इस मेज पर इकट्ठा होते हैं जो आपकी आत्मा के द्वारा, निर्धनों को शुभ समाचार सुनाने, बंदियों को रिहा करने की घोषणा करने और जो पीड़ित हैं, उन्हें आजाद करने के लिए अभिषिक्त किया गया था। मसीह ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, पापियों के साथ खाया और पापों की क्षमा के लिए नई वाचा की स्थापना की। हम उसके फिर से आने की आशा में रहते हैं।

जिस रात्रि में उसके साथ विश्वासघात किया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी, अपने चेलों को दी और कहाः "यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।"

इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और अपने चेलों को दिया और कहा, "तुम सब इसमें से पीओ। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इसे मेरी याद में किया करो।" हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन (मत्ती 26:27–29, लूका 22:19)।

और इसलिए हम प्रशंसा और धन्यवाद में खुद को आपको पेश करने के लिए मसीह के देह के रूप में इकट्ठा होते हैं। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को हम पर और अपने इन वरदानों पर उड़ेलिऐ। अपनी आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें हमारे लिए मसीह के देह और लहू के रूप में बनाइए ताकि हम संसार के लिए मसीह के देह, उनके लहू से छुड़ाए जा सकें। जब तक मसीह अंतिम जय के लिए नहीं आ जाते तब तक अपनी आत्मा से हमें मसीह में एक, एक दूसरे के साथ और सम्पूर्ण संसार में मसीह की सेवकाई में एक बना दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।

और अब, जैसा हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया, आइए हम प्रार्थना करेंः

(यहाँ कलीसिया, परमेश्वर की प्रार्थना को कर सकता है)।

हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है; तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन–भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा; क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन।

रोटी में भागीदारी करने से पहले सेवक को कहने देंः

हमारे प्रभु यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया, हमे पाप रहित रखता है और अनंतकाल का जीवन देता है। इसे इस याद में खाओं की मसीह, हमारे लिए मरा और सदा धन्यवाद करो।

प्याली में भागीदारी करने से पहले, सेवक को कहने दें:

हमारे प्रभु यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया, हमें पाप रहित रखता है और अनंतकाल का जीवन देता है। इसे इस याद में पीओ कि मसीह, हमारे लिए मरा और प्रभु का सदा धन्यवाद करो। जब सभी भाग ले चुके हों, तब सेवक धन्यवाद और प्रतिबद्धता की समापन की प्रार्थना कर सकता है।

(29.5, 515.4, 532.7, 533.2, 534.1)

ध्यान दें: प्रभु भोज के संस्कार में केवल अखमीरी दाखरस का उपयोग किया जाना चाहिए।

701. विश्वासियों का बपतिस्मा

प्रिय: मसीही बपतिस्मा, यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरूत्थान और उसके देह कलीसिया में शामिल होने के लिए विश्वास द्वारा हस्ताक्षरित संस्कार है। यह अनुग्रह का एक साधन है जो यीशु मसीह को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता की घोषणा करता है।

प्रेरित पौलुस ने घोषणा की कि मसीह यीशु में बपतिस्मा पाने वाले सभी लोग उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेते हैं। हम बपतिस्मा के माध्यम से उसके साथ दफनाए जाते हैं जैसे मसीह को मृतकों में से जी उठाया गया था। हम भी जीवन के नएपन में चलने के लिए जी उठे हैं। जैसा कि हम उसकी मृत्यु में उसके साथ एकजुट हुए हैं, हम भी उसके पुनरूत्थान में उसके साथ एकजुट होंगे। जिस मसीही धर्म में हम अब बपतिस्मा लेने आए हैं, वह प्रेरितों के मत में पुष्टि है जिसे हम स्वीकार करते हैं।

सेवक विश्वास के अंगीाकर की पुष्टि में सभा का नेतृत्व करता है।

"हम, प्रभु, पिता सर्वशक्तिमान, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता पर विश्वास करते हैं।"

"और यीशु मसीह में, उसका इलकौता पुत्र, हमारा स्वामी, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण किया गया था, कुँवारी मरियम से पैदा हुआ जो पोंटियस पिलातुस के द्वारा सताया गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत और दफनाया गया, वह नरक में उतरा, तीसरे दिन वह मरे हुओं में से फिर जी उठा, वह

स्वर्ग में चढ़ा और पिता के दाहिनी और बैठा, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने आया है।"

"हम पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की पवित्र कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की माफी, देह का पुनरूत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं।"

क्या तुम इस विश्वास में बपतिस्मा लोगे?

जवाबः मैं लूँगा/लूंगी।

क्या तुम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो और क्या आप मानते हैं कि वह अब आपको बचाता है?

जवाबः मैं विश्वास से करता/करती हूँ।

परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम तथा पड़ोसी के प्रेम में बढ़ते हुए, यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य के रूप में क्या तुम उसे आजीवन अनुसरण करोगे?

जवाबः मैं परमेश्वर की सहायता से करूंगा/करूंगी।

सेवक, व्यक्ति का पूरा नाम और बपतिस्मा के पसंदीदा रूप का उपयोग करते हुए छिड़काव, उँडेलना या डूबाना – कहें:

(नाम) मैं तुमकों पिता–पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन।

702. शिशुओं या छोटे बच्चों का बपतिस्मा

जब प्रायोजक स्वयं को उस बच्चे (बच्चों) के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसे सेवक कहेंगेः

प्रियः बपतिस्मा का संस्कार अनुग्रह की नई वाचा का चिन्ह् और मुहर है, जब हम उस बपतिस्मा को धारण नहीं करते हैं जो परमेश्वर के पुनर्जन्म के अनुग्रह को प्रदान करता है। हम यह मानते हैं कि मसीही बपतिस्मा इस छोटे बच्चे के लिए संकेत देता है कि वह परमेश्वर की स्वीकृति के लिए मसीही धर्म में प्रचलित प्रवृत्ति के आधार पर स्वीकार करता है। यह यीशु मसीह में विश्वास की उसका/उसकी स्वीकारोक्ति की आशा है।

बपतिस्मा के लिए इस बच्चे को प्रस्तुत करने में आप अपने निजी मसीही विश्वास के साक्षी हैं और तुम्हारा उद्देश्य आरंभ ही से उसे (लड़का/लड़की) मसीह उद्धारकर्ता है, के ज्ञान के विषय में निर्देशित करना है। इसके लिए आपका कर्तव्य है कि जैसे ही वह सीखने में सक्षम होगा आप उसे इस पवित्र संस्कार के स्वरूप और अंत के विषय में बताए। उसकी शिक्षा में ध्यान दें कि वह भटक न जाए, उसे निर्देशित करें कि उसके पैर पवित्र–स्थल पर पड़ें, उसे बुरे सहयोगियों और आदतों से रोकना, जितना आप झूठ बोलते हैं उससे ऊपर परमेश्वर के पालन–पोषण में लाना। क्या आप परमेश्वर की सहायता से ऐसा करने का प्रयास करेंगे? अगर ऐसा है तो मैं जवाब दूंगा, "मैं करूंगा/करूंगी''।

सेवक फिर माता–पिता या अभिभावकों को बच्चे का नाम बोलने के लिए कह सकते हैं और फिर बच्चे को बपतिस्मा देंगे और उसके पूरे नाम को बोलते व दोहराते हुएः

(नाम), मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन।

पादरी बपतिस्मा भी इस बच्चे को मसीही धर्म के समुदाय में स्वीकार करने का प्रतीक भी है। अब मैं सभा से पूछता हूँ, सभा, क्या आप इन माता–पिता का समर्थन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मसीह के देह के रूप में खुद को प्रतिबद्ध करेंगे। क्योंकि वे इस बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरा करने और आत्मिक परिपक्वता में बच्चे का पोषण करने का प्रयास करते हैं?

जवाबः हम करेंगे।

पादरीः हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम यहाँ करते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से समर्पित करते हैं। आमीन

फिर सेवक निम्नलिखित प्रार्थना कर सकता है या तात्कालिक प्रार्थना कर सकता है।

स्वर्गीय पिता, हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्चे को अपनी प्रेमपूर्ण देखभाल में लेंगे। अपने स्वर्गीय अनुग्रह से उसे बहुतायत से समृद्ध करेंः बचपन की अवस्था के खतरों में उसे सुरक्षित रखें; युवा अवस्था के

प्रलोभन से मुक्ति दिलाए; उसे उद्धारकर्ता के रूप में मसीह के एक व्यक्तिगत ज्ञान की ओर ले जाएं। उसे ज्ञान, ओहदे में बढ़ने और परमेश्वर और सभी लोगों के साथ तथा अंत तक बनाए रखने में मदद करें। माता–पिता को अपने प्रेमपूर्ण देखभाल में बनाए रखें ताकि वे बुद्धिमान अभिवक्ता और पवित्र नमूने के साथ बच्चे और आप दोनों के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से। आमीन

2. संस्कार

703. शिशुओं या छोटे बच्वें का समर्पण

जब माता–पिता या अभिभावक स्वयं को उस बच्चे (या बच्चों) के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसे सेवक कहेंगेः

तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डाँटा। यीशु ने कहा, "बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों हीं का है (मत्ती 19ः13–14)।"

समपर्ण के लिए इस बच्चे को प्रस्तुत करने में आप न केवल मसीही धर्म में अपने विश्वास का संकेत देते है बल्कि आपकी इच्छा है कि वह पहले ही परमेश्वर की इच्छा को जान सके व उसका पालन कर सके। एक मसीही की तरह जी व मर सके और सदा के लिए परम आनंद को प्राप्त कर सके।

इस पवित्र मनोरथ को प्राप्त करने के लिए माता–पिता (अभिभावक) के रूप में यह आपका कर्तव्य होगा कि उसे परमेश्वर के भय के बारे में बताएं, उसकी शिक्षा पर ध्यान दें, ताकि वह भटक न जाए, उसके युवा मन को पवित्रशास्त्र की ओर तथा उसके पैर को पवित्र स्थान की ओर निर्देशित करें, उसे बुरी संगत और आदतों से बचाने के लिए उसे प्रभु के पोषण और अनुशासन में लाए। क्या आप परमेश्वर की सहायता से ऐसा करने का प्रयास करेंगे? यदि ऐसा है तो उत्तर दे, "हाँ, मैं करूंगा/करूंगी।"

पादरीः मैं अब सभा से पूछता हूँ, क्या आप इन माता–पिता का समर्थ न करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मसीह की देह के रूप में स्वयं को प्रतिबद्ध

करेंगे क्योंकि वे इस बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और आत्मिक परिपक्वता में बच्चे का पोषण करने का प्रयास करते हैं?

जवाबः हम करेंगे।

पादरीः हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, अब हम इस बच्चे को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से समर्पित करते हैं। आमीन।

फिर सेवक निम्नलिखित प्रार्थना कर सकता है या तात्कालिक प्रार्थना कर सकता है।

स्वर्गीय पिता, हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्चे को अपने ममतामयी देखरेख में लेंगे। बहुतायत से उसे अपनी स्वर्गीय कृपा से समृद्ध करें, उसे बचपन की परिधि में सुरक्षित रूप से लाएं, उसे युवास्था के प्रलोभनों से मुक्ति दिलाएं, उसे उद्धारकर्ता के रूप में मसीह के व्यक्तिगत ज्ञान की ओर ले जाएं, उसे ज्ञान, और पद में, और परमेश्वर और सभी लोगों के साथ बढ़ने में और अंत तक उसमें दृढ़ रहने में मदद करें। माता–पिता को प्यार से ध्यान रखने में सहायता करें ताकि वे बुद्धिमान सलाहकार और पवित्र उदाहरण के साथ इस बच्चे और आप, दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से। आमीन।

704. कलीसिया के सदस्यों का अभिनंदन

यह अपेक्षित है कि भावी सदस्यों ने मसीही धर्म को प्रकट किया है और नाज़रीन कलीसिया के सिद्धांत और प्रथाओं में निर्देश दिए हैं। वे सभा के सामने खड़े होने के लिए आगे आ सकते हैं और पादरी उन्हें संबोधित करेंगे।

प्रियः यीशु मसीही की कलीसिया में एक साथ हमारे पास मौजूद विशेषाधिकार और आशीर्वाद पवित्र और अनमोल हैं। इसमें ऐसी पवित्र संगति, देखभाल और परामर्श है जैसा अन्यथा परमेश्वर के परिवार के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाना जा सकता है।

वचन की शिक्षाओं और संगठित आराधना की प्रेरणा के साथ पादरियों की धर्मनिष्ठ सेवा है और यह सेवा को पूरा करने में सहयोग हैं, जो भिन्न प्रकार से नहीं किया जा सकता है।

आज हम फिर से कलीसिया के सिद्धांत और रीति–रिवाजों की पुष्टि करते हैं।

हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं– पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा,

हम मानते हैं कि मनुष्य पाप में पैदा हुए हैं, उन्हें मसीह के माध्यम से क्षमा और पवित्र आत्मा द्वारा नए जन्म की आवश्यकता है। इसके बाद पवित्र आत्मा की भरपूरी के माध्यम से हृदय का पवित्रीकरण या संपूर्ण पवित्रता का गहरा काम होता है और अनुग्रह के इन कार्यों में से प्रत्येक पवित्र आत्मा की गवाही देता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु लौटेगा, मृत जी उठेंगे और वह सब अपने पुरस्कार और दंड के साथ अंतिम न्याय करने आएगा।

ध्यान दें: सेवक एक विकल्प के रूप में निम्नलिखित विश्वास के मान्य कथन (विवरणिका अनुच्छेद 20) का उपयोग कर सकते हैं।

आज हम फिर से नाज़रीन कलीसिया के विश्वास के मान्य कथन की पुष्टि करते हैं कि:

परमेश्वर एक है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हैं, पुराने और नये नियम के पवित्रशास्त्र पर जो समग्र प्रेरणा से रचा गया है और उसमें मसीही विश्वास एवं जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व (सत्य) हैं, मानव जाति, पाप में पतन के स्वभाव से जन्म लेती है और इस कारण मनुष्य बुराई की ओर अति प्रवृत्त है और लगातार उसमें रूझान बनाए रखते हैं, पश्चाताप न करने वालों के लिए अंत में कोई आशा नहीं है, वे अनंतकाल के लिए खो चुके हैं; यीशु मसीह के द्वारा पापों का प्रायश्चित समस्त मानवजाति के लिए है, और जो भी पश्चाताप करता और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह धर्मी ठहराया जाता है, पुर्नजीवन पाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पुर्नजीवन प्राप्त करने के बाद विश्वासियों को संपूर्ण पवित्रीकरण की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा, विश्वास करने वाले के नये जन्म और विश्वासियों के संपूर्ण पवित्रीकरण की साक्षी देता हैं, हमारे प्रभु आएंगे, मृतक जिलाए जाएंगे और अंतिम न्याय किया जाएगा (विवरणिका अनुच्छेद 20:1–20:2)।

क्या आप हृदय से इन सच्चाईयों पर विश्वास करते हैं? यदि ऐसा है तो “हाँ मैं करूंगा/करूंगी” कहे।

क्या आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और क्या आप यह विश्वास करते हैं कि वह अब आपको बचाता है?

जवाब: मैं विश्वास से करता/करती हूँ।

नाज़रीन कलीसिया के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हुए क्या आप अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने हृदय, आत्मा, मन और सामर्थ्य तथा अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि मसीही चरित्र और आचरण की वाचा में व्यक्त किया है। क्या आप नाज़रीन कलीसिया के सिद्धांत, भाईचारे और काम में व्यक्त किए गए परमेश्वर के मिशन के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या आप नाज़रीन कलीसिया की शिक्षाओं का समर्थन करेंगे और अपनी समझ और अभ्यास में परमेश्वर की सहायता के लिए उसी तरह से प्रयास करेंगे जो कलीसिया की गवाहियों को बढ़ाता है? क्या आप हर तरह से परमेश्वर की महिमा करने, विनम्र चाल, ईश्वरीय वार्तालाप और पवित्र सेवा द्वारा अपने संसाधनों को समर्पित रूप से और ईमानदारी से अनुग्रह के साधनों में भाग लेने का प्रयास करेंगे? क्या आप अपने संपूर्ण जीवन भर यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, सभी बुराई से दूर रहेंगे और सच्चे दिल से प्रभु के भय में जीवन और जीवन की पूर्ण पवित्रता की तलाश करेंगे?

जवाबः मैं करूंगा/करूंगी।

सेवक तब व्यक्ति और व्यक्तियों से कहेगाः

मैं नाज़रीन कलीसिया और इसके स्थानीय सभा के सहभागिता में इसके लाभ और उत्तरदायित्वों के साथ आपका स्वागत करता हूँ। कलीसिया के महान मुखिया आपको आशीष दें और बनाए रखें तथा आपको सभी अच्छे कार्यों में विश्वासयोग्य होने के लिए सक्षम करें जो कि आपके जीवन और गवाह गरीबों और शोषितों की देखभाल करने में और दूसरों को मसीह में अग्रणी बनाने में प्रभावी हो सकते हैं।

705. विवाह

विवाह के संबंध में विभिन्न वैश्विक और सांस्कृतिक संदर्भों को मान्यता देने में नाज़रीन कलीसिया निम्नलिखित सिद्धांतों को सुझाव देता हैः

पति और पत्नी में समानता

वाचा का संबंध, मसीह और उसके कलीसिया के बीच के वाचा के संबंध को दर्शाता है।

कानूनी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त भाषा का उपयोग। यह अनुष्ठान (रिवाज) किसी भी देश की कानूनी आवश्यकताओं को समाप्त या प्रतिस्थापित नहीं करता है।

निम्नलिखित समारोह को एक साधन के रूप में पेश किया जाता है।

जिस दिन और समय में विवाह के उत्सव को नियुक्त किया गया है और विवाहित होने वाले व्यक्तियों को कानून के अनुसार और सेवक द्वारा सावधानीपूर्वक सलाह और मार्गदर्शन के साथ योग्य बनाया गया है वे युगल जोड़े, सेवक के साथ सामने खड़ें होंगे और सेवक सभा को निम्नानुसार संबोधित करेंगे।

प्रिय जन,

हम यहाँ परमेश्वर की दृष्टि में और इन गवाहों की उपस्थिति में (दूल्हें का नाम) और (दुल्हन का नाम) को एक साथ जोड़नें के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो कि एक सम्मानजनक अवस्था है, अदन की निर्मलता में परमेश्वर की स्थापना, जो मसीह और उसकी कलीसिया के बीच रहस्यमय संघ का प्रतीक है। इस पवित्र अवस्था को मसीह ने अपनी उपस्थिति और पहले चमत्कार के साथ सुशोभित किया और पवित्र किया जो उन्होंने गलील के काना में किया और इब्रियों के लेखक ने सभी लोगों के बीच सम्माननीय होने की सराहना की। इसलिए इसे (विवाह) अनायास नहीं बल्कि श्रद्धा से, विवेक से और परमेश्वर के भय में प्रवेश करना चाहिए।

इस पवित्र स्थिति में ये लोग अब शामिल होने के लिए आते हैं।

जोड़ें को विवाहित घोषित करते हुए सेवक यह कहेगा।

(आदमी का नाम) और (औरत का नाम) मैं आप दोनों को जैसा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ें है, आदेश और अधिकार देता हूँ कि यह याद रखें कि विवाह के लिए प्रतिबद्धता, स्थायित्व के लिए प्रतिबद्धता है। यह परमेश्वर की अभिलाषा है कि आपका विवाह जीवन भर के लिए होगा ओर केवल मृत्यु ही आपको अलग करेगी।

यदि आज जो प्रतिज्ञा की अदला–बदली बिना किसी उल्लंघन के करते हैं और यदि आप सदैव परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं और अपने

जीवन को उसकी उपस्थिति से धन्य मानते हैं तो आपका घर उसकी (परमेश्वर) शांति में रहेगा।

निम्नलिखित आदेश के बाद सेवक आदमी से कहेगाः

(आदमी का नाम), क्या आप इस महिला को अपनी विवाहित पत्नी के रूप में विवाह की पवित्र अवस्था में परमेश्वर के अध्यादेश के बाद एक साथ रहने के लिए स्वीकार करते हैं? क्या आप उसे प्यार, आराम और सम्मान देंगे और उसकी बीमारी और स्वास्थ्य में ध्यान देंगे और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे अन्य सभी को त्याग कर केवल अपने आपको उसके पास रखेंगे?

जवाबः मैं करूंगा।

तक सेवक महिला से कहेगा।

(महिला का नाम) क्या आप इस पुरुष को अपने विवाहित पति के रूप में विवाह की पवित्र अवस्था में परमेश्वर के अध्यादेश के बाद एक साथ रहने के लिए स्वीकार करते हैं? क्या आप उसे प्यार, आराम और सम्मान देंगे और उसकी बीमारी और स्वास्थ्य में ध्यान देंगे और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे, अन्य सभी को त्याग कर केवल अपने आप को उसके पास रखेंगे?

जवाबः मैं करूंगी।

फिर सेवक कहेगाः

क्या आप (दुल्हा और दुल्हन के माता–पिता, परिवार के सदस्यों और/ या परमेश्वर के परिवार के सदस्यों के रूप में इस जोड़े को अपना आशीर्वाद देंगे?)

जवाबः हम करेंगे (दुल्हा ओर दुल्हन के माता–पिता, परिवार के सदस्यों और/या परमेश्वर के परिवार के सदस्यों द्वारा)

एक दूसरे को आमने–सामने देखकर और दाये हाथों को मिलाकर फिर जोड़ा निम्नलिखित प्रतिज्ञाओं का आदान–प्रदान करेंगे।

सेवक के बाद पुरुष दोहराएगाः

मैं, (पुरुष का नाम) तुम्हें (स्त्री का नाम) अपनी विवाहित पति के रूप में स्वीकार करता हूँ और आज से आगे मैं दुःख–सुख, अमीरी–गरीबी, बीमारी–स्वास्थ्य और प्यार–पोषण में अपने मृत्यु तक, परमेश्वर के अध्यादेश के अनुसार साथ निभाऊंगा और मैं तुम्हें अपने विश्वास की प्रतिज्ञा देता हूँ।

सेवक के बाद स्त्री दोहराएगीः

मैं, (स्त्री का नाम) तुम्हें (पुरुष का नाम)

अपनी विवाहित पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और आज से आगे मैं सुखःदुंख, अमीरी–गरीबी, बीमारी स्वास्थ्य ओर प्यार पोषण में अपने मृत्यु तक परमेश्वर के अध्यादेश के अनुसार साथ निभाऊंगी और, मैं तुम्हें अपने विश्वास की प्रतिज्ञा देती हूँ।

यदि इच्छुक हैं तो इस समय एक सगाई समारोह का आयोजन हो सकता है। सेवक को दूल्हे के परिवारजनों से अंगूठी प्राप्त होती है ओर वह अंगूठी दूल्हे को देता है और फिर दूल्हा उसे दूल्हन की ऊंगली में पहनाता है और सेवक के बाद दोहराता है, मैं यह अंगूठी तुम्हे अपने प्यार और मेरी निरंतर निष्ठा की प्रतिज्ञा की निशानी के रूप में देता हूँ।

यही बात फिर स्त्री द्वारा दोबारा दोहरायी जाती है।

तब दंपति घुटने टेक देंगे क्योंकि सेवक निम्नलिखित या तात्कालिक प्रार्थना करते हैं।

अनन्त परमेश्वर, सभी के सृष्टिकर्ता और संरक्षक, समस्त अनुग्रह के दाता, अनन्त जीवन के लेखक, अपने इन सेवकों, (दूल्हे का नाम) और (दूल्हन का नाम) पर अपनी आशीष भेंजे जिन्हे अब हम आपके नाम से आशीष देते हैं ताकि वे इस घंटे मे की गई प्रतिज्ञा और वाचा को बनाए रख सकें और सदैव मिलकर प्रेम और शांति से रह सकें, यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। फिर सेवक कहेगाः

जैसा कि इस पुरुष और स्त्री ने पवित्र विवाह में एक साथ सहमति दी है और परमेश्वर और इस संबंध के सम्मुख इसी (सहमति) के गवाह हैं और इसी (सहमति) को हाथों को मिलाकर घोषित करते हैं। अंतः में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें एक साथ पति और पत्नी घोषित करता हूँ।

जिन्हें परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है, उन्हें कोई भी अलग न कर सकें। आमीन।

तब सेवक इस आशीष को बोलेगाः

परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष, संरक्षित और सुरक्षित रखे और परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आपको सभी आत्मिक श्रद्धा

और अनुग्रह से भर दें। अतः आप इस जीवन में सदैव एक साथ रह सकते हैं ताकि जब संसार में फिर सेवक एक तात्कालिक या आशीष की प्रार्थना के साथ समाप्त कर सकते हैं (532:7, 532:2, 534:1, 538:19)।

706. अंतिम संस्कार की सेवा

प्रियः हम आज एक साथ इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारे मृतक मित्र और प्रिय के सम्मान के लिए हमारी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। हम परिवार को याद करते हैं जो आपके नुकसान का शोक मनाते हैं उनके साथ हमारी गहरी और वास्तविक सहानुभूति है। हम इस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा दिए गए सांत्वनां को आपके साथ साझा करते हैं।

"तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहू वहाँ तुम भी रहो" (यूहन्ना 14:1—3)।

"यीशु ने उससे कहा, 'पुनरूत्थान' और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीएगा और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनन्तकाल तक न मरेगा" (यूहन्ना 11:25—26)।

प्रार्थना (सेवक के अपने शब्दों या निम्नलिखित प्रकार से)

सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता दुःख की इस घड़ी में हम आपके पास आते हैं, यह जानते हुए कि हमारी पूरी निर्भरता आप पर है। हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और मृत्यु की वादी को आप सुबह की रोशनी में बदल सकते हैं। आपके आने से पहले समर्पण दिलों के साथ आपके आने का इंतजार कर सके इसलिए हमारी सहायता करें। आप हमारे शरणस्थान और सामर्थ्य हैं, हे परमेश्वर– संकट में अति सहजता से मिलने वाली सहायता। अपनी बहुतायत दया हम पर उड़ेलिए। जो लोग आज शोक मना रहे हैं वे आपके सिद्ध अनुग्रह के द्वारा सांत्वना प्राप्त कर सके। हम इस निवेदन को विनम्रतापूर्वक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।

एक भजन या पवित्रशास्त्र के चयनित विशेष गीतः

“हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो”

जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिये जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हैं, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिये, जो आने वाले समय में प्रगट होने वाली है, की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य हैं कि अभी कुछ दिन के लिये नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुःख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे, उससे तुम बिन देखे, प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनन्दित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है; और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात् आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो (1 पतरस 1:3–9)।

(अन्य अनुच्छेदों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मत्ती 5:3–4,6,8; भजन संहिता 27:3–5,11,13–14; 46:1–6,10–11)

संदेश

एक भजन या विशेष गीत

समापन (अंतिम) प्रार्थना

कब्र पर,

जब लोग इकट्ठा हो गए हों तो सेवक निम्नलिखित में से कोई भी या सभी शास्त्रीय वचनों को पढ़ सकता है।

“मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं यद्यपि मेरा हृदय अन्दर चूर चूर भी हो जाएंगे” (अय्यूब 19:25–27)।

देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ: हम सब नहीं सोऐंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षणभर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूँकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूँकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएँगे, और हम बदल जाएंगे।"

"और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरनहार अमरता को पहिन लेगा, तब वह वचन जो लिखा हैं पूरा हो जाएगा।"

"जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो; जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन्त करता है।"

"इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहिनों, दृढ़ और अटल रहों, और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। (1 कुरिन्थियों 15:51—52,54—58)।

फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, "लिख, जो मृतक प्रभु मे मरते हैं, वे अब से धन्य हैं।" आत्मा कहता है, "हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं" (प्रकाशितवाक्य 14:13)।

सेवक फिर निम्नलिखित में एक दफनाई के वक्तव्य को पढ़ेगा:

एक विश्वासी के लिए:

क्योंकि हमारे दिवंगत प्रिय की आत्मा परमेश्वर के पास लौट गई है, जिसने इसे दिया था, इसलिए हम निश्चित रूप से विश्वास में शरीर को कब्र में डालते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृतकों के पुनरूत्थान और आने वाली दुनिया की आशा करते हैं, जो हमें अपने महिमामय शरीर की भांति नया शरीर देंगे। "धन्य है वे मृतक, जो प्रभु में मर जाते हैं।"

एक अविश्वासी के लिए:

अब हम अपने दिवंगत मित्र के पार्थिव शरीर को उसकी आत्मीय मिट्टी में देने के लिए आए हैं। आत्मा जो हम परमेश्वर के साथ छोड़ते हैं, हम जानते हैं कि समस्त संसार का दयालु न्यायाधीश सही करेगा। आइए हम अपने आपको

परमेश्वर के भय और प्रेम में रहने के लिए पुनः समर्पित करें ताकि हम स्वर्गीय राज्य में परिपूर्णता से प्रवेश करें।

एक बच्चे (बालक) के लिएः

हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनन्त जीवन के पुनरूत्थान की सुनिश्चित और निश्चित आशा में, हम इस बच्चे के शरीर को कब्र में दे देते हैं। और यीशु के रूप में, सांसारिक जीवन के दौरान, उन्होनें जिस प्रकार बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया और उन्हें आशीष दिया उसी प्रकार इस प्रिय जन को भी वह अपने पास ले लें। जैसा कि उन्होंने कहा है, "स्वर्ग का राज्य इन लोगों के लिए है।"

प्रार्थनाः

हमारे स्वर्गीय पिता, समस्त दया के प्रभु, दुःख और शोक के इस क्षण में हम आपकी और देखते हैं। इन प्रिय जनों को सांत्वना दो, जिनके हृदय भारी और उदास हैं। क्या आप उनके साथ रहेंगे आने वाले दिनों में उन्हें संभाल रहेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। प्रार्थना स्वीकार करें, हे प्रभु, कि वे आपको प्यार कर सकें आपकी सेवा कर सकें और आने वाले संसार में आपके वायदों की पूर्णता को प्राप्त कर सकें।

"अब शान्तिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रख वाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन" (इब्रानियों 13:20–21)।

707. अधिकारियों की नियुक्ति

एक उपयुक्त भजन के गायन के बाद, सचिव को नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और पदों को पढ़ने दें। ये आगे आकर कलीसिया की वेदी पर सेवक के आमने–सामने खडे, हो सकते हैं। प्रत्येक के लिए एक वाचा कार्ड प्रदान किया जाना चाहिए। फिर सेवक कहेगाः

मसीही सेवा के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को अलग करने की परमेश्वर की विधि को पहचानते हुए, हम इन अधिकारियों और (या अध्यापकों)

की स्थापना के इस क्षण में आते हैं, जिन्हें आगामी वर्ष के लिए हमारे कलीसिया में सेवा करने के लिए ठीक से चुना गया है। आइए, हम उसके पवित्र वचनों में से परमेश्वर के निर्देशों पर विचार करें।

"इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परन्तु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चालचलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो" (रोमियों 12:1–2)।

"अपने आप को परमेश्वर का ग्रहणयोग्य और काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो" (2 तीमुथियुस 2:15)।

"मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओं और चिताओं, और अपने–अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान ओर आत्मिक गीत गाओं" (कुलुस्सियों 3:16)

"जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे" (गलतियों 6:6)।

हम अब इस महत्वपूर्ण क्षण में आते हैं, जब आप वेदी के सामने खड़ें होते हैं, जो आपको कलीसिया, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई (एन.वाई.आई) और अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई (एस.डी.एम. आई) के मामलों की देखभाल करने के कार्यों में नियुक्त करती हैं। क्या आप अब हमारे प्रभु के लिए सेवा के विशेष अवसरों के रूप में नियत कार्य (असाइनमेंट) को देखते हैं और अपने संबंधित कर्तव्यों के प्रदर्शन में आनंद और आत्मिक आशीष पा सकते हैं।

तुम्हारा कार्य आसान नहीं है, क्योंकि कलीसिया और आत्मा की नियति तुम्हारे हाथ में है। मसीह चरित्र का विकास आपकी जिम्मेदारी है और यीशु मसीह में न बचाए हुए लोगों की अगुवाई करना आपका सर्वोच्च उद्देश्य है।

परमेश्वर आपको बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान करें ताकि आप उसकी महिमा के लिए उसका कार्य करते हैं। आपको एक कार्ड दिया गया है जिस पर एक वाचा छपी है। हम इसे एक साथ पढेंगे और जब हम ऐसा करते हैं, हम इसे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बनाते हैं।

कर्मचारियों की वाचा

कलीसिया द्वारा मुझ पर किए गए विश्वास को ध्यान में रखते हुए कार्यालय के लिए चयनित होने के बाद अब मैं यह मानता/मानती हूँ कि मैं यहाँ वाचा बाँधता/बाँधती हूँः

मसीही जीवन के उच्च स्तर को विचारों और मानकों के साथ सामंजस्य बनाने का उदाहरण पेश करना।

प्रार्थना और बाइबिल पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन निश्चित समय को अलग करके मेरे व्यक्तिगत मसीही अनुभव को विकसित करना।

नियमित रूप से रविवारीय विद्यालय, रविवार की सुबह और रविवार की शाम प्रचारक सेवाओं और कलीसिया के मध्य सप्ताह में होने वाली प्रार्थना में उपस्थित होना, जब तक की कोई संभावित बाधा न हो।

विभिन्न मंडलों, परिषदों या समितियों की सभी ठीक से बुलायी गयी बैठकों में ईमानदारी से भाग लूंगा जो मुझे सौंपा गया है या सौंपा जायेगा।

यदि मैं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहा/रही हूँ या इस कार्यालय में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हूँ तो उच्च अधिकारियों को सूचित करूंगा/करूंगी।

विस्तृत रूप से संप्रदायिक प्रकाशनों और अन्य पुस्तकों और साहित्य को पढूंगा जो मेरे कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन में मेरे लिए सहायक होंगे।

अपने और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अयाजकीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेगा। दूसरों के आत्मिक कल्याण में एक सक्रिय रूचि प्रकट करके और कलीसिया में सभी सुसमाचार प्रचारकीय बैठकों में भाग लेने और समर्थन करने के द्वारा लोगों को यीशु मसीह के अगुवाई में लाने का प्रयास करना।

सेवक फिर एक उपयुक्त प्रार्थना करेगा और समर्पण का एक विशेष गीत गाया जा सकता है। उसके बाद सेवक कहेगाः

अपने विशेष कामों में इस कलीसिया के काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने हृदयों और हाथों को एक साथ रखकर, मैं आपकों उन संबंधित पदों पर स्थापित करता हूँ, जहाँ आप चुने गऐ या नियुक्त किए गए हैं। अब आप इस कलीसिया की संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप उदाहरण के द्वारा, नियम के द्वारा और परिश्रमी सेवा के द्वारा प्रभु के दाख की बारी में प्रभावी कार्यकर्ता हो सकते हैं।

सेवक फिर सभा को खड़ें होने के लिए कहेंगे और उन्हें निम्नानुसार संबोधित करेंगेः

आपने आने वाले वर्ष के लिए अपने कलीसिया के अगुवों द्वारा प्रतिज्ञा और वाचा को सुना है। अब मैं आपको उनके समर्थन में वफादार होने के लिए सभा के रूप में कार्यभार सौंपता हूँ। बोझ (जिम्मेदारी) जो हमने उन पर रखा है, वे भारी हैं और उन्हें आपकी सहायता और प्रार्थना की आवश्यकता होगी। संभवतः आप सदैव उनकी समस्याओं को समझ सके और उनकी प्रत्यक्ष असफलताओं को सह सके। जब आप बुलाए जाते हैं तो आप खुशी से योगदान दे सकते हैं ताकि हम एक साथ काम करें तो हमारी कलीसिया मसीह में खोए हुओं को जीतने में एक प्रभावी साधन हो सकता है।

सेवक तब एक समापन प्रार्थना की अगुवाई कर सकता है या सभा प्रभु की प्रार्थना को एक समान दोहरा सकती है।

एक स्थानीय कलीसिया का संगठन

प्रांतीय अधीक्षकः मसीह के प्रियजन, हम इस परमेश्वर के इस दिन में अधिकारिक तौर पर नाज़रीन कलीसिया के संगठन (नाम) के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में आज इस सभा का जीवन एक नए स्तर पर चला जाता है क्योंकि आप नाज़रीन कलीसिया के संविधान और व्यवस्था के अनुसार एक संगठित सभा के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को गले लगाते हैं।

नाज़रीन के वैश्विक परिवार की ओर से मैं आपकी दृष्टि, आपके विश्वास और आपके परिश्रम के लिए आपकी सराहना करता हूँ क्योंकि आपने साथ–साथ काम किया है और दिल से दिल तक विश्वास का एक समुदाय है जो विश्व

में परमेश्वर के राज्य के प्रामाणिक अभिव्यक्ति के रूप में रहता है। संगठन के इस कार्य के द्वारा, आप हमारे साझा मिशन को पूरा करने में नाज़रीन के वैश्विक परिवार के साथ साझा करने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं, "राष्ट्रों में मसीह समान शिष्य बनाना।"

तीन मुख्य तत्व इस मिशन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं,

हम मसीही जन हैं। हम ऐतिहासिक त्रियात्मक सिद्धांत की पुष्टि में हर जगह मसीहियों के साथ खड़ें हैं और हम वेसेलियन–पवित्रता परंपरा में अपनी विशेष विरासत को गहराई से महत्व देते हैं। हम अपने सत्य के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में बाइबिल को देखते हैं क्योंकि यह हमारे लिए मसीह की घोषणा करता है और "यह सभी हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है।" हम पवित्र लोग हैं। हम मानते हैं कि परमेश्वर की कृपा न केवल पापों के लिए क्षमा प्रदान करती है बल्कि विश्वास से हमारे दिलों को साफ भी करती है। पवित्र आत्मा के इस अनुग्रहपूर्ण कार्य के द्वारा हम संसार में मसीह समान रहने के लिए पवित्र और सशक्त होते हैं।

हम मिशनरी लोग हैं हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुलह के मिशन के राज्य में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। हम यह यीशु मसीह के स्वरूप में सुसमाचार प्रचार द्वारा करुणा और न्याय के कार्य द्वारा और शिष्यों को बनाने के द्वारा कर सकते हैं।

प्रांतीय अधीक्षक पादरी कोः पादरी, क्या अब आप उन लोगों को प्रस्तुत करेंगे जो नाज़रीन कलीसिया के चार्टर सदस्य (नाम) होंगे?

पादरीः (प्रांतीय अधीक्षक का नाम), यह मेरे लिए सम्मान की बात हैं कि मैं आपके सम्मुख इस सभा के चार्टर सदस्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं उनकी मसीह में भाइयों और बहनों के रूप में सराहना करता हूँ, जो हमारे सामान्य मिशनों के लिए कलीसिया के सदस्यों के रूप में प्रतिबद्ध हैं।

पास्टर सभी नामों को पढ़ता है या प्रत्येक सदस्य या परिवार का परिचय कराता है।

प्रांतीय अधीक्षकः भाइयों और बहनों, मैं अब आपसे अपनी सदस्यता प्रतिज्ञा की पुनः पुष्टि करने के लिए कहता हूँ।

क्या आप यीशु मसीह को अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और क्या आप मानते हैं कि वह अब आपको बचाता है।

जवाबः मैं विश्वास से करता/करती हूँ।

क्या आप नाज़रीन कलीसिया के विश्वास के मान्य कथन की पुष्टि करते हैं?

जवाबः मैं विश्वास करता/करती हूँ।

क्या आप नाज़रीन कलीसिया के विश्वास के मान्य कथन की पुष्टि करते हैं?

जवाबः मैं करता/करती हूँ।

क्या आप मसीही चरित्र की वाचा और मसीही आचरण की वाचा में वर्णित नाज़रीन कलीसिया के संबंध में स्वयं को सहभागिता और काम के लिए देने के लिए वाचा बांधते हैं। क्या आप विनम्र आचरण, परमेश्वरीय वार्तालाप और पवित्र सेवा द्वारा, अपने साधनों (आय) को श्रद्धापूर्वक देकर, अनुग्रह के साधनों पर विश्वासयोग्य उपस्थिति और सभी बुराइयों से दूर रहने के द्वारा, हर तरह से परमेश्वर की महिमा करेंगे? क्या आप प्रभु के भय में ईमानदारी से हृदय और जीवन की पूर्ण पवित्रता को तलाश करेंगे?

जवाबः मैं करूंगा/करूंगी।

प्रांतीय अधीक्षकः इसलिए प्राधिकरण द्वारा मुझे प्रांतीय नाज़रीन कलीसिया के अधीक्षक के रूप में सौंपा गया है, मैं इसके द्वारा नाज़रीन कलीसिया के अधिकारिक संगठन (नाम) की घोषणा करता हूँ। नाज़रीन सभाओं के वैश्विक परिवार में आपका स्वागत है। परमेश्वर अपनी महान दया में उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आपकी हर आवश्यकताओं को दैनिक रूप से पूरा करे और यीशु मसीह की शांति आपके साथ रहे।

709. कलीसिया समर्पण

सेवकः प्रभु के हाथ से समृद्ध और उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके अनुग्रह और सामर्थ्य द्वारा इस इमारत को पूरा करने में सक्षम करने के लिए, हम अब परमेश्वर की उपस्थिति में उनके राज्य की सेवा के लिए इस संरचना को समर्पित करने के लिए खड़े हैं।

हमारे पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं जिससे हर भली और उत्तम उपहार आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता को महिमा देते हैं ओर पवित्र आत्मा जो हमारे प्रकाश और जीवन का स्त्रोत और सामर्थ्य है, हमारा पवित्रकर्ता है उसे महिमा देते हैं।

सभाः अब हम खुशी, कृतज्ञता और विनम्रतापूर्वक इस इमारत को समर्पित करते हैं।

सेवकः उन सभी की याद में जिन्होंने इस कलीसिया को प्यार किया है और सेवा की हैं और जो अब कलीसिया के विजयोल्लास के भागी हैं, हम इस विरासत को स्थापित करने का आनंद लेते हैं।

सभाः हम आभारपूर्वक इस भवन (शरणस्थान, शैक्षिक भवन, सहभागिता भवन इत्यादि) को समर्पित करते हैं।

सेवकः प्रार्थना और गीतों के द्वारा आराधना करने के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए और पवित्रशास्त्र अध्ययन कराने के लिए और संतों की सहभागिता के लिए हम इस इमारत को समर्पित करते हैं।

सभाः हम सत्यनिष्ठा से परमेश्वर के इस घर को समर्पित करते हैं।

सेवकः जो शोकित हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए कमजोर को सामर्थ्य देने के लिए, जो परीक्षा में हैं उनकी सहायता करने के लिए और उन सभी लोगों को आशा और साहस देने के लिए जो इस भवन के चारदीवारी के अंदर आते हैं, हम समर्पित करते हैं।

सभाः हम इस स्थान को सहभागिता और प्रार्थना के लिए समर्पित करते हैं।

सेवकः पाप से उद्धार के सुसमाचार को बांटने के लिए पवित्रशास्त्र की पवित्रता के प्रसार के लिए, धार्मिकता में शिक्षा देने के लिए और हमारे साथियों की सेवा के लिए, समर्पित करते हैं।

सभाः हम आदरपूर्वक इस इमारत को समर्पित करते हैं।

सब एक सुर मेंः हम परमेश्वर के संग सब एक साथ श्रमिक हैं, अब हाथ और दिल जोड़ते हैं, और स्वयं को उच्च और पवित्र उद्देश्यों के लिए एक नव समर्पण करते हैं, जिसके लिए इस को अलग रखा गया है। हम अपनी निष्ठावान भक्ति, वफादारपूर्वक प्रबंधन और परिश्रमी सेवा की प्रतिज्ञा करते हैं

कि इस स्थान पर प्रभु का नाम महिमामय होगा और उसका राज्य यीशु मसीह हमारे प्रभु के माध्यम से उन्नत होगा। आमीन।

भाग 9

अधिकारपत्र और सेवकाई योजनाएँ/संविद्दान/कानून

अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई
अंतराष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई
अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्र शिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई
यह खंड वर्तमान में इस भाषा में उपलब्ध नहीं है। इसे आप www.nazarene.org में देख सकते हैं।

भाग 10

प्रपत्र

स्थानीय कलीसिया
प्रभार का प्रांतीय सभा बिल

1. स्थानीय कलीसिया

ध्यान दें: निम्नलिखित प्रपत्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय कलीसिया द्वारा तैयार और उपयोग किया जा सकता है।

813. स्थानीय सेवक का लाइसेंस (आधिकारिक पत्र)

यह प्रमाणित करना है कि (नाम) एक वर्ष के लिए नाज़रीन कलीसिया में एक स्थानीय सेवक के रूप में लाइसेंस धारक है, बशर्ते कि उसकी आत्मा और अभ्यास ऐसे हों जैसे कि वह मसीह का सुसमाचार बन जाए और उसकी शिक्षाएं पवित्र धर्मशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप हो जैसा कि कलीसिया ने कहा है।

नाज़रीन कलीसिया के कलीसिया मंडल (नाम) के आदेश पर। निष्पादन समय (स्थान)

इस दिन (दिन), (वर्ष)

________________ अध्यक्ष

________________ सचिव

814. प्रांतीय सभा को लाइसेंस की अनुशंसा

{ } नाज़रीन कलीसिया का कलीसिया मंडल (नाम)

(देखें विवरणिका 533.3, 534.3)

{ } (प्रांत का नाम) का प्रांतीय सलाहकार मंडल,

(देखें विवरणिका 225.13,533.3,534.3)

(नाम) की अनुशंसा की ओर से

{ } सेवकाई प्रमाण पत्र समिति या प्रांतीय सेवकाई मंडल

{ } प्रांतीय सभा

के लिए

{ } एक प्रांतीय सेवक का लाइसेंस (अधिकारिक पत्र)

{ } प्रांतीय सेवक के लाइसेंस का नवीनीकरण

{ } सह–सेविका के लाइसेंस का नवीनीकरण

{ } मसीह शिक्षा के निर्देशक के लाइसेंस का नवीनीकरण

अनुच्छेद 503–520 के निम्नलिखित सेवकाई की भूमिका के प्रमाण–पत्रों में से एक चुनें।

{ } पी.ए.एस–पादरी

{ } पी.एस.वी – एफ टी – पुरोहिताई सेवकाई – पूर्णकालिक

{ } पी.एस.वी–पी.टी. – पुरोहिताई सेवकाई – अर्द्धकालिक

{ } सहपादरी, कलीसिया के साथ संबंध में पुरोहिताई सेवकाई क्रियान्वित करना। सेवकाई के विशेष क्षेत्र जिन्हें उचित शासन द्वारा मान्यता दी गई है ओर अनुमोदित किया गया है, लाइसेंस (अनुज्ञापन और समर्थक संस्था)

{ } सी ई डी – मसीही शिक्षा सेवक (स्थानीय कलीसिया विद्यालय द्वारा नियोजित सेवक)ः ई डी यू – शिक्षा (नाज़रीन कलीसिया के शैक्षिक संस्थानों में से एक के प्रशासनिक कर्मचारियों या संकाय पर सेवा करने के लिए नियोजित)।

{ } ई. वी. आर. – सुसमाचार प्रचारक, पंजीकृत (अपनी प्राथमिक सेवकाई के रूप में यात्रा करके सुसमाचार प्रचार करने के लिए समर्पित है, विदेशी भूमि में पुनर्जागरण को बढ़ावा देना और सुसमाचार प्रचार करना)

{ } एस. ई. आर. – आराधना (गीत) सुसमाचार प्रचारक, पंजीकृत (अपने प्राथमिक कार्य के रूप में अपने समय के प्रमुख हिस्से को संगीत के माध्यम से सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित करता है)।

{ } जी.ए. – प्रमुख नियतकार्य, मिशनरी (धर्म प्रचारक) (कलीसिया के लिए सेवक धर्म प्रचारक समिति के माध्यम से प्रमुख मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है)।

{ } जी.ए. – प्रमुख नियतकार्य, अन्य (प्रमुख कलीसिया या सेवकाई के लिए चुने या नियोजित किए जाते हैं)।

{ } एस.पी.सी. – विशेष सेवकाई/अन्तधर्मसंप्रदायी (एक प्रकार से सक्रिय सेवा जिसे अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है और जिसे प्रांतीय सभा द्वारा प्रांतीय सलाहकार मंडल की सिफारिश पर अनुमोदित किया जाना चाहिए। नामित एस.पी.सी. सदस्यों को नाज़रीन कलीसिया के साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है और वे सालाना, नाज़रीन कलीसिया के साथ उनके चल रहे संबंध की प्रकृति को प्रांतीय सलाहकार मंडल को लिखित में प्रस्तुत करेंगे)।

{ } एस.टी.यू. – छात्र

{ } अनियुक्त

अनुच्छेद 533.3 और 534.3 में दीक्षाकरण की न्यूनतम योग्यताओं की समीक्षा करें साथ ही साथ संबंध की औपचारिकता की प्रक्रिया चाहे व वैतनिक हो या अवैतनिक की न्यूनतम योग्यताओं की समीक्षा अनुच्छेद 159–159.3 में करें। यह सेवकाई के उम्मीदवारों के इतिहास को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि प्रांतीय सेवकाई लाइसेंस के लिए अनुशंसा की गई हो तो, निम्नलिखित में से एक को चुनिए (532)।

{ } उम्मीदवार एक प्राचीन के रूप में दीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है।

{ } उम्मीदवार एक सह–सेवक के रूप में दीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है।

{ } उम्मीदवार दीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा है।

यदि आने वाले वर्ष के लिए पी.एस.वी.–एफ.टी. या पी.एस.वी–पी.टी पदों की सेवकाई की भूमिका के लिए सिफारिश की जाती है तो प्रांतीय अधीक्षक की लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होता है (129.27; 159–159.2)?

{ } हाँ { } ना

यदि "एस.टी.यू." या "यू" के अलावा अन्य किसी पदनाम को इंगित किया गया है तो उम्मीदवार के साथ मौजूद औपचारिक संबंध का वर्णन करे जैसा कि कलीसिया मंडल और प्रांतीय अधीक्षक द्वारा अनुमोदित है।

हम प्रमाणित करते हैं कि इस तरह के अनुरोध के लिए सभी योग्यताओं को पूरा किया गया हैं इस (तिथि) को मंडल के मत से और इस (तिथि) को प्रांतीय अध्यक्ष से अनुमति पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

________________ सभा अध्यक्ष

________________ सचिव

{ } निर्दिष्ट { } प्रतिवेदित { }प्रबंध

ध्यान दें: कृपया लाइसेंस की अनुशंसा और व्यक्ति के सेवकाई की भूमिका की अनुशंसा के प्रमाणन के लिए दोनो को चिन्हित करें।

815. प्रशस्ति का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित करता है कि (सदस्य का नाम), (शहर या कलीसिया का नाम) में नाज़रीन कलीसिया के एक सदस्य हैं और इसके द्वारा उन लोगों के मसीही विश्वास की सराहना की जाती है, जिनके लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

________________ पादरी

(दिनांक)

ध्यान दें: जब प्रशस्ति–पत्र का प्रमाण–पत्र दिया जाता है, तो स्थानीय कलीसिया में प्रमाण पत्र, जारी करने वाले व्यक्ति की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। (111.11)

816. निर्मुक्ति पत्र

यह प्रमाणित करता है कि (सदस्य का नाम), (शहर या कलीसिया का नाम) के नाज़रीन कलीसिया के सदस्य के उनके अनुरोध पर निर्मुक्ति (रिहाई) के इस पत्र को स्वीकार किया गया है।

_______________ पादरी

(दिनांक)

ध्यान दें: निर्मुक्ति–पत्र जारी होने पर तुरंत सदस्यता समाप्त हो जाती है।

817. सदस्यों का स्थानांतरण

यह प्रमाणित करता है कि (सदस्य का नाम) नाज़रीन कलीसिया में (नाम या स्थान) का सदस्य है। उनके अनुरोध पर (प्रांत का नाम) के (नाम या स्थान) को नाज़रीन कलीसिया में स्थानांतरित किया गया है। प्रांत।

जब इस स्थानांतरण की प्राप्ति स्थानीय कलीसिया द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसकी इस स्थानीय कलीसिया में सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

_______________ पादरी

_______________ पता

_______________ दिनांक

ध्यान दें: एक स्थानांतरण तीन महीने के लिए मान्य है (III)।

818. स्थानांतरण स्वीकार किया गया।

यह प्रमाणित करता है कि (दिनांक) को (नाम या स्थान) में (सदस्य का नाम) की सदस्यता को नाज़रीन कलीसिया द्वारा स्वीकार किया गया है।

_______________ पादरी

_______________ पता

_______________ दिनांक

2. प्रांतीय सभा

819. आधिकारिक प्रांतीय प्रपत्र प्रमुख सचिव से सुरक्षित किए जा सकते हैं, 1700। प्रैयरी स्टार पार्कवे, लेनेक्सा, के एस 66220, यू.एस.ए.

3. प्रभार के बिल

खंड 1 – कलीसिया के एक सदस्य की जाँच

खंड 2 – कलीसिया के एक दीक्षित सेवक की जाँच

खंड 3 – कलीसिया के एक लाइसेंसधारक सेवक की जाँच

820. प्रमुख सचिव से प्रभार के बिल सुरक्षित किए जा सकते हैं, 17001, प्रैयरी स्टार पार्कवे, लेनेक्सा, के.एस.66220, यू.एस.ए.।

भाग 11

परिशिष्ट

प्रमुख अधिकारी गण
प्रशासनिक मंडल, परिषद और शैक्षणिक संस्थान
प्रशासनिक नीतियाँ
वर्तमान नैतिक और सामाजिक मुद्दे

1. प्रमुख अधिकारी गण

900. प्रमुख अधिकारी गण

यूजनियो आर. दुआरते
डेविड डब्ल्यू. गेव्स
डेविड ए. बुसिक
गुस्तावो ए. क्रोकर
फिलिमो ए. चैंबो
कार्ला डी. सनबर्ग

900.1. अवकाशप्राप्त और सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक

यूजीन एल. स्टोवे, एमेरीटस

जेरॉल्ड डी. जॉनसन, एमेरीटस
डॉनल्ड डी. ओवेन्स, एमेरीटस
जिम एल.बॉन्ड. एमेरीटस
डब्ल्यू. टॉलमैज जॉनसन, एमेरीटस
जेम्स एच.डीह्ल, एमेरीटस
पॉल जी. कनिंघम, एमेरीटस
नीना जी. गन्टर, एमेरीटा
जेसी.सी. मिड्डेन्डोर्फ, एमेरीटस
जेरी डी. पोर्टर, एमेरीटस
जे.के. वौरिक एमेरीटस

900.2. प्रमुख सचिव

डेविड पी. विलसन

900.3. प्रमुख कोषाध्यक्ष

कीथ.बी.कॉक्स
नाज़रीन कलीसिया
वैश्विक सेवकाई केन्द्र
17001 प्रेअरी स्टार पार्कवे
लेनेक्सा, के.एस. 66220, यू.एस.ए.

2. प्रशासनिक मंडल, परिषद, और शैक्षणिक संस्थान

901. प्रमुख मंडल

कलीसिया क्षेत्र के सदस्य
सेवक
आर्सेनयो जेरेमिअस मनजाते
सोलोमन लोक
स्टैनली उशे
कफोआ मोरोर
मिन–ग्यू शिन
डी.इयन फिट्जपैट्रिक

रॉन ब्लेक
डी. जैफरी कन्सलमैन
सैम्युअल वैसेल
संजय गावली
डेविड मॉन्टगोमेरी
मैरी शॉर
बेतनजोश
एलियस बेतनज़ोश
वॉलिएर पियर
एन्टनी सेंट.लुई
जिम बॉन्ड
रेनडॉल जे. क्रेकर
एडॉलबर्तो हेरेरा कुएलो
फरनेन्डो ओलिविएरा
एमेडू टिक्सीरा
टैरी सी. रॉलैंड
लैरी.डी.डेनिस
ड्वॉइट एम. गन्टर II
रॉन बेनिफिएल
जॉन बोलिंग
अयाजकीय सदस्य
अफ्रीका क्षेत्र
साइबनगिल गुमेदजे
बेंजामिन लॉग
ऐंजेला एम.पेरेरा.बी.डी.बी.मोरेनो
एशिया पेसेफिक क्षेत्र
लिओनिला डोमेन
जूंग वॉन ली
कनाडा क्षेत्र
डेविड डब्ल्यू.फॉक

केन्द्रिय यू.एस.ए.क्षेत्र
जूडी एच.ओवेन्स
पूर्वी केन्द्रिय यू.एस.ए.क्षेत्र
कॉरसन् कैसलमेन
पूर्वीय यू.ए.ए.क्षेत्र
लैरी बॉलिंगर
यूरेशिया क्षेत्र
डेविड डे
विनय गावली
क्रिस्टोफ निक
मिज़ोअमेरिका क्षेत्र
कॉरमेन एल.चिको डि अकोस्टा
एब्रेहम फर्नांडीज़ गमेज़
प्लीनियो इ. यूरिज़ार गारसिया
उत्तरी केन्द्रिय यू.एस.ए.क्षेत्र
लैरी मैकइन्टॉयर
उत्तरी–पश्चिमी यू.एस.ए.क्षेत्र
जॉएल के. पियरसॉल
दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र
गैलडीना अरेइस
जैकब रिवेरा मैदीना
एमरसन नैटल
दक्षिण केन्द्रिय यू.एस.ए.क्षेत्र
शेरिल क्राउच
दक्षिणपूर्वी यू.एस.ए.क्षेत्र
मॉइकल टी. जॉनसन
डेनिस मूर
दक्षिण–पश्चिमी यू.एस.ए.क्षेत्र
डेनियल स्पेट
एजुकेशन

बॉब ब्रोअर
अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई
फिलिप वैदरिल
अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई
एडियल टिक्सीरा
अंतर्राष्ट्रीय रविवार शास्त्रशिक्षण पाठशाला एवं शिष्यता सेवकाई
सेवकाई मिलन पैटवारी
मिलन पैटवारी

902. प्रमुख अपील न्यायालय

हॉन्स–गन्टर मोन, अध्यक्ष
डी. इयन फिट्जेपैट्रिक
ब्रॉयन पॉवेल
जेनिन मेटकॉफ, सचिव
डोना विल्सन

903. अंतराष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई की वैश्विक परिषद

गैरी हर्टके, अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई निदेशक
एडीयल टिक्सीरा, परिषद् अध्यक्ष
रॉनाल्ड मिलर, अफ्रीका
जैनरी सुयत डे गोडॉय, एशिया पैसेफिक
डिऐगो लोपेज़, यूरेशिया
मिल्टन गेय, मिज़ोअमेरिका
क्रिस्टियानो माल्टा, दक्षिण अमेरिका
जस्टीन पिकर्ट, यू.एस.ए./कनाडा

904. अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई का वैश्विक परिषद

लोला बिकी, वैश्विक निदेशक
फिलिप वैदरिल, सभा अध्यक्ष

डेविड डि कोकर, अफ्रीका क्षेत्र
पॉलिन सेपर्ड, एशिया पेसेफिक क्षेत्र
पैनी यूरी, कनाडा क्षेत्र
कार्ला लवेट, केन्द्रिय यू.एस.ए.क्षेत्र
कैथी पेली, पूर्वी केन्द्रिय यू.एस.ए.क्षेत्र
शेरन केसलर, पूर्वीय यू.एस.ए.क्षेत्र
कैथी टेरेन्ट, यूरेशिया क्षेत्र
ब्लैंका कैम्पॉस, मिज़ोअमेरिका क्षेत्र
रहॉन्डा रोएड्ज, उत्तर केन्द्रिय यू.एस.ए.क्षेत्र
डेब्रा वोएलकर, उत्तर दक्षिणी यू.एस.ए.क्षेत्र
ऐन्टोनियो कार्लोस, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र
मैरी रियूनियन – दक्षिण केन्द्रिय यू.एस.ए.क्षेत्र
टेरेसा हॉड्ज़, दक्षिणपूर्वी यू.एस.ए.क्षेत्र
मार्था लैन्डकुईस्ट, दक्षिण–पश्चिमी यू.एस.ए.क्षेत्र
वेरेना वार्ड, वैश्विक निदेशक
अधिकार क्षेत्र में प्रमुख अधीक्षक (सलाहकार)

905. उच्च शिक्षा के लिए नाज़रीन संस्थान

वैश्विक नाज़रीन शैक्षिक संघ

अफ्रीका क्षेत्र

अफ्रीका नाज़रीन विश्वविद्यालय
नैरोबी, कीनिया–पूर्वी अफ्रीका में सेवारत्
पूर्वी अफ्रीकी नाज़रीन बाइबिल मद्यविद्यालय
नैरोबी–कीनिया–पूर्वी भाग में सेवारत्
नाज़रीन थेओलॉजी महाविद्यालय
हनीडीउ –दक्षिणी अफ्रीका–दक्षिणी भाग में सेवारत्
केन्द्रिय अफ्रीकी नाज़रीन थेओलॉजी महाविद्यालय
मलावी, केन्द्रिय अफ्रीका–दक्षिण –पूर्वी भाग में सेवारत्
नाज़रीन थेओलॉजी संस्थान

केन्द्रिय और दक्षिणी भाग में सेवारत्
सेमीनेरियो नाज़रीन दी काबो वर्डे
सेनटिआगो, केप वर्डे
मोकेमबिक
सेमीनेरियो नाज़रीनो इम मोकेमबीक
मेपूटो, मोजेमबीक–लूसोफोन भाग में सेवारत्
दक्षिणी अफ्रीका नाज़रीन विश्वविद्यालय
मंजिनी, स्वाजीलैंड–दक्षिणी अफ्रीका में सेवारत्

एशिया–पेसिफिक क्षेत्र

एशिया–पेसिफ्रिक थेओलॉजिकल सेमिनरी
रिज़ाल, फिलीपिन्स
इंडोनेशिया नाज़रीन थेओलॉजिकल महाविद्यालय योग्यकार्य, इंडोनेशिया
ज़ापान नाज़रीन थेओलॉजिकल सेमिनरी टोक्यो, जापान
कोरिया नाज़रीन विश्वविद्यालय चूँग नाम, कोरिया
मेलनेसिया नाज़रीन बाइबिल महाविद्यालय माउंट हमे, पपुआ न्यू गिनी
मेलनेसिया नाज़रीन टीचर्स महाविद्यालय माउंट हगें, पपुआ न्यू गिनी
नाज़रीन थेओलॉजिकल महाविद्यालय थोर्नलैड्स कुईन्सलेंड, ऑस्ट्रेलिया
फिलिपीन नाज़रीन बाइबिल महाविद्यालय बागियो सिटी फिलिपीन्स
दक्षिण–पैसिफिक नाज़रीन थेओलॉजिकल महाविद्यालय सुवा, फिजी
दक्षिणपूर्वी एशिया नाज़रीन बाइबिल महाविद्यालय बैंकॉक, थाइलैंड
ताइवान नाज़रीन थेओलॉजिकल महाविद्यालय पेइटौ, ताइवान
विसायन नाज़रीन बाइबिल महाविद्यालय सबु सिटी, फिलिपींस

यूरेशिया क्षेत्र

पूर्वी मेडिटरेनीयन नाज़रीन बाइबिल महाविद्यालय करक, जॉर्डन–पूर्वी मेडिटरेनीयन में सेवारत्
यूरोपियन नाज़रीन महाविद्यालय
यूरोप और यूरेशिया भाग में सेवारत्
नाज़रीन नर्सेज प्रशिक्षण महाविद्यालय वाशिम, महाराष्ट्र, भारत
नाज़रीन थेओलॉजिकल महाविद्यालय–मैनचेस्टर मैनचेस्टर, इंग्लैंड

दक्षिण–एशिया नाज़रीन बाइबिल महाविद्यालय बैंगलोर, भारत, भारत और दक्षिण एशिया में सेवारत्

मिज़ोअमेरिका क्षेत्र

करीबीयन नाज़रीन महाविद्यालय
सेंटा क्रूज, ट्रिनिडाड–इंग्लिश डच और फ्रेंच एंटिलेस (द्वीप) में सेवारत्
इंस्टिट्शूटो बिबलिको नाज़रीनो
कोबेन, अल्टा वेरपज़ ग्वाटेमाला–उत्तरी ग्वाटेमाला में सेवारत्
सेमीनाइरे थेओलॉजिके नाज़रीन दहैति पेशन–बिले, हैति–हैति राष्ट्र में सेवारत्
सेमीनारियो नाज़रीनो द लास अमेरिकाज़
सन जोस, कोस्टा रिका– लैटिन अमेरिका और केन्द्रिय भाग में सेवारत्
सेमीनारियो नाज़रीनो डोमिनिकन
सेंटो डोमिन्गो, डोमिनिकन रिपब्लिक – डोमिनिकन रिपब्लिक राष्ट्र में सेवारत्
सेमीवारियो नाज़रीनो मैक्सिकानो
मैक्सिको सिटी डी.एफ. मैक्सिको–उत्तरी और दक्षिणी भाग में सेवारत्
सेमीनारियो टोलोगिक नाज़रीनों
ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला–केन्द्रिय अमेरिका भाग में सेवारत्
सेमीनारियो टोलोगिक नाज़रीनों क्यूबानो
लालीसा, ला हाबना, क्यूबा–क्यूबा राष्ट्र में सेवारत्

दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र

फकलदादे नाज़रीनो दो ब्राजील साओ पॉलो, ब्राजील–ब्राजील राष्ट्र में सेवारत्
सेमीनारियो बिबलीको नाज़रीनो चिली सैंटियागो, चिली–चिली राष्ट्र में सेवारत्
सेमीनारियो नाज़रीनो बोलिवियानो ला पाज, बोलिविया – बोलिविया राष्ट्र में सेवारत्
सेमीनारियो टोलोगिक नाज़रीनो डेल कोनो सूर बेनोस एयरस अर्जेंटीना–दक्षिण कोन भाग में सेवारत्
सेमिनारियो टोलोनिक नाज़रीनो डेल पेरू चिकिओ, पेरू–पेरू राष्ट्र में सेवारत्
सेमीनारियो टोलोगिक नाज़रीनोदा ब्राजील सेओ पॉलो, ब्राजील–ब्राजील राष्ट्र में सेवारत्

सेमीनारियो टोलोगिक नाज़रीन सुद्मेरिकानो क्यूटो, इक्वेडो–उत्तरी अंदेन भाग में सेवारत्

यू.एस.ए./कनाडा क्षेत्र

एम्ब्रोज विश्वविद्यालय, महाविद्यालय कैलगरी, अल्बर्टा, कनाडा
पूर्वी नाज़रीन महाविद्यालय क्विंसी, मेसाचुसेट्स, यू.एस.ए.
अमेरिका नाज़रीन विश्वविद्यालय ओलांद केंसास, यू.एस.ए.
माउंट वेर्नोन नाज़रीन विश्वविद्यालय माउंट वेर्नोन ओहियो, यू.एस.ए.
नाज़रीन बाइबिल महाविद्यालय लेनेस–केंसास, यू.एस.ए.
नाज़रीन थेओलॉजिकल सेमिनरी केंसास सिटी, मिसौरी, यू.एस.ए.
उत्तर–दक्षिणी नाज़रीन विश्वविद्यालय नाम्पा, इदाहो, यू.एस.ए.
औलिवेट नाज़रीन विश्वविद्यालय बोबोर्नेस, इलनोइस, यू.एस.ए.
पाइंड लोमा नाज़रीन विश्वविद्यालय सन डिएगो, कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.
दक्षिणी नाज़रीन विश्वविद्यालय बेथानी, ओक्लाहोम, यू.एस.ए.
ट्रेवेक नाज़रीन विश्वविद्यालय नैशविल, टेनेसी, यू.एस.ए.

3. प्रशासनिक नीतियाँ

906. वार्षिकियाँ – कलीसिया के प्रमुख मंडल और संस्थानों को वार्षिकी उपहारों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जब तक वार्षिकी – ग्राही की मृत्यु तक उनकी वैध संपत्ति नहीं बन जाती। इस तरह के उपहारों को भूमि के न्यायालयों द्वारा आम तौर पर न्यास निधि (ट्रस्ट फंड) के रूप में स्वीकार किए गए फंडों में सावधानीपूर्वक निवेश किया जाना है (2017)।

907. ऋण कोई भी संस्था लिखित ऋण के प्रयोजन के लिए दानार्थ प्रतिज्ञाओं को प्रासंगिक नहीं कर सकती (2017)।

908. बाइबिल समाज

1. अनुमोदित बाइबिल समाज

नाजरीन कलीसिया बाइबिल के लिखित प्रकाशन के रूप में बाइबिल पर विशेष जोर देता हे, और हमारा मानना है कि यह यीशु मसीह के नए अनुयायियों को जीतने के लिए प्राथमिक संस्था है और क्योंकि पवित्रशास्त्र बाइबिल की अधिक प्रतियों की बढ़ती आवश्यकता है, इसलिए इसे हल किया जाए।

सबसे पहले, प्रमुख सभा, दुनिया भर में संयुक्त बाइबिल समाजों के कामों के साथ अपने हार्दिक अनुमोदन और सहानुभूति व्यक्त करती है।

दूसरा, यह कि हम सार्वभौमिक रूप से बाइबिल रविवार के पालन का समर्थन करते हैं और इस दिन इस बात पर ध्यान देते हुए कि पवित्रशास्त्र मसीह लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना ले।

2. बाइबिल समाजों के लिए भेंट

संकल्प किया गया है कि इस महत्वपूर्ण मामले की प्रस्तुति और प्रत्येक देश के बाइबिल समाज के लिए भेंट लेने के लिए नाज़रीन कलीसिया विशेष समय के रूप में प्रत्येक वर्ष के दिसंबर के दूसरे रविवार को निर्धारित करती है। चुने गए बाइबिल समाज के लिए भेंट लेने के लिए नाज़रीन कलीसिया विशेष समय के रूप में प्रत्येक वर्ष के दिसंबर के दूसरे रविवार को निर्धारित करती है। चुने गए बाइबिल समाज या एक सदस्य समाज की अनुपस्थिति में प्रांत द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य बाइबिल समाज विश्वभर में संयुक्त बाइबिल समाजों की सहभागिता के सदस्य (सहयोगी या पूर्ण) होंगे और यह भी कि हमारे सभी कलीसियाअें ने इस तरह के भेटों में भाग लेने के लिए एक विशेष प्रयास किया है। समस्त कलीसियाओं को अपने देश के बाइबिल समाज में अपने योगदान भेजने के तरीके के विषय में निर्देशों के लिए अपने प्रांतीय कार्यालय से परामर्श करना चाहिए (2017)।

909. विवरणिका संपादन संकल्प – इसे सुलझाया जाए कि प्रमुख अधीक्षक मंडल एक विवरणिका संपादन समिति की नियुक्ति और अधिकृत करें जो विवरणिका के बदलावों के संबंध में उनतीसवीं प्रमुख सभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड में दिखाई दे और वर्तमान विवरणिका के पाठ में इस तरह के संपादकीय परिवर्तन करने के लिए भी जैसे कि अर्थ में बदलाव के बिना भाषा को सही किया जाएगा, और नए अपनाए गए विषयों की प्रतिलिपि में इस तरह के संपादकीय परिवर्तन करने के लिए भी हो सकता है क्योंकि अर्थ में परिवर्तन किए बिना भाषा को सही करने की प्राथमिकता की जा सकती है।

विवरणिका संपादन समिति भ्रमित शब्दों या भावों को, स्पष्ट रूप से समझे जाने वाले शब्दों या भावों के द्वारा और उनतीसवीं प्रमुख सभा द्वारा अपनाई गई किसी भी कार्यवाही के साथ विवरणिका के अनुच्छेदों, खंडो और अन्य अनुभागों की संख्या को संशोधित करने के लिए अधिकृत किया जाए,

और उनतीसवीं प्रमुख सभा द्वारा अपनाई गई किसी भी कार्यवाही सामंजस्य द्वारा सूची तैयार करने के लिए अधिकृत की जाए।

आगे यह तय किया कि विवरणिका के सभी अनुवादों का पर्यवेक्षण विवरणिका संपादन समिति का कर्तव्य होगा (2017)

910. विवरणिका परिशिष्ट समीक्षा – परिशिष्ट (अनुच्छे 906–933) के खंड 3 और 4 में शेष किसी भी विषय को तीन चतुवर्षीय समय के लिए पुर्नविचार के बिना प्रमुख सभा के प्रस्ताव के समान विचार के लिए प्रमुख सभा की उचित संमिति के संदर्भ में समिति द्वारा संदर्भित किया जाएगा (2013)।

911. समितियों का कार्यकालः किसी भी उद्देश्य के लिए बनाई गई कोई विशेष समिति, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, वह निम्नलिखित प्रमुख सभा में मौजूद नहीं रहेगा (2017)।

912. प्रमुख सभा के कार्य
(2017 के क्रम (व्यवस्था) के प्रमुख सभा नियमों से)

प्रस्ताव और याचिकाएँ

नियम 14. प्रमुख सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करना – प्रांतीय सभाएं, प्रांतीय सभा द्वारा अनुमोदित समिति, विभागीय परिषद, प्रमुख मंडल या इसके किसी भी मान्यताप्राप्त विभाग, अधिकारिक मंडल या प्रमुख कलीसिया के आयोग, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन सेवकाई सम्मेलन, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नाज़रीन युवा सेवकाई सम्मेलन या प्रमुख सभा के पाँच या अधिक सदस्य, निम्नलिखित नियमों के अनुसार प्रमुख सभा के विचार के लिए प्रस्ताव और याचिकाएँ प्रस्तुत कर सकती है।

(क) प्रमुख सचिव द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक प्रपत्र पर प्रस्तावों या याचिकाओं को मुद्रित या टाइप (टंकन) किया जाएगा।

(ख) प्रस्तुत किए गए प्रत्येक प्रस्ताव या याचिका में विषय और प्रस्तुति देने वाले प्रतिनिधियों या समूह का नाम शामिल होगा।

(ग) कार्यवाही के लिए निर्देशित सभी प्रस्तावों पर खर्च को पूरा करने के लिए अनुमोदित लागत शामिल होना चाहिए।

(घ) कलीसिया विवरणिका में बदलाव के प्रस्तावों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह प्रभावित होने वाले परिवर्तन के पाठ को प्रभावित करने के लिए अनुच्छेद और खंड देगा।

(ड) उन्हें सभा के बुलाने से पूर्व प्रमुख सचिव के समझ 01 दिसंबर से पहले नहीं पेश किया जाएगा, जिससे कि निमय 25 और विवरणिका 305.1 के अनुसार संदर्भ के लिए संदर्भ समिति के पास भेजा जाए।

(च) कोई भी प्रस्ताव, जो गैर–विवरणिका सामग्री है, उन्हें इंगित करना चाहिए कि उसे किस संस्था में कानून बनाने की जिम्मेदारी है।

नियम 15 देर से संदर्भ के लिए प्रस्ताव और याचिकाएँ – 1 जून से पहले विधायी समिति के संदर्भ में प्रस्तावों, याचिकाओं और अन्य विषयों को प्रमुख सचिव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैश्विक संम्मेलनों के प्रस्ताव जो प्रमुख सभा से ठीक पहले मिलते हैं, विचार के लिए संसाधित किए जाएंगे।

नियम 16 – प्रमुख सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों को अन्य विवरणिका प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए विवरणिका संपादन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

913. ऐतिहासिक स्थल और सीमा चिन्हः प्रांतीय और विभागीय सभाएं, ऐतिहासिक स्थलों के रूप में अपनी सीमाओं के साथ ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में नामित कर सकती है, एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मान्यता मिलने से पहले कम से कम 50 साल बीत जाने चाहिए, जिसके बाद उसे ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो। एक ऐतिहासिक स्थल का उसके मूल इमारत और संरचना के रूप में ही होना उसे नामित करने के लिये आवश्यक नहीं है। सभा सचिव को एक नामित ऐतिहासिक स्थलों की रिपोर्ट प्रमुख सचिव को देनी होगी, जिसमें कार्यवाही की जानकारी, स्थलों की जानकरी और उसके महत्व के बारे में बताया होगा। प्रांतीय और विभागीय सभाएं, प्रमुख सभा को ऐतिहासिक स्थलों के रूप में व्यापक महत्व के स्थानों को नामित करने के लिऐ कह सकती है। प्रमुख अधीक्षक या समिति जो कि नामांकन के प्रदर्शन के उद्देश्य से नियुक्त की गई है, प्रमुख सभा के विचार करने से पहले नामांकन के साथ सहमति दें। प्रमुख सचिव ऐतिहासिक स्थलों और

सीमा चिह्नों का एक रजिस्टर रखेंगे और उन्हें उचित रूप से प्रकाशित करेंगे। (अनुच्छेद 327.2) (2009)

4. वर्तमान, नैतिक और सामाजिक मुद्दे

914. अंगदान – नाज़रीन कलीसिया, जीवित रहने के दिनों में की गई वसीयतों और न्यासों के द्वारा शरीर के अंगों का दान/प्राप्तकर्ता के लिए अपने सदस्यों को प्रोत्साहित करती है, यदि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ऐसा करने में आपत्ति नहीं है।

इसके अलावा, हम अंगो को प्राप्त करने वाले सभी योग्य व्यक्तियों के बीच इनका नैतिक और नीतिगत रूप में उचित एवं सही वितरण किए जाने का आग्रह करते हैं (2013)।

915. भेदभाव – नाज़रीन कलीसिया सभी नस्लों के व्यक्तियों के लिए मसीही करुणा और संवेदना की अपनी ऐतिहासिक विचारधारा पर दृढ़तापूर्वक स्थिर है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब मनुष्यों के सृष्टिकर्ता है और सभी मनुष्यों की सृष्टि एक ही रक्त से हुई है।

हम विश्वास करते हैं कि सभी व्यक्ति चाहे वे किसी भी नस्ल, वर्ण, लिंग या विश्वास से हो कानून की दृष्टि में एक बराबर है। उन सबको मतदान करने का अधिकार है और शिक्षा के अवसरों पर सभी सार्वजनिक हित की सुविधाओं पर बराबर का अधिकार है और वे सभी एकमात्र अवसर पाने के पात्र है, उनकी अपनी योग्यता के अनुसार कि किसी भी रोजगार के द्वारा जीवन यापन करे और उनके साथ आर्थिक पक्षपात न हो।

हम सब स्थानों में जहाँ हमारी कलीसिया हैं, नस्ल के संदर्भ में आपसी समझ और सामंजस्य को सिखाने और बढ़ाने की शिक्षा के कार्यक्रमों को जारी रखने और बल देने का आग्रह करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि इब्रानियों 12:14 में दी गयी पवित्रशास्त्र की चुनौती, हमारे सभी लोगों के आचरण के लिए मार्गदर्शन बनें। हम नाज़रीन कलीसिया के प्रत्येक सदस्य से आग्रह करते हैं कि वे अन्य दूसरों के प्रति उनके अपने कार्यों और अभिवृत्तियों की जाँच करें, कलीसिया के जीवन में और समस्त समाज में सभी के पूर्ण योदान के द्वारा मसीही लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह प्रथम कदम हैं हम पुनः जोर दे कर कहते हैं कि हृदय और जीवन की पवित्रता में हमारा विश्वास

सही जीवन जीने का आधार हैं, हम विश्वास करते हैं कि नस्लवादी और लिंगभेद करने वालों में मसीही भाइचारे का प्रेम तब आएगा, जब लोगों के हृदय यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समपर्ण करके बदल जाएंगे और वास्तविक मसीहत का सार–सत्व इसमें है कि हम अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, प्राण, मन और बल के साथ और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे।

इसलिए हम नस्लीय और जातीय उदासनीता, बहिष्कार, अधीनता या उत्पीड़न के किसी भी रूप को परमेश्वर और हमारे साथी मनुष्यों के खिलाफ गंभीर पाप के रूप में त्याग देते हैं। हम दुनिया भर में नस्लवाद के हर रूप की विरासत को शोक करते हैं और हम पश्चाताप, सुलह और बाइबिल के अनुरूप न्याय के माध्यम से उस विरासत का सामना करना चाहते हैं। हम हर उस व्यवहार का पश्चाताप करना चाहते हैं, जिसमें हम अतीत और वर्तमान दोनों के साथ जातिवाद के पाप से घिर गए हैं या गुप्त रूप से उलझ गए हैं और स्वीकारोक्ति और शोक में हम क्षमा और सामंजस्य चाहते हैं।

इसके अलावा हम स्वीकार करते है कि नस्लीय और जातीय अपमान और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तिगत, संस्थागत और संरचनात्मक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए मानव संघर्ष के अलावा कोई सामंजस्य नहीं है। हम हर जगह नाज़रीनों को बुलाकर पहचान करने और पूर्वाग्रह के कृत्यों और संरचनाओं को हटाने की मांग करते हैं ताकि माफी और सुलह की मांग के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाया जा सके और जो लोग हाशिए पर हैं, उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कार्यवाही की जा सकते (2017)

916. अशक्त व्यक्तियों का शोषण – नाज़रीन कलीसिया किसी भी आयु और लिंग के व्यक्ति के दुरूपयोग या शोषण की निन्दा करती है और अपने प्रकाशनों व पत्रिाकाओं के द्वारा समुचित शिक्षासंबंधी जानकारी प्रदान करने और सार्वजनिक रूप में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में प्रयासों का आग्रह करता है।

नाज़रीन कलीसिया अपनी ऐतिहासिक रूप में मान्य नीति पर स्थिर है कि कलीसिया के अधिकार दुराचार और निर्बलों के शोषण या दुरूपयोग के अन्य सभी प्रकारों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित है। अधिकार या विश्वास के पदों पर नियुक्त करते समय नाज़रीन कलीसिया यह मानकर चलती है कि अतीत का आचरण उनके भविष्य के आचरण के लिए एक

विश्वसनीय संकेत है। कलीसिया ऐसे व्यक्तियों को अधिकार के पदों से हटा देगी या नियुक्त नहीं करेगी, जिन्होंने अतीत में अधिकार और विश्वास के पदों पर रहते हुए यौन–दुराचार या निर्बलों का शोषण किया है, जब तक भविष्य में उनके द्वारा गलत–व्यवहार या आचरण को रोकने के लिए समुचित प्रबंध नहीं किए गए है। दोषी व्यक्ति के द्वारा खेद प्रकट करना ही पर्याप्त नहीं है कि वह भविष्य में पुनः ऐसे काम नहीं करेगा, यदि खेद प्रकट करने के बाद लंबे समय तक उसके आचरण में परिवर्तन के लक्षण न दिखाई दे, जिससे यह संकेत मिल सके कि भविष्य में उसके द्वारा गलत काम की पुनरावृत्ति नहीं होगी (2009)।

917. निर्धनों के प्रति जिम्मेदारी – नाज़रीन कलीसिया का विश्वास है कि यीशु ने अपने चेलों को इस संसार के निर्धनों के साथ एक विशेष संबंध रखने की आज्ञा दी थी ताकि मसीह की कलीसिया सर्वप्रथम स्वयं को सरल और धन एवं विलासिता के प्रभावों से विमुक्त रखें और दूसरा वह निर्धनों की देखभाल, भरण–पोषण, वस्त्र और आश्रय की आवश्यकताओं का दायित्व उठाये। संपूर्ण बाइबिल में और यीशु के जीवन एवं उदाहरणों में परमेश्वर ने स्वयं को इन निर्धनों और उनका जो दबे हुए हैं और अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, साथी और सहायक बताया है, इसी प्रकार हमें भी उनके साथ अपनी पहिचान बनानी चाहिए और उनके दुःख दर्दों में शामिल होना चाहिए और केवल अपने आराम की स्थिति में ही जन–कल्याण के काम नहीं करना चाहिए।

हम मानते हैं कि निर्धनों के प्रति की सेवकाई में जनकल्याण के कामों के साथ–साथ, उन्हें अवसर दिलाने और समानता एवं न्याय के पक्ष में उनके लिए संघर्ष करना भी शामिल है। हम आगे यह भी मानते हैं कि निर्धनों के प्रति जिम्मेदारी प्रत्येक विश्वासी के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है जो उस विश्वास पर अमल करने का प्रयास करता है जो प्रेम के द्वारा कार्य करता है।

अंत में हम समझते हैं कि मसीही पवित्रता, निर्धनों की सेवकाई से अपृथकनीय है, क्योंकि पवित्रता प्रत्येक मसीही को उसकी व्यक्तिगत सिद्धता से आगे बढ़ने और एक अधिक न्यायपूर्ण और समानतायुक्त समाज और संसार के निर्माण की ओर अग्रसर करती हे। यह आर्थिक आवश्यकताओं से भरे हमारे संसार में विश्वासीजनों को दूर नहीं करती परंतु प्रोत्साहित करती है कि हम

इन जरूरतों को कम करने की दिशा में अपने संसाधन उपयोग करते और दूसरों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी स्वयं की आवश्यकताएँ समायोजित करें (2013)। (निर्गमन 23:11; व्यवस्थाविवरण 15:7; भजन संहिता 41:1; 82:3; नीतिवचन 17:17; 21:13; 22:9; यिर्मयाह 22:16; मत्ती 19:21; लूका 12:33; प्रेरितों के काम 20:35; 2 कुरिन्थियों 9:6; गलतियों 2:10)।

918. लिंग समानतासूचक भाषा – नाज़रीन कलीसिया व्यक्तियों के संदर्भ में लिंग दर्शाने वाली भाषा के उपयोग के पक्ष में है और उसे प्रोत्साहित करती है। सभी प्रकाशनों विवरणिका समेत, सभी सार्वजनिक उपयोग में भाषा के द्वारा अनुच्छेद 501 के अनुरूप में लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने वाली भाषा को प्रयोग किया जाए। भाषा संबंधित परिवर्तन पवित्रशास्त्र के उद्धरणों और परमेश्वर के संदर्भ में नहीं किए जाए (2009)।

919. कलीसिया एवं मानवीय स्वतंत्रता – हमारी महान मसीही विरासत को समझने और सुरक्षित करने की चिन्ता करते हुए हम अपने लोगों को स्मरण दिलाते हैं कि राजनैतिक और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों ही बाइबिल में दी गयी मानव जाति की प्रतिष्ठा की अवधारणा पर आधारित है। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सृष्टि है और दूसरी अवधारणा व्यक्ति के व्यक्तिगत विवेक की परिशुद्धता की है। हम अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे उन गतिविधियों के समर्थन में भाग लें जो इन बाइबिल सम्मत अवधारणों की पक्षधर है और इन बहुमूल्य स्वतंत्रता के विरूद्ध उठने वाले किसी भी खतरे के प्रति सदैव सजग रहे।

ये स्वतंत्रताएं लगातार खतरे में पड़ती है, इस कारण हमारा आग्रह है कि सार्वजनिक अधिकारों के पदों पर प्रशासन के सभी स्तरों पर, ऐसे व्यक्तियों को चुनें – जो इन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के प्रति और उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है जिन्होंने उन्हें चुनकर सार्वजनिक भरोसे के पदों पर रखा है। साथ ही हम किसी भी धार्मिक समूहों द्वारा विशेष लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से इन सिद्धांतों की अवमानना का प्रतिरोध करते हैं।

हम मानते हैं कि कलीसिया की भूमिका भविष्यवक्ता जैसी है, जो अपने लोगों को सदैव स्मरण करती है कि "जाति (देश) की बढ़ती धर्म ही से होती है" (नीतिवचन 14:34) (2017)।

920. मानव स्वतंत्रता की पुष्टि और घोषणा – जब हम नाज़रीनों के रूप में हम पवित्रता, पूर्णता और जीवन जीने के लिए दिव्य बुलाहट को गले लगाते हैं, जहाँ सभी चीजें और सभी लोगों को परमेश्वर से मिलाया जाता है। जवाब में, पवित्र आत्मा हाशिए पर, उत्पीड़ित, टूटे हूए और चोटिल और न्याय करने के लिए स्वतंत्रता लाता है और पाप के कारण होने वाले स्वार्थी प्रभाव को खत्म करता है, जब तक कि सभी चीजें परमेश्वर के शासन में बहाल नहीं हो जाती हैं। हमारी वेसेलियन पवित्रता की विरासत और चरित्र के अनुरूप, हम आधुनिक दासता, अवैध या मजबूर श्रमिक और मानव और अंगों की तस्करी के समकालीन संकट का सामना करते हैं।

और इन पुष्टियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात का संकल्प करते हैं कि अंतराष्ट्रीय कलीसिया के सदस्य और सभाएंः

1. न्याय की हमारी खोज में एक पवित्र व्यक्ति के रूप में हम अपने अतीत में किसी भी अन्याय का पश्चाताप करने अपने वर्तमान में संशोधन करने और न्यायपूर्ण भविष्य बनाने के लिए कहते हैं।
2. दूसरों पर अत्याचार करने वालों को हिसाब देने का निर्णय किया।
3. अवैध या मजबूर श्रम, अंगों का काटना और यौन गुलामी (और किसी अन्य उभरते उत्पीड़न के साथ जो हमारे लिए अभी तक अज्ञात है) में पकड़े गए लोगों के लिए अनुकंपा और देखभाल में संलग्न है।
4. शोषितों को सक्रिय रूप से सुनें और उनके कराहने को आवाज दें।
5. अन्याय की निंदा करें और अन्याय के कारणों के खिलाफ विनम्रतापूर्वक काम करें।
6. अंधकार के खिलाफ, स्वतंत्रता की दिशा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे भाई और बहन के साथ एकजुटता से काम करें।
7. उन लोगों के साथ आते हैं जो परमेश्वर के कार्यों के माध्यम से पापमुक्त, बहाली, चंगाई और स्वतंत्रता लाते हैं।

हमारी वेसेलियन पवित्रता ईसाई विरासत में निर्मित और पवित्रता की बुलाहट के लिए हम निम्नलिखित पुष्टि करते हैं।

1. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि न्याय, मेल–मिलाप और स्वतंत्रता की खोज लोगों में परमेश्वर की पवित्रता को प्रतिबिंबित करती है। हम स्वयं और गुलामी, तस्करी और उत्पीड़न के सभी रूपों के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, बातचीत और कार्यों में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आशावादी विकल्प प्रदान करते हैं।
2. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि कलीसियाओं को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र प्रेम के आवेग का जवाब दिया जाना चाहिए। हमें पवित्र परमेश्वर के प्रति विचार, वचन और कर्म में विश्वासयोग्य गवाह कहा जाता है, जो आर्थिक, राजनितिक, स्वार्थी और बुरी व्यवस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा उत्पीडित, कैद, तस्करी और दुर्व्यवहार करने वालों की पीड़ा सुनते हैं। परमेश्वर हमें करुणा और न्याय के साथ विनम्रता से जवाब देने के लिए कहते हैं।
3. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे कार्य में हमारे आसपास के लोगों के लिए दयालु रूप से देखभाल शामिल है और यह अन्याय को प्रकट करता है इसके कारण होने वाली ताकतों का खंडन करता है। न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण दया का कार्य करना अक्सर परमेश्वर के लोगों को शासक शक्तियों और दैनिक सिद्धांत के साथ संघर्ष में लाया है। परमेश्वर का न्याय हमें समान व्यवहार, एक दूसरे के मतभेदों को सहन करने या उत्पीड़ित और उत्पीड़क की भूमिका को बदल देने को कहता है। यीशु मसीह का उदाहरण हमें एक न्याय के लिए कहता है जिसके तहत हम खुद को दूसरे के लिए छोड़ देने को तैयार हैं।
4. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि मसीही न्याय के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्वीकारोक्ति पश्चाताप और माफी के लिए आवश्यकत कदम के रूप में गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

5. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में सिर्फ अभीष्ट व्यवहार का समर्थन करना चाहिए। हम उन परिस्थितियों की पहचान करते हैं जो अमानवीय परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। हम उन लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे जिन्होंने सुना नहीं है और वह अपनी कमजोरियों के साथ उस कार्य को चाहते हैं जो छुटकारा, बहाली, चंगाई और आजादी लाते हैं।
6. हम पुष्टि करते हैं कि एक सहयोगी नेटवर्क के रूप में हमें गहराई से सोचना चाहिए, समग्र रूप से काम करना चाहिए और स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संलग्न रहना चाहिए। जटिल मुद्दे, आधुनिक दासता को बनाते है इसलिए कई समाधान प्रयोग में लाए जाने चाहिए। ये कार्य रूपी उस वस्त्र से संसाधित होंगे जो मसीही समुदाय में हैं जो स्वाभाविक रूप से हम करते हैं।

हम इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं:

1. व्यक्तियों और संस्थानों के रूप में अलग–अलग और एक साथ काम करने के लिए अनुकंपा के साथ सेवा करने और दमनकारी प्रणालियों को चुनौती देने के लिए हमारी वेसेलियन पवित्रता की पहचान के अनुरूप है।
2. संसाधन और योजना को प्रोत्साहित और समर्थना करना और प्रभावी, गंभीर और स्थायी कार्यवाही में एक साथ संलग्न होना।
3. मुख्य रूप से मसीह की आराधना करने वाले समुदाय के रूप में श्रम करना और आशा रूपी आंदोलन में आत्मा की सामर्थ के साथ संचार करना।
4. गहराई से सोचने के लिए, अपेक्षा के साथ प्रार्थना करें और साहस के साथ कार्य करें।

और इसके लिए हम जीते हैं और तब तक मेहनत करते हैं जब तक कि ''परमेश्वर का शासन पृथ्वी पर नहीं आता जैसा कि स्वर्ग में है।'' (2017)

921. बच्चों एवं युवाओं का मूल्य – बाइबिल प्रत्येक मसीही को आज्ञा देती है, "गूंगे के लिए अपना मुहँ खोल, और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर" (नीतिवचन 31:8)। प्रमुख आज्ञा (व्यवस्थाविवरण 6:4–7; 11:19)।

हमें चिताती है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में अपने बच्चों को बताएं। भजन संहिता 78:4 घोषणा करता है, "उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परन्तु होनहार पीढ़ी के लोगों से, यहोवा का गुणानुवाद और उसके सामर्थ और आश्चर्यकर्मों का वर्णन करेंगे।" यीशु ने लूका 18:16 में जोर देकर कहा है, "बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है।"

बाइबिल की इस पृष्ठभूमि पर आधारित होकर नाज़रीन कलीसिया यह मानती है कि परमेश्वर के लिए बच्चे महत्वपूर्ण है और उसके राज्य की प्राथमिकता है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हम बच्चों से प्रेम करे, पोषण करें, उनकी रक्षा करें, उन्हें बढ़ाये, मार्गदर्शन दें और उनके हित की बात करें। यह परमेश्वर की योजना है कि हम बच्चों का उद्धार के जीवन और अनुग्रह में बढ़ने से परिचय कराएं।

उद्धार, पवित्रता और शिष्यता बच्चों के जीवनो के लिए न केवल संभव है, परन्तु अनिवार्य भी है। हम मानते हैं कि बच्चें अंत होने वाले साधन नहीं हैं, और मसीह की देह के पूर्ण भागीदार हैं। बच्चें शिष्यता के लिए प्रतिज्ञा में नहीं परन्तु प्रशिक्षण में है। इस प्रकार, प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में बच्चों और उनके परिवारों के लिए पवित्रता और रूपांतर करने वाली सेवकाई प्राथमिकता के तौर पर निम्न बातों पर ध्यान देती हैं।

बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व – शारीरिक, मानसिक भावनात्मक, सामाजिक और आत्मिक के लिए प्रभावी और बलदायी सेवकाई प्रदान करना।

बच्चों पर प्रभाव डालने वाले आधुनिक सामाजिक न्याय के मसलों पर मसीही स्थिति और पक्ष की संरचना और प्रस्तुति करना।

बच्चों को विश्वास के समुदाय में मिशन और सेवकाई की भावना से जोड़ना।

बच्चों को शिष्यता का प्रशिक्षण देना और दूसरों को शिष्य बनाने का प्रशिक्षण देना।

बच्चों के आत्मिक गठन के लिए माता–पिता को पोषण करने हेतु तैयार करना।

कलीसिया के शिक्षा संस्थान (बाइबिल विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्याय और सम्मेन (सेमिनरी)) छात्रों को नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करते

हैं, इसलिए वे बच्चों के मूल्य का संचार करने के दर्शन और मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे याजकीय सदस्यों और अयाजकीय सदस्यों को तैयार करते में स्थानीय कलीसियाओं और परिवारों के साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं ताकि अगली पीढ़ी के बच्चों और युवाओं को बाइबिल एवं धार्मिक विज्ञान में शिक्षित करें और उनके समाज में सुसमाचार प्रचार, शिष्यता और रूपांतर करने के मार्ग की जानी–पहिचानी और अनजानी चुनौतियों का सामना करे। नाज़रीन की कलीसिया एक अन्तर पीढ़ी विश्वास का समुदाय बनने का दर्शन रखती हैं, जहाँ उनके लिए सेवकाई की जाये और नाना प्रकार के अनेक साधनों और तरीकों के द्वारा उन्हें कलीसिया के परिवार में शामिल किया जाए और जहाँ उन्हें दूसरों की सेवकाई करने के अवसर प्राप्त हों जो उनकी आयु, विकास योग्यता और आत्मिक दान–वरदानों के अनुरूप हों (2009)।

922. युद्ध एवं सैन्य सेवा – नाज़रीन कलीसिया विश्वास करती है कि विश्व की आदर्श स्थिति 'शांति' है, और यह मसीही कलीसियाओं का पूर्ण दायित्व है कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके उन साधनों की खोज करे जो पृथ्वी के देशों में शांति बहाल करे और अपनी संपूर्ण शक्ति के द्वारा शांति के संदेश को फैलाने का प्रयत्न करे। परन्तु हम यह भी मानते हैं कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, जहाँ दुष्ट शक्तियाँ और दर्शन कीं बातें, मसीहत के इन आदर्शों के विरूद्ध सक्रिय रूप में लड़ रही है और संभव है कि किसी देश में ऐसी आपात स्थिति आ जाये कि उसके आदर्शों, स्वतंत्रता के अधिकार और अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प हो।

जबकि हम शांति के लिए समर्पित हैं। नाज़रीन कलीसिया यह मानती है कि मसीहियों की सर्वोच्च निष्ठा परमेश्वर के प्रति है और इस कारण वे अपने सदस्यों के विवेक को प्रभावित नहीं करते, यदि युद्ध के दिनों में वे सैन्य सेवाओं में भाग लेना चाहते हैं, यद्यपि हमारा मानना है कि व्यक्तिगत रूप में मसीही व्यक्ति जिसे देश का नागरिक है, उसे मसीही विश्वास और मसीही जीवनशैली के अनुरूप, सभी बातों में अपने निज देश में अपनी सेवाएं देंने की बाध्यता है।

हम यह भी मानते हैं कि पृथ्वी पर शांति के लिए मसीही शिक्षा और मसीही अभिलाषा के बढ़ने के साथ–साथ हमारे सदस्यों में कुछ व्यक्तिगत

विचार हो सकते हैं, जिन्हें सेवाओं के कुछेक स्वरूपों को लेकर विवेक संबंधी आपत्ति हो। इस कारण, नाज़रीन कलीसिया अपने सदस्यों के बीच विवेक संबंधी आपत्तियों को अपवाद स्वरूप मानता है और सैन्य/सैनिक सेवा के लिए वही विचार मान्य करता है जो किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन के सदस्यों का है, जो युद्ध में शामिल नहीं है।

नाज़रीन कलीसिया अपने प्रमुख सचिव के पास एक रजिस्टर रखती है जिस पर वे व्यक्ति जो नाज़रीन कलीसिया के सदस्य होने का प्रमाण देते हैं, अपने विवेक की आपत्तियों को दर्ज कर सकते हैं (2017)।

923. सृष्टि – नाज़रीन कलीसिया बाइबिल में दिए गए 'सृष्टि' के वृतांत पर विश्वास करती है ("आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सुष्टि की" – उत्पत्ति 1:1)। हम ब्रम्हांड की उत्पत्ति और मानवजाति की सृष्टि के संदर्भ में परमेश्वर को खारिज़ करने वाले किसी भी व्याख्या का विरोध करते हुए निर्माण की प्रकृति पर वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के लिए खुले हैं (इब्रानियों 11:3) (1,5:1,7) (2017)।

924. सृष्टि का प्रबंधन – परमेश्वर की सृष्टि के प्रति गहरे आदरभाव के साथ हम यह मानते हैं कि हमें प्रबंधकपन के वे गुण प्रकट करने चाहिए जो परमेश्वर की सृष्टि के कामों का संरक्षण करते हैं। यह मानकर कि हमें हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और निष्ठा बचाकर रखने का दायित्व दिया गया है, हम ऐसा करने के व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्वों को स्वीकार करते हैं (2009) (उत्पत्ति 2:15, भजनसंहिता 8:3–9; 19:1–4:148)।

925. पवित्र आत्मा में बपतिस्मों के प्रमाण – नाज़रीन कलीसिया विश्वास करती है कि पवित्र आत्मा नए जन्म की और बाद में ह्रदय की परिशुद्धता या संपूर्ण पवित्रीकरण की साक्षी देता है जो पवित्र आत्मा के भरे जाने के द्वारा है। हम मानते हैं कि संपूर्ण पवित्रीकरण या पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक प्रमाण है, प्रेरितों के काम 15:8,9 में दर्शाये अनुसार विश्वास करने से मूल पापों से ह्रदय की की शुद्धि, "मन के जाँचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर गवाही दी और विश्वास के द्वारा मन शुद्ध करके हम में और उन में कुछ भेद न रखा।" और यह शुद्धीकरण पवित्र जीवन में आत्मा के फल के द्वारा प्रकट होता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में

कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है” (गलतियों 5:22–24)।

यह कहना कि कोई विशेष या कोई शारीरिक प्रमाण या प्रार्थना की भाषा “पवित्र आत्मा के बपतिस्में का प्रमाण है, कलीसिया की बाइबिल और ऐतिहासिक स्थिति के विपरीत है” (2009)।

926. यौन – अश्लीलता – यौन अश्लीलता एक बुराई है जो समाज के नैतिक स्तर को गिराती है। छपे हुए पेज या दृश्य सामग्री जो मनुष्य की प्रतिष्ठा को गिराती है, विवाह की पवित्रता और यौन संबंधों के संदर्भ में पवित्रशास्त्र की विचारधारा के विरूद्ध है और घृणायोग्य है। हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप की समानता में सृजे गए हैं और यौन अश्लीलता पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का पतन, शोषण और दुरूपयोग करती है। यौन–अश्लीलता उद्योग, लालच से प्रेरित है, पारिवारिक जीवन का शत्रु है और हिंसा को अपराध, मनों की विकृति और शरीर की अशुद्धता की ओर ले जाता है।

परमेश्वर को सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के रूप में सम्मान देने के लिए हम सभी विधि–सम्मत साधनों से यौन–अश्लीलता का सक्रिय विरोध करते हैं और जो मसीही इस बुराई में लिप्त हैं, उनको बचाने के लिए सकारात्मक प्रयास करने का आग्रह करते हैं (2009)।

927. – वेष–भूषा संबंधी मसीही शालीनता – अशालीन वस्त्रों के सार्वजनिक स्थानों में उपयोग के बढ़ते चलन को जानकर हम अपने मसीही लोगों को स्मरण कराते हैं कि वेषभूषा में शालीनता की मसीही अवधारणा पवित्रता की एक अभिव्यक्ति है ओर उनसे आग्रह करते हैं कि सार्वजनिक रूप में सब समय मसीही वेश–भूषा संबंधित शालीनता का आचरण करे (2017)।

928. – स्वास्थ्य (कल्याण) – पवित्रशास्त्र सभी विश्वासियों को शारीरिक स्वास्थ्य और संपूर्ण निरोगता के लिए पवित्र आत्मा की रूपांतरकारी सामर्थ के द्वारा संतुलन बनाकर रखने का निर्देश देता है। पेटूपन व्यक्ति के शरीर, समाज और आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। मोटापे का कारण आनुवांशिक संरचना, प्रतिरोध या शारीरिक सीमाएं इत्यादि हो सकते हैं किन्तु दूसरी ओर पेटूपन एक जीवनशैली का परिचायक है जो परमेश्वर की उत्तम सृष्टि का भोग करता हैः भोजन, संसाधन और संबंध जो व्यक्ति और समाज

दोनों को नुकसान पहुँचाते हैं। मसीही प्रबंधकपद की बुलाहट के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य और देह–सौष्ठव बनाकर रखना चाहिए क्योंकि वह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर के द्वारा दिए गए सभी संसाधनों और संबंधों के प्रति शालीनतापूर्वक संयमी जीवन जीना चाहिए (2009)।

(नीतिवचन 23:19–21; मत्ती 11:19:23:25; 1 कुरिन्थियों 9:27; गलतियों 5:23; फिलिप्पियों 3:19; तीतुस 1:8; 2:12; इब्रानियों 12:16; 2 पतरस 1:6)।

929. पदार्थों का दुरूपयोग – नाज़रीन कलीसिया समाज के विकार के रूप में पदार्थों के दुरूपयोग पर लगातार दृढ़तापूर्वक आपत्ति प्रकट करती है, हम कलीसिया के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सक्रिय और अत्याधिक प्रकट रूप में 'पदार्थों' के दुरूपयोग और ऐसे उपयोग के मसीही अनुभव एवं पवित्र जीवन के विरूद्ध होने के कारण, शिक्षा देने और पुर्नवास के सभी कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वहन करे (2013)।

930. मदिरापान का बहिष्कार – नाज़रीन कलीसिया मदिरापान के बहिष्कार का सार्वजनिक समर्थन करती है। हम आग्रह करते हैं कि नागरिक, श्रमिक, व्यापारी, पेशेवर, सामाजिक, स्वैच्छिक और निजी संस्थाएँ और संगठन मिलकर ऐसे बहिष्कार में सहायता करे कि इसके विज्ञापनों और मीडिया द्वारा बढ़ावा देने और सामाजिक रूप में "मदिरापान की संस्कृति" को स्वीकार करने के पक्ष में किए प्रयासों के विरूद्ध काम करे (2013)।

931. तंबाकू का उपयोग एवं विज्ञापन – नाज़रीन कलीसिया अपने सदस्यों से आग्रह करती है कि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकार और सामाजिक बुराई के रूप में तंबाकू के उपयोग के विरूद्ध खुलकर बोले। हमारा ऐतिहासिक आधार परमेश्वर का वचन है जिसमें हमें अपने शरीरों को पवित्र आत्मा का मंदिर जानकर शुद्ध और पवित्र रखना है (1 कुरिन्थियों 3:16–17; 6:19–20)।

तंबाकू को किसी भी रूप में सेवन करने के विरूद्ध हमारे प्रयासों को समस्त संसार में अनेकों शासकीय एवं

स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रकाशित चिकित्सा विज्ञान के प्रमाण बल प्रदान करते हैं। उन्होंने दर्शाया कि यह स्वास्थ्य के लिये प्रमुख हानिकारक

पदार्थों में से है और उनका निष्कर्ष है कि इसका उपयोग सामान्य शारीरिक क्रिया में गंभीर एवं स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है।

हम मानते हैं कि हमारे युवाओं पर तंबाखू और उसके जुड़वा बुराई शराब के सेवक के प्रतिवर्ष लाखों डॉलर खर्च होते हैं। हम पत्रिकाओं, होर्डींग (इश्तहार), रेडियो, टेलीविजन और अन्य मीडिया पर तंबाकू और शराब के विज्ञापानों पर रोक लगाने का समर्थन करते है (2013)।

932. एच.आई.वी/एड्स (ह्यूमन इम्यूनोडेफिसियेन्सी वाइरस/अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसियेन्सी सिन्ड्रोम)।

1981 से हमारा संसार एक विनाशकारी बीमारी का सामना कर रहा है जिसे एच.आई.वी./एड्स कहा जाता है। एच.आई.वी/एड्स पीड़ितों की गहरी आवश्यकताओं का विचार करके मसीही करुणा की भावना हमें प्रेरित करती है कि हम एच.आई.वी./एड्स के बारे में सही–सही जानकारियाँ प्राप्त करे। मसीह हमारी सहायता करेंगे कि हम संसार के किसी भी देश में एड्स के पीड़ितों के प्रति अपने प्रेम और परवाह को प्रकट कर सके (2013)।

933. सामाजिक मीडिया (संचार माध्यम) के उपयोग – सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जो सामग्री हम साझा करते हैं वह सम्मानजनक होनी चाहिए। सभी पारस्परिक संबंधों की तरह हम मानते हैं कि हमारे सामाजिक संचार माध्यम की सामग्री भी पवित्र हृदयों का प्रतिबिंब होनी चाहिए जिसका हम प्रयास करते हैं। याजकीय समूह और समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियाँ किस तरह से मसीह और उनकी कलीसिया की छवि को प्रभावित करती हैं और उनके समुदायों के भीतर अपने मिशन को प्रभावित करती हैं। हमारी गतिविधियाँ जीवन देने और पुष्टि करने वाली होनी चाहिए और सभी व्यक्तियों के उत्थान के लिए होनी चाहिए (2017)।

(नीतिवचन 15:4,15; 20,16:25; समोपदेशक 5:2–4; मत्ती 15:11; गलतियों 5:13–15; इफिसियों 5:29; कुलुस्सियों 4:62; 2 तीमुथियुस 2:16; याकूब 3:1–13)

रिक्त अनुच्छेदों की सूची

39–99, 160–199, 247–299, 308–313, 347–399,404–499, 541–599, 917–699, 710–799, 800–809, 821–899, 934–999